विषय सूची

. माला, खण्ड-5 पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 44, गुरुवार, 12 सितम्बर, 1991/21 भाद्र, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—18
*तारांकित प्रश्न संख्या : 795 से 799	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	18—182
तारांकित प्रश्न संख्या : 801 से 814	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6789 से 6840, 6842 से 6925, 6927 से 6984, 6984क और 6984ख	
केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की वैधता को पुष्ट करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद बोफोर्स मामले की जांच में हुई प्रगति के बारे में	182—202
सभा पटल पर रखे गए पत्र	202—204
राज्य सभा से सन्देश	204—205
वी० पी० चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली के कार्यकरण की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में याचिका-प्रस्तुत	205
कार्य मंत्रणा समिति	205
पांचवा प्रतिवेदन—स्वीकृत	
विधेयक पुरःस्थापित	
(एक) पंजाब साधारण निर्वाचन रद्दकरण विधेयक	205—224
(दो) प्रसवपूर्ण निदान तकनीक (विनियम और दूरुपयोग निवारण) विधेयक	224—225

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	225—228
(एक) नक्सलवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों से निपटने के लिए उपाय करने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	225
(दो) देवदासी प्रथा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास की परियोजना को मंजूरी देने की आवश्यकता	
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा	226
(तीन) आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने की आवश्यकता	
श्री ए० प्रताप साय	226
(चार) उत्तर प्रदेश में फरीदपुर-आंवला और विनावर-दातागंज में चीनी मिलें लगाने की आवश्यकता	
श्री राजवीर सिंह	226
(पांच) आंध्र प्रदेश में सर्वेक्षित रेल लाइनों को, तत्काल पूरा करने की आवश्यकता	
श्री दत्तात्रेय बंडारू	227
(छः) उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच मांझी-बलिया रोड पर पुल का निर्माण करने की आवश्यकता	
श्रीमती गिरिजा देवी	227
(सात) बक्रेश्वर और कोलाघाट ताप विद्युत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	
श्री सनम कुमार मंडल	227—228
(आठ) विशेषकर उत्तर आरकोट तथा चेंगई अन्ना जिले में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए विशाल नलकूप लगाने हेतु तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री आर० जीवरत्नम	228
(नौ) असम में गोलपाड़ा अथवा धुबरी में केन्द्र द्वारा प्रायोजित मेडिकल कालेज, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज अथवा आई० आई० टी० स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री नुरुल इस्लाम	228—229

विषय		पृष्ठ
विधेयक (संख्यांक 2) विधेयक		229—274, 289—306
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	233—238
	श्री मुरली देवरा	238—251
	श्री तरित वरण तोपदार	251—255
	श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी	255 262
	श्री रोशन लाल	262—266
	श्री भोगेन्द्र झा	266—274
	श्री आर० जीवरत्नम	289—292
	श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाद्दे	292—296
	श्री गुमानमल लोढा	296—299
	श्री मोहन सिंह	299—302
	श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण	302—306
	श्री राम कापसे	306
आधे घंटे की चर्चा		275—289
राष्ट्रीय महिला आयोग		
	श्रीमती सुशीला गोपालन	275—279
	श्री सुधीर गिरि	278—280
	प्रो० सावित्री लक्ष्मणन	280—281
	कुमारी ममता बनर्जी	281—285
	श्री रंगराजन कुमारमंगलम	285—286
	श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	286—288
	श्रीमती सरोज दुबे	288
	श्रीमती वसुन्धरा राजे	288—289

लोक-सभा

गुरुवार, 12 सितम्बर, 1991/21 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आपरेशन फ्लड-II कार्यक्रम

[हिन्दी]

*795. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय और विश्व बैंक के संयुक्त मिशन ने आपरेशन फ्लड-II कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्य का मूल्यांकन किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त मिशन द्वारा क्या सिफारिशें की गई थीं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है/करने का विचार है?

[अनुवाद]

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०सी० सेकिम) : (क) से (ग) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना की समीक्षा करने और आपरेशन फ्लड के तीसरे चरण का मूल्यांकन करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय और विश्व बैंक द्वारा नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं के एक संयुक्त मिशन ने जुलाई-अगस्त, 1986 में भारत का दौरा किया। परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में दिए गए विचारों को वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के अधिकारिक विचारों के रूप में नहीं माना गया। इसलिए, इस मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की गई। नवम्बर/दिसम्बर, 1986 और मार्च/अप्रैल, 1987 में इस परियोजना का एक बार फिर मूल्यांकन किया गया था, जिसके आधार पर विश्व बैंक/यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा आपरेशन फ्लड-3 के लिए वित्तीय व्यवस्था को स्वीकृत दी गई।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री : माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मैं कृषि मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय और विश्व बैंक के संयुक्त मिशन ने कौन-सी सिफारिशें की थीं, जिन सिफारिशों को नहीं माना गया और पुनः उसकी समीक्षा नवम्बर, 1986 में की गई तो क्या की गई। इन दोनों की अलग-अलग कौन सी सिफारिशें थीं?

[अनुवाद]

श्री के०सी० लेंका : महोदय, जुलाई-अगस्त, 1986 में आपरेशन फ्लड-II के अन्तर्गत किए गए कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करने वाले संयुक्त मिशन ने कुछ सुझाव दिए हैं। सरकार ने इन सुझावों पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा क्योंकि यूरोपीय आर्थिक समुदाय और विश्व बैंक ने यह सूचित किया था कि परामर्शदाताओं द्वारा दिए गए सुझाव विश्व बैंक तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सरकारी विचारों के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने बताया था कि उन्होंने आपरेशन फ्लड-II की समीक्षा नहीं की थी अथवा उन्होंने पूर्ण आपरेशन फ्लड-II कार्यक्रम संशोधन नहीं किया था। उन्होंने आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के कुछ क्षेत्रों में पाई गई कमजोरियों के लिए कुछ सुझाव दिए थे। आपरेशन फ्लड-III आरम्भ करने के लिए जायजा लेते समय इन सुझावों की ओर समुचित ध्यान दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि यदि डीलायसेंसिंग की नीति अपनाई गई तो इस परियोजना पर क्या असर पड़ेगा ?

[अनुवाद]

श्री के०सी० लेंका : महोदय, तीन संयुक्त आयोगों द्वारा दी गई समीक्षा रिपोर्ट में आपरेशन फ्लड के कार्य के कार्य-निष्पादन की प्रशंसा की गई है। उनका सुझाव था कि आपरेशन फ्लड के माध्यम से आनन्द के पैटर्न पर लागू इस कार्यक्रम का सारे राज्य, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य अधिक दूध का उत्पादन करने हेतु ग्रामीण सरकारी संस्थानों की विपणन तथा प्रसंस्करण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि इसको लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर रहे हैं, दूसरों के प्रवेश की पूरी तरह से इजाजत दे रहे हैं, तो फिर इस परियोजना का क्या होगा ? सरकार किस तरीके से मुकाबला कर पाएगी ? आप इसका उत्तर देने के बजाए इस योजना की व्यवस्थाओं के मूल्यांकन की बात बता रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री के०सी० लेंका : महोदय, मेरे विचार में माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि दूध उत्पादों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करने से सहकारी समितियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं। सरकार ने दुग्ध उत्पादों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करने का जागरूक निर्णय लिया है। महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि और अधिक गैर-सरकारी व्यक्ति इस क्षेत्र में आयेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में धन का निवेश करेंगे और इस प्रकार डेयरी क्षेत्र में और अधिक निवेश लगेगा जिसने देश में डेयरी उत्पादों में वृद्धि होगी। इससे ग्रामीण किसानों को और अधिक दूध उत्पादन करने के लिए बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार सहकारी समितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु, यह सत्य है कि लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने के पश्चात् दुग्ध सहकारी समितियों ने यह शिकायत की है कि इससे सहकारी समितियों के कार्य में रुकावट आएगी जिस पर विभाग विचार कर रहा है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, आपरेशन फ्लड का उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार कुल दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण लोगों, विशेषकर छोटे

किसानों तथा कृषि मजदूरों की आय बढ़ाना भी है, क्या इसके इस महत्व को देखते हुए सरकार आन्ध्र प्रदेश में आपरेशन फ्लड-III कार्यक्रम को लागू करने के लिए तुरन्त कदम उठाएगी। आन्ध्र प्रदेश राज्य आनन्द पैटर्न खुले दिमाग से पहले ही कार्य प्रारम्भ कर चुका है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार असम, मध्य प्रदेश, इत्यादि में जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में जहां पर दुग्ध उत्पाद अत्यन्त कम है, दुधारू पशुओं की दुग्ध प्राप्ति को बढ़ाने के लिए भी तुरन्त कदम उठाएगी। यद्यपि सरकार के अनुसार उनके पास इस सम्बन्ध में भी कार्यक्रम है, किन्तु उस दिशा में कोई खास कार्य नहीं हो रहा है।

मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि लाइसेंस प्रणाली के समाप्त हो जाने से कई नई कम्पनियां दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, न कि दूध एकत्र करके शहरी क्षेत्रों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां इसकी आवश्यकता है वितरित करने के बजाए क्षेत्र में और जिससे उन्हें अधिक फायदा होगा। अतः क्या सरकार इस विशेष पहलू का ध्यान रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ये कम्पनियां ग्रामीण लोगों की मदद करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में न आयें और इस तरह से उल्टे फायदा कमाने न लग जायें। मैं यह भी जानता हूं कि क्या सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी कि ऐसा न हो।

श्री के०सी० लेंका : महोदय, आपरेशन फ्लड चरण III पहले ही आरम्भ हो चुका है। हमारे देश में आन्ध्र प्रदेश सहित बाईस राज्यों में यह कार्यक्रम चल रहा है।

माननीय सदस्य को शंका है कि देश में दुग्ध उत्पाद उद्योग लगाने के इच्छुक निजी व्यक्ति अथवा बहु-राष्ट्रिक उन किसानों का शोषण करेंगे जो सरकारी क्षेत्र में दूध की खरीद में लगे हैं।

महोदय, इस मामले पर विचार किया जा चुका है और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानियां बरती जायेंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों दुग्ध उत्पादन में लगे किसानों और भूमिहीन मजदूरों का शोषण न हो।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : महोदय, क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या आपरेशन फ्लड-III आरम्भ हो चुका है ? यदि ऐसा है, तो यह कब आरम्भ हुआ था ? इसमें विश्व बैंक, इत्यादि के द्वारा निवेश का स्तर क्या है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्यक्रम सभी राज्यों में शुरू किया गया है।

उड़ीसा में डेयरी विकास की पर्याप्त सम्भावनायें हैं। वहां इस दिशा में काफी विकास हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि आपरेशन फ्लड चरण-III के मामले में उड़ीसा की क्या स्थिति है ?

श्री के०सी० लेंका : महोदय, आपरेशन फ्लड चरण-III 1987 में आरम्भ किया गया था। विश्व बैंक की ओर से 360 मिलियन डालर और यूरोपीय आर्थिक समुदाय से 76,000 एम०टी० स्किम्ड मिल्क पाउडर तथा 25,000 एम०टी० बटर आयल के उपहार के साथ सम्पूर्ण आपरेशन फ्लड चरण-III कार्यक्रम पर 915 करोड़ रुपए की लागत आई है। कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में इस आपरेशन फ्लड चरण-III के अच्छे परिणाम रहे हैं किन्तु देश के पूर्वी भाग विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसके सन्तोषजनक परिणाम नहीं रहे हैं। आपरेशन फ्लड गुजरात, महाराष्ट्र आदि उन राज्यों में आरम्भ हो गया है जहां पर पारम्परिक दुग्ध उत्पादन विकसित अवस्था में है। जैसे अब वह हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में भी शुरू हो गया है।

जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, यह राज्य काफी उपेक्षित है। उड़ीसा तथा अन्य पूर्वी राज्यों में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने कहा है कि चरण-III की अवधि में, उड़ीसा सहित सभी पिछड़े हुए राज्यों को, जहां पर सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकले हैं, प्राथमिकता दी जाये।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री जी ने बताया कि आपरेशन फ्लड के कई अच्छे नतीजे आए हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सरकार को मालूम है कि यूरोपियन आर्थिक समुदाय और विश्व बैंक आपरेशन फ्लड की सफलता से प्रभावित होकर अनेक अन्य देशों में भी, नाईजीरिया और चीन में, इस आपरेशन फ्लड को माडल के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है ? तो उस आपरेशन फ्लड को, जो हिन्दुस्तान में सफलतापूर्वक काम कर रहा था सरकार अपनी डी-लाइसैंसिंग नीति के द्वारा नुकसान पहुंचाने का काम क्यों कर रही है ? अगर इस आपरेशन फ्लड को लगाने से नुकसान हो रहा है तो सरकार क्या इस नीति को वापस लेगी या नहीं ?

हम लोग वित्त मन्त्री जी से मिलने गए थे। तो उन्होंने इस सम्बन्ध में कहा कि दूध की मोनोपोली है लोगों की, उसको खत्म करना चाहते हैं, जबकि उनका इशारा को-आपरेटिव सोसाइटी की तरफ से होना चाहिए कि हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। क्या देश के 70 लाख किसान, जो इससे जुड़े हुए हैं, वे बेकार नहीं हो जाएंगे और बेरोजगारी की समस्या नहीं बढ़ जाएगी ? बच्चों को दूध के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा ? क्या वह माननीय मन्त्री बतायेंगे ?

श्री के०सी० लेंका : लाइसैंस समाप्त करने की नीति के घोषणा के बाद कई बहु-राष्ट्रीय कंपनियों और निजी उद्योगपतियों ने इस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई है। मैं इस सभा को विश्वास दिलाता हूं कि लाइसेंस समाप्त करने की इस नीति से सहकारी क्षेत्र की प्रगति प्रभावित नहीं होगी। यद्यपि सहकारी क्षेत्र ने सरकार को यह आश्वासन दिया है कि लाइसेंस समाप्त करने की इस नीति के कारण बाजार में दूध की कमी हो जाएगी क्योंकि उद्योगपति दुग्ध उत्पादकों से दूध लेने लगेंगे। स्वाभाविक है कि दुग्ध उत्पादक उन्हें ही दूध देंगे जो उन्हें लाभकारी मूल्य देंगे। इस प्रकार उनमें स्पर्धा होगी। लेकिन किसी भी तरह उत्पादकों को हानि नहीं होगी बल्कि उन्हें अधिक मूल्य ही प्राप्त होगा। लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा कि सहकारी क्षेत्र को लाईसेंस समाप्त करने की नीति से हानि न हो।

श्री तारा सिंह : दूध के मूल्यों में बराबर परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए क्या वह इसके लिए दुग्ध उत्पादकों को समर्थन मूल्य देने के लिए तैयार हैं ? अब हरियाणा में स्थिति यह है कि गेहूं का आटा 5 रुपए प्रति किलो बिक रहा है जबकि दूध 4 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। किसानों को घाटा हो रहा है।

श्री के०सी० लेंका : आज हम लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी द्वारा उपभोक्ताओं कम दर पर दूध की आपूर्ति की जा रही है। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उपभोक्ताओं को पांच रुपए प्रति किलो की दर से दूध की आपूर्ति की जा रही है जबकि इसकी उत्पादन लागत छह रुपए से भी अधिक है।

महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में कच्चे लोहे के संयंत्र

[हिन्दी]

*796. **श्री बिलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में कच्चे लोहे के कितने संयंत्र हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त राज्यों में सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसे कुछ और संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव संघ सरकार के विचाराधीन हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ख) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में केवल कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए कोई संयंत्र नहीं है। तथापि, स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड का भिलाई इस्पात संयंत्र प्रोडक्ट-मिक्स के रूप में कच्चे लोहे का उत्पादन करता है।

(ख) और (ग) अभी तक कच्चे लोहे का उत्पादन मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों तक ही सीमित रहा है। एकीकृत इस्पात संयंत्रों, जिनके लिए पर्याप्त निवेश किया जा चुका है, से इस्पात के उत्पादन करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि गौण क्षेत्र में कच्चे लोहे के उत्पादन की क्षमता और अधिक सृजित की जाएं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश में विभिन्न भागों में कच्चे लोहे के उत्पादन की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच कर रहे उद्यमियों से इस दिशा में उत्साहजनक प्रत्युत्तर मिले हैं। इनमें से कुछ ने अपने परियोजना प्रस्ताव तैयार कर लिया है और वे उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि इस्पात उत्पादन करने की दृष्टि से कच्चे लोहे के लिए संयंत्र नहीं है तो क्या महाराष्ट्र में कोई ऐसा एरिया है या जहां मेरा निर्वाचन क्षेत्र हिंगोली में इस्पात उत्पादन करने के इरादे से कोई प्लांट लगाने का विचार है ?

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : जैसाकि मैंने अपने उत्तर में बताया है, सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा कोई संयंत्र नहीं है। लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) ने मैसर्स ऊषा इस्पात लिमिटेड, गांव—रेडी, जिला—सिन्धुदुर्ग जो महाराष्ट्र में है, के आवेदन को मंजूरी दे दी है। कई और इच्छुक उम्मीदवार हैं जो इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। एक नागपुर में भी है—मैसर्स नागपुर एल्वाय कास्टिंग्स लिमिटेड, यह जिला नागपुर, महाराष्ट्र में है। इस क्षेत्र का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। एक और संभावित पार्टी है और जो इस कार्य को करना चाहती है—मैसर्स त्रियंब स्टील लिमिटेड, यह जिला अरूंदा, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में है।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : और क्या कुछ लोगों ने औद्योगिक परियोजना के प्रस्ताव रखे हैं, उसके बारे में क्या इरादा है और यदि कई कम्पनियों ने ऐसे प्रस्ताव रखे हैं तो उसके बारे में सरकार का क्या इरादा है ?

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : महाराष्ट्र से और कोई आवेदन नहीं है। देश के अन्य भागों से 5 आवेदन हैं। इन आदेदनों पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है। उद्योग-पती देश के भागों में इसे आरम्भ करने के इच्छुक हैं।

श्री अंकुशराव टोपे : प्रस्ताव देने वाले इन उद्योगपतियों के क्या नाम हैं और उनके द्वारा चयनित स्थलों तथा राज्यों के नाम क्या हैं ?

श्री सन्तोष मोहन देव : इसकी सूची बहुत लम्बी है। यदि मैं उसे पढ़ूंगा तो इसमें बहुत समय लग जायेगा। मैं इस सभा के पटल पर रख दूंगा।

श्री अंकुशराव टोपे : उनकी संख्या कितनी है ?

श्री सन्तोष मोहन देव : जैसा कि मैंने बताया है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पांच ऋण मंजूर किये जा चुके हैं, पांच मंजूर किए जाने की प्रक्रिया में हैं और सत्रह अन्य प्रत्याशी भी हैं जो इसे स्थापित करने के इच्छुक हैं लेकिन वे अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यनारायण जटिया।

श्री राम नाईक : यह प्रश्न महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सम्बद्ध है। शायद अन्य राज्यों की इनमें रुचि नहीं होगी। हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैंने उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में दुनिया की उत्कृष्ट श्रेणी का लोहा मौजूद है और यह बहुत सस्ती कीमतों पर विदेशों में भेजा जा रहा है। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि देश की खपत को और विदेशों में निर्यात करने की दृष्टि से इस प्रकार का संयंत्र स्थापित करते हैं तो इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मैं, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कितनी क्षमता का लोहा इस देश में और लोहा स्थिति के माध्यम से निर्मित करने का लक्ष्य रखा हुआ है और कितनी क्षमता हम बढ़ाना चाहते हैं लोहा-इस्पात में इस प्रकार का शोधित करने के लिए ?

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : अभी हम करीब 14 मिलियन टन का उत्पादन कर रहे हैं जबकि मांग 16 मिलियन टन है और वर्ष 2000 तक हमारा उत्पादन 28 मिलियन टन हो जाएगा। देश में लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि हम लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं और देश में ही उत्पादन कार्य नहीं कर रहे हैं। हम और योजित मूल्य वाली वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं ताकि हम अधिक धन अर्जित कर सकें। अभी सरकार की यह नीति है कि योजित मूल्य वाली वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाया जाए ताकिनिजी क्षेत्र में और अधिक इस्पात संयंत्र स्थापित किए जा सकें। उड़ीसा से एक कर्नाटक से दो तथा अन्य कई आवेदक सामने आए हैं और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य की आकांक्षायें आगामी चार-पांच वर्षों में पूरी हो सकेंगी।

श्री अरविंद नेताम : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने मध्य प्रदेश

के बस्तर जिला में ढलवां लोहा संयंत्र स्थापित करने के लिए लाईसेंस जारी किया है और यदि किया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री सन्तोष मोहन देव : जैसा कि मैंने कहा है, ढलवां लोहा के उत्पादन के लिए लाईसेंस के प्रावधान को 1986 में समाप्त कर दिया गया था। इसलिए किसी भी ,व्यक्ति को ढलवां लोहा के उत्पादन के लिए लाईसेंस देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वे केवल बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने तथा अन्य सुविधायें जो उपलब्ध हैं उसके लिए आते हैं और हमारे पास जो सूची है उसमें बस्तर का कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी, मैं इसके बारे में पुनः पता करूंगा और माननीय सदस्य को जानकारी भेज दूंगा।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग मध्य प्रदेश में भी और इस प्रकार का संयंत्र लगाने के पक्ष में हैं और उनके प्रारम्भिक प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कब से प्रस्ताव आपके पास आए हैं और इन प्रस्तावों पर कब तक अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा ताकि जो मध्य प्रदेश का लोहा जापान को भेजा जाता है और मध्य प्रदेश में संयंत्र के द्वारा उसको उपयोग में लायें और यहीं पर तैयार किया जाए। इस संबंध में क्या स्थिति है स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : अभी भी कुछ उलझनें बाकी हैं। इस्पात मन्त्रालय की ओर से कोई प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि ढलवां लोहा के उत्पादन के लाईसेंस को 1986 में ही समाप्त कर दिया गया था। हम सिर्फ उसमें सहायता प्रदान करते हैं और मध्य प्रदेश में मैसर्स एम०बी०ई० इस्पात लिमिटेड तथा मैसर्स बी०ई०सी० स्पेज आयरन लिमिटेड हैं। पहला उद्योग तो बोरियों इन्डस्ट्रीयल इस्टेट में है और दूसरा विकास केन्द्र रामपुर में है। बस्तर, मध्य प्रदेश में एक अन्य एस०एम० डायचेम लिमिटेड है। यह एक परियोजना है। ये सब परियोजनायें हैं और हमारी ओर से कोई कठिनाई नहीं है। हमें उन्हें सिर्फ सूचना सम्बन्धी सहायता देनी है, और जब वे आई०डी०बी०आई० के पास जाते हैं तब भी हमें उन्हें सूचना देनी है, उनके लिए सुविधा जुटानी है और अन्य सहायता देनी है।

हम मदद करना भी चाहते हैं क्योंकि देश में 4.7 लाख टन ढलवां लोहे की कमी है और एक रोजगारोन्मुख उद्योग है और इससे अन्य उद्योगों जैसे कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों को भी मदद मिलती है। सरकार इस कमी को पूरा करने की बहुत ही इच्छुक हैं और विश्व में तथा आधुनिक देशों में भी ढलवां लोहे के उत्पादन को बन्द करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी है और वे भी इसका आयात करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम अपना उत्पादन बढ़ायें तो हम बहुत से बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो जायेंगे और हम इसे बाहर भेज पाने में भी सक्षम हो जायेंगे। इस बात में हमारी पूरी दिलचस्पी है और यदि कोई राज्य इस कार्य में आगे बढ़ रहा है तो हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मंत्री महोदय का वक्तव्य सुनने के पश्चात मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार सिर्फ एक परामर्शदात्री एजेंसी है और निजी उद्योगी धनराशि की सहायता प्राप्त करने हेतु आई० डी० बी० ई० और अन्य वित्तीय संस्थाओं में जाते हैं और फिर वे ढलवां लोहा और

इस्पात का उत्पादन करते हैं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि निवेश के क्षेत्र में और ढलवां लोहा तथा इस्पात के उत्पादन में भारत सरकार का वास्तविक उत्तरदायित्व क्या है ?

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, माननीय मंत्री महोदय हमारे विभाग के साथ अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक कार्य दल है और इस कार्य दल द्वारा कुछ क्षेत्रों को चुना गया है। हमने कुछ विदेशी सहयोगियों को भी आमन्त्रित किया है ताकि छोटे झोंका भट्ठी बनाई जा सके। एक आवश्यकता मर्चेंट कोक की भी है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक कारखाने द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। चाहे आप इसका आयात करें या आपको पश्चिम बंगाल पर निर्भर होना पड़ेगा। [पश्चिम बंगाल जो भी उत्पादन कर रहा है, 77,000 टन, वह आपके राज्य उड़ीसा द्वारा लिया जा रहा है।] इसलिए हमने केन्द्रीय मन्त्रालय के रूप में उत्तरदायित्व ले लिया है और हम विभिन्न कदम उठा रहे हैं। इसमें अनेक सहयोगी सम्मिलित हैं। मेरे पास यहां उनकी एक सूची है। अनेक विदेशी तकनीकों को स्वीकृति दे दी गई है। छोटे झोंक भट्ठी द्वारा ढलवां लोहे के उत्पादन हेतु विभिन्न भारतीय उद्योगियों को चुना गया है। इस प्रकार के सात सहयोगियों का अध्ययन किया जा रहा है। हम बेकार बैठे हुए नहीं हैं। हम आपके अनुरोध का ध्यान रखेंगे।

जहां तक वित्त का सम्बन्ध है, इस्पात मन्त्रालय कभी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। राष्ट्रीयकृत बैंक उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। आई० डी० बी० आई० भी एक सरकारी बैंक है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रही है। हम उन्हें वित्तीय सहायता दे रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह बिल्कुल सम्भव है कि विभाग चुपचाप बैठा हुआ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अब वे टाल-मटोल कर रहे हों। विगत में भी केन्द्र की एक भूमिका थी। हमें विगत यह आशंका है कि कुछ मामलों में जो लोग कुछ क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना चाहते थे लाइसेंस प्रणाली लागू करके उन्हें हतोत्साहित किया गया था। यहां वे कहते हैं : 'लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी उद्योग लगा सकता है। केन्द्र की एक भूमिका है। आई० डी० बी० आई० और अन्य संस्थाओं द्वारा सहायता दी जाती है।' अब किस सीमा तक यह सहायता दी जाती है, यह विवेकाधीन है ? इस सम्बन्ध में निर्धारित मार्गनिदेश हैं कि इन शर्तों के अधीन आई० डी० बी० आई० सहायता प्रदान की जायेगी और इन शर्तों में नहीं दी जायेगी।

मेरे प्रश्न का भाग 'ख' यह है। क्या अभी तक किसी एम० आर० टी० पी० कम्पनी ने आवेदन किया है ?

श्री संतोष मोहन देव : जहां तक मैं जानता हूं, एम० आर० टी० पी० का कोई आवेदन नहीं है। मैं इस बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हूं और यदि कोई इस प्रकार का आवेदन है तो मैं माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी दूंगा।

माननीय सदस्य ने कहा है कि लाइसेंस निरस्त कर देने से पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में निराशा होगी। यह सम्बद्ध राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान करे जैसे कि बहुत ही कम किराये पर जमीन देना अथवा दीर्घकालीन पट्टा जारी करना, बिक्री कर में छूट देना और इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं प्रदान करना। जब अनेक मुख्यमन्त्रियों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने उनसे यह चर्चा की। अनेक राज्य इस प्रकार की रियायत देने के लिए सहमत हो गए ताकि उन्हें अधिक लाभ मिल सके। मैं माननीय

सदस्य को यह बता सकता हूं कि लोग अब पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में जाने के इच्छुक हैं क्योंकि वहां बहुत प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं और अब वे वहां जा रहे हैं। यह सब प्रशासन के पहल करने पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी वे आवेदनों को स्वीकृत करते हैं। मैं जानता हूं कि एक राज्य में बारह वर्षों से आवेदन लम्बित पड़े हैं और कुछ भी नहीं किया गया है। स्वभाविक है कि उद्यमी वहां नहीं जायेंगे। दूसरा राज्य जैसे कि गुजरात है, जहां कि एक से दो महीनों में ही आवेदन पर स्वीकृति दे दी जाती है और लोग वहां जाने तथा उद्योग शुरू करने हेतु इच्छुक हैं। यह उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

हम अपनी ओर से उद्योगपतियों को पिछड़े क्षेत्रों में आने के लिए प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। जैसा कि आपने उपाय करने वाली बात कही है।

महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

*797. **श्री मोहन रावले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कितनी बटालियनें हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसको कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य को दी गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (ग) महाराष्ट्र में इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोई बटालियन तैनात नहीं की गई है। सम्बद्ध सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर, जहां तक सम्भव हो सके उन्हें अर्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं लेकिन कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने सभी पुलिस आफीसरों को रिवाल्वर देने के लिए केन्द्र सरकार से रिवाल्वर कितनी मांगी हैं और सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कितनी दी हैं और महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाई स्पीड कारों की मांग भी केन्द्र सरकार से की है, तो वे कब तक महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र सरकार की ओर से उपलब्ध करवा दी जायेंगी ?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, यह प्रश्न कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा केन्द्र सरकार द्वारा सहायता देने से सम्बन्धित है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं पूरी जानकारी

दे सकता हूं। यह जानकारी इस प्रकार है :

मद	1-1-89 को नगों की संख्या	1-1-90 के बाद जारी किए गए हथियार	1-1-91 के बाद जारी किए गए हथियार
राइफल 7.62 मि०मी०	—	—	1000
राइफल 303 मि०मी०	57,944	—	—
स्टेन कार्बाइन्स 9 मि०मि०	7,768	—	—
पिस्तौल 9 मि०मी०	636	—	225
पिस्तौल/रि० 38	6,498	—	—
राइफल ए०के० 47 एल०एम०जी० 7.62 मि०मी०		100	50

अन्य सभी गोला बारूद हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन विष्णु राजवे : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई में गैंगों से सम्बन्धित कितने व्यक्ति मारे गए हैं और निरपराध व्यक्ति कितने मारे गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यह आप महाराष्ट्र विधान सभा में पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी बताया है कि महाराष्ट्र को इतने-इतने वैपन्स दिए हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने ज्यादा वैपन्स की मांग की है और उसको केन्द्र सरकार से कम वैपन्स दिए गए हैं। मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े-बड़े गैंग हैं जो अपराध करते हैं और उनके पास बड़े आधुनिक हथियार हैं, इसी कारण वहां कभी-कभी मिलिट्री को बुलाना पड़ता है, विशेष रूप से मैं मुम्बई की बात कर रहा हूं, तो क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने कितने वैपन्स की मांग की है और जितने वैपन्स की मांग की है, उतने वैपन्स केन्द्र सरकार क्यों उपलब्ध नहीं करवाती है जबकि उन वैपन्स के पैसे तो महाराष्ट्र सरकार को ही देने हैं?

[अनुवाद]

श्री एम०एम० शेंकव : महोदय, यह प्रश्न केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से सम्बन्धित है। विशेष जानकारी मैं पूर्वसूचना के बाद ही दे सकता हूं।

श्री मुरली देवरा : महोदय, बम्बई, महाराष्ट्र और पूरे देश में हजारों हथियार उपलब्ध हैं। क्या सरकार ने कोई नीति बनाई है अथवा कोई ऐसा मानदण्ड निर्धारित किया है जिससे कि राज्यों को यह वह निर्देश दें सके कि लाइसेंस देने का मानदण्ड यह है? क्या सरकार बिना लाइसेंस के इन हथियारों को रोकने के लिए कुछ कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : यह महाराष्ट्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है?

श्री राम नाईक : महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई। क्या सरकार का इस सहायता से अर्थ नकद सहायता से है? यदि महाराष्ट्र सरकार आपसे यह निवेदन करे कि हमें यह हथियार चाहिए तब क्या आप नकद सहायता देंगे अथवा हथियार देंगे जिनके लिए वे भुगतान करने के लिए तैयार हैं? लेकिन आप इस पर भी महाराष्ट्र सरकार की सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यही जानना चाहता हूं।

श्री एम० एम० शेंकव : महोदय, वास्तव में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव भेजे थे और केन्द्र सरकार ने 1988-89 में 86.95 लाख रुपये, 1989-90 में 54.93 लाख रुपये तथा 1990-91 में 75.28 लाख रुपये की सहायता दी थी। यह सहायता ऋण के रूप में दी गई थी। माननीय सदस्य ने जो अन्य प्रश्न पूछा है वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन इस समय कुछ भी लम्बित नहीं है।

श्री अंकुशराव टोपे : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कितनी बार अर्धसैनिक बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया और अब तक केन्द्र सरकार द्वारा वहां कितनी बार अर्द्ध-सैनिक बल भेजे गए?

श्री एम०एम० शेंकव : महोदय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष उद्देश्य हेतु अर्द्ध-सैनिक बलों की मांग की जाती है। कितनी बार इन बलों को वहां भेजा गया इसकी एक लम्बी सूची है····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आंकड़े लिखित रूप में दिए जा सकते हैं।

श्री राम कापसे : महोदय, मन्त्री जी ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने कितनी राशि की मांग की और आधुनिकीकरण के लिए कितने प्रतिशत सहायता दी गई।

श्री एम० एम० शेंकव : महोदय, यदि उत्तर को दूसरे पहलू से समझा जाए तो कुछ गलतफहमी नहीं होगी। आपसी विचार-विमर्श के बाद ही सहायता दी गई। सहायता उस राशि के आधार पर दी जाती है जितनी राशि की महाराष्ट्र सरकार स्वयं अपनी ओर से व्यवस्था कर सकती है·····

(व्यवधान)

श्री राम कापसे : महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्या उन्होंने सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए अथवा उनमें कटौती की गई।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, आधुनिकीकरण के लिए सभी राज्यों को सहायता दी जाती है और सहायता की राशि उस राज्य के पास उपलब्ध धन पर निर्भर करती है क्योंकि राज्यों को उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा सकने वाली राशि के बाद सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है राशि दी जाती है। यह भी सम्भव है कि कुछ राज्यों को अधिक सहायता मिली हो। कुछ राज्य जो अपने संसाधन नहीं जुटा पाए उन्हें उतनी राशि न मिली हों अतः हमें यह देखना है कि सभी राज्यों के बीच सन्तुलन बनाया जाए ताकि उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

नए टेलीफोन कनेक्शन

*798. श्री के० प्रधानी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर उड़ीसा में, नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए मांग और पूर्ति में कितना अन्तर है; और

(ख) सरकार द्वारा इस अन्तर को कब तक पूरा कर दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) दिनांक 31-7-1991 तक प्रतीक्षा सूची में दर्शाए अनुसार देश में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए मांग एवं पूर्ति के बीच 21.69 लाख का और उड़ीसा में 5581 का अन्तर है।

(ख) 1990-91 की अवधि के लिए योजना प्रस्तावों के मसौदे में ग्रामीण, पिछड़े एवं जनजाति क्षेत्रों तथा 5000 लाइनों से कम आकार वाले एक्सचेंजों द्वारा सेवित क्षेत्रों में भी इस अन्तर को समाप्त करने तथा 1995 तक बड़े शहरों की प्रतीक्षा सूची को पर्याप्त मात्रा में घटाने के प्रस्ताव शामिल हैं।

श्री के० प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में विशेषकर से इसके आदिवासी क्षेत्रों में नये टेलिफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती वहां प्रतीक्षा सूची नहीं है। कारण यह है कि आदिवासी और वन क्षेत्रों में खुली तार प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है क्योंकि एक तो अनेक पनबिजली परियोजनाओं से होकर गुजरने वाली, उच्च वोल्टेज वाली बिजली की लाइन इन लाइनों में बाधा उत्पन्न करती हैं और दूसरे चोर वन क्षेत्र में बिछी इन तारों को चुरा लेते हैं और बेच देते हैं जिससे टेलीफोन विभाग के लिए इनकी मरम्मत कराना कठिन हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बहुत पहले माइक्रोवेव प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया था। इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि जिले में यह माइक्रोवेव प्रणाली कब तक पूरी हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलेट) : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि देश में कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में हम कनेक्शन देने के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न के सम्बन्ध में भी कहा था कि हमने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक पंचायत को हम आर० जी० और डब्ल्यू० जी० से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास यही सरल तकनीक उपलब्ध है जिसके द्वारा हम प्रत्येक पंचायत को तहसील मुख्यालय से अथवा उस नजदीकी स्थान से जोड़ सकते हैं जहां एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है। अतः यह मुद्दा विचाराधीन है। माइक्रोवेव प्रणाली के सम्बन्ध में भी योजना बनाई जा रही हैं। इस प्रणाली के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को मैं और अधिक जानकारी दूंगा।

श्री के० प्रधानी : महोदय, उन्होंने विभिन्न डाकघरों में माइक्रोवेव प्रणाली के कुछ टेलिफोन लगाए है, जैसे कि पी०सी०ओ०। अभियन्ताओं का कहना है कि न्यून गति पारेषण के कारण ये टेलिफोन ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस सम्बन्ध में कार्यवाही करके इस सुविधा में सुधार करेंगे ?

श्री राजेश पायलट : हमने इस मामले पर गौर किया है। जहां भी कनेक्शन दिए जाएं, उन्हें अवश्य ही कार्य करना चाहिए। मात्र उपकरण उपलब्ध करवा कर यह कहना ठीक नहीं है कि पंचायत अथवा उस क्षेत्र को जोड़ दिया गया हैं। हम सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा उनमें सुधार करने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमें यह सूचना मिल रही है कि इस सम्बन्ध में काफी सुधार हो रहा है। यह एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। हम इस पर कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी भावनाएं भी इस सम्बन्ध में उन्हीं के जैसी हैं तथा हम इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, देश में 6-7 बड़े औद्योगिक नगर हैं। उन औद्योगिक नगरों में भी आज तीन-चार साल से प्रतीक्षाएं पड़ी हुई हैं। ये औद्योगिक नगरे वे हैं जो देश-विदेश में व्यापार करते हैं, सारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली, मद्रास जो बड़े नगर हैं उसकी प्रतीक्षाएं कब तक पूरी करेंगे ?

श्री राजेश पायलट : अगर हम ट्रैंड को देखें, जैसे 1985 में सारे देश की वेटिंग लिस्ट 8.43 लाख थी और आज बढ़कर 21 लाख हो गई है। उसमें पहले हमने जो कनेक्शन दिए थे 2.71 थे और आज करीबन 5 पाइंट कुछ हैं। यह नहीं है कि कनेक्शन बढ़ नहीं रहे है लेकिन डिमांड बढ़ रही है और हमारी ग्रोथ उतनी नहीं बढ़ी जितनी एक्सपैक्टेड थी। मैंने पहले भी पूरक सवालों के जवाब में कहा कि हम प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं और नई औद्योगिक नीति का पूरा फायदा उठाकर कमूनिकेशन सैक्टर में भी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। आज के दिन हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी करीबन 20-22 लाख है लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10-11 लाख कर पाते हैं। जितनी कैपेसिटी है उतनी हमारी प्रोडक्शन नहीं आ पा रही है। इस पर सरकार ने सीरियसली कुछ कदम उठाए हैं और हम चाहेंगे कि जितनी डिमांड हो सप्लाई उसको मैच करे और उम्मीद है 1995 तक जहां 5000 लाइन के एक्सचेंजेज हैं वहां पर हम डिमांड और सप्लाई गैप को न्यूट्रलाईज कर पायेंगे। जितने बड़े एक्सचेंजेज हैं वहां दस हजार और ज्यादा की कैपेसिटी है. वहां की भी प्लानिंग है कि अगले 2-3 सालों तक उसे भी पूरा कर पायेंगे।

राव राम सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। अभी-अभी उन्होंने यह कहा कि ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक काल आफिस तथा रेडियो टेलिफोन उपकरण उपलब्ध करवाने की उनकी योजना है। वास्तव में यह योजना है क्या ? क्या यह कोई प्रयोगात्मक योजना है अथवा इसे स्वीकृत कर लिया गया है क्योंकि ग्रामवासियों का यह कहना है कि वे इन रेडियो टेलिफोनों तथा पी० सी० ओ० को संन्तोषजनक रूप से नहीं चला पाते हैं।

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह एक परखी हुई योजना है तथा उन स्थानों पर काफी सफल सिद्ध हुई है जहां कि कनेक्शन उपलब्ध थे। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा आसाम से बहुत अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं। जैसा कि मैंने अपनी एक बैठक में कहा है ग्रामवासियों का कहना है कि अगर इस

कार्य प्रणाली में कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है तो कम से कम सी-डॉट तकनीक ठीक से कार्य कर रहा है यद्यपि इनका रख-रखाव अच्छी प्रकार नहीं हो पा रहा है, फिर भी यह संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। उसके पश्चात् हमने यह निर्णय लिया कि हम मार्च, 1995 तक सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। अगर माननीय सदस्य के ध्यान में कोई विशिष्ट मामला है जहां कि यह प्रणाली किसी तकनीकी दोष के कारण कार्य नहीं कर रही है तो मैं उस मामले की जांच कर सकता हूं। हमें देश के दूसरे भागों से भी इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई है। उससे यह पता चलता है कि यह एक अच्छी तकनीक है। परन्तु अगर किसी माननीय सदस्य के पास किसी भी ग्राम पंचायत में इस प्रणाली में अथवा इसके कार्यकरण में सुधार के लिए कोई सुझाव है तो सरकार उसका स्वागत करेगी तथा उसमें सुधार लायेगी।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : यह बड़ी अच्छी बात है कि महानगरों तथा बड़े शहरों में 21 लाख टेलिफोन कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या बड़े शहरों और छोटे शहरों तथा पंचायतों में टेलिफोन कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए कोई प्रतिशतता निर्धारित की गई है जैसे कि 80 : 20 अथवा 60 : 40 अथवा कोई और।

श्री राजेश पायलट : महोदय, उद्देश्य सारे देश को जोड़ने का है तथा इसी दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह सब मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। हम यह नहीं कह सकते कि इतने प्रतिशत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में तथा इतने प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाये जायेंगे। यह इस पर निर्भर करता है कि मांग कितनी है। हो सकता है कि कुछ हरी क्षेत्रों में मांग कम हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मांग अधिक हो। यह पूर्णरूपेण एक सुविधा उपलब्ध करवाने वाला विभाग है तथा हम इसी उद्देश्य से कार्य करते हैं कि हम कहां पर अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं तथा टेलिफोन कनेक्शनों के माध्यम से कुशल जन संचार प्रणाली स्थापित कर सकते हैं।

कपास उत्पादन

*709. **श्री एम० आर० कावम्बुर जनार्दनन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के मौसम में कपास का उत्पादन अनुमानतः कितना होगा;

(ख) वर्ष 1991-92 के मौसम के लिए बिना ओटी गई कपास के समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या देश में कपास की कोई कमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) (क) कुछ राज्यों में 1991-92 के मौसम की कपास की फसल की बुआई अभी चल रही है। 1991-92 के मौसम के दौरान कपास के उत्पादन के अनुमान बताने का उचित समय अभी नहीं हुआ है। बहरहाल, वर्तमान मौसम के दौरान कपास उगाने वाले मुख्य राज्यों में वर्षा और मौसम की स्थितियां सामान्यतया अनुकूल रही हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार, 1991-92 के दौरान कपास का उत्पादन पिछले वर्ष के 100 लाख गांठों के उत्पादन

की तुलना में 12-16 लाख गांठें अधिक होने की संभावना है। इससे 1990-91 के कपास मौसम के मूल्यों के मुकाबले क्रमश: 75 रुपये तथा 90 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का पता चलता है।

(ख) सरकार द्वारा कपास की मूल किस्मों अर्थात एफ० 414/एच० 777 और एच० 4 के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमश: 695 रुपये और 840 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। क्योंकि आप भी महाराष्ट्र से हैं, इसलिए कपास उत्पादकों की समस्याओं को जानते हैं। यह कहकर कि 1991-92 के मौसम के दौरान कपास के उत्पादन के अनुमान बताने का उचित समय नहीं हुआ है। वह उत्तर को टालना चाहते हैं। परन्तु उसी पैरा में उन्होंने कहा है···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप उत्तर मत पढ़िए। प्रश्न पूछिए।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उत्तर में विसंगतियां हैं जो कि मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। उसी के पश्चात् मैं प्रश्न पूछ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप पढ़कर उत्तर नहीं दोहरा सकते।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : क्योंकि उत्तर में विसंगति है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे सदस्यों का समय ले रहे है।

(व्यवधान)

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : महोदया, दस दिन पहले ही कपास सलाहकार बोर्ड ने समाचारपत्रों में 130 लाख कपास की गांठों के प्रदर्शन की घोषणा की है। परन्तु कृषि मन्त्रालय का यह कहना है कि यह सही नहीं है। इसलिए इस उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि कपास सलाहकार बोर्ड तथा कृषि मन्त्रालय का आपस में कोई सम्पर्क नहीं है। अत: कपास के उत्पादकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मन्त्रालय एक कपास विकास बोर्ड का गठन करेगा जिसमें कपास उत्पादक हों, हथकरघा क्षेत्र और विद्युत करघा क्षेत्र के प्रतिनिधि और कृषि तथा कपड़ा मन्त्रालय के अधिकारी हों ताकि कृषि मंत्रालय को बोर्ड के गठन के बारे में कोई भ्रांति न रहे, जिसकी घोषणा यह सितम्बर में करेगी, क्योंकि एक महीने के भीतर अर्थात अक्टूबर में कपास आना शुरू हो जायेगी।

मेरे पूरक प्रश्न का भाग (ख) यह है। पिछले मंत्रालय ने फसल का अनुमान उपग्रह के तरीके से करने का एक प्रस्ताव दिया है। क्या इस मंत्रालय को इस बात की जानकारी है और क्या यह आदर्श उपग्रह विधि से फसल का आंकलन करेगी ? मेरे पूरक प्रश्न का अगला भाग यह है···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। इस तरह नहीं। इससे इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : जहां तक कृषि मन्त्रालय द्वारा कपास के उत्पादन का आकलन करने की बात है, कपास सलाहकार उत्पादन बोर्ड ने भी उत्पादन का आकलन तैयार किया था जो कि उद्योग

और व्यापार द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। कपास उत्पादन का जो आकलन कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा किया जाता है वह आमतौर पर कृषि मंत्रालय द्वारा सरकारी स्तर पर किये गये आकलन से अधिक होता है। कृषि मंत्रालयसम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी हासिल करता है और वस्तुतः राज्य सरकारें मूल्यांकन करती हैं। नमूना सर्वेक्षण संगठन के अधिकारी सम्बन्धित राज्यों में जाते हैं और वे वहां स्वयं अध्ययन करते हैं तथा फिर कृषि मन्त्रालय को रिपोर्ट देते हैं। इसलिए कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा दी गयी जानकारी पूरी तरह से व्यापार के साथ-साथ उद्योग द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित होती है। यह सूचना मुख्यतः कपास के बाजार में पहुंचने पर निर्भर करती है।

जहां तक फसल के अनुमान की बात है मन्त्रालय द्वारा दो या तीन तरीके अपनाये जाते हैं। पुरानी विधि तो सरसरी तौर पर आकलन करने की है और दूसरी विधि फसल काट प्रयोग पर आधारित है। हमारे मंत्रालय के अनुसार यह सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि यह सांख्यिकीय नमूनों पर आधारित है तथा तीसरी विधि उपग्रह से अनुमान लगाने की विधि है। पिछली सरकार के माननीय कपड़ा मन्त्री ने सभा मे आश्वासन दिया था कि वह फसल का जायजा लेने के लिए इस प्रणाली को शुरू करने की सम्भावना पर गौर करेंगे नवीनतम जानकारी के मुताबिक यह प्रयोग पहले ही आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में किया गया था। इसका परिणाम जलवायु की भिन्नताओं के कारण संतोषजनक नहीं रहा। यदि आकाश में बादल छाये हुए हैं तो हमें खेत में उगी फसल की वास्तविक फोटो नहीं मिलती है और यदि मिलीजुली फसल हो तो भी मूल्यांकन सही नहीं होगा। यहां तक कि विकसित देशों जैसे अमरीका में यह प्रणाली नहीं अपनायी जाती है क्योंकि इससे अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए हम माननीय सदस्य के सुझाव पर गौर करेंगे और यदि संभव हुआ तो हम इसे सारे देश में शुरू करेंगे।

श्री एम० आर० काडम्बूर जनार्दनन : महोदय, मन्त्रालय ने 695 रुपये और 840 रुपये का समर्थन मूल्य दिया है लेकिन बाजार मूल्य 1200 रुपये और 1600 रुपये के बीच है। कपास से तेल निकाला जाता है और रेशों का उद्योग में उपयोग किया जाता है। अतः किसानों को अपनी कपास में विद्यमान तेल की मात्रा और उसके रेशे माइक्रोनीय मूल्य का पता होना चाहिए। तभी उन्हें अपनी कपास के सही मूल्य का पता लग सकेगा और वह अपने माल की बाजार में समुचित कीमत मांग सकेंगे अतः मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसानों को उनकी कपास के बिनौले में विद्यमान तेल की प्रतिशतता और मौसम के शुरू में ही उसकी माइक्रोनीय कीमत के बारे में बतायेगी। मेरे पूरक प्रश्न का दूसरा भाग कपास की कमी के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : जनार्दनन जी, आपको प्रश्न पूछना है। आप सभा का बहुत अधिक समय ले रहे हैं।

श्री एम० आर० काडम्बूर जनार्दनन : महोदय, 1954 के बाद केवल इसी वर्ष कपास की कमी हुयी है। लेकिन उन्होंने बताया है कि कोई नहीं है। पिछली सरकार द्वारा अविवेकपूर्ण निर्यात नीति अपनाये जाने के कारण कपास की बहुत मांग है और हमारे पास पिछले वर्ष की केवल 15 लाख गांठें है जो कि पिछले वर्षों के कपास के मौसम की स्थिति से विपरीत है। इसकी वजह से कपास के आयात की मांग की गयी है। अतः क्या मंत्रालय इस स्थिति में किसानों के हित में कपास का आयात करना बन्द करेगी ? अन्यथा इससे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसकी फसल अक्टूबर माह में पहुंचने लगेगी।

समर्थन मूल्य को बाजार में 'कठपुतली मूल्य' कहा जाता है। समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में

ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार समर्थन मूल्य एक उचित स्तर निर्धारित करेगी।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : भारत सरकार समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद निर्धारित करती है और मूल्य संबंधी निर्णय लेते समय हम कई बातें ध्यान में रखेंगे। एक बात तो यह सुनिश्चित की जाती है कि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिले, दूसरी यह कि बाजार में स्थिरता आये। तीसरी वस्तुतः कपास निर्यात के बारे में है। यह बात काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्यात के बिना किसान बेईमान व्यापारियों की दया पर रहेंगे। अपने मंत्रालय की तरफ से हमने ज्यादा से ज्यादा निर्यात बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन माननीय सदस्य के मन में जो आशंका है वह ठीक नहीं है।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : आप कपास का आयात करने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : हम कपास का आयात नहीं करेंगे क्योंकि बाजार में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। इस वर्ष कपास का आयात करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

जहां तक मांग और आपूर्ति की बात करता हूं, मैं आपूर्ति की बात करता हूं 30.79 लाख गांठों और 115 लाख गांठों की फसल के प्रारंभिक भंडार सहित इस समय कपास सलाहकार बोर्ड ने कपास की गांठों की जो कुल अनुमानित उपलब्धता एवं आपूर्ति आंकी है वह 147.79 लाख गांठें है। मेरे मन्त्रालय की जानकारी के मुताबिक वर्ष 1990-91 के दौरान कपास उत्पादन लगभग 100 लाख गांठे रहा। 1991-92 के दौरान हमें अब तक की सबसे अच्छी फसल होने की आशा है। अतः जो आशंका माननीय सदस्य के मन में है वह निराधार हैं। (**व्यवधान**) समर्थन मूल्य निर्धारित करते वक्त हम माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित कारकों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। निःसंदेह उनके सुझावों को नोट कर लिया गया है। कोई अन्य नीति बनाते वक्त यदि नीति में कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से उनके सुझाव पर ध्यान दिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : कपास के निर्यात द्वारा हमने वर्ष 1990-91 के दौरान 891 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। औद्योगिक उत्पादों के निर्यात के लिए आपने अनेक प्रोत्साहन दिए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री उन किसानों को प्रोत्साहन देने पर विचार करेंगे। जो निर्यात के लिए कपास का उत्पादन कर रहे हैं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : इस समय उन्हें ऐसे प्रोत्साहन देने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, इस वर्ष के काटन उत्पादन के ये जो आंकड़ें हैं, ये बता रहे हैं कि पहले की तुलना में काटन का उत्पादन गिरा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इसके कारणों की जांच करके, फिर उनके निवारण की कोई व्यवस्था भी जाएगी, वे कारण क्या हैं और उनका निवारण किस प्रकार से होगा ?

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : वर्ष 1990-91 के दौरान कपास के उत्पादन का सरकारी अनुमान अभी निर्धारित किया जाना है। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के कुछ भागों में कीट प्रकोप के कारण

कपास उत्पादन में गिरावट आने के बावजूद भी लगभग 100 लाख कपास की गांठों का उत्पादन होने का अनुमान है। इसमें कोई विशेष गिरावट नहीं हुई है। इसके लिए माननीय सदस्य को किसी प्रकार की आशंका करने की आवश्यकता नहीं है।

कुमारी उमा भारती : कपास के उत्पादन में गिरावट आने की सम्भावना है। आपके मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में यहीं कहा गया है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : उत्पादन में थोड़ी सी गिरावट आई है। परन्तु इसका न तो बाजार पर कोई असर होगा और न ही इसको कृषकों पर प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी बताएं, क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में फिर से सूती कपड़े की मांग भारत में और भारत के बाहर बढ़ी है और इस आधार पर कपास जो सूती कपड़े की मांग कम हो जाने के कारण कपास का रकबा कम हो गया था, वह एक बार फिर से कपास की खेती की तरफ प्रोत्साहित होने लगा है। आप सूती कपड़े की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कपास की खेती अधिक से अधिक बढ़ सके, रकबा बढ़ सके इस दृष्टि से आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं? कृपया इस बारे में बताएं।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, गहन कपास उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत मन्त्रालय द्वारा अनेक प्रोत्साहन दिये जाते हैं। किसानों को निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से लाभ हो रहा है।

गहन कपास विकास योजना के अन्तर्गत सरकार किसानों को रियायती दर पर पौधा सुरक्षा उपकरण तथा रसायन प्रदान करती है।

डा० (श्रीमती) के० एस० सुन्दरम : लम्बे रेशे वाली सुवीन नाम की कपास केवल तमिलनाडु तथा आंध्रप्रदेश में उगाई जाती है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या भारतीय कपास निगम इस कपास का जिसकी काफी मांग है निर्यात करने के लिए इसे खरीदने के लिए आगे आयेगा?

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने गत वर्ष इस किस्म की कपास की कितनी गांठों का निर्यात किया था।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : हमारा भारतीय कपास निगम से सम्बन्ध नहीं है। यह वस्त्र मंत्रालय के अन्तर्गत है। यह कार्य उस मन्त्रालय का है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में स्थानीय टेलीफोन करने की सुविधा

*801. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली ने हाल ही में दिल्ली में कुछ स्थानों पर स्थानीय टेलीफोन मुफ्त करने की सुविधा प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सुविधा का दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। निःशुल्क स्थानीय काल टेलीफोन सुविधा मुख्य अस्पतालों के इमरजेंसी/केजुअल्टी वार्डों, इन्दिरा गांधी अन्तर-राष्ट्रीय हवाई-अड्डे के आगमन/प्रस्थान लाउन्जों में तथा शास्त्री भवन स्थित दूरसंचार केन्द्र में प्रदान की गई है।

(ग) ये टेलीफोन ध्यानपूर्वक चुने गए ऐसे स्थानों पर लगाए जाते हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रदान की गई सुविधा का दुरुपयोग न होने पाए।

हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

*802. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार देश में 951 मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं जिन्हें मार्च 1995 तक उत्तरोत्तर रूप से आटोमैटिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है। 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या और उनकी सज्जित क्षमता सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

विवरण

31-3-1991 की स्थिति के अनुसार देश में मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों के राज्यवार ब्यौरे

क्र०सं०	राज्य का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	सज्जित क्षमता
1.	आंध्र प्रदेश	62	24510
2.	असम	6	2110
3.	बिहार	31	5348
4.	गुजरात-दमन एवं दिव, दादरा/ नागर हवेली सहित	120	65964
5.	हरियाणा	18	11084
6.	हिमाचल प्रदेश	18	3369
7.	जम्मू तथा कश्मीर	5	720

1	2	3	4
8.	कर्नाटक	70	14200
9.	केरल-लक्षद्वीप सहित	—	—
10.	मध्य प्रदेश	96	23984
11.	महाराष्ट्र-गोवा सहित	207	50209
12.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा)	2	400
13.	उड़ीसा	14	2460
14.	पंजाब-चंडीगढ़ सहित	56	35070
15.	राजस्थान	99	27870
16.	तमिलनाडु-पांडिचेरी सहित	19	8560
17.	उत्तर प्रदेश	52	21528
18.	पश्चिमी बंगाल-सिक्किम राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह सहित	48	13100
19.	दिल्ली	—	—
	कुल	951	310486

कर्नाटक में नए डाक और तारघर

*803. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में 1991-92 के दौरान कितने डाक-घर और तार-घर खोलने का प्रस्ताव है और उनके लिए जिलावार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) ये डाक-घर और तार-घर कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) कर्नाटक में 1991-92 के दौरान 50 शाखा डाकघर और 10 उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उनको खोलने का औचित्य बनता हो। इसी अवधि के दौरान कर्नाटक में 2 तारघर खोलने और 20 डाकघरों में तार सुविधायें प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। कर्नाटक में 1991-92 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों और संयुक्त डाक-तार-घरों की जिला-वार संख्या क्रमशः अनुबन्ध "क" और "ख" में दी गई है। कर्नाटक में तारघर स्थापित करने के लिए लगभग 41 लाख रु० की राशि की व्यवस्था किए जाने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में, जिला-वार आवंटित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है। जहां तक डाकघर खोलने लिए निधि आवंटित करने का सम्बन्ध है, यह अखिल भारतीय आधार पर आवंटित

की जाती है। इस वर्ष (1991-92) देश में डाकघर खोलने के लिए 3 करोड़ रु० की राशि मंजूर की गई है।

(ख) ऐसी सम्भावना है कि ये डाकघर तथा तारघर अप्रैल, 1992 से या उससे पहले से कार्य करना शुरू कर देंगे।

विवरण-1

1991-92 के दौरान कर्नाटक में खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों की जिलावार संख्या

क्र०सं०	जिले का नाम	शाखा डाकघर	उप-डाकघर
1.	बंगलौर शहरी जिला	2	7
2.	बंगलौर ग्रामीण जिला	6	5
3.	चिकमंगलूर जिला	3	—
4.	चित्रदुर्ग	2	—
5.	हसन	2	—
6.	कोलार	2	—
7.	कोडागू	2	—
8.	मन्डया	2	—
9.	दक्षिणी कन्नड़	3	—
10.	मैसूर	2	—
11.	तुमकुर	2	—
12.	शिमोगा	2	—
13.	बीजापुर	2	—
14.	बेलगाम	5	—
15.	बीदर	1	—
16.	धारवाड़	4	—
17.	गुलबर्गा	1	2
18.	रायचूर	1	—
19.	उत्तर कन्नड़	6	—
	योग	50 (पचास)	10 (दस)

विवरण-2

1991-92 के दौरान कर्नाटक में खोले जाने के लिए प्रस्तावित तारघरों की जिलावार संख्या

क्र०सं०	जिले का नाम	तारघरों की संख्या		
		तारघर	संयुक्त डाक-तारघर	आवंटित किए जाने के लिए सम्भावित अनुमानित रकम (लाख रु० में)
1.	धारवाड़	1	1	2.5
2.	दक्षिणी कन्नड़	1	—	0.5
3.	बीजापुर	—	2	4.0
4.	शिमोगा	—	1	2.0
5.	बीदर	—	2	4.0
6.	गुलबर्गा	—	1	2.0
7.	रायचूर	—	6	12.0
8.	चिकमंगलूर	—	2	4.0
9.	हसन	—	1	2.0
10.	कोलार	—	1	2.0
11.	उत्तर कन्नड़	—	3	6.0
	योग	2	20	41 लाख

टेलीफोन अदालतें

*804. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड टेलीफोन अदालतों का नियमित रूप से आयोजन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अदालतों में प्रयोक्ताओं की शिकायतें दायर होने के बाद इनको दूर करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों का समाचारपत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है ताकि अधिक से अधिक प्रयोक्ता इन अदालतों में अपने मामले दायर कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली और बम्बई यूनिटों द्वारा 1987 से अब तक क्रमश: 16 और 12 टेलीफोन अदालतें आयोजित की गई हैं।

(ग) और (घ) अधिकांश मामले अदालत दिवस को या उससे पहले ही निपटा दिए जाते हैं। जिन मामलों के अतिरिक्त जांच की आवश्यकता होती है उनका निपटान बाद में उचित जांच करने के पश्चात् कर दिया जाता है। अधिक बिल बनाए जाने सम्बन्धी शिकायतों के बिरले मामलों में, जिसमें अत्यन्त विस्तृत और सतर्कता सम्बन्धी पूछताछ करने की आवश्यकता होती है, मामलों को निपटाने में अधिक समय लग सकता है।

(ङ) और (च) किसी भी अदालत का आयोजन किए जाने से पहले टेलीफोन अदालत के बारे में प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में अधिसूचना जारी करके उसका व्यापक प्रचार किया जाता है।

इसी तरह प्रत्येक अदालत के आयोजन के पश्चात् सभी प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें टेलीफोन अदालत और उसमें निपटाये गए मामलों का उल्लेख किया होता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह

*805. **श्री रवि राय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न विद्रोही ग्रुपों की गतिविधियों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के इस हिस्से में विद्रोहपूर्ण गतिविधियों को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एम०बी० चव्हाण) : (क) से (ग) असम, मणिपुर, तथा नागालैंड राज्यों में विद्रोही समूहों द्वारा घात लगाने, हत्या करने, अपहरण करने, धन ऐंठने, डराने-धमकाने आदि जैसी हिंसक गतिविधियों में वृद्धि हुई है।

अन्य बातों के अलावा विद्रोही गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

1. गैर कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1967 के अधीन मैतई उग्रवादी संगठन, नेशनल सोशियलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट आफ असम को गैर कानूनी घोषित किया गया है।

2. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अधीन निम्नलिखित क्षेत्रों को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया गया है—

(1) सम्पूर्ण असम और मणिपुर

(2) बर्मा की सीमा के साथ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के तिरप तथा चांगलांग जिलों की 5 कि०मी० पट्टी।

3. राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे विद्रोही ग्रुपों की गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और उसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें सभी सम्भव सहायता दी गई है।

बंजर तथा परती भूमि

*806. **डी० पी० बल्लत पेरूमान :**

श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बंजर तथा परती भूमि का कुल क्षेत्रफल अनुमानतः कितना है;

(ख) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु ऐसी भूमि को कृषि-योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी भूमि को ऐसे गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को खेती करने के लिए पट्टे पर देने का है; जिनके पास भूमि नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) देश में बंजर भूमि अनुमानित क्षेत्र लगभग 129.58 मिलियन हैक्टेयर है; वर्तमान परतियों सहित कुल परतियां लगभग 29.6 मिलियन हैक्टेयर तक हैं।

(ख) से (घ) सरकारी बंजर भूमि को खेती तथा अन्य प्रयोजनों के लिए देना राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है और इस पर उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नीतियां और दिशानिर्देश लागू होते हैं। अभी तक देश में लगभग 4.17 मिलियन हैक्टेयर सरकारी बंजर भूमि भूमिहीन ग्रामीण गरीबों, समाज के कमजोर वर्गों तथा भूतपूर्व सैनिकों में वितरित की जा चुकी है।

परिसीमन फालतू भूमि के आबंटनों को बंजर और परती भूमि तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन लाभार्थियों की छीनी गई जो भूमि उन्हें फिर दिलाई गई है उसके विकास के लिए केन्द्रीय सरकार सहायता प्रदान करती है।

निम्नलिखित चल रही योजनाओं और परियोजनाओं में जिन बातों पर जोर दिया जाता है निम्नीकृत भूमि की उत्पादकता सुधारना उनमें से एक है—

1. नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना;
2. बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध की केन्द्रीय प्रायोजित योजना;
3. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना;
4. उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में क्षारीय मृदा को सुधारने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना;
5. उत्तर प्रदेश में बीहड़ क्षेत्रों को सुधारने तथा गुजरात में समेकित पनधारा प्रबन्ध की यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता प्राप्त परियोजनाएं;
6. मरु विकास कार्यक्रम; तथा
7. राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत मृदा संरक्षण और पनधारा प्रबन्ध कार्यक्रम।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

*807. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन ग्राम पंचायतों की राज्य-वार/संघ-राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है जिन्हें टेलीफोन सुविधा इस समय प्राप्त है,

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शेष ग्राम पंचायत मुख्यालयों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या वार्षिक कार्यक्रम बनाया गया,

(ग) शेष ग्राम पंचायत मुख्यालयों को टेलीफोन कनेक्शन देने के कार्यक्रम पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी और

(घ) इस पूंजी निवेश से प्रतिवर्ष अनुमानतः कितनी आय प्राप्त होगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 39622, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण—1 में दिए गए हैं।

(ख) (एक) 1991-92 के दौरान 12,000 ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दिए जाने की योजना है। ब्यौरे संलग्न विवरण—2 में दिए गए हैं।

(दो) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार हैं—

1992-93	48,500
1993-94	60,000
1994-95	68,000

(ग) लगभग 2820 करोड़ रु०।

(घ) यह स्कीम मुख्यतः कल्याणोन्मुखी हैं गांव पंचायतों में टेलीफोन सुविधा के जरिए देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक दूसरे के निकट आयेंगे जिससे राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा उन्हें समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के फायदे प्राप्त करने में मदद मिलेगी ऐसे फायदों का रुपए-पैसे में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

विवरण—1

टेलीफोन सुविधा वाली ग्राम पंचायतों की स्थिति

क्र० सं०	सर्किल/राज्य	टेलीफोन सुविधा युक्त ग्राम पंचायतें
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4350
2.	असम	310
3.	बिहार	3258
4.	गुजरात	2368
	दादरा तथा नगर हवेली, दमन और दिव	9

1	2	3
5.	हरियाणा	1107
6.	हिमाचल प्रदेश	813
7.	जम्मू तथा कश्मीर	347
8.	कर्नाटक	3373
9.	केरल	970
	लक्षद्वीप (*)	*
10.	मध्य प्रदेश	3934
11.	महाराष्ट्र	4455
	गोआ	104
12.	उत्तर पूर्व	
	(i) अरुणाचल	6
	(ii) मणिपुर	23
	(iii) मेघालय	*
	(iv) मिजोरम	*
	(v) नागालैंड	*
	(vi) त्रिपुरा	50
13.	उड़ीसा	1422
14.	पंजाब	624
15.	राजस्थान	2448
16.	तमिलनाडु	4628
	पांडिचेरी	6
17.	उत्तर प्रदेश	3517
18.	पश्चिमी बंगाल	1434
	सिक्किम	29
	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	11
19.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	46
	योग :	39632

* ग्रामीण वृद्धों की परम्परागत परिषदें । कोई ग्राम पंचायत नहीं ।

विवरण—2

ग्राम पंचायतों में टेलीफोन प्रदान करने की व्यवस्था 1991-92 के लिए कार्यक्रम

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991-92 के लिए लक्ष्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	840
2.	असम	180
3.	बिहार	600
4.	गुजरात दादरा नगर हवेली, दमन और द्विव सहित	720
5.	हरियाणा	720
6.	हिमाचल प्रदेश	30
7.	जम्मू तथा कश्मीर	60
8.	कर्नाटक	270
9.	केरल	30
10.	मध्य प्रदेश	1080
11.	महाराष्ट्र गोआ सहित	1200
12.	उत्तर पूर्व, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा सहित	180
13.	उड़ीसा	480
14.	पंजाब	720
15.	राजस्थान	660
16.	तमिलनाडु, पांडिचेरी सहित	870
17.	उत्तर प्रदेश	3000
18.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सहित	360
	योग	12000

नर्मदा जल का नियतन

[हिंदी]

*808. **कुमारी विमला वर्मा** : जल क्या संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरुड़ेश्वर में रिकार्ड किए गए जल प्रवाह के अनुसार नर्मदा नदी में 23 मिलियन एकड़ फुट (ए०ए०एफ०) जल उपलब्ध है;

(ख) क्या उक्त नदी के जल का नियतन नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा 28 मिलियन एकड़ फुट जल की उपलब्धता के आधार पर किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस नियतन की पुनरीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) वर्ष 1891-92 से 1947-48 तक के पश्च (हाइन्डकास्ट) आंकड़ों तथा 1947-48 से 1988-89 तक प्रेक्षित आंकड़ों के आधार पर नर्मदा नदी का 75 प्रतिशत विश्वसनीय प्रवाह लगभग 27.89 एकड़ मिलियन फुट बैठता है।

(ख) जी, हां।

(ग) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा किए गए जल के आबंटन की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयों की समीक्षा पंचाट की अधिसूचना की तारीख से केवल 45 वर्ष की अवधि के बाद ही की जानी है।

रोमानिया में भारतीय राजदूत पर हमला

[अनुवाद]

*809. **श्री वी० वेंकटेश्वर प्रसाद :**

श्री भारतेश्वर साहे : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रोमानिया स्थित भारतीय राजदूत पर बुखारेस्ट में कुछ आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था, जिसमें वह गम्भीर रूप से घायल हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में ऐसे आक्रमणकारियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो विदेशों में नियुक्त भारतीय राजनयिकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) 20 अगस्त, 1991 को संदिग्ध आतंकवादियों ने रूमानिया में भारत के राजदूत श्री जे० एफ० रिबेरो को गोली चलाकर घायल कर दिया था। यह घटना बुकारेस्ट में लगभग 18.30 बजे (स्थानीय समय) हुई जब राजदूत अपनी पत्नी के साथ अपने आवास के निकट सैर कर रहे थे। हमलावरों में से कार में सवार एक हमलावर ने कलाश्निकोव असाल्ट राईफल से गोली दागी थी। राजदूत के साथ चल रहे रूमानिया के सुरक्षा कार्मिकों ने जवाब में गोली चलाई जिसके परिणामत: हमलावार अपनी राईफल फैंककर भाग गया। इसी बीच तीन अन्य हमलावार कार से उतरे और उन्होंने राजदूत पर गोली चलाई जो राजदूत की दाईं जांघ पर लगी। सुरक्षा कार्मिकों ने एक हमलावार को गोली मारकर मार दिया तथा दो को पकड़ लिया जिनमें से एक हमलावर को चोट भी आई है श्रीमती रिबेरो को इस समले में कोई चोट नहीं आई। पांचवां हमलावर जो एक अलग कार में सवार था, भी बच निकला।

(ग) जी, हां।

(घ) विदेश स्थित भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की सरकार की होती है जिसमें वे तैनात हैं। तथापि, हम अपने मिशनों को ऐसी सभी बातों की जानकारी बराबर देते रहते हैं जिनसे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ती हो तथा सलाह देते हैं कि वे स्थानीय सरकार को इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें ताकि स्थानीय सरकार उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध करे।

राजस्थान में बिलासपुर बांध परियोजना

[हिन्दी]

*810. **श्री राम नरायण बैरवा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बिलासपुर बांध परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के पूरा होने से अनुमानत: कितनी सिंचाई क्षमता पैदा होने की सम्भावना है और इससे कितने क्षेत्र को लाभ होगा; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित जल विज्ञान के आधार पर सिंचाई और जल आपूर्ति घटकों का प्रावधान करने हेतु बहुप्रयोजनी परियोजना के रूप में एक संशोधित रिपोर्ट तैयार करनी शुरू की है। परियोजना के सिंचाई क्षेत्र तथा उसके निर्माण की अवधि जैसे ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

फलों और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि

[अनुवाद]

*811. **डा०बी० राजेश्वरन** :

श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश शहरों में सब्जियों और फलों की कीमतों में हुई अत्यधिक वृद्धि की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) इनकी कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1990 की तुलना में 1991 के दौरान कुछ सब्जियों और फलों, उदाहरणार्थ प्याज, टमाटर, सेब और केले की मामान्त कीमतों में वृद्धि हुई है।

(ख) उच्च कीमतों के मुख्य कारण ये हैं—महाराष्ट्र और गुजरात के प्याज उत्पादक क्षेत्रों में

भारी तथा गैर-मौसमी वर्षा, सामान्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति, पैक करने की सामग्री की कीमत में वृद्धि, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, जिससे परिवहन लागत बढ़ गई है, इत्यादि।

(ग) सब्जियों की कीमतों पर नियन्त्रण करने के लिए, भारत सरकार 1989-90 से देश में फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रही है। वर्ष 1991-92 के लिए स्वीकृत परिव्यय 173 लाख रुपए है। देश में फलों के उत्पादन के लिए 192.085 लाख रुपए के परिव्यय से उष्णकटिबन्धीय तथा शुष्क क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए एक अन्य केन्द्रीय क्षेत्र योजना क्रियान्वित की गई है। दिल्ली प्रशासन स्थायी बिक्री केन्द्रों तथा चलते-फिरते वाहनों के माध्यम से राजधानी में उपभोक्ताओं को उचित दरों पर सब्जियां उपलब्ध करा रहा है। मदर डेरी दिल्ली/नोयडा में 166 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उचित दरों पर सब्जियों तथा फलों की बिक्री कर रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बीज निगम की घाटा

*812. **श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम को गत तीन वर्षों के दौरान कितना घाटा हुआ;

(ख) इस बढ़ते हुए घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस निगम को पुनः सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम को निम्न प्रकार से हानि हुई :

(लाख रुपए में)

वर्ष	धनराशि की हानि
1987-88	190.50
1988-89	289.83
1989-90	391.10

(ख) यह पाया है कि निम्नलिखित कारणों से हानियां हुई हैं :

(1) बीज के बिक्री मूल्य में अनुकूली वृद्धि किए बिना बीज उत्पादकों को अदा किए गए आदान मूल्य और अधिप्राप्ति मूल्य में वृद्धि;

(2) सामान्य मूल्य वृद्धि के कारण अचल ऊपरी व्यय में वृद्धि और ऊच्च अधिकार प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशों के अनुसार निगम के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि;

(3) भारी ब्याज बोझ;

(4) उत्पादन में कमी होने के कारण राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-1 और चरण-2 के अन्तर्गत सृजित अवसंरचनात्मक सुविधाओं का कम उपयोग;

(5) राज्य बीज निगमों और निजी बीज उद्योग से प्रतिस्पर्द्धा के कारण राष्ट्रीय बीज निगम के विपणन अंश में कमी; और

(6) अधिक स्टाफ।

(ग) निगम की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए, विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-3 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है। परामर्शदाता की नैदानिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात परामर्शदाता से कहा गया है कि वे और अधिक ब्यौरा दें रिपोर्ट के कुछ भागों को स्पष्ट करें। इस निगम में सुधार लाने के लिए इस रिपोर्ट/के आधार पर कदम उठाए जायेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधायें

*813. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर दूरसंचार सुविधायें प्रदान करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995 के अन्त तक गांवों को प्रदान किए जाने वाली ऐसी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान में अब तक इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान ऐसी सुविधायें प्रदान करने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) 1995 के अन्त तक सभी ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधायें प्रदान करने की योजना है।

(ग) राजस्थान में अब तक कुल 7353 ग्राम पंचायतों में से 2448 में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1991-92 के दौरान टेलीफोन सुविधायें प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य
1.	आंध्र प्रदेश	15238
2.	असम	405
3.	बिहार	8201
4.	गुजरात-दादर नगर हवेली, दमन दिव सहित	10770
5.	हरियाणा	4685

1	2	3
6.	हिमाचल प्रदेश	1784
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1114
8.	कर्नाटक	4932
9.	केरल	12
10.	मध्य प्रदेश	19589
11.	महाराष्ट्र-गोवा सहित	10378
12.	उत्तर पूर्व-अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं त्रिपुरा सहित	1991
13.	उड़ीसा	2956
14.	पंजाब	20406
15.	राजस्थान	4905
16.	तमिलनाडु-पांडिचेरी सहित	8637
17.	उत्तर प्रदेश	70224
18.	पश्चिमी बंगाल-सिक्किम, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सहित	1830
19.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	145
	कुल	188202

लिट्टे द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना करने हेतु भारत और श्रीलंका के प्रयास

*814. **श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिट्टे द्वारा विशेषकर भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद, दी गई चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत और श्रीलंका द्वारा कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरी) : (क) और (ख) लिट्टे के संदर्भ में भारत और श्रीलंका के किसी संयुक्त प्रयास का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी की हत्या से संबद्ध जांच पड़ताल के काम में श्रीलंका की सरकार भारत सरकार को निरंतर पूरा सहयोग दे रही है ।

बिहार की सभी ग्राम पंचायतों में डाकघर खोलना

[हिन्दी]

6789. **श्री साईमन मारांडी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार की सभी ग्राम पंचायतों में डाकघर खोलने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या साहिबगंज जिले में विभिन्न डाकघरों में तीन से चार दिन में एक बार डाक और डाक सामग्री वितरित की जाती है; और

(घ) यदि हां; तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवेश प्रसाद) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) साहिबगंज जिले के 15 उप डाकघरों में से 13 उप डाकघरों द्वारा जिन-जिन क्षेत्रों को सेवा प्रदान की जाती है उनमें डाक प्रतिदिन वितरित की जाती है। तथापि, 2 उप डाकघरों अर्थात् हिरनपुर और अमरपाड़ा द्वारा जिन-जिन क्षेत्रों को सेवा प्रदान की जाती है, वहां मुख्यतः बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की कमी के कारण दिसम्बर, 1989 से जुलाई, 1991 तक एक सप्ताह में दो बार डाक वितरण की जाती रही। तथापि, इसे अब कारगर बना दिया गया है और 1-8-91 से इन क्षेत्रों में डाक का प्रतिदिन वितरित सुनिश्चित किया गया है।

दिल्ली में सब-रजिस्ट्रार और स्टाम्प कलेक्टर कार्यालयों का कार्यकरण

[अनुवाद]

6790. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के सब-रजिस्ट्रार और स्टाम्प कलेक्टर भवनों इत्यादि के अनुमोदित मूल्यांकन-कर्ताओं द्वारा दिए गए मूल्यांकन-प्रतिवेदन स्वीकार करते है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भूमि और निर्माण के सम्बन्ध में भूमि व विकास कार्यालय द्वारा निर्धारित दरें क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में अनुमोदित मूल्यांकन-कर्ताओं के मूल्यांकन-प्रतिवेदन स्वीकार किए गए और उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में ऐसे प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किए गए; और

(ङ) दिल्ली प्रशासन के सब-रजिस्ट्रार और स्टाम्प कलेक्टर के कार्यालयों का कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि सब-रजिस्ट्रार मूल्यांकन रिपोर्ट स्वीकार करते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1-4-1987 से 31-3-1989 तक लागू भूमि और विकास कार्यालय के नियन्त्रणाधीन दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की बाजार दरों की अनुसूची शहरी विकास मन्त्रालय के दिनांक 1 जून, 1987 के पत्र सं० जे-22011/4/86 एल०डी० (डी०ओ०आई०) में दी गई है। पत्र

की एक प्रति के साथ अनुसूची विवरण के रूप में सलग्न है। 1-4-1989 से दरें निश्चित नहीं की गई हैं।

(घ) ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ङ) सब-रजिस्ट्रार के पद का स्तर बढ़ा दिया गया है।

विवरण

संख्या जे-22011/4/86-एल० डी० (डी० ओ० आई०)

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

(भूमि प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून, 1987

सेवा में,

1. भूमि और विकास अधिकारी,
   निर्माण भवन, नई दिल्ली। (5 प्रतियां)
2. उप-अध्यक्ष,
   दिल्ली विकास प्राधिकरण,
   विकास मिनार, नई दिल्ली। (5 प्रतियां)
3. सचिव,
   भूमि और भवन विभाग,
   दिल्ली प्रशासन, विकास भवन,
   इन्द्र प्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली। (5 प्रतियां)

विषय :—भूमि और विकास कार्यालय के नियन्त्रणाधीन दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि बाजार मूल्य की अनुसूची।

महोदय,

दिल्ली/नई दिल्ली में भूमि के बाजार मूल्य दरों की अनुसूची को 1-4-87 से संशोधित कर दिया गया है और संशोधित दरें इस पत्र के साथ संलग्न अनुसूची में दिखाई गई हैं। संशोधित दरें (i) होटलों, (ii) सिनेमा हालों, (iii) 100 वर्ग गज (83.613 वर्ग मीटर) के आकार के रिहायशी पट्टों के सम्बन्ध में बिक्री की अनुमति प्रदान करते समय लगाए कम प्रभार के कारण अर्नजित बढ़ोत्तरी की वसूली के प्रयोजन के अलावा सभी प्रयोजन के लिए लागू होंगी।

2. (क) जोन-1 के लिए वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बाजार दरें 250 की एफ० ए० आर० पर आधारित हैं और अन्य जोनों के लिए वर्तमान एफ०ए०आर० पर आधारित हैं।

(ख) रिहायशी दरें विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित वर्तमानएफ० ए० आर० पर आधारित हैं।

टिप्पणी—एफ० ए० आर० में घटत और बढ़त के अनुपात से इन दरों में कमी या बढ़ोत्तरी की जाएगी।

3. 100 वर्ग गज (83.613 वर्ग मीटर) या इससे कम आकार के रिहायशी पट्टों के बारे में बिक्री की अनुमति देते समय अनर्जित बढ़ोत्तरी के कम भाग का हिसाब करने और वसूली के प्रयोजन के लिए 1-4-87 से 31-3-89 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए भूमि की दरें लागू होंगी, जो इस मंत्रालय के पत्र संख्या जे-22011/3/80 एल० डी० (डी० ओ० आई०) तारीख 31 अक्तूबर, 1981 में दी गई हैं।

4. जहां तक होटल तथा सिनेमा स्थलों का सम्बन्ध है, प्रत्येक मामले पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से विशेष रूप से विचार किया जाए।

5. इसके साथ संलग्न अनुसूची में नहीं आए किसी स्थान के लिए दरें, समतुल्य क्षेत्रों की दरों के समान लागू होंगी।

6. ये दरें 1 अप्रैल, 1987 से 31 मार्च, 1989 के लिए प्रभावी होंगी।

7. इन दरों की पुनरीक्षा, भूमि और विकास अधिकारी द्वारा अन्तिम तारीख समाप्त होने से काफी पहले की जानी चाहिए।

8. इसे वित्त मंत्रालय के परामर्श से जारी किया जाता है।

ह०/-
(एन० राजा गोपालन)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित :—

1. मुख्य अभियन्ता (मूल्यांकन) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रोहित हाउस, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।
2. उप-राज्यपाल, राज निवास, दिल्ली।
3. वित्त प्रभाग (भूमि यूनिट) शहरी विकास मंत्रालय।
4. गृह मंत्रालय, पुनर्वास विभाग, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली।
5. दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल, दिल्ली (5 प्रतियां)।
6. नई दिल्ली नगर पालिका, टाउन हाल, नई दिल्ली (5 प्रतियां)।
7. निदेशक, लेखा परीक्षक, सी० डब्ल्यू० एण्ड एम०, ए० जी० सी० आर० भवन, आई० पी० इस्टेट, नई दिल्ली।
8. दिल्ली प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय (5 प्रतियां)।
9. भूमि प्रभाग के सभी डेस्क अधिकारी।
10. सूचना अधिकारी शहरी विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
11. शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव।
12. शहरी विकास राज्य मन्त्री के निजी सचिव।

13. सचिव, निजी सचिव ।
14. संयुक्त सचिव (वित्त) ।
15. संयुक्त सचिव (शहरी विकास)।
16. संयुक्त सचिव (डब्ल्यू० ए०) ।
17. संयुक्त सचिव (एच० एण्ड एच० एस०) ।
18. अतिरिक्त प्रतियां-250 ।

ह०/-

दिल्ली/नई दिल्ली में भूमि के बाजार दर की सूची (शहरी विकास मंत्रालय के पत्र सं० जे-22011/4/86-एल० डी० (डी० ओ० आई०) दिनांक 1-6-1987 के साथ अनुलग्नक)

क्र० सं०	इलाके का नाम	रिहायशी (रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक (रु० प्रति वर्ग मीटर)
1	2	3	4
क्षेत्र-I			
केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	कनाट प्लेस	8000/-	23000/-
2.	कनाट सर्कस	8000/-	23000/-
3.	कनाट प्लेस विस्तार, कार्मशियल जोन तक	8000/-	23000/-
4.	बाराखम्भा रोड (कनाट प्लेस विस्तार, कार्मशियल जोन तक के बाहर)	8000/-	23000/-
5.	कर्जन रोड, कनाट प्लेस विस्तार से कार्मशियल क्षेत्र तक के बाहर	8000/-	23000/-
6.	हनुमान रोड (कर्मशियल जोन)	8000/-	23000/-
7.	जनपथ कनाट प्लेस विस्तार से विन्डसर प्लेस तक के बाहर	8000/-	23000/-
8.	भगवान दास रोड	8000/-	23000/-
9.	हैली रोड	8000/-	23000/-

1	2	3	4
10.	हनुमान रोड (आर० इ० एस० जोन)	8000/-	23000/-
11.	वेयर्ड रोड	8000/-	23000/-
12.	जैन मन्दिर रोड	8000/-	23000/-
13.	जन्तर-मन्तर रोड, कनाट प्लेस विस्तार के बाहर	8000/-	23000/-
14.	लेडी हार्डिग रोड	8000/-	23000/-
15.	मन्दिर मार्ग	8000/-	23000/-
16.	बढ़ाए गए कामर्शियल जोन के बाहर के क्षेत्र, संसद स्ट्रीट	8000/-	23000/-
17.	मिन्टो रोड	8000/-	23000/-
18.	पंचकुइयां रोड	8000/-	23000/-
19.	भगत सिंह मार्किट	8000/-	23000/-
20.	बाबर रोड	8000/-	23000/-
21.	कृष्णा मार्किट पहाड़गंज	8000/-	23000/-
22.	मथुरा रोड प्रैस	8000/-	23000/-
23.	झण्डेवालान	8000/-	23000/-
24.	मोतियाखान "सी" टाइप टेनेमेन्ट सहित	8000/	23000/-
क्षेत्र-II			
दक्षिणी जोन			
1.	खान मार्किट	6000/-	10800/-
2.	डिप्लोमैटिक इन्क्लेव	6000/-	10800/-
3.	डिप्लोमैटिक इन्क्लेव विस्तार	6000/-	10800/-
4.	गोल्ड लिंक	6000/-	10800/-
5.	औरंगजेब रोड	6000/-	10800/-
6.	पृथ्वीराज रोड	6000/-	10800/-
7.	तीस जनवरी मार्ग	6000/-	10800/-

1	2	3	4
8.	रेटेन्डन रोड	6000/-	10800/-
9.	हमायूं रोड	6000/-	10800/-
10.	जोर बाग	6000/-	10800/-
11.	सुन्दर नगर	6000/-	10800/-
12.	एन्ड्रूजगंज	5500/-	9900/-
13.	सादिक नगर	5500/-	9900/-
14.	डिफैंस कालोनी	5000/-	9000/-
15.	आर० के० पुरम	5000/-	9000/-
16.	मोतीबाग	5000/-	9000/-
17.	लोधी रोड	5000/-	9000/-
18.	लोदी इस्टेट	5000/-	9000/-
19.	अलीगंज	5000/-	9000/-
20.	सेवा नगर	5000/-	9000/-
21.	लाजपत नगर रिंग रोड के बगल में	4000/-	9000/-
22.	बसन्त बिहार (डी० डी० ए० भूमि के अलावा)	4000/-	9000/-
23.	लाजपत नगर (I से IV)	4000/-	7200/-
24.	निजामुद्दीन	4000/-	7200/-
25.	जंगपुरा	4000/-	7200/-
26.	कालकाजी	4000/-	7200/-
27.	मालवीय नगर (विस्तार) तथा पुराना	3600/-	6480/-
28.	एम० बी० रोड	3600/-	6480/-
क्षेत्र-III			
पश्चिमी दिल्ली			
1.	अजमल खां रोड	5000/-	9000/-
2.	गफ्फार मार्किट	5000/-	9000/-

1	2	3	4
3.	करोल बाग	5000/-	9000/-
4.	एम० एम० रोड	5000/-	9000/-
5.	रानी झांसी मार्किट	5000/-	9000/-
6.	लिंक रोड करोल बाग	5000/-	9000/-
7.	देशबन्धु गुप्ता मार्किट	5000/-	9000/-
8.	पटेल नगर (पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी)	5000/-	9000/-
9.	राजेन्द्र नगर (नया और पुराना)	5000/-	9000/-
10.	रोहतक रोड (पुराना और नया)	4000/-	7200/-
11.	नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र	3000/-	6000/-
12.	रामेश्वरी नेहरू नगर	3000/-	5400/-
13.	मोती नगर	3000/-	5400/-
14.	सराय रोहिल्ला	3000/-	5400/-
15.	तिलक नगर	3000/-	5400/-
16.	तिहाड़-I और II	3000/-	5400/-
17.	रमेश नगर	3000/-	5400/-
18.	औद्योगिक क्षेत्र विस्तार	3000/-	5400/-
क्षेत्र-IV			
उत्तरी दिल्ली			
1.	कमला नगर	3000/-	6000/-
2.	रूप नगर	3000/-	6000/-
3.	शक्ति नगर	3000/-	6000/-
4.	कुतुब रोड़	3000/-	6000/-
5.	रोशनआरा रोड़	3000/-	6000/-
6.	लाजपत राय मार्किट	3000/-	5400/-
7.	अंसारी मार्किट	3000/-	5400/-
8.	जवाहर नगर	3000/-	5400/-
9.	खुर्शिद मार्किट	3000/-	5400/-

1	2	3	4
10.	तेलीवाड़ा	3000/-	5400/-
11.	आजाद मार्किट	3000/-	5400/-
12.	माल रोड	3000/-	5400/-
13.	राजपुर रोड	3000/-	5400/-
14.	मल्का गंज	3000/-	5400/-
15.	अलीपुर रोड	3000/-	5400/-
16.	गोखले मार्किट	3000/-	5400/-
17.	हाथी खाना	3000/-	5400/-
18.	खन्ना मार्किट (तीस हजारी के पास)	3000/-	5400/-
19.	लेहना सिंह मार्किट	3000/-	5400/-
20.	निकल्सन रोड	3000/-	5400/-
21.	विजय नगर	3000/-	5400/-
22.	अशोक मार्किट	3000/-	5400/-
23.	सब्जीमण्डी	3000/-	5400/-
24.	इन्दिरा नगर	2500/-	4500/-
25.	आजाद पुर	2500/-	4500/-
26.	अंधा मुगल	2500/-	4500/-
27.	बैच्ड स्टैंड एरिया एक्स० (बी० एस० ए०)	2500/-	4500/-
28.	भारत नगर	2500/-	4500/-
29.	गुड़ की मण्डी	2500/-	4500/-
30.	गुलाबी बाग	2500/-	4500/-
31.	किंग्सवे कैम्प	2500/-	4500/-
32.	तिमारपुर	2500/-	4500/-
33.	अंगूरी बाग	2500/-	4500/-
34.	एडवर्ड लाईन्स	2500/-	4500/-
35.	हकीकत नगर	2500/-	4500/-

1	2	3	4
	क्षेत्र-V		
	पूर्वी दिल्ली		
1.	झील कुरंजां	1200/-	2160/-
2.	गीता कालोनी	1200/-	2160/-
	नरेला तथा बाहरी बस्तियां	850/-	1530/-

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लिए केन्द्रीय कोष

6791. **श्री उधव बर्मन** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड को गत तीन वर्षों के दौरान दी गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा अनुमोदित तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड को निर्मुक्त की गयी अनुदान सहायता का विवरण निम्न प्रकार है :—

(I) 1988-89	500 लाख रुपए
(II) 1989-90	665 लाख रुपए
(III) 1990-91	482 लाख रुपए

(ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा निर्बाधित और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत स्कीमें निम्नवत हैं :—

(I) हरंग जलनिकास सुधार स्कीम
(लागत 490 लाख रुपए)

(II) उत्तर-पूर्वी हाइड्रोलिक और सम्बन्धित अनुसंधान संस्थान
(लागत 470 लाख रु०)

"दिल्ली पुलिस के जवानों में असंतोष पनप रहा है"
शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[हिन्दी]

6792. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अगस्त, 1991 के "नवभारत टाइम्स" में "दिल्ली पुलिस के जवानों में असन्तोष पनप रहा है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) नवभारत टाइम्स के दिनांक 1 अगस्त, 1991 के अंक में "दिल्ली पुलिस के जवानों में

असन्तोष पनप रहा है" नामक शीर्षक से एक समाचार छपा था। समाचार, दिल्ली पुलिस कर्मचारी कल्याण परिषद की कुछ मांगों से सम्बन्धित है, जो मुख्य रूप से रिहायशी आवास उपलब्ध कराने, साप्ताहिक अवकाश देने, लम्बी अवधि की ड्यूटी का परिहार करना, कांस्टेबलों को अर्दलियों के रूप में तैनात करने के मामलों को सीमित करने, इत्यादि से सम्बन्धित है।

(ख) रिहायशी आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है तथा अर्दलियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार नियुक्त किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के प्रबन्ध मंडल तथा कर्मचारीयों संघ के मध्य समझौता

6793. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबन्ध मंडल तथा कर्मचारी संघ के मध्य 22 मार्च, 1991 को कोई समझौता हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसे कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड प्रबन्ध और अखिल भारतीय राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड कर्मचारी संघ के मध्य 22 मार्च, 1991 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते की मुख्य विशेषताएं हैं : सितम्बर, 1991 के अन्त तक छंटनी तथा से ा समाप्त किए गए कर्मचारियों की बहाली, टोटला-दोह यूनिट के कर्मचारियों को उनकी सेवा की समाप्ति से तारीख की बहाली, अनुशासनिक आधारों पर पदच्युत कर्मचारियों के मामलों को प्राथमिकता पर पुनरीक्षा करना, जनवरी, 1987 से दिसम्बर, 1994 तक 8 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी वेतन समझौते के लिए बातचीत प्रारम्भ करना और श्रम प्राधिकरणों/न्यायालयों/औद्योगिक न्यायधिकरणों के समक्ष लम्बित मामलों को वापस लेना। इस समझौते की ज्यादातर शर्तें 30 सितम्बर, 1991 तक कार्यान्वित किए जाने का कार्यक्रम है।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए ओ०वाई०टी० श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत लोगों को प्राथमिकता देना

[अनुवाद]

6794. **श्री गुरुदास कामत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन कनेक्शनों के लिए ओ०वाई०टी० श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदनों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गैर ओ०वाई०टी० श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों को चालू वर्ष के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) स्कीम के अनुसार एक मुफ्त टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करते समय तीन श्रेणियों के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों में से ओ०आई० टी० श्रेणी के आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक होता है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान गैर ओ०वाई०टी० श्रेणी के अन्तर्गत लगभग 4 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए जाने की सम्भावना है।

हज यात्रा

6795. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** :

श्री टी० जे० अंजलोज : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हज-यात्रा के लिए प्रत्येक राज्य से वर्ष-वार कितने निवेदन-पत्र मिले हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वायु-मार्ग, समुद्री मार्ग तथा निर्गम बन्दरगाह से, वर्ष-वार कितने हज-यात्री गए;

(ग) प्रत्येक निर्गम बन्दरगाह का जल-ग्रहण क्षेत्र कौन-कौन सा है और उनमें से प्रत्येक से होकर जाने वाले हज-यात्रियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन राज्यों जिनमें हज-यात्रा की बड़ी मांग है, के लिए कोटा निर्धारित करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) वर्तमान हज-समिति में राज्यवार प्रतिनिधित्व क्या है;

(छ) केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित हज समिति अधिनियम में इस समय क्या-क्या संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ज) बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं और उसकी बैठक कब हुई थी; और

(झ) हज-यात्रियों को और अधिक सुविधायें देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(घ) ऐसे कोटों को पुनः निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिनका निर्धारण राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) हज समिति के सदस्य किसी राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

(छ) केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड ने मौजूदा अधिनियम के स्थान पर नए विधान का प्रस्ताव किया था जो सरकार के विचाराधीन है।

(ज) इस समय कोई केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड नहीं है।

(झ) हज सम्बन्धी प्रबन्ध व्यवस्था की बराबर जांच की जाती रहती है ताकि उसे बेहतर बनाया जा सके और यह एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण-I

क्र०सं०	राज्य	1989 में केवल हवाई मार्ग से	1990 में हवाई/समुद्री मार्ग से	1991 में समुद्री/हवाई मार्ग से
1.	आन्ध्र प्रदेश	769	1323	1454
2.	असम	448	676	538
3.	बिहार	211	1045	1365
4.	गुजरात	1653	7497	5718
5.	दिल्ली	276	839	654
6.	जम्मू एवं कश्मीर	2181	4852	2694
7.	कर्नाटक	982	1480	1411
8.	केरल	1634	2504	2190
9.	मध्य प्रदेश	727	1596	2195
10.	महाराष्ट्र	3315	5589	5539
11.	उड़ीसा	62	92	56
12.	राजस्थान	852	2824	2373
13.	तमिलनाडु	865	1402	1202
14.	उत्तर प्रदेश	4152	12812	11202
15.	पश्चिम बंगाल	583	1515	1827
16.	हरियाणा	182	882	588
17.	लक्ष्यद्वीप	51	167	127
18.	अंडमान एवं निकोबार	13	17	17
19.	चंडीगढ़	20	798	212
20.	हिमाचल प्रदेश	3	12	12
21.	पांडीचेरी	19	25	8
22.	पंजाब	79	92	62
23.	त्रिपुरा	15	32	11
24.	मणिपुर	45	51	40
25.	गोवा/दमन/द्विव	17	30	13
	जोड़	19154	48162	41567

टिप्पणी—वर्ष 1989 के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें केवल हवाई मार्ग से यात्रा के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या शामिल है। समुद्री मार्ग से यात्रा करने के लिए प्राप्त आवेदनों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान हज यात्रा पर वायुयान/समुद्री जहाज से जाने वाले हज यात्रियों की संख्या

क्र०सं०	वर्ष	समुद्री मार्ग से	हवाई मार्ग से	जोड़
1.	1989	4685	20010	24692
2.	1990	4625	19602	24227
3.	1991	4523	18790	23318

समुद्री मार्ग से जाने वाले हज यात्रियों के लिए प्रस्थान पत्तन : बम्बई ऐसी कोई एक जगह नहीं है जहां भारत भर के हज यात्री आकर एकत्र हों क्योंकि उन्हें इस बात की छूट दी गई है कि वे कहां से जाना चाहते हैं।

हवाई यात्रियों के जाने के पत्तनों तथा उस जगह से उनकी संख्या इस प्रकार है :

रवाना होने का स्थान	1989	1990	1991
बम्बई	12046	10690	10445
दिल्ली	6474	7097	6691
मद्रास	931	1249	1085
कलकत्ता	509	566	569
जोड़—	20010	19602	18790

केरल में नारियल उत्पादकों की ओर से ज्ञापन

6796. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में नारियल उत्पादकों की ओर से उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापली रामचन्द्रन) : (क) कृषि मंत्रालय में 1991 के दौरान केरल के नारियल उत्पादकों की तरफ से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दूध की प्रति व्यक्ति खपत

6797. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 के दौरान केरल के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग दूध की प्रति व्यक्ति खपत क्या रही ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : 1990-91 के दौरान केरल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होने वाली दूध की प्रति व्यक्ति खपत से सम्बन्धित पृथक-पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी विभाग, देश भर में घरेलू उपभोक्ता व्यय के सम्बन्ध में नियमित रूप से सर्वेक्षण करता है। यह सर्वेक्षण, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, दूध और दुग्ध उत्पादों के व्यय सहित घरेलू मदों को विभिन्न मदों के उपभोग मूल्यों पर आंकड़े उपलब्ध कराता है।

इस सर्वेक्षण के अनुसार, केरल में 1988-89 के दौरान 30 दिन की अवधि के लिए, दूध और दुग्ध उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत का मूल्य, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 11.20 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 18.68 रुपये है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के टेलीफोन आपरेटरों की पदोन्नति

[हिन्दी]

6798. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली में पर्यवेक्षक ग्रेड में कितने टेलीफोन आपरेटर पदोन्नत किये गये;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति थे;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित कोटा दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) तथा (ख) वर्ष 1988 में 6 अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सहित 51 टेलीफोन आपरेटरों को पर्यवेक्षकीय ग्रेड में बहाल किया गया था। वर्ष 1989 तथा 1990 में इन आपरेटरों की संख्या क्रमश: 22 तथा 16 थी। तथापि, उन उम्मीदवारों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी उम्मीदवार नहीं था।

(ग) और (घ) नवम्बर, 1983 से पहले के वर्षों में इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षित कोटा प्रदान किया गया है। 30-11-1983 से एक समयबद्ध पदोन्नति (ओ० टी० बी० पी०) स्कीम शुरू किए जाने के परिणामस्वरूप पर्यवेक्षकों के 228 पदों को समाप्त कर दिया गया तथा जिन आपरेटरों को पहले पर्यवेक्षकों के पद पर पदोन्नत किया गया था, उन्हें पर्यवेक्षकों के उनके मौजूदा वेतनमान में ही टेलीफोन आपरेटर के मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया। 1988, 1989 तथा 1990 सहित बाद के वर्षों के दौरान पर्यवेक्षक के ग्रेड में रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर अ०जा०/अ०ज०जा० सहित जिन कर्मचारियों को पहले आपरेटर के पद पर प्रत्यावर्तित किया गया था, उन्हें उनकी वरिष्ठता के अनुरूप फिर से पर्यवेक्षक के पदों पर बहाल कर दिया गया था।

इंजीनियरी फाउण्ड्री इकाइयों का बन्द होना

[अनुवाद]

6799. **श्री एस० एन० बेकारिया** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई इंजीनियरी फाउण्ड्री इकाइयां बन्द होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) कच्चा लोहा फाउण्ड्री इकाइयों के लिए आदान है। कच्चे लोहे का स्वदेशी उत्पादन समूची घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। कच्चे लोहे उद्योग को 1986 में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था ताकि निजी क्षेत्र को कच्चे लोहे के उत्पादन में आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मार्च, 1990 में कच्चे लोहे के आयात को भी खुला सामान्य लाइसेंस के तहत रख दिया गया था ताकि प्रयोक्ता कच्चे लोहे का सीधा आयात कर सकें।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कृषि भूमि का आवंटन

6800. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अतिक्रमण की गई भूमि को नियमित करने के अलावा कितने व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटित की गई है;

(ख) क्या गत एक वर्ष से पहले आवंटित की गई कृषि भूमि की सीमा निर्धारित करके यह आवंटितियों को सौंप दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में भूतलक्षी प्रभाव से प्रीमियम लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रीमियम दर कितनी है तथा इस दर को कब से लागू किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) दो मामले।

(ख) और (ग) अण्डमान जिले में 249 मामलों में कृषि भूमि का आवंटन किया गया तथा निकोबार जिले में कृषि और पहाड़ी भूमि 319 मामलों में आवंटित की गई। भूमि का सीमांकन किया गया है तथा आवंटियों को भूमि सौंप दी गई है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ से प्रभावित राज्यों के लिए केन्द्र द्वारा चलायी गयी योजनाएं

6801. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाढ़ से प्रभावित राज्यों में छोटे और सीमान्त किसानों के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस तिथि से शुरू होगी;

(ग) क्या ऐसी योजना कुछ राज्यों में पहले ही शुरू कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

शहरी क्षेत्रों में लाइसेंसशुदा डाकघर स्थापित करना

[हिन्दी]

6802. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में लाइसेंसशुदा डाकघर स्थापित करने हेतु किसी योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में नीति में परिवर्तन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि अगस्त, 1985 में लाइसेंस प्राप्त डाक एजेंटों की एक योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में प्रचालन खर्च को कम करना, डाकघर चलाने में प्रतियोगिता की भावना पैदा करना और जहां-जहां डाकघर नहीं हैं वहां डाक टिकट और स्टेशनरी उपलब्ध कराना तथा डाक प्रेषण जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करना था। इस समय देश में कार्यरत लाइसेंस प्राप्त डाक एजेंटों की संख्या लगभग 200 है।

लाइसेंस प्राप्त डाक एजेंसी स्कीम में संशोधन करने अथवा उसे बन्द करने के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

गोआ की खनन कम्पनियों से वसूल की गयी रॉयल्टी

[अनुवाद]

6803. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांस्ये** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गोआ में विभिन्न खनन कम्पनियों से लौह अयस्क पर वर्षवार रॉयल्टी की कितनी धनराशि वसूल की गई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान गोआ में लोहा निर्यात करने वाली पांच प्रमुख कम्पनियों से वर्षवार रायल्टी की कितनी धनराशि वसूल की गई ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) व (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में कथित अनियमितताएं

6804. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में अनियमितताओं के कई मामले केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोरिया कोठी और सिवान तथा बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

6805. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गोरिया कोठी और सिवान में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने लोग दर्ज हैं; और

(ख) सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 31-7-91 तक सिवान में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में 206 आवेदकों के नाम दर्ज हैं। गोरिया कोठी में अब तक कोई पंजीकृत मांग (अर्थात वे प्रत्याशित उपभोक्ता जिन्होंने वास्तव में पंजीकरण प्रभार जमा किए हों) नहीं है। वहां पर केवल एक लम्बी दूरी वाला सार्वजनिक टेलीफोन कार्य कर रहा है।

(ख) सिवान की प्रतीक्षा सूची को, मौजूदा 800 लाइनों वाले एक्सचेंज को बड़े एक्सचेंज से बदल कर मार्च, 1995 तक निपटाए जाने की आशा है।

काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में स्पंज लौह संयुक्त उद्यम परियोजना

6806. **श्री सी० एम० सी० बालयोगी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स "इस्सार" गुजरात लिमिटेड का आंध्र प्रदेश स्थित काकीनाडा में स्पंज लोहे की संयुक्त परियोजना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) सरकार को इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जामनगर जिला, गुजरात में दूरसंचार सुविधाएं

6807. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर जिले में विभिन्न स्थानों पर टेलीफोन, एस० टी० डी० फैक्स और टेलीप्रिंटर सुविधाएं प्रदान करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान इस जिले में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने की योजनाओं, प्रस्तावों और आंकलनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस जिले में जामनगर और अन्य स्थानों पर 1 जनवरी, 1989 से 31 जुलाई 1991 तक कितने-कितने टेलीफोन, फैक्स, एस० टी० डी० और टेलीप्रिंटर कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी हां, 31-8-1991 की स्थिति के अनुसार जामनगर में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल 1734 मांगें दर्ज हैं। टेलेक्स, फैक्स और टेलीप्रिंटरों के लिए कोई मांग दर्ज नहीं है। एस०टी०डी० सुविधा के लिए पंजीकृत मांग नहीं रखी गई है। फिर भी, योजना उद्देश्यों और/अथवा स्थानीय यूनिटों द्वारा अनुभव की गई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र को एस०टी०डी० सुविधा से जोड़ा गया है।

मौजूदा प्रतीक्षा सूची को मार्च, 1993 तक उत्तरोत्तर रूप से निपटा दिए जाने की सम्भावना है।

जामनगर जिले में छः स्थानों पर एस०टी०डी० लिंक उपलब्ध है। 1991-92 के दौरान दस स्थानों पर एस० टी० डी० लिंक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इन सभी योजनाओं और प्रस्तावों पर होने वाले व्यय को गुजरात दूरसंचार सर्किल के पूंजीगत परिव्यय में से पूरा किए जाने की आशा है।

(घ) 1 जनवरी, 1989 से 31 जुलाई, 1991 तक जामनगर जिले में उपलब्ध कराए गए टेलीफोनों, फैक्स, एस०टी०डी० लिंक, टेलेक्स और टेलीप्रिंटर का ब्यौरा इस प्रकार से है:

टेलीफोन	3729
फैक्स	22
एस०टी०डी० लिंक	4
टेलेक्स	शून्य
टेलीप्रिंटर	शून्य

सी-डॉट तकनीक

6808. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी-डॉट ने फीचर फोन, पी० एल० एल० सी० सी०, बी० एस० एन० तथा प्रोटो-काल फेज (एस० टी० डी०) के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) (I) फीचर फोन—सी डॉट द्वारा इस मद का विकास करने का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

(II) पी०एल०सी०सी० (पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन)—सी डॉट ने पी०एल०सी०सी० के इस्तेमाल हेतु हेतु पी० ए० बी० एक्स के उपयोग का विस्तार करने के लिए सी डॉट के कुछ पी० ए० बी० एक्स लाइसेंस धारकों को तकनीकी सहायता प्रदान की है।

(III) बी० एस० एन० (बिजनेस उपभोक्ता नेटवर्क)—सी डॉट आई०एस०डी०एन० (इंटिग्रेटेड सर्विसेज—डिजिटल नेटवर्क) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित एक बिजनेस कम्युनिकेशन नेटवर्क (बी० सी० एन०) का विकास कर रहा है। इस प्रौद्योगिकी पर आधारित तीन नोड नेटवर्कों का बेंगलूर में 1991 के अन्त तक परीक्षण किया जाना है और कुल 96 आई० एस० डी० एन० उपभोक्ताओं को इससे जोड़ा जाना है। आई० एस० डी० एन० उपभोक्ता, आई० एस० डी० एन० सुविधाओं को आपस में इस्तेमाल कर सकेंगे। बी० सी० एन० द्वारा उन्हें मौजूदा टेलीफोन, टेलेक्स और डाटा नेटवर्क का इस्तेमाल करने की अनुमति भी प्रदान की जाएगी।

(IV) प्रोटोकाल फेज (एस० टी० डी०)—सी-डाट द्वारा प्रोटोकाल फेज के क्षेत्र में कोई प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की जा रही है।

कलकत्ता में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

6809. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इस वर्ष के दौरान कलकत्ता में कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसकी कार्यवाही क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान कलकत्ता के मौजूदा एक्सचेंजों को आधुनिक बनाने सम्बन्धी ब्यौरे

क्र०सं	नाम	मौजूदा किस्म	जिसमें बदला जाना है	लक्ष्य
1.	सेन्ट्रल	स्ट्रोजर	इलेक्ट्रानिक ई-10 बी	1991-92 की अंतिम तिमाही
2.	रशा	,,	,,	,,
3.	त्रिबेनी	,,	,,	,,
4.	हावड़ा	,,	,,	,,
5.	सल्किया	,,	,,	,,
6.	अन्दूल	,,	,,	,,
7.	बाघ बाजार	,,	,,	,,
8.	बरूइपुर	,,	,,	,,
9.	फरिहटी	क्रास बार	,,	,,
10.	सरकस	,,	,,	,,
11.	रशा	,,	,,	,,

उपग्रह के माध्यम से खानों का पता लगाना

6810. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपग्रह के माध्यम से खानों का पता लगाने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है;

(ग) खानों का पता लगाने में किन उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में भावी योजना क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों से व्यापक शिला-समूहों, भू-आकृतियों, भू-विन्यास विशेषताओं यथा भू-परतों, वलयों, भ्रंशों/विभंगों आदि के बारे में जानकारी मिली है, जो खनिज गवेषण के लक्ष्य क्षेत्रों के निर्धारण में उपयोगी है।

खनिज गवेषण में दूर संवेदन की उपयोगिता के आकलन हेतु अंतरिक्ष विभाग और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने "वसुन्धरा" नामक संयुक्त परियोजना आरम्भ की थी। इस अध्ययन के फलस्वरूप उपग्रह, हवाई भू-भौतिकी, भू-रासायनिक तथा धरातलीय भू-भौतिकी एवं भूवैज्ञानिक आंकड़ों को मिला कर खनिज खोज हेतु क्षेत्रीय स्तर पर संभावित लक्ष्य क्षेत्रों का निर्धारण संभव हुआ है। ज्ञात लक्ष्य क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में वित्तीर्ण कुडप्पा बेसिन के वोन्टीमित्ता क्षेत्र का सीसा-जस्ता खनिजीकृत जोन तथा अनेक संभावित रत्न-पत्थर जोन शामिल हैं।

अन्तरिक्ष विभाग द्वारा सम्बद्ध प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ किये गये उपग्रह अध्ययन मे, राजस्थान के जिला उदयपुर में भी परवर्ती गवेषण हेतु सीसा-जस्ता खनिजीकरण के अनुकूल जोनों का, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में तांबा गवेषण के लिए लक्षित क्षेत्र का, ओड़िसा का उत्तर और मध्य भागों में लौह अयस्क के सम्पन्न क्षेत्रों एवं संभावित आधार धातु खनिज स्थलों का तथा मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोल फील्ड्स में परतदार विन्यासों का पता चला है।

(ग) ये अध्ययन मुख्यतः भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह आई० आर० एस० I से प्राप्त आंकड़ों पर किये गये। साथ ही, लैंड सैट-टी०एम० (अमरीकी उपग्रह) और स्पॉट (फ्रांसीसी उपग्रह) से प्राप्त आंकड़ों का भी उपयोग किया गया।

(घ) खनिज गवेषण हेतु प्रतिदर्श अध्ययन में आई० आर० एस०-1 की, ई० आर० एस०-1 (ई० एस० ए०) के आंकड़ों का भी समावेश तथा अन्य भूवैज्ञानिक आंकड़ों के साथ भावी उपग्रह शृंखला यथा—आई० आर० एस०-1 सी/1डी के बेहतर नियोजन आंकड़ों के उपयोग का भी कार्यक्रम है।

बिहार में डाकघरों का उन्नयन

[हिन्दी]

6811. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में 1991-92 के दौरान जनसंख्या के आधार पर नये उप डाकघर खोलने और शाखा तथा उप डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं। शाखा डाकघरों तथा उप डाकघरों का दर्जा कार्यभार और निर्धारित वित्तीय मानदण्डों के आधार पर बढ़ाया जाता है न कि मात्र जनसंख्या के आधार पर।

(ख) उपर्युक्त "क" को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तामलुक, पश्चिम बंगाल में एस० टी० डी० सुविधा सहित स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

[अनुवाद]

6812. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के तामलुक में एस० टी० डी० सुविधा सहित स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल के तामलुक (मिदनापुर जिला) में 1993-94 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा सहित एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है।

उदयपुर में जिंक स्मेल्टर संयंत्र को बिजली की सप्लाई

[हिन्दी]

6813. **श्री भेरु लाल मीणा** : क्या **खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर में देबारी जिंक स्मेल्टर संयंत्र को चलाने के लिए कितनी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है और इस संयंत्र को चलाने के लिए किन-किन स्थानों से बिजली प्राप्त की जा रही है तथा प्रत्येक स्थान से कितनी मात्रा में बिजली प्राप्त की जा रही है; और

(ख) क्या बिजली की कमी पूरी करने के लिए डी० जी० सेट भी स्थापित किये गए हैं और यदि हां, तो कितने डी० जी० सेट स्थापित किये गए हैं और ये डी० जी० सेट कुल कितने प्रतिशत बिजली की खपत को पूरी कर रहे हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) वर्ष 1990-91 में देबारी जस्ता प्रगालक की अधिकतम विद्युत मांग 38.4 एम०वी०ए० थी। प्रगालक को समग्र बिजली पूर्ति राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से होती है। बिजली बोर्ड के साथ 40 एम०वी०ए० की मांग अनुबंधित है।

(ख) जी, हां। इस प्रगालक में कुल 15.36 मे०वा० क्षमता के तीन डी०जी० सेट हैं। बिजली कटौती या बिजली फेल होने पर इनसे बिजली ली जाती है। 1990-91 में गृहीत क्षमता से कुल 4607117 यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया।

बिहार में डाक डिवीजनों का स्थानान्तरण

[अनुवाद]

6814. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औरंगाबाद, गया और रोहतास डाक डिवीजनों को रांची डाक सर्किल से पटना डाक सर्किल के अन्तर्गत लाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) क्षेत्राधिकार का इस प्रकार अन्तरण करने के लिए केवल गया पोस्टल डिवीजन के मामले में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

[हिंदी]

6815. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष भारी मात्रा में दालों का आयात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम कदम उठाये जा रहे हैं :

(1) 26 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में उन्नत बीजों, प्रदर्शनों, पौध परिरक्षण उपायों, खेती के उपकरणों, दाल संसाधिन, जैव उर्वरकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम सम्बन्धी योजनायें ।

(2) 11 राज्यों में पाडबोरर कट-वर्म और दीमक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए चने और अरहर के लिए पौध सुरक्षा आवरण ।

(3) 11 राज्यों में ग्रीष्म मूंग/उड़द के तहत क्षेत्र विस्तार के लिए योजना ।

(4) फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी, कृषकों की सेवा/आदान, कटाई के पश्चात की प्रौद्योगिकी और मूल्य समर्थन/मंडी में हस्तक्षेप सहित दाल विकास के लिए मिली-जुली नीति। तिलहनों और दलहनों सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा यह नीति अपनाई गई है ।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के कुछ एककों की स्वायतता प्रदान करना

[अनुवाद]

6816. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के छः एककों की स्वायतता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केरल के पलकड़ जिले में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के कीजोकोड़े स्थित एकक की स्वायतता प्रदान करने के लिए इस एकक के कर्मचारियों की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, आई० टी० आई० को इस समय प्रत्यायोजित शक्तियों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में यूनिटों को उपयुक्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।

(घ) जी, हां ।

तमिलनाडु में इरोड टेलीफोन संभाग तथा तिरुबेन्गोडे एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन

6817. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में इरोड टेलीफोन संभाग तथा तिरुबेन्गोडे में 31 अगस्त, 1991 को कितने टेलीफोन कनेक्शनों के कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ख) टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कनेक्शन शीघ्र देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 31 अगस्त, 1991 तक इरोड टेलीफोन डिवीजन और तिरुबेन्गोडे टेलीफोन एक्सचेंज में लम्बित पड़े टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्रमश: 4923 और 1179 है ।

(ख) और (ग) मौजूदा एक्सचेंजों में और नये टेलीफोन देने की क्षमता नहीं है । इरोड और तिरुबेन्गोडे के लिए नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है । इन एक्सचेंजों को स्थापित करने पर मार्च, 1994 तक वर्तमान प्रतीक्षा सूची के निपटाये जाने की संभावना है ।

नए टलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

6818. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1991 तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जारी किए गए आदेशों को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इन आदेशों का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) टेलीफोन कनेक्शनों हेतु पहले जारी किये गये आदेशों में से उक्त दिनांक तक कितने उपभोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं और कितने उपभोक्ताओं को अभी कनेक्शन दिये जाने शेष हैं; और

(घ) शेष उपभोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) माननीय सदस्य शायद बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जब इन टेलीफोन कनेक्शनों को प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी, उस समय दूरसंचार फील्ड यूनिटों ने कुछ बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों की जाली मंजूरी आदेशों की ओर ध्यान दिलाया है। मई, 1991 में इन जारी कनेक्शनों के मामलों का पता लगाने के लिए सतर्कता शाखा को जांच का आदेश दिया गया और जांच पड़ताल का कार्य पूरा होने तक बिना बारी के टेलीफोनों को लगाने की कार्रवाई रोक दी गई ।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(घ) जांच पड़ताल की रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव होगी। तथापि, माननीय संसद सदस्यों द्वारा अपने कोटे में से टेलीफोन देने के लिए की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में टेलीफोन प्रदान करने की कार्रवाई अलग से शुरू की गई है, इन्हें तकनीकी व्यवहार्यता की शर्त पर प्राथमिकता के आधार पर उत्तरोत्तर रूप से संस्थापित कर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल के बारे में अध्ययन

[अनुवाद]

6819. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अध्ययन में पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी और नैनीताल जिलों को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) वर्ष 1990-91 तक किए गए जल वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के आधार पर केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने उत्तर प्रदेश राज्य के चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा पिथोरागढ़ नामक जांच पहाड़ी जिलों के सिवाय सभी 16 अभिज्ञात सूखा प्रवण जिलों के भूजल संसाधनों का प्राक्कलन किया है । वर्ष 1991-92 के दौरान, जल वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के कारण किए गए प्राक्कलन को प्रामाणित करने के लिए इनमें से कुछ जिलों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग की आयोजना बनायी गयी है।

(ख) इस समय, वर्ष 1991-92 के अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्यक्रम में इलाहाबाद, बांदा और हमीरपुर नामक सूखा प्रवण जिले शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रों में भूजल के आंकलन की योजना 20 अन्वेषणात्मक कुओं तथा 10 प्रेक्षण कुओं के जरिए की गई है।

(ग) जबकि, नैनीताल जिले को अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्यक्रम में शामिल किया गया है, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और टिहरी जिलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(घ) जल वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के आधार पर भूजल के प्राक्कलन की पुष्टि करने के लिए नैनीताल जिले में 300 से 450 मीटर की गहराई तक 5 अन्वेषणात्मक कुओं तथा 3 प्रेक्षण कुंओं की ड्रिलिंग की योजना है।

सहार विमानपत्तन, मुम्बई में आबूधाबी के नागरिक को गिरफ्तार करना

6820. **श्रीमती वासन्थाराजेश्वरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुम्बई में गन्दी बस्ती में रहने वाली 14 वर्ष की लड़की के साथ तथाकथित रूप से विवाह करके उसे आबूधाबी ले जाने की कोशिश करने में आबूधाबी का कोई नागरिक गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) इस मामले की जांच करना और इसके बारे में कार्रवाई करना राज्य का विषय है और मामला राज्य सरकार के पास है। तथापि सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

[हिंदी]

6821. **श्री केशरी लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग में केन्द्रीय चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें पूर्ण रूप से कार्यान्वित की जा चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत कार्यरत होम्योपैथिक औषध प्रणाली के चिकित्सा अधिकारियों तथा डाक्टरों को भी वही वेतन मान दिए गए हैं जिनकी सिफारिश आयोग ने की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसे अधिकारियों को अपेक्षित वेतनमान कब तक दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पशुओं का अवैध व्यापार

[अनुवाद]

6822. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान से पाकिस्तान को कितनी गायों और अन्य पशुओं का अवैध व्यापार किया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सीमा से पाकिस्तान को तस्करी किए जाते समय सीमा सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई गायों तथा अन्य पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	गाय	अन्य पशु
1988	244	305
1989	425	218
1990	21	637
1991	—	575

(ख) और (ग) सीमा बसों को उनकी संख्या बढ़ाकर और उपकरण तथा हथियारों से लैश करके सुदृढ़ किया गया है। सतर्कता बढ़ा दी गई है। विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सीमा पर बाढ़ लगायी जा रही है तथा लाईटिंग की जा रही है।

दुग्ध उत्पादन यूनिटों को लाइसेंस मुक्त करना

6823. **श्री भोरेश्वर साबे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुग्ध उत्पादन यूनिटों को लाइसेंस मुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) 24-7-1991 को सरकार द्वारा घोषित की गयी नई औद्योगिक नीति के अनुसार, "मिल्क फूड्स और माल्टेड फूड्स" को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

सामुदायिक कृषि योजना

[हिन्दी]

6824. **डा० लाल बहादुर रावत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक कृषि योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में उगायी जा रही फसलों के नाम क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में गेहूं, मक्का, बाजरा, गन्ना, चावल और सब्जियों की खेती के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उत्तर प्रदेश में कोई सामुदायिक कृषि योजना नहीं चलाई जा रही है।

(ख) चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए समेकित चावल विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। इसी प्रकार गेहूं, मक्का, कदन्नों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजनायें चल रही हैं।

(ग) समेकित चावल बिकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का विवरण निम्नलिखित है :

	कार्यक्रम	केन्द्रीय अंश के तौर पर 1991-92 के लिये आवंटन (रुपये लाखों में)	सहायता का स्वरूप
(क)	बेहतर चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार	1280.00	75.27
(ख)	चावल के बीजों के मिनीकिट और राज्य स्तीरय प्रशिक्षण	19.46	100 प्रतिशत केन्द्रीय अंश

आतंकवादियों का मारा जाना/गिरफ्तार किया जाना

[अनुवाद]

6825. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1987 तथा जून, 1991 के बीच जम्मू व कश्मीर में कितने आतंकवादी/उग्रवादी मारे गये और कितने गिरफ्तार किये गये;

(ख) जनवरी, 1987 से आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति न्यायालयों द्वारा दोषी पाये गये; और

(ग) ऐसे आतंकवादियों के विरुद्ध शीघ्र मुकदमा चलाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है।

नर्मदा विकास प्राधिकरण द्वारा सलाहकारों को भुगतान की गयी धनराशि

[हिंदी]

6826. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सलाहकारों को कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ख) क्या नर्मदा बेसिन पर बड़ी और मध्यम आकार की परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत "नर्मदा विकास प्राधिकरण" के नाम से कोई संगठन नहीं है। तथापि, सरकार ने नर्मदा बेसिन राज्यों के बीच नर्मदा जल के बंटारे पर नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट के प्रावधानों के अनुसार 1980 में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया था। 1989-90 के दौरान, नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरण ने परामर्शदाताओं को 12,15,005 रुपए की राशि का भुगतान किया है।

(ख) जी, हां।

बिजली घर के उपकरणों की खरीद के लिए येन मुद्रा में ऋण

[अनुवाद]

6827. श्री शंकर सिंह वघेला : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने जापान से सप्लाई किए जाने वाले बिजली घर के उपकरणों की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार से दूसरी बार येन मुद्रा में ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) सरदार सरोवर बिजली घर के एककों के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां। गुजरात ने ओवर्सीज इकनोमिक को ओपरेशन फण्ड, जापान से दूसरी बार 17.2 बिलियन जापानी येन की ऋण सहायता के वास्ते बातचीत करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। भारत सरकार द्वारा किए गए जोर दार प्रयासों के बावजूद जापान सरकार इस ऋण को प्रदान करने के वास्ते अभी तक सहमत नहीं हुई है।

(ग) सरदार सरोवर नर्दी तत्र विद्युत गृह के पहले यूनिट को सितम्बर, 1995 में तथा उसके बाद की यूनिटों को लगभग चार मास के अन्तराल में चालू किए जाने की योजना है। छठे यूनिट के अप्रैल 1997 में चालू किए जाने की योजना है।

दिल्ली होम गार्ड कर्मियों को बोनस का भुगतान

[हिन्दी]

6828. श्री गोविन्द मुंडा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली होम गार्ड कर्मियों को प्रतिवर्ष बोनस का भुगतान किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि इन कर्मियों को प्रतिवर्ष बोनस का भुगतान किया जाये ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) होम गार्ड, कमांड, नियन्त्रण और प्रशिक्षण हेतु स्वयंसेवकों तथा पूर्ण कालिक

वेतन भोगी कर्मचारियों का एक केन्द्रीय संगठन है। दिल्ली होम गार्ड संगठन भी इसी पद्धति पर आधारित है चूंकि दिल्ली के होम गार्ड स्वयं सेवक होते हैं इसलिए उन्हें बोनस की अदायी करने के बारे में होम गार्ड स्वयं सेवक होते हैं, इसलिए उन्हें बोनस की अदायगी करने के बारे में होम गार्ड अधिनियम/दिल्ली होम गार्ड नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, जहां तक दिल्ली होम गार्ड के पूर्ण कालिक वेतन भोगी कर्मचारियों का संबंध है, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित उपबन्धों के अनुरूप दिल्ली प्रशासन द्वारा उनको नियमित रूप से बोनस दिया जा रहा है। इन कर्मचारियों को वर्ष 1989-90 के लिए बोनस का भुगतान दिल्ली प्रशासन वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र संख्या एफ-14/(1) 90 वित्त (ख) दिनांक 17 सितम्बर, 1990 के अन्तर्गत किया गया है।

दिल्ली नगर निगम का शिकायत सेल

[अनुवाद]

6829. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के विभिन्न जोनों में शिकायत सेल गठित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) प्रत्येक सेल में कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इन शिकायतों का निवारण करने में सामान्यतया कितना समय लगता है;

(घ) क्या पश्चिम जोन का शिकायत सेल टेलीफोन पर शिकायतें दर्ज करने के इच्छुक व्यक्तियों की शिकायतें टेलीफोन पर सुनता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम के 12 जोनों में शिकायत एकक गठित किए गए है। इन एककों में 1-3-90 से 31-7-91 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्न प्रकार है :

जोन	प्राप्त शिकायतों की संख्या
सिटी	0788
सी० एल० जेड़	3099
के० बी० जेड	1667
नजफगढ़ जोन	1991
नरेला	2525
नई दिल्ली जोन	3254

1	2
एस० पी० जेड	0819
शाहदरा (एन० और एस०)	1190
दक्षिण	0540
पश्चिम	0873
रोहिणी	0253

सिकायतों की शीघ्र सुनवाई की जाती है ।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि पश्चिमी जोन का शिकायत एकक टेलीफोन पर शिकायतें दर्ज करने के इच्छुक व्यक्तियों की शिकायतें टेलीफोन पर सुनता है ।

(ङ) और (च) दिल्ली नगर निगम ने आगे सूचित किया है कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली में लड़कियों का अपहरण

[हिन्दी]

6830. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई और अगस्त, 1991 के दौरान दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली हवाई अड्डे और कालेजों, स्कूलों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से कितनी लड़कियों का अपहरण किया गया;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस ने अपनी रोजमर्रा की कार्यवाही के अतिरिक्त अपराधिक गिरोहों को गिरफ्तार करने तथा अपहृत लड़कियों को ढूंढ़ निकालने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है; और

(ग) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस वर्ष जुलाई और अगस्त माह में दिल्ली में अपहरण के 20 मामले सूचित किए गए जिसमें से 3 मामले दिल्ली जंक्शन पर सूचित किए गए और दो सार्वजनिक स्थानों पर। 15 मामले ऐसी लड़कियों के अपहरण के है, जिनके बारे में बताया गया कि वे स्कूल/कालेज गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी ।

(ख) दिल्ली पुलिस ने 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 15 लड़कियों को बरामद किया ।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाए गए :—ज्ञात अपराधियों पर निगरानी गश्त में वृद्धि सूचित किए गए मामलों की उपयुक्त जांच और कुछ मामलों में पुरस्कार देने की घोषणा। अपहृत लड़कियों का पता लगाने के लिए बदनाम जगहों पर छापे भी मारे जाते हैं ।

बेतार के टेलीफोन उपकरण बनाने पर लाइसेंस योजना समाप्त करना

[अनुवाद]

6831. **श्री सुधीर सावंत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में निर्मित बेतार टेलीफोन उपकरणों पर लाई लाइसेंस योजना को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाइसेंस समाप्ति योजना किस तारीख से प्रभावी होगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) 8-8-91 से स्वदेश में विनिर्मित कॉडलेस टेलीफोन उपकरण जिनकी किस्म का अनुमोदन दूरसंचार विभाग ने किया था, को अनुज्ञप्ति संबंधी जरूरतों को समाप्त कर दिया गया है। अब तो इन टेलीफोन उपकरणों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को, उनके द्वारा संस्थापित उपकरणों को विभागीय नेटवर्क में प्रयोग करने के लिए उनकी किस्म और मेक के बारे में दूरसंचार प्राधिकारियों को केवल सूचित करना होता है।

आंध्र प्रदेश में डिन्डी तथा मूसी सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

6832. **श्री बी० धर्मभिक्षम** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में डिन्डी तथा मूसी सिंचाई परियोजनाओं के लिए अब तक अलग-अलग जितनी सहायता राशि प्रदान की है तथा उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश की क्रमशः 334 लाख रुपये तथा 164 लाख रुपये की अनुमानित लागत की मूसी और डिन्डी उप सिंचाई परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश सरकार को मार्च, 1991 तक 39 लाख रुपये दिए गए हैं।

(ख) इन दो परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। अगस्त, 1991 तक मूसी तथा डिन्डी परियोजनाओं पर क्रमशः 2. लाख रुपये तथा 15 लाख रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। इन दोनों परियोजनाओं को जून, 1993 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

ऊपरी मिट्टी के संरक्षण पर राष्ट्रीय जागरूकता

6833. **श्री गंगान्धरा सानीपल्ली** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊपरी मिट्टी के संरक्षण के बारे में राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या ऊपरी मिट्टी के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सतही मृदा का संरक्षण मृदा व जल संरक्षण उपायों का एक अभिन्न भाग है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्रों और जन संचार के अन्य माध्यमों से कृषि विस्तार और कृषि सलाहकार कार्यक्रमों के जरिये इन उपायों और प्रौद्योगिकीय पद्धतियों के बारे में जानकारी प्रसारित की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना

[हिन्दी]

6834. **श्री रामबदन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1991 के नवभारत टाइम्स में "सुवर्ण रेखा परियोजना पर फिर विवाद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सुवर्ण रेखा बहुप्रयोजनी परियोजना के लिए जनवरी, 1983 से 127 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक सहायता प्राप्त हुई थी। यह ऋण अगस्त, 1989 तक पूर्णतः अदा किया गया था। बिहार सरकार बैंक द्वारा और मूल्यांकन हेतु सुवर्ण रेखा बहुप्रयोजनी परियोजना के एक और सोपान को अभिज्ञात कर रही है। हाल की सूचना यह है कि अन्तिम मूल्यांकन पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति के संतोषजनक कार्यान्वयन, परियोजना में इष्टतम जल उपयोग का कार्यक्रम तैयार करने और बिहार सरकार द्वारा वन दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति की व्यवस्था किए जाने पर निर्भर करता है।

(ग) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों में एल्यूमिना संयंत्रों की स्थापना

[अनुवाद]

3835. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में एल्यूमिना संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों पर अनुज्ञानतः कितनी लागत आएगी; और

(ग) सहयोग के लिए किन देशों ने पेशकश की है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित पार्टियों ने ईस्ट गोदावरी और विशाखापत्तनम जिलों में 100% निर्यात प्रधान एल्यूमिना परियोजनाओं की स्थापना हेतु आशय पत्रों के लिए आवेदन किया है :—

(1) मैसर्स बिरला टैक्नीकल सर्विसेज

(2) मैसर्स कर्नाटक टैलीकेबुल्स लिमिटेड

(3) मैसर्स कोस्टल एल्यूमिना लिमिटेड

(4) श्री के० शिवानन्द रेड्डी

चूंकि प्रस्ताव प्रारम्भिक स्तर पर है, इसलिए परियोजना लागत का आकलन सुलभ नहीं है।

(ग) किसी देश से संयुक्त उद्यम हेतु प्रस्ताव नहीं मिला है।

पीलीभीत जिले में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

6836. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के स्थान पर इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) 1992-93 के दौरान पीलीभीत के मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज के स्थान पर एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना है।

धारा रिफाइन्ड तेल की उपलब्धता

[अनुवाद]

6837. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धारा रिफाइन्ड तेल बाजार में उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो धारा रिफाइन्ड तेल की नियमित आपूर्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड देश के विभिन्न बाजारों में धारा ब्रांड नाम के अन्तर्गत सरसों का परिशोधित तेल और मूंगफली के परिशोधित तेल की बिक्री कर रहा है। उस समय इन बाजारों में से किसी में भी धारा परिशोधित खाद्य तेलों की कोई कमी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में इस्पात भण्डार गृह की स्थापना

[हिन्दी]

6838. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस्पात भण्डार गृहों की वर्तमान संख्या क्या है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार में ऐसे और इस्पात भण्डार गृह की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) बिहार में तीन स्टॉक यार्ड हैं और वे निम्न स्थानों में स्थित हैं :—

सेल : बोकारो

पटना

"टिस्को" : पटना

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक के गुलबर्गा में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

[अनुवाद]

6839. **डा० बी० जी० जवाली** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में गुलबर्गा में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इसमें अब तक क्या प्रगति हुई; और

(ग) इसका कब तक विस्तार किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) मौजूदा एक्सचेंज अपनी पूरी क्षमता पर कार्य कर रहा है जिसका और विस्तार नहीं लिया जा सकता। इस एक्सचेंज को 5000 लाइनों वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से बदलने की योजना है।

(ख) वर्ष 1992-93 के आरम्भ में एक्सचेंज उपस्कर आपूर्ति करने के लिए मैसर्स आई० टी० आई० को आदेश दे दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान 5000 लाइनों वाले नये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के चालू हो जाने की संभावना है।

आगरा स्थित टेलीफोन एक्सचेंज हेतु नए उपकरण

[हिन्दी]

6840. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में टेलीफोन एक्सचेंज के पुराने पड़ चुके उपकरणों को बदलने का कई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो वहां नये उपकरण कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) (i) 1991-92 के दौरान एतसादपुर, फतेहबाद, जरार और खेरागढ़ स्थित इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है।

(ii) आगरा सिटी में पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों को 1991-95 के दौरान उत्तरोत्तर रूप से आधुनिक एक्सचेंजों में बदला जाएगा।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल रिपोर्ट, 1991

[अनुवाद]

6842. **श्री राम कापसे :**

श्री राम नाईक : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एमनेस्टी इन्टरनेशनल रिपोर्ट 1991 की जानकारी है जिसमें यह कहा गया है कि भारत के कई क्षेत्रों में अलगाववादी ग्रुपों द्वारा की जा रही हिंसा और हत्याओं में अभूतपूर्व वृद्धि होने के साथ-साथ सरकारी बलों द्वारा राजनीति से प्रेरित हत्याओं में भी इसी अनुपात में वृद्धि हुई है, और विशेष अथवा निवारक निरोधक कानूनों के अन्तर्गत हजारों राजनैतिक कैदियों को नजरबंद किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) एमनेस्टी इन्टरनेशनल की 1991 की रिपोर्ट के बारे में सरकार को मालूम है। "सशस्त्र अलगाववादी गुटों" द्वारा हिंसा में वृद्धि को स्वीकार करते हुए, इस रिपोर्ट में दूसरी बातों के अलावा यह आरोप भी लगाया गया है कि भारत में "कई हजार राजनैतिक बन्दियों" को बिना आरोप लगाए अथवा बिना मुकदमा चलाए विशेष अथवा विरोधात्मक नजरबन्दी कानूनों के अन्तर्गत हिरासत में रखा हुआ है तथा "राजनीति से प्रेरित होकर अधिकाधिक संख्या में की जाने वाली गिरफ्तारियों को सरकारी तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता"। इस रिपोर्ट में नजरबन्द लोगों के बारे में जो आंकड़े दिए गए हैं वे बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताए गए हैं और यह आरोप भी गलत है कि सरकार के बलों में "राजनीति से प्रेरित होकर" हत्याएं की हैं या गिरफ्तारियों को स्वीकार नहीं किया है।

जनगणना, 1991

[हिन्दी]

6843. **प्रो० रासा सिंह रावत :**

डा० लाल बहादुर रावल :

श्री मुकुल वासनिक : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 में की गई जनगणना के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार पुरुष एवं महिलाओं की संख्या का अनुपात, पुरुष एवं महिला साक्षरता दर और जनसंख्या की सघनता एवं वृद्धि दर का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण दी में गई है।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

1991 की जनगणना के अनन्तिम आंकड़ों पर आधारित जनसंख्या, साक्षरता दर (पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग-अलग) जनसंख्या का घनत्व और 1981-91 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या			साक्षरता दर			प्रति वर्ग कि०मी० जनसंख्या का घनत्व	जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत) 1981-91
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियां	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियां		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भारत	844,324,222	437,805,805	406,518,417	52.15	63.90	39.46	267	23.56
राज्य								
आंध्र प्रदेश	66,354,559	33,637,906	32,716,653	45.26	56.46	33.79	241	23.91
अरुणाचल प्रदेश	858,392	461,242	397,150	41.22	51.10	29.37	10	35.86
असम	22,294,562	11,579,693	10,714,869	53.42	62.34	43.70	284	23.58
बिहार	86,338,853	45,147,280	41,191,573	38.54	52.63	23.10	497	23.49
गोवा	1,168,622	593,563	575,059	76.96	85.48	68.20	316	15.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुजरात	41,174,343	21,271,102	19,903,241	60.94	72.61	48.50	210	20.80
हरियाणा	16,317,715	8,705,379	7,612,336	55.33	67.85	40.94	369	26.27
हिमाचल प्रदेश	5,111,079	2,560,894	2,550,185	63.54	74.57	52.46	92	19.39
जम्मू व कश्मीर	7,718,700	4,014,100	3,704,600	—	—	—	76	28.92
कर्नाटक	44,806,468	22,846,613	21,959,855	56.01	67.39	44.26	234	20.66
केरल	29,032,828	14,230,391	14,802,437	90.58	94.43	86.93	747	14.06
मध्य प्रदेश	66,135,862	34,232,048	31,903,814	43.45	57.43	28.39	149	26.75
महाराष्ट्र	78,748,215	40,686,254	38,061,961	63.22	75.02	50.66	256	25.43
मणिपुर	1,826,714	931,511	895,203	60.96	72.98	48.64	82	28.56
मेघालय	1,760,626	904,308	856,318	48.26	51.57	44.78	78	31.80
मिजोरम	686,217	356,672	329,545	81.23	84.06	78.09	33	38.98
नागालैंड	1,215,573	643,273	572,300	61.30	66.09	55.72	73	56.86
उड़ीसा	31,512,070	15,979,904	15,532,166	48.55	62.37	34.40	202	19.50
पंजाब	20,190,795	10,695,136	9,495,659	57.14	63.68	49.72	401	20.26
राजस्थान	43,880,640	22,935,895	20,944,745	38.81	55.07	20.84	128	28.07
सिक्किम	405,505	215,900	189,605	57.41	65.25	48.08	57	28.17
तमिलनाडु	55,638,318	28,217,947	27,420,371	63.72	74.88	52.29	428	14.94
त्रिपुरा	2,744,827	1,410,545	1,334,282	60.39	70.08	50.01	262	33.69
उत्तर प्रदेश	139,031,130	73,898,286	65,132,844	41.79	55.33	26.20	472	25.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिम बंगाल	67,982,732	35,461,898	32,520,834	57.72	67.24	47.15	766	24.55
संघ राज्य क्षेत्र								
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	279,111	153,323	125,788	73.76	79.72	66.28	34	47.88
चण्डीगढ़	640,725	357,411	283,314	78.73	82.67	73.61	5,620	41.88
दादर और नगर हवेली	138,401	70,879	67,522	39.51	52.12	26.15	282	33.49
दमन और दीव	101,439	51,452	49,987	73.58	85.67	61.38	906	28.43
दिल्ली	9,370,475	5,120,733	4,249,742	76.09	82.63	68.01	6,319	50.64
लक्षद्वीप	51,681	26,582	25,099	79.23	87.06	70.88	1,615	28.40
पांडिचेरी	807,045	407,685	399,360	74.60	83.67	65.38	1,540	33.51

टिप्पणी :

(1) जम्मू और कश्मीर में 1991 की जनगणना नहीं कराई गई है। जनसंख्या के आंकड़े जनसंख्या प्रक्षेपण सम्बन्धी विशेषज्ञों की स्थाई समिति द्वारा यथा प्रक्षेपित (अक्तूबर, 1989 है) कालम 8 और 9 में दिए गए जम्मू और कश्मीर के आंकड़ों की गणना प्रक्षेपित आंकड़ों के आधार पर की गई है।

(2) भारत का घनत्व तुलनात्मक आंकड़ों के आधार पर निकाला गया है।

(3) असम में 1981 की जनगणना नहीं कराई जा सकी थी। असम की 1981-91 की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर आन्तर-गणना द्वारा प्राप्त 1981 की कुल जनसंख्या के आधार पर निकाली गई है।

(4) 1991 की जनगणना में परिभाषा के अनुसार 6 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को निरक्षर माना गया है। साक्षरता दरें 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत से सम्बन्धित हैं। जम्मू और कश्मीर के लिए साक्षरों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि उस राज्य में 1991 की जनगणना नहीं कराई गई है।

केरल में भूमिगत जल संसाधनों के सम्बन्ध में अध्ययन

[अनुवाद]

5844. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल के सूखा प्रवण क्षेत्रों में भूमिगत जल की उपलब्धता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केरल में किसी भी जिले को सूखा प्रवण जिले के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है । तथापि, केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने सम्पूर्ण केरल राज्य में भूजल की उपलब्धता निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण किए हैं ।

(ख) केरल राज्य के वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन कुल 8.1 घन किलोमीटर है । सिंचाई के लिए उपयोज्य संसाधन 6.8 घन किलोमीटर प्रति वर्ष है । भूजल संसाधनों के प्राक्कलन का जिला वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

भूजल प्राक्कलन समिति के मानदण्डों के अनुसार भूजल संसाधनों का अनुमान

राज्य का नाम : केरल

अनन्तिम

क्र०सं०	जिले का नाम	कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (घन कि०मी०/वर्ष)	पेय, औद्योगिक तथा अन्य प्रयोगों के लिए प्रावधान (घन कि०मीं०/वर्ष)	सिंचाई के लिए उपयोज्य भूजल संसाधन (घन कि०मी०/वर्ष)	निवल ड्राफ्ट 1984-85 (घन कि०मी०/वर्ष)	समुपयोजन के लिए उपलब्ध शेष भूजल क्षमता (घन कि०मी०/वर्ष)	भूजल विकास का स्तर (1984-85) %
1.	थिरूवनथापुरम	0.304	0.059	0.245	0.022	0.223	8.98
2.	कोलाम	0.445	0.076	0.369	0.040	0.329	10.84
3.	पाथनमथिता	0.423	0.064	0.359	0.016	0.343	4.46
4.	अलापुझा	0.510	0.077	0.433	0.028	0.405	6.47
5.	कोटायम	0.526	0.079	0.447	0.023	0.424	5.15
6.	इदुक्की	0.560	0.099	0.561	0.008	0.553	1.43
7.	अरूणाकुलम	0.684	0.095	0.589	0.107	0.482	18.17
8.	थिरिसुर	0.856	0.130	0.726	0.121	0.605	16.67
9.	पालाकाड	0.736	0.110	0.626	0.059	0.567	9.42
10.	मालापुरम	0.690	0.108	0.582	0.069	0.513	11.86
11.	कोझीकोड	0.528	0.080	0.448	0.026	0.422	5.8
12.	वायानाद	0.477	0.072	0.405	0.008	0.397	1.98
13.	कानूर	0.847	0.127	0.720	0.037	0.683	5.14
14.	कसारागोड	0.427	0.064	0.363	0.083	0.280	22.87
	कुल	8.113	1.24	6.873	0.647	6.226	9.41

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के उत्पादन में कमी

[हिन्दी]

6845. श्री राव वहल चौधरी : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की विभिन्न यूनिटों के उत्पादन में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की चार यूनिटों द्वारा अगस्त, 1991 और गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान तांबे का उत्पादन इस प्रकार है :—

(यूनिट : टन में)

यूनिट	उत्पादन मार्च-अगस्त, 1991	उत्पादन मार्च-अगस्त, 1990
I. खेतड़ी कापर कम्पलेक्स, राजस्थान		
1. अयस्क उत्पादन	815468	876684
2. कैथोड (शुद्ध तांबा)	15474	9445
II. इंडियन कापर कम्पलेक्स घाटशिला, बिहार		
1. अयस्क उत्पादन	580058	651316
2. कैथोड (शुद्ध तांबा)	6809	6049
III. मलंजखंड ताम्र प्रोजेक्ट (म०प्र०)		
अयस्क उत्पादन	954309	957962
IV. बायर रोड प्लांट, तलोजा (महाराष्ट्र)		
सतत ढलाई छड़	10421	8424

इस प्रकार, खेतड़ी कम्पलेक्स और इंडियन कापर कम्पलेक्स दोनों के अयस्क उत्पादन में तथा केवल इंडियन कापर कम्पलेक्स के धातु उत्पादन में मामूली गिरावट आई, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(क) खेतड़ी अयस्क के ग्रेड में गिरावट ।

(ख) इंडियन कापर कम्पलेक्स में बिजली पूर्ति की असंतोषजनक स्थिति ।

बंगलादेश के कुछ समाचार पत्रों द्वारा भारत विरोधी प्रचार

[अनुवाद]

6846. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगलादेश के कुछ समाचार पत्रों द्वारा कुछ वर्षों से भारत के विरुद्ध चलाए जा रहे कतिपय दुष्प्रचार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसका राजनयिक स्तर पर समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) सरकार जानती है कि बंगलादेश के कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख और समाचार भारत की घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते।

(ख) ढाका स्थित हमारा हाई कमीशन बंगलादेश में विभिन्न समाचार पत्रों और जनमत तैयार करने वालों से लगातार सम्पर्क बनाए रखता है और भारत की विभिन्न घटनाओं और भारत-बंगलादेश सम्बन्धों पर प्रभाव डालने वाले मामलों के सम्बन्ध में उन्हें नियमित रूप से जानकारी देता रहता है। हमें यह उम्मीद है कि अब बंगलादेश में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो जाने से दोनों देशों के बीच परम्परा से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और सुधरेंगे। सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर सम्पर्क बढ़ने से एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सकेगा और परिणामतः एक दूसरे के हितों को भी ज्यादा अच्छी तरह समझा जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

6847. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर, उना और बिलासपुर में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण निम्नानुसार है :

हमीरपुर : मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज को 1993-94 के दौरान 1500 लाइनों वाले मुख्य इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से बदलने की योजना है।

उना तथा बिलासपुर : मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का 1992-93 के दौरान प्रत्येक स्टेशन में 512 पोर्ट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की एक यूनिट जोड़कर विस्तार करने की योजना है।

किसानों को भूमि के अधिग्रहण हेतु पर्याप्त मुआवजा

6848. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी संस्थाओं द्वारा जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा देने के लिए कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बम्बई में सेल्यूलर टेलीफोन लगाना

6849. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई में सेल्यूलर फोन लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा को शुरू करने हेतु कुल खर्चा कितना है और इसमें अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा कितनी है; और

(ग) क्या सरकार देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस सेवा को आवश्यक समझती है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा में पंजीकरण कराने वाले आवेदकों को यह सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके, विचार किया जा रहा है। इस मामले की प्राथमिकता स्तर पर जांच की जा रही है और इसके ब्यौरों का अभी आकलन किया जाना है।

(ग) जी नहीं। इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

दिल्ली में पार्किंग सुविधाएं

6850. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कार और दुपहिया वाहन चालकों के लिए अपने वाहनों को पार्क करने में कठिनाई होती है तथा पार्किंग स्थानों पर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पूरे नगर में पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थानों की व्यवस्था करने एवं पार्किंग की एक समान दर निर्धारित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में पार्किंग की सुविधाओं के प्रबन्ध का कार्य प्राथमिक रूप से सिविल निकायों का विषय है। दिल्ली में वाहनों की संख्या के अनुपात में पार्किंग सुविधाएं नहीं हैं। तथापि, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका दोनों ने सूचित किया है कि उनके नियंत्रणाधीन पार्किंग स्थानों पर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा कार और दुपहिया वाहन चालकों का शोषण नहीं किया जा रहा है।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने 9 और पार्किंग स्थानों के निर्माण की योजनाएं बनाई हैं। दिल्ली नगर निगम ने 3 भूमिगत/बहुस्तरीय पार्किंग स्थानों के निर्माण की योजनाएं बनाई हैं। पार्किंग की दरें सम्बन्धित सिविल निकायों द्वारा निश्चित की जाती है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में आग लगने की घटनाएं

6851. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988 से 1990 के दौरान आग लगने की कुल 284 दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) अग्नि-दुर्घटनाएं निर्माण कार्य में लगी बहु-एजेंसियों द्वारा की जा रही वेल्डिंग/गैस कटिंग की चिनगारियों, कन्वेयर बेल्ट पर गिरने, अपशिष्ट जूट, पैकिंग के लिए अपशिष्ट वस्तुओं, छोटे-मोटे इलेक्ट्रिक शार्ट सर्किट तथा कोयले के स्वतः जलने इत्यादि के कारण हुई। प्रबन्धन ने अग्नि दुर्घटनाओं से बचने तथा प्रभावकारी अग्नि-शमन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त सम्पूर्ण संयंत्र में सघन अग्नि-शमन सतर्कता की दृष्टि से अग्नि सुरक्षा के सुसज्जित नेटवर्क, अलारम और सुरक्षा प्रणालियां लगाकर व्यापक उपाय किए हैं।

मुर्गी-पालन उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश

6852. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, प्रमुख भारतीय औद्योगिक गृहों के सहयोग से मुर्गी-पालन उद्योग में प्रवेश करने का प्रयास कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश से देश के सीमान्त किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाया है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय मुर्गी पालन उद्योग की रक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

केरल में अनुसंधान केन्द्र

6853. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केरल में नकद तथा उद्यान कृषि फसलों के लिए नये अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में कृषि के विकास के लिए राज्य में विद्यमान अनुसंधान केन्द्रों द्वारा क्या योगदान दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केरल में मौजूद अनुसंधान केन्द्रों बागवानी व रोपण वाली विभिन्न फसलों की करीब 50 किस्में विकसित की गई हैं। इनमें नारियल की 7, सुपारी की 3, काजू की 4, काली मिर्च की 8, छोटी इलायची की 4, अदरक की 1, हल्दी की 3, कद्दू की 1, कंदवर्गीय फसलों की 18 तथा लेमनग्रास की

1 है। केन्द्रों में उत्पादन प्रौद्योगिकियां तथा नारियल पर आधारित फसल प्रणालियां भी विकसित की गई हैं जिनसे उत्पादकता तथा आय बढ़ाने में काफी मदद मिली है।

गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

[हिंदी]

6854. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सूरत, बड़ौदा और भड़ौच जिलों में अलग-अलग कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं और उनमें इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त जिलों के जिन एक्सचेंजों को चालू वित्त वर्ष के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने की संभावना है, उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 31-8-91 तक गुजरात के सूरत, बड़ौदा और भड़ोंच जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्रमशः 52, 55 और 33 है। उनमें से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या क्रमशः 14, 11 और 8 है।

(ख) इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान सूरत, बड़ौदा और भड़ोंच में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदले जाने वाले संभावित एक्सचेंजों का विवरण

जिले का नाम	इलेक्ट्रोमेकेनिकल	मैनुअल	कुल
1. सूरत	15	7	22
2. बड़ोदा	12	5	17
3. भड़ौच	10	6	16

जाली पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज

[अनुवाद]

6855. **डा० जी० एस० कनोजिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से भारतीय नागरिकों ने जिन्होंने पिछले एक वर्ष के दौरान विदेशों विशेषतः यूरोपियन देशों की यात्रा की थी जाली पासपोर्टों और यात्रा दस्तावेजों का प्रयोग किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) आप्रवास प्राधिकारियों ने 1990 में पासपोर्टों में जालसाजी के 303 मामलों का पता लगाया, ये संख्या विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या की तुलना में बड़ी नहीं है। जालसाजी के मामलों को कम करने के लिए अगस्त, 1990 में भारत में अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं के साथ अधिक सुरक्षित पासपोर्टों को लागू किया गया है।

केरल के त्रिवेन्द्रम तथा अल्लेप्पी जिलों में नए टेलीफोन कनेक्शन

6816. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम जिले में किलीमनूर तथा वेंजरामूद और अल्लेप्पी जिले में एस० एल० पुरम के लिए नये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में 31 जुलाई, 1991 तक कितने व्यक्ति हैं;

(ख) प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक मिलने की संभावना है;

(ग) क्या उन एक्सचेंजों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 31-7-1991 तक नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :

किलिमानूर	—	130
बंगरामूड	—	59
एस० एल० पुरम	—	282

(ख) प्रतीक्षा सूची को मार्च, 1995 तक उत्तरोत्तर रूप से निपटाने के लिए विस्तार योजनाएं बना ली गई हैं।

(ग) और (घ) जी हां, किलिमानूर और एस० एल० पुरम में वर्ष 1991-92 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है। बेंगरामूड को एस० टी० डी० सुविधा वर्ष 1992-93 के दौरान प्रदान किए जाने की आशा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश को खनिजों की रायल्टी का भुगतान

6857. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार को जून, 1991 तक विभिन्न खनिजों के खनन की रायल्टी का पूरा भुगतान कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) निकाले गए खनिजों पर रायल्टी संम्बन्धित राज्य सरकार को मिलती है, जो पट्टाधारी द्वारा अदा की जाती है। चूंकि केन्द्र सरकार किसी का स्वयं सीधे संचालन नहीं करती, इसलिए वह किसी भी खनिज पर, मध्य प्रदेश सरकार सहित, किसी राज्य सरकार को कोई रायल्टी अदा नहीं करती।

मारगरीन को रंगयुक्त और सुगन्धयुक्त बनाना

6858. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मक्खन के मूल्यों में वृद्धि के कारण मारगरीन को रंगयुक्त और सुगन्धयुक्त बनाने की अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास कोर्ड का मारगरीन तैयार करने के लिए एक आधुनिक संयंत्र स्थापित करने हेतु संयंत्र और मशीनों का आयात करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त संयंत्र और मशीनों का कितना मूल्य हैं और इनका किस देश से आयात किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) मारगरीन को रंगयुक्त और सुगन्धित बनाने की अनुमति देने के एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा धमन भट्टी लौह-चूर्ण के ढेर से लोहे के कूड़े करकट की बिक्री

6859. **श्री चन्नूलाल चन्द्राकर** : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा धमन-भट्टी लौह-चूर्ण के ढेर से लौह के कूड़े-करकट की बिक्री से कितनी राशि अर्जित की गई;

(ख) क्या इसे ठेकेदारों के माध्यम से बेचा गया; और

(ग) यदि हां, तो उपयुक्त अवधि के दौरान ठेकेदारों के माध्यम से इसकी बिक्री करके कितना लाभ/घाटा हुआ ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : पिछले तीन वर्षों के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा ब्लास्ट फर्नेश स्लैग डम्प से लौह स्क्रैप की बिक्री से अर्जित राशि निम्नलिखित प्रकार है :—

	ठेके का वर्ष	प्राप्त राशि (मूल्य लाख रुपए)
1.	14-4-88 से 13-4-89	756.75
2.	14-4-89 से 13-4-90	1129.30
3.	17-4-90 से 16-4-91	1240.42

(ख) ब्लास्ट फर्नेस स्लैग डम्प से लौह स्क्रैप की पुन:प्राप्ति, स्थानान्तरण और उसे उटाने के मिश्रित ठेकों के अखिल भारतीय आधार पर खुली निविदाएं आमंत्रित करके ठेकेदारों के माध्यम से उसे बेचा जाता है ।

(ग) स्लैग डम्प में स्क्रैप के अंश का पृथक मूल्य नहीं होता, अत: स्क्रैप की पुन: प्राप्ति से होने वाले लाभ को पृथक रूप से दर्शाना सम्भव नहीं है । ब्लास्ट फर्नेश डम्प से लौह स्क्रैप की बिक्री से होने वाली प्राप्ति को कम्पनी की आय/लाभ में शामिल किया जाता है ।

नैफेड द्वारा खुम्भी की खरीद

6860. **श्री के० पी० तंगा बालू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैफेड ने एम० आई० एस० के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान कुल कितनी मात्रा में खुंभी खरीदी है;

(ख) खुम्भियों को किस दर पर खरीदा गया था;

(ग) क्या नैफेड ने बाजार में उपलब्ध मूल्यों पर खुम्भियां खरीदी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान, नाफेड द्वारा मण्डी-हस्तक्षेप योजना के तहत 22/- रुपये प्रति कि० ग्राम की दर से 45.821 मीटरी टन खुम्भी की खरीद की गई ।

(ग) और (घ) 22/- रुपए प्रति कि० ग्राम का मण्डी-हस्तक्षेप—मूल्य, किसानों को मजबूरी में बिक्री करने से बचाने के लिए, हरियाणा की राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित किया गया था। बाजार के मौजूदा भाव, मण्डी-हस्तक्षेप मूल्यों से कम थे ।

सिक्किम में सभी डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा

6861. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के सभी डाकघरों/उप डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में डाकघर-वार/उप-डाकघर वार उनकी संख्या क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये जाने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायटल) : (क) सभी 17 विभागीय उप-डाकघरों तथा 7 अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। 120 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में से 5 डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किये गये हैं।

(ख) प्रत्येक जिले में उनकी उप डाकघर वार/शाखा डाकघर वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दूरसंचार विभाग ने 1991-95 के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है । ये टेलीफोन डाकघरों, पंचायत कार्यालयों पंसारी की दुकानों या ऐसे अन्य स्थानों पर लगाए जाएंगे जो लोगों के लिए सुविधाजनक हों।

विवरण

सिक्किम में विभागीय उप डाकघरों/अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

जिला	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घर
पूर्वी सिक्किम	11	2	2
पश्चिम सिक्किम	2	—	2
उत्तर सिक्किम	1	5	—
दक्षिण सिक्किम	3	—	1

मालाबार विशेष सशस्त्र पुलिस को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन

6862. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के आदेशों को मानने से इनकार करने के कारण निकाले गए मालाबार विशेष सशस्त्र पुलिस के अधिकारियों के स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र अभी तक लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन आवेदन पत्रों पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के तहत, मालाबार विशेष सशस्त्र पुलिस की हड़ताल को, पेंशन देने के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के भाग के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इस प्रकार इस हड़ताल में भाग लेने वाले पेंशन पाने के पात्र नहीं हैं।

सिंचाई विकास बैंक की स्थापना

6863. **श्री एच० डी० देव गौड़ा** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं शीघ्र पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु एक सिंचाई विकास बैंक की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : वृहद और मध्यम सिंचाई कार्यक्रमों सम्बन्धी कार्य-दल द्वारा राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु निधियां प्रदान करने के लिए सिंचाई वित्त निगम की स्थापना का प्रस्ताव आठवीं योजना में शामिल करने के लिए सुझाया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इक्विटी और ऋणों के रूप में निगम को संसाधन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि निगम को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्त अभिकरणों और बाजार ऋणों से संसाधन जुटाने प्राधिकृत किया जाएगा। चूंकि योजना आयोग ऐसे निगम की स्थापना का समर्थन नहीं किया है, इसलिए दूसरा प्रस्ताव यह किया गया है। कि राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए विशेष प्रदान करने की एक स्कीम शुरू की जाए।

पासपोर्ट कार्यालयों का कार्यकरण बेहतर बनाने के लिए परामर्श समितियां

6864. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख व्यक्तियों को शामिल करके परामर्शदात्री समितियों का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी समितियों का गठन कब तक किये जाने की संभावना है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) इस बात पर विचार किया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके भारत के प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय के लिए एक पासपोर्ट कार्यालय समिति गठित की जाए ताकि जनता के लोगों और पासपोर्ट अधिकारियों के बीच अधिक सुचारू सम्पर्क व्यवस्था कायम हो सके जिससे कि लोगों की शिकायतों पर बेहतर ढंग से ध्यान दिया जा सके और इनके प्रतिकार के उपाय सुझाए जा सकें।

टेलीफोन एक्सचेंज

6865. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों और चारों महानगरों में कितने टेलीफोन एक्सचेंस हैं।

(ख) 1 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार कितने प्रकार के एक्सचेंज (इलेक्ट्रानिक मानव-चालित इत्यादि) में तथा स्विच सुविधा का कितने प्रतिशत उपयोग किया गया;

(ग) 1 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार ओ० वाई० टी० और ओ० वाई० टी० श्रेणी में अलग अलग कितने नये टेलीफोनों की मांग थी;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान नई मांग की वृद्धि दर प्रतिशत कितना है;

(ङ) इस भाग में से प्रतिवर्ष कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए जाते हैं और इनकी प्रतिशतता क्या है; और

(च) टेलीफोन कनेक्शनों और एक्सचेंजों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है और उसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) 1-4-91 की स्थिति के अनुसार सूचना विवरण 1 और विवरण 2 के रूप में संलग्न तालिका में दी गई है।

(ग) सूचना विवरण 3 के रूप में संलग्न तालिका में दी गई।

(घ) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वृद्धि दर का प्रतिशत निम्नानुसार है :

वर्ष	नई मांग (लाख में)	पिछले वर्ष के दौरान वृद्धि दर का प्रतिशत
1988-89	5.07	9.97
1989-90	7.12	12.73
1990-91	7.32	11.58

(ङ) संख्या और प्रतिवर्ष पूरी की जाने वाली इस प्रकार की मांग का प्रतिशत निम्नानुसार है :

वर्ष	प्रदान किए गए टेलीफोन	वार्षिक रूप से पूरी की गयी मांग प्रतिशत
1988-89	3.74 लाख	73.77
1989-90	4.15 लाख	58.29
1990-91	4.88 लाख	66.67

(च) 1990-95 तक की अवधि के लिए योजना प्रारूप इस उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि (मार्च, 1995 तक) 5000 लाइनों से कम क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंजों में मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा सकें और 5000 लाइनों तथा इससे अधिक क्षमता के एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची का समय घटाकर औसतन एक वर्ष कर दिया जाए।

1990-95 की अवधि के दौरान 1989-90 मूल्यों के आधार पर स्थानीय टेलीफोन प्रणाली के किए 11950 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण 1

	महानगरों/राज्यों के नाम	1-4-1991 तक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
	महानगर	**एक्सचेंजों की संख्या**
1.	दिल्ली	70
2.	बम्बई	84
3.	कलकत्ता	68
4.	मद्रास	32
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	2010
2.	असम	217
3.	बिहार	451
4.	गुजरात-दमन, दिव, दादरा नगर हवेली	1026
5.	हरियाणा	411
6.	हिमाचल प्रदेश	311
7.	जम्मू तथा कश्मीर	140
8.	कर्नाटक	1631
9.	केरल लक्षद्वीप सहित	649
10.	मध्य प्रदेश	1263
11.	महाराष्ट्र गोआ सहित परन्तु बम्बई को छोड़कर	1625
12.	उत्तर पूर्व (अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा	169
13.	उड़ीसा	471
14.	चण्डीगढ़ सहित पंजाब	543
15.	राजस्थान	882

1		2
16.	तमिलनाडु, पांडिचेरी सहित परन्तु मद्रास को छोड़कर	1244
17.	उत्तर प्रदेश	1246
18.	पश्चिम बंगाल सिक्किम राज्य और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों सहित परन्तु कलकत्ता को छोड़कर	473
		15026

विवरण-2

1-4-91 की स्थिति के अनुसार एक्सचेंजों का किस्मदार ब्यौरा (संख्या)

महानगरों/राज्यों के नाम	इलेक्ट्रानिक	क्रासबार	स्ट्रोजर	मैनुअल	स्थिति के अनुसार क्षमता के उपयोग का समग्र प्रतिशत
महानगर					
1. दिल्ली	49	19	2	—	85.7
2. बम्बई	37	33	14	—	88.5
3. कलकत्ता	31	21	16	—	83.8
4. मद्रास	18	10	4	—	92.9
राज्य					
1. आंध्र प्रदेश	182	13	1723	92	88.7
2. असम	80	—	130	7	80.0
3. बिहार	98	4	328	31	85.8
4. गुजरात, दमन, दिव, दादरा तथा नगर हवेली सहित	176	—	713	117	90.8
5. हरियाणा	160	3	230	18	87.2

1	2	3	4	5	6
6. हिमाचल प्रदेश	87	—	206	18	85.4
7. जम्मू व कश्मीर	22	1	111	6	87.8
8. कर्नाटक	312	12	1286	21	89.1
9. केरल लक्षद्वीप सहित	151	10	488	—	92.1
10. मध्य प्रदेश	461	4	704	94	79.4
11. महाराष्ट्र बम्बई को छोड़कर परन्तु गोआ सहित	301	11	1106	207	86.3
12. उत्तर पूर्व (अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा)	82	1	84	2	80.7
13. उड़ीसा	158	4	295	14	84.7
14. चण्डीगढ़ सहित पंजाब	147	2	340	54	91.6
15. राजस्थान	177	3	603	99	78.5
16. तमिलनाडु मद्रास को छोड़कर परंतु पांडिचेरी सहित	226	11	987	19	91.5
17. उत्तर प्रदेश	396	10	816	24	82.3
18. पश्चिम बंगाल कलकत्ता को छोड़ कर परन्तु सिक्किम राज्य और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों सहित	42	1	382	48	83.9
योग	3394	193	10568	871	87.1

विवरण-3

1-6-1990 की स्थिति के अनुसार नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में वर्ज आवेदकों की श्रेणीवार संख्या

महानगरों/राज्यों के नाम	ओ० वाई० टी०	गैर-ओ० वाई० टी०	कुल
महानगर			
1. दिल्ली	21817	254923	276740
2. बम्बई	22990	206842	229832
3. कलकत्ता	2650	35544	38194
4. मद्रास	4910	57175	62085
राज्य			
1. आंध्र प्रदेश	4203	76260	80463
2. असम	1352	9980	11332
3. बिहार	971	13991	14962
4. गुजरात-दमन, दिव, दादरा/नगर हवेली	8864	123891	132755
5. हरियाणा	4257	47796	52053
6. हिमाचल प्रदेश	308	7015	7323
7. जम्मू तथा कश्मीर	1057	15211	16268
8. कर्नाटक	3368	85662	89030
9. केरल लक्षद्वीप सहित	7983	143339	151322
10. मध्य प्रदेश	3380	68056	71436
11. महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर परन्तु गोआ सहित	15274	162553	177323
12. उत्तर पूर्व (अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड मणिपुर, त्रिपुरा	—	5275	5275
13. उड़ीसा	—	5205	5205
14. पंजाब, चंडीगढ़ सहित	8622	101629	110251
15. राजस्थान	5559	84910	90469

1	2	3	4
16. तमिलनाडु, मद्रास को छोड़कर परन्तु पांडिचेरी सहित	3763	71611	75374
17. उत्तर प्रदेश	4531	76719	81250
18. पश्चिम बंगाल—कलकत्ता को छोड़कर परन्तु सिक्किम राज्य तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित	471	6445	6916
योग	126330	1660032	1786362

इसमें गैर-ओ०वाई०टी० के अन्तर्गत विशेष तथा सामान्य, दोनों श्रेणियां शामिल हैं।

भारत बर्मा सीमा पर स्तम्भ

6866. **श्री द्वारकानाथ दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में भारत-बर्मा सीमा पर लगे स्तम्भों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ स्तम्भ अपने मूल स्थानों से हटा दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) मणिपुर सैक्टर में भारत-बर्मा (मयनमार) सीमा का सीमांकन 99 सीमा स्तम्भों से किया गया है। केब्यू घाटी में 9 स्तम्भों के स्थानों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है/निर्माण किया जाना है।

(ख) और (ग) गायब, क्षतिग्रस्त और उखाड़े गए स्तम्भों के ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

विवरण

गायब, क्षतिग्रस्त और उखाड़े गए स्तम्भों के ब्यौरे

गायब स्तम्भ	(क) मुख्य स्तम्भ	47, 59, 61, 66, 76, 78 और 116
	(ख) सहायक स्तम्भ	37 (3), 48 (1), 48 (2), 48 (3), 49 (1), 49 (2), 49 (3), 59 (1) और 59 (2)
उखाड़े गए स्तम्भ	सहायक स्तम्भ	41 (1), 41 (2) और 45 (2)
क्षतिग्रस्त स्तम्भ	(क) मुख्य स्तम्भ	36, 71, 79 और 83
	(ख) सहायक स्तम्भ	37 (1) और 38 (1)

राष्ट्रीय ध्वज फहराने सम्बन्धी दिशा निर्देश

[हिन्दी]

6867. **श्री कालका दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस के अवसर पर सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को क्या-क्या निर्देश जारी किए है; और

(ख) इन दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को स्वतन्त्रता दिवस समारोह मनाने के लिए जारी किए निर्देशों में राज्य, जिला, सब डिवीजन/ब्लाक और पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज के फहराने की रस्म के निर्देश भी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस के सम्बन्ध में, राजधानी में मनाने की पद्धति का उल्लेख किया गया है और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि सारे देश में गणतन्त्र दिवस को समुचित रूप से मनाया जाय।

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाना है।

दक्षिण अफ्रीकी पर्यटक

[अनुवाद]

6868. **श्री राम प्रकाश चौधरी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण अफ्रीकी पर्यटकों को भारत में आने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी पर्यटकों को भारत में प्रवेश के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। जहां तक अन्य दक्षिण अफ्रीकी पर्यटकों का सवाल है, दक्षिण अफ्रीका सम्बन्धी राष्ट्रमण्डल विदेश मंत्रियों की समिति अपनी आगामी बैठक में नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रिकों को वीजा देने के विषय पर विचार करेगी।

मुर्गी फार्मों को बंद करना

6869. **श्री गुरुदास कामत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी भारत में कई मुर्गी फर्मों को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में अवैध-निर्माण और अतिक्रमण

6870. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण रोकने का दायित्व दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर होने वाले अवैध निर्माण और अतिक्रमण के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक भूमि पर बढ़ते हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोकने में असफल रहने के लिए उत्तरदायी पाए गए पुलिस और सिविल अधिकारियों की छुट्टी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जर्मन उद्योगों से अभ्यावेदन

6871. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान बोन स्थित भारतीय दूतावास को जर्मन उद्योगों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या कुछ उद्योगों ने भारत में अपनी सहयोगी कम्पनियों के विरुद्ध उनके द्वारा कुछ त्रुटिपूर्ण विवरणियां प्रस्तुत करने के कारण, दावे पेश किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी नहीं ।

बोन स्थित भारत का राजदूतावास को वाणिज्यिक शिकायतों के अलावा, जिन सामान्य प्रक्रियाओं के अनुरूप कार्यवाई की जाती है, 1991 के दौरान जर्मन उद्योगों से कोई और अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गोहत्या पर प्रतिबन्ध

6872. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाया गया है तथा क्या इन कानूनों के अन्तर्गत कुछ राज्यों में गायों, सांडों, बैलों तथा आयु की भैंसों को भी शामिल किया गया है;

(ख) दुधारू गायों के अतिरिक्त और जिन पशुओं की हत्या पर प्रतिबन्ध लगाया गया है उनकी राज्य सूची क्या है;

(ग) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने प्रतिबन्ध के अन्तर्गत आने वाले बूढ़े पशुओं की देखरेख के लिए, जब वे अपने मालिकों के लिए आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं रह जाते हैं, कोई व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की देखरेख में ऐसे पशुओं को अनुमानतः संख्या कितनी है तथा वर्ष 1990-91 में इस पर कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम

6873. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू हैं उनके नाम क्या है;

(ख) क्या सशस्त्र बलों द्वारा विशेष शक्तियों का प्रयोग करने से किसी राज्य में व्यक्तियों और/अथवा समूहों के विरूद्ध अत्यधिक तथा अनुचित शक्तियां इस्तेमाल करने का कोई आरोप लगा है;

(ग) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हज हाउस मुम्बई

6874. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज हाउस, मुम्बई, का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर 31 मार्च, 1991 तक कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या यह भवन सरकार के स्वामित्व में है अथवा हज समिति या किसी अन्य निकाय के अधीन है;

(ङ) क्या इस हाउस के प्रबन्धन हेतु कोई योजना है और क्या ऐसी कोई योजना कानूनी तौर पर तैयार कर ली गई है;

(च) इस हाउस में कुल कितना फर्श क्षेत्र प्रयोज्य है;

(छ) हज समिति ने अपने लिए तथा हज यात्रियों के लिए कितना-कितना फर्श क्षेत्र अपने अधिकारी में लिया है;

(ज) कितना फर्श क्षेत्र पट्टे पर दिया गया है;

(झ) हज यात्रियों को सेवा, प्रदान करने वाली प्राइवेट पार्टियों और अन्य प्राइवेट पार्टियों को कितना.कितना फर्श क्षेत्र पट्टे पर दिया गया है;

(ञ) 31 मार्च, 1991 तक इस हाउस से महीना-वार कितना-कितना किराया मिला है; और

(ट) इस हाउस का वर्ष 1990-91 के लिए कितना बजट आबंटित किया गया था और आय तथा

व्यय के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के लिए कितना बजट आबंटित किये जाने का अनुमान है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो) : (क) जी नहीं । नलसाजी बिजली, एयर कंडीशन लगाने तथा सड़क बिछाने जैसे कुछ निर्माण कार्य अभी पूरे होने हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 76, 413, 761 रुपये 44 पैसे

(घ) हज समिति

(घ) जी, नहीं ।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(छ) से (ञ) प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि भवन का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ हैं ।

(ट) सूचना एकत्र की जा रही है ।

केरल में धान की उपज

6875. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** :

श्री टी० जे० अंजलीज : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में कितनी मात्रा में धान की उपज हुई;

(ख) क्या केरल में धान की उपज में प्रतिवर्ष कमी आती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में चावल का उत्पादन निम्नलिखित रहा है :

वर्ष	चावल का उत्पादन (लाख मीटरी टन)
1988-89	10.06
1989-90	10.40
1990-91 (संभावित)	10.69

(ख) और (ग) वर्ष 1980-81 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान केरल में धान के उत्पादन की वृद्धि दर 3.07 प्रतिशत प्रति वर्ष थी । केरल में धान के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण धान की फसल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में नारियल, सुगन्धित मसालों और मसालों आदि जैसी अन्य नकदी फसलों की खेती आरम्भ करना था ।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए "आरक्षण सेल"

[हिन्दी]

6876. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए कोई "आरक्षण सेल" है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या वर्ष 1889-90 के दौरान उनकी समस्याओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनमें से कितनी समस्याओं को हल कर लिया गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ कार्य कररहा है जिसमें उप महाप्रबन्ध रैंक का एक संपर्क अधिकारी, सहायक महाप्रबन्धक रैंक का एक उप सम्पर्क कर्मचारी तथा सचिवालयीन स्टाफ शामिल है।

(ग) और (घ) जी हां। 1989-90 के दौरान सेवा के मामलों के सम्बन्ध में सामान्य किस्म की कुल 34 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन सभी शिकायतों अनु० जाति/अनु० जनजाति प्रकोष्ठ के पुनर्वितरण हेतु उचित मार्गनिर्देशों सहित सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेज दिया गया था। समस्त 34 मामलों का समाधान हो गया है।

दूरसंचार तथा डाक सलाहकार समिति का गठन

[अनुवाद]

6877. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र के लिए दूरसंचार तथा डाक सलाहकार समितियां गठित की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन समितियों का गठन कब तक किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जबकि इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए डाक सलाहकार समिति का गठन पहले ही हो चुका है, टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन करने की कार्रवाई चल रही है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच

6878. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :
श्री राजबीर सिंह :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

डा० राम चन्द्र डोम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दो वर्ष पहले दर्ज किए गए मामले आर० सी० नं० 37 (ए)/89 डी० एल० आई० के सम्बन्ध में जांच अभी तक पूरी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसमें विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) इसे शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में कृषि विकास हेतु योजना

6879. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य कृषि उद्योग निगम ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्वीकृति हेतु राज्य में कृषि विकास के लिए कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात पब्लिक वर्क्स कन्ट्रेक्ट्स डिस्प्यूट्स आर्बीट्रेशन ट्रिब्यूनल आर्डिनेंस

6880. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात पब्लिक वर्क्स कंट्रेक्ट्स डिस्प्यूट्स आर्बीट्रेशन ट्रिब्यूनल आर्डिनेंस केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसे कब स्वीकृति दी जायेगी ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। गुजरात पब्लिक वर्क्स कंट्रेक्ट्स डिस्प्यूट्स आर्बीट्रेशन ट्रिब्यूनल आर्डिनेंस, 1989 को प्रख्यापित करने सम्बन्धी राष्ट्रपति के पिछले अनुदेश 4-9-1991 को राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं।

अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह (नगर पालिका बोर्ड) विनियम, 1957

6881. श्री मनीरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह (नगरपालिका बोर्ड) विनियम, 1957 में संशोधन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) और (ख) वर्ष 1989 में अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने शहरी विकास मंत्रालय को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (म्युनिसिपल बोर्ड) विनियमन, 1957 को संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाने, म्युनिसिपल बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाने, म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष का सीधा चुनाव कराने, बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि बढ़ाने तथा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने को कहा गया है।

मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा अपशिष्ट पदार्थ छोड़ जाने के कारण होने वाला प्रदूषण

6882. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट पदार्थों के कारण वायु और जल प्रदूषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के विशाखापत्तनम प्रगालक से निःसृत द्रव एवं गैसीय निस्राव आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

(ख) प्रगालक में जस्ता और सीसा प्रगालन के दौरान उत्पन्न सल्फर डाइआक्साइड गैस को सल्फ्यूरिक एसिड में बदल दिया जाता है, तथा द्रव अपशिष्ट को अपशिष्ट शोधन संयंत्र में शुद्ध करने के बाद छोड़ा जाता है और वह आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है। संयंत्र में शोधित अपशिष्ट जस्ता, सीसा, कैडमियम, तांबा, पारा (मर्करी) आर्सेनिक आदि जैसे पी०एच० निलंबित ठोसों एवं धातुओं के प्रसंग में आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता सीमाओं के अन्तर्गत है। गैलीय निस्राव का सल्फर डाइ-आक्साइड अंश आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित 2000 पार्ट प्रति मिलियन से कम रखा जाता है। प्रदूषण को न केवल ग्राह्य सीमा के अन्तर्गत रखने अपितु उसमें और अधिक कटौती के लिए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड अपशिष्ट शोधन संयंत्र की स्थापना और अन्य उपायों पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसका आवर्ती खर्च 1.5 करोड़ रुपये वार्षिक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में सूखे से प्रभावित जिलों के लिए विकास कार्यक्रम

9883. **श्री रवि राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि राज्य मंत्री ने उड़ीसा के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए इन क्षेत्रों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय में एक राज्य मंत्री ने मौजूदा वर्षा व फसलों की स्थिति, हालात का सामना करने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी और विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जुलाई, 1991 में उड़ीसा के कालाहांडी और फूलबनी जिलों के कई क्षेत्रों का दौरा किया था।

(ग) उड़ीसा राज्य सरकार को गरीबी दूर करने के कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय विकासात्मक नीति का गहराई से अध्ययन करने के लिए सलाह दी गई है।

बिहार में लतेहर में एल्यूमिनियम फैक्टरी की स्थापना

[हिन्दी]

6884. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला समूह ने बिहार में लतेहर में बॉक्साइट भण्डार क्षेत्र में एक एल्यूमिनियम फैक्टरी स्थापित करने हेतु पट्टा प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का लतेहर में एक एल्यूमिनियम फैक्टरी स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सोयाबीन की खेती

6885. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में बिहार में सोयाबीन की खेती को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के अन्त तक बिहार में सोयाबीन का कुल कितना उत्पादन होने की आशा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सोयाबीन सहित तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बिहार में केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् "तिलहन उत्पादन कार्यक्रम" चल रहा है। यह योजना, राज्य सरकार को बीज के उत्पादन और वितरण, पौध रक्षण उपायों, प्रदर्शनों, राइजोबियम कल्चर, उन्नत कृषि उपकरणों आदि जैसे मूल मुख्य आदानों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करती है।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान सोयाबीन का संभावित उत्पादन 10,000 मीटरी टन होने का अनुमान है लेकिन, 1991 की खरीफ की फसल अभी खेतों में ही है।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खनिजों की खुदाई

[अनुवाद]

6886. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खनिज भण्डारों का पता लगाने हेतु पिछले दो वर्षों के दौरान कोई खोज कार्य शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी स्थानवार ब्यौरा क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां खनन कार्य शुरू कर दिया गया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० निम्नलिखित के विकास के लिए केवल मध्य प्रदेश में गवेषण कार्य करता रहा है :—

(i) बस्तर जिले के बैलाडिला रैंज में लौह अयस्क निक्षेप सं० 10 और 11/बी।

(ii) पन्ना जिले में हीरे। किसी व्यवहार्य निक्षेप के न होने के कारण नई खान का विकास नहीं किया जा सका।

पंजाब में आतंकवादियों के शिकार हुए लोगों को राहत

[हिन्दी]

6887. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए परिवारों को पिछले छह महीनों के दौरान प्रति मास दी गई अनुग्रह-राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ परिवारों को ऐसी कोई धनराशि नहीं दी गई;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें अनुग्रह-राशि का भुगतान कब तक होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभी पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात द्वारा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निदेशों का कथित उल्लंघन

[अनुवाद]

6888. श्री अरविन्द नेताम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण के निदेशों का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार को निर्देश जारी करने का है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं। सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को जलमग्नता से पहले छः महीने का नोटिस जारी करना अपेक्षित है, जिस अवधि के दौरान उनको पुनर्स्थापित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठा लिए जाने चाहिए। अब तक परियोजना के निर्माण के कारण कोई जलमग्नता नहीं हुई है। विस्थापितों के पुनर्वास पुनर्स्थापन के लिए कार्यक्रम गुजरात सरकार द्वारा पहले ही बनाया जा चुका है तथा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

6889. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान उड़ीसा में टेलीफोन स्विचन क्षमता में कुल 11,800 लाइनें जोड़ने और 11,000 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। स्विचन क्षमता में कुल 9902 लाइनें जोड़ी गई थीं जबकि वर्ष 1990-91 में 10289 नए कनेक्शन प्रदान किए गए। स्विचन क्षमता में कुल वृद्धि में कमी का कारण उपस्करों की अपर्याप्त सप्लाई था।

केरल में पलाक्कड जिले में डाकघर खोलना

6890. **श्री पी० एस० विजयराघवन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का केरल के पलाक्कड जिले में और डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल केरल के पलक्कड (पालघाट) जिले में सात डाकघर खोलने के निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच चल रही है और उनकी मंजूरी तभी दी जाएगी जब उनको खोलना उचित पाया जाएगा और वे इस सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते होंगे :—

(i) एट्टेमपत्ती

(ii) कुट्टीपल्लम

(iii) पेरिंगान्नूर

केरल के पलाक्कड जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

6891. **श्री पी० एस० विजयराघवन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल के पलाक्कड जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : जी हां।

(ख) एक केरल के पलाकंड (पालघाट) जिले में कुल 62 मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों में से चालू योजना अवधि के दौरान 57 टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने की योजना है।

(दो) शेष 5 टेलीफोन एक्सचेंजों का हाल ही में विस्तार किया गया है।

डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण

6892. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बहुत से डाकघर छोटे-छोटे घरों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन डाकघरों के लिए भवन निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) काफी बड़ी संख्या में डाकघर किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ छोटे-छोटे मकानों में भी हैं।

(ख) जी नहीं। विभाग डाकघरों के लिए इस आधार पर भवनों का निर्माण करने की योजना नहीं बनाता कि वे छोटे-छोटे मकानों में चल रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में त्वरित डाक (स्पीड पोस्ट) सेवा

6893. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक के उन शहरों के नाम क्या हैं जहां पर त्वरित डाक (स्पीड पोस्ट) सेवा सुविधा इस समय उपलब्ध है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : कर्नाटक में निम्नलिखित शहरों में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध है :—

(i) राष्ट्रीय नेटवर्क के अन्तर्गत

बेंगलूर, मैसूर, मेंगलूर।

(ii) प्वाइन्ट-टु-प्वाइन्ट सेवा के अन्तर्गत

हुबली, बेलगाम, मनीपाल, धारवाड़ और रानेबेन्नूर।

कर्नाटक के डाकघरों में टेलीफोन सुविधा

6894. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में बेलगांव, धारवाड़ और बीजापुर जिलों के कितने डाकघरों में इस समय टेलीफोन उपलब्ध नहीं है; और

(ख) इन जिलों के उपर्युक्त सभी डाकघरों में टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध करायी जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) इन जिलों के ऐसे डाकघरों की संख्या नीचे दी गई है जिनमें फिलहाल टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है :—

जिले का नाम	उप डाकघर	शाखा डाकघर
(क) बेलगाम	10	306
(ख) धारवाड़	1	389
(ग) बीजापुर	2	354

(ख) विभाग ने 1991-95 के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है। ये टेलीफोन डाकघरों, पंचायत कार्यालयों, पंसारी की दुकानों या ऐसे अन्य उपयुक्त स्थानों पर लगाए जाएंगे जो लोगों के लिए सुविधाजनक हों।

कर्नाटक में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग बूथ और सार्वजनिक टेलीफोन

6895. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान कर्नाटक में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग बूथ और सार्वजनिक टेलीफोन सेवा के कितने-कितने बूथ खोलने का प्रस्ताव हैं;

(ख) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग और सार्वजनिक टेलीफोन सेवा के बूथों के आबंटन के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान बंगलौर में कितने नेत्रहीन व्यक्तियों को सार्वजनिक टेलीफोन बूथ आबंटित किये गये;

(घ) इस समय सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आबंटन के लिए कितने नेत्रहीन व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ङ) प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा लिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 1991-92 के दौरान 350 एस० टी० डी० सार्वजनिक टेलीफोन तथा 1150 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) एस० टी० डी० सार्वजनिक टेलीफोन के लिए 273 तथा स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन के लिए 292 आवेदन लम्बित हैं।

(ग) 14

(घ) नेत्रहीन व्यक्तियों के कोई आवेदन लम्बित नहीं हैं।

(ङ) यद्यपि इस सम्बन्ध में ऐसी कोई प्रतीक्षा सूचियां नहीं बनाई जाती। तथापि इस समय लम्बित पड़े सभी आवेदनों को 1991-92 के दौरान निपटाए जाने की संभावना है बशर्ते कि ऐसा करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो और आवेदक विभागीय औपचारिकताओं को पूरा कर लें।

बंगलौर में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

6896. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1991 को बंगलौर में नये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में श्रेणीवार कितने व्यक्ति थे;

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में प्रतीक्षारत सभी लोगों को टेलीफोन कब तक दे दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) बेंगलूर में 30-6-91 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है:—

ओ०वाई०टी०	4384
विशेष	2873
सामान्य	55661
कुल	62918

(ख) दिये गये टेलीफोन कनेक्शनों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है :—

श्रेणी	1988-89	1989-90	1990-91
ओ०वाई०टी०	3674	2738	5227
विशेष	2844	2001	2354
सामान्य	6419	6442	6241
कुल	12937	11181	13822

(ग) मौजूदा प्रतीक्षा सूची को मार्च 1995 तक उत्तरोत्तर रूप से निपटाने के लिए विस्तार योजनाएं बना ली गई हैं।

टेलीफोन बिलों का बैंकों के माध्यम से भुगतान

6897. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने टेलीफोन बिलों का भुगतान कुछ बैंकों की शाखाओं में करने की सुविधा भी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो 31 अगस्त, 1991 तक इन शाखाओं का बैंक-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी हां।

(ख) टेलीफोन बिल विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की दिल्ली में 93 शाखाओं और बम्बई में

144 शाखाओं के माध्यम से एकत्र किए जा रहे हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

दिल्ली	31-8-91 की स्थिति के अनुसार बिल एकत्र करने वाली शाखाओं की संख्या
1. स्टेट बैंक आफ इंडिया	29
2. पंजाब नेशनल बैंक	35
3. इंडियन ओवरसीज बैंक	18
4. ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स	11
	93
बम्बई	
1. स्टेट बैंक आफ इंडिया	27
2. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	21
3. पंजाब नेशनल बैंक	19
4. इंडियन ओवरसीज बैंक	4
5. इलाहाबाद बैंक	14
6. देना बैंक	21
7. यूनियन बैंक आफ इंडिया	38
	144

भेदभाव निवारण और अल्पसंख्यक संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र उप-आयोग में जम्मू एवं कश्मीर मुक्ति मोर्चे के प्रतिनिधि द्वारा भाषण

6898. **श्री रविराय** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेनेवा में भेदभाव निवारण और अल्पसंख्यक संबंधी संयुक्त राष्ट्र उप-आयोग के चालू सत्र में तथाकथित जम्मू एवं कश्मीर मुक्ति मोर्चे के एक प्रतिनिधि ने अपना भाषण दिया; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) "लिबरेशन" नाम के एक गैर संगठन के तत्वाधान में तथाकथित जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रण्ड के एक प्रतिनिधि ने 13 अगस्त 1991 को जनेवा में अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव रोकने और उनकी रक्षा करने से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र उप आयोग को संबोधित किया था और मानव अधिकारों के उल्लघन और जम्मू तथा काश्मीर के

लोगों को "आत्म निर्णय" के अधिकार न दिए जाने का आरोप लगाया था । उत्तर देने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए जनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने इन निराधार आरोपों का खण्डन किया था तथा इस बार पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट जैसे एक आतंकवादी संगठन को एक गैर सरकारी संगठन का भारत के विरुद्ध हिंसा की धमकी देने के लिए दुरुपयोग करने की इजाजत दी गई । जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट की विध्वंसक और हिंसात्मक गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया तथा यह बात साफ तौर पर बताई गई कि आत्म निर्णय का अधिकार जम्मू और काश्मीर के लिए लागू नहीं होता जो भारत का एक अभिन्न अंग है ।

बंगलादेश में तूफान पीड़ित के लिए सहायता

6899. **डा० पी० वल्लल पेडमान** : क्या **विदेश** मन्त्र यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में बंगलादेश में आए प्रचण्ड तूफान से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने हेतु उस देश को कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की राहत सामग्री दी गई;

(ख) क्या बंगला देश से अपने यहां पुनर्निर्माण कार्य हेतु भारतीय अभियन्ताओं, डाक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का आग्रह प्राप्त हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) बंगलादेश में 29-30 अप्रैल, 1991 के दौरान आए भयानक चक्रवात से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सरकार ने 11.5 करोड़ रुपये की राहत सहायता देने का निर्णय लिया है। इस रकम के अलावा जनता द्वारा दिए गए अंशदान के रूप में लगभग 5,90,000/- रुपये और दिए हैं । इस समय राहत आपूर्तियों का वितरण तथा बंगलादेश में रेल क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जाती है । राहत आपूर्तियों की मात्रा से संबद्ध ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विशेषज्ञ भेजने के बारे में बंगलादेश की सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राहत आपूर्ति की मात्रा

सिले-सिलाए वस्त्र तथा कपड़े	2,80,000 अदद
खाद्य वस्तुएं	1,50,000 कि०ग्राम
घरेलू उपयोग की वस्तुएं	3,90,000 अदद
टीन की नालीदार चद्दरें	19,000 अदद
पी०वी०सी० के थान	50,000 कि०ग्राम
ब्लिचिंग पाउडर	2,55,000 कि०ग्राम
हलोजन की गोलियां	2,00,000
चावल	5,000 मीट्रिक टन
रेलवे उपकरण	———

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों का उत्पादन

[हिन्दी]

6900. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, चावल ज्वार, मक्का और बाजरे के उत्पादन में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के वास्ते, केन्द्रीय सरकार ने कुछ अभिवृद्धि कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

(1) गहन चावल विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) ।

(2) गेहूं, मक्का और कदन्नों तथा दालों के लिए विशेष खाद्यान्न कार्यक्रम (एस० एफ० पी० पी०) ।

(3) गेहूं, चावल, मक्का और कदेन्नों के मिनीकिट कार्यक्रमों की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना ।

(4) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (एन० पी० डी० पी०) ।

(5) सिंचित क्षेत्रों का विस्तार ।

(6) रासायनिक उर्वरकों, कृमिनाशी दवाओं का अधिक उपयोग ।

(7) प्रभावकारी मूल्य तथा मण्डी-समर्थन ।

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन और डाकघर सुविधाएं

6901. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और बिजनौर जिलों में कितनी ग्राम पंचायतों को डाकघर और टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त जिलों में कितनी ग्राम पंचायतों को ये सुविधाएं प्रदान करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और बिजनौर जिलों की उन ग्राम पंचायतों की संख्या नीचे दी गई है, जिनमें डाकघर और टेलीफोन सुविधायें प्रदान की गई हैं

जिला	डाकघर और टेलीफोन की सुविधा वाले ग्राम पंचायत	
	डाकघर	टेलीफन
अलीगढ़	409	61
बिजनौर	208	26

(ख) हाल में ही यह निर्णय लिया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना 1-4-1992 से शुरू होगी नई निर्धारित आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर खोलने के लक्ष्यों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। 1991-92 में अलीगढ़ और बिजनौर जिलों में क्रमश: 10 और 12 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उनका औचित्य हो।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अलीगढ़ और बिजनौर जिलों की क्रमश: 1437 और 1101 ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है।

आंध्र प्रदेश में खनिजों का खनन

[अनुवाद]

6902. **श्री गंगाधरा तानीपल्ली** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश में खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खनिजों की खुदाई हुई;

(घ) 1991-92 के लिए खुदाई के लिए खनिज-वार क्या कार्यक्रम बनाये गए हैं;

(ङ) क्या इस राज्य में खनिजों के दोहन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी सहायता मांगी/प्राप्त की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्य एजेंसियों की खोज के फलस्वरूप, आंध्र प्रदेश में विभिन्न प्रधान खनिजों के स्रोत (1-1-85 का निकासी योग्य मिलियन टन भंडार) इस प्रकार हैं :

आकलित (मी० टन)

	खनिज/जिले	भण्डार
1.	बाक्साइड (धातु ग्रेड) ईस्ट गोदावरी तथा विशाखापत्तनम जिले।	455.898
2.	ताम्र अयस्क खम्माम, गूंटूर तथा कुरनूल जिले	6.370 (0.666 ताम्र धातु)
3.	सीसा अयस्क गुंटूर जिला	1.99 (0.07 सीसा धातु)
4.	मैंगनीज (सभी ग्रेड) विजयनगरम, श्रीकाकुलम तथा आदिलाबाद जिले।	3.709

	1	2
5.	हेमेटाइट अयस्क (सभी ग्रेड) अनन्तपुर, कृष्णा, कुरनूल, नेल्लौर तथा खम्माम जिले	15.94
6.	मेग्नेटाइट अयस्क प्रकाशम तथा ओंगोल	37.87
7.	चूना पत्थर कुरनूल, गुंटूर, कृष्णा, रंगारेड्डी तथा कुडप्पा जिले	13,648.63
8.	डोलोमाइट खम्माम, अनन्तपुर एवं कुरनूल जिले	128.097
9.	बैराइट कुडप्पा जिला	68.495
10.	चीनी मिट्टी वेस्ट गोदावरी, आदिलाबाद, कुडप्पा एवं कुरनूल जिले	23.584
11.	अग्निसह मिट्टी मुख्यतः आदिलाबाद जिला	11.646
12.	ग्रेफाइट मुख्यतः खम्माम जिला	0.158
13.	एस्बेस्टस कुडप्पा जिला	0.012 (1-1-83 को स्वस्थाने)

इसके अतिरिक्त, अनन्तपुर जिले के रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र की येप्पामाना खानों में तथा चित्तूर जिले में बिसनाथम व मलप्पाकोंडा सेक्टर के चिगारगुंटा (ब्लाक 1, 3, 4 एवं 5) में भारतीय भूसर्वे ने 2.67 से 6.22 ग्राम प्रति टन स्वर्ण 5.89 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का आकलन किया।

भारतीय भूसर्वे तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी ने गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में 1-1-91 को 10771.35 मिलियन टन कोयले का आकलन किया है। हीरा, टंगस्टन तथा अभ्रक के लिए भी खोज की गई है। कृष्णा जिले के वलादिकोट्टापलम ब्लाक हीरक ग्रेवल की आकलित मात्रा 18 मिलियन टन है जिसमें हीरांश 0.48 कैरट प्रति 100 टन है राजामुन्दरी में बुरुगुबन्दा में टंगस्टन धातु के भंडार करीब 240 टन हैं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में तीन वर्षों का वर्ष-वार खनिज उत्पादन व मूल्य संलग्न विवरण में हैं।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) इस समय अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की मदद से सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी की रामगुण्डम ओपन कास्ट II और इन्कलाइन-5 नामक दो कोयला परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। विकास हेतु विचार की प्रक्रिया में हैं। रामगुण्डम ओपन कास्ट II भारत-जर्मन सहयोग से है और 172 मिलियन जर्मन मार्क मुद्रा की के० एफ० डब्लू० साझा वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत है, जिसमें परामर्शी एवं आनुषंगी सेवायें शामिल हैं। इन्कलाइन-5 परियोजना आस्ट्रेलियन एड प्रोग्राम प्लानिंग मिशन की सम्भावित वित्त सहायता से विचाराधीन है। आस्ट्रेलियन पक्ष द्वारा इस खान में कंवेयाबिल्टी प्रणाली लागू करने हेतु तकनीकी रिपोर्ट का प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा। सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी की गोदावरी खान—10 खान के पेनल में ब्लास्टिंग गैलरी विधि सफलतापूर्वक लागू करने में फ्रांस की डी०डी०एफ०-I ने भी मदद की है।

विवरण

(मात्रा : टन)
(मूल्य : हजार रुपए)

खनिज	1988 उत्पादन		1989 उत्पादन		1990 उत्पादन	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
सभी खनिज		513,14,65		5: 9,80,28		577,83,98
कोयला*	16,698	442,30,80	17,977	497,30,24	17,708	490,03,03
क्रोमाइट	314	1,44	7: 5	3,46	390	1,97
तांबा अयस्क	—	—	—	—	—	—
स्वर्ण**	197	9,06,77	173	7,99,92	275	12,68,99
लौह अयस्क	155	58,77	141	50,18	181	72,23
सीसा सांद्र	3,494	3,16,17	3,696	3,31,65	3,626	3,25,37
मैगनीज अयस्क	63,622	65,97	51,252	55,85	40,968	51,37
चांदी**	18,196	10,44,08	13,703	8,13,96	11,395	6,76,86

1	2	3	4	5	6	7
एपेटाइट	3,460	25,95	3,400	19,60	3,063	20,37
एस्बेस्टस	1,635	1,38,68	804	65,28	1,085	95,35
बाल क्ले	135,534	1,19,92	88,808	65,27	70,425	53,89
बेराइट	455,643	6,32,63	557,651	11,12,83	621,000	14,49,69
कैल्साइट	165	17	184	10	1,015	55
क्ले (अन्य)	16,906	6,20	9,793	2,80	5,008	1,66
कोरंडम	3	66	6	87	1	36
डोलोमाइट	468	19	24,473	6,16	61,043	15,85
फेल्सपार	11,388	6,27	15,704	8,74	20,200	14,33
फायरक्ले	14,153	9,98	19,780	15,86	20,611	17,50
गार्नेट (अपघर्षी)	140	39	101	61	142	44
ग्रेफाइट	403	1,31	404	1,30	660	2,17
काओलिन	31,365	16,97	28,323	11,39	54,622	34,73
चूना पत्थर*	9,881	3506,16	9,470	3946,91	11,449	43,85,22
चूना कंकड़	43,242	23,75	43,073	23,78	8,320	4,42
चूना शैल	11,569	19,95	6,389	11,85	6,023	8,41
अभ्रक (कच्चा)	1,470	91,50	1,467	81,88	1,573	1,09,28
अभ्रक (कतरन व छीजन)	686	उपलब्ध नहीं	3,108	उपलब्ध नहीं	2,822	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5	6	7
ओकर	5,381	2,42	9,513	3,64	7,173	3,64
क्वार्टज	62,723	35,76	73,038	45,07	76,952	49,34
फ्यूसाइट क्वार्टजाइट	38	20	6	6	538	2,68
सिलिका बालू	39,470	12,14	68,324	21,09	72,473	23,82
भराई बालू	1,494	75	120	6	—	—
स्लेट	982	55	1,312	88	1,061	91
बोलू (अन्य)	127,053	19,15	339,317	27,14	535,428	62,31
स्टीटाइट	13,497	14,92	16,140	20,04	21,069	26,43
बर्मीक्यूलाइट	2,687	4,08	1,438	1,81	529	81
बेनाइट (घन मी० में)	95,171 (1988-89)	उपलब्ध नहीं	105,257 (1989-90)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

* मात्रा हजार टन में

** मात्रा किलोग्राम में

उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा

6903. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :**

श्री राजबीर सिंह : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों मुख्यालयों में एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर पौड़ी, लेन्स डाउन, बद्रीनाथ, दुगड्डा तथा जोशीमठ और आंवला, फरीदपुर तथा बरेली जिलों में एस० टी० डी० की सुविधा मुहैया कराने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उत्तर प्रदेश के एस० टी० डी० सुविधायुक्त 58 जिला मुख्यालयों की सूची संलग्न विवरण में प्रस्तुत की गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पौड़ी और बद्रीनाथ में एस० टी० डी० सुविधा पहले से ही उपलब्ध है । लैंसडाउन (लैंसडाउन), जोशीमठ और आंवला को मार्च, 92 तक, फरीदपुर को मार्च 93 तक, श्रीनगर और दुगड्डा को 1995 तक एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ दिया जाएगा ।

(घ) लागू नहीं होता ।

विवरण

अब तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के एस० टी० डी०
सुविधा युक्त 58 जिला मुख्यालयों की सूची

1. आगरा
2. अलीगढ़
3. इलाहाबाद
4. अल्मोड़ा
5. आजमगढ़
6. बदायूं
7. बहराइच
8. बलिया
9. बांदा
10. बाराबंकी
11. बरेली

12. बस्ती
13. बिजनौर
14. बुलन्दशहर
15. देहरादून
16. देवरिया
17. एटा
18. इटावा
19. फैजाबाद
20. फतेहपुर
21. फीरोजाबाद
22. गाजियाबाद
23. गाजीपुर
24. गोंडा
25. गोपेश्वर (चण्डी)
26. गोरखपुर
27. हमीरपुर
28. हरदोई
29. हरिद्वार
30. जोनपुर
31. कानपुर
32. कानपुर (देहात)
33. लखीमपुर-खीरी
34. ललितपुर
35. लखनऊ
36. महाराजगंज
37. मैनपुरी
38. मथुरा
39. मऊनाथभंजन
40. मेरठ

41. मिर्जापुर
42. मुरादाबाद
43. मुजफ्फरनगर
44. नैनीताल
45. ओराई (जालौन)
46. पौड़ी
47. पीलीभित
48. पिथौरागढ़
49. प्रतापगढ़
50. रायबरेली
51. रामपुर
52. सहारनपुर
53. शाहजहांपुर
54. सिद्धार्थनगर
55. सीतापुर
56. सुल्तानपुर
57. उन्नाव
58. वाराणसी

केरल और कर्नाटक में वर्षा के पानी का उपयोग

6904. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और कर्नाटक में समुद्र में जा रहे वर्षा के पानी की मात्रा का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पानी को इकट्ठा करने तथा दक्षिणी राज्यों में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में ले जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने प्रायद्वीपीय नदी विकास से सम्बन्धित अध्ययन शुरू किए हैं। इन अध्ययनों में विभिन्न बेसिनों/उप बेसिनों में जल संतुलन का मूल्यांकन करना शामिल है। महानदी-गोदावरी- कृष्णा-पेन्नार, कावेरी को आपस में जोड़कर अधिशेष जल के अन्तरण तथा केरल और कर्नाटक की पश्चिम बहाव वाली नदियों का पश्चिमी घाटों के जल की कमी वाले पूर्वी क्षेत्रों में आंशिक व्यपवर्तन का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों का लक्ष्य दक्षिण राज्यों में सूखा प्रवण क्षेत्रों में जल व्यपवर्तित करना है।

स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामले

[हिन्दी]

6905. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

श्री राम नारायण डेरवा :

श्री राम लखन सिंह यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, राज्य-वार स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) ऐसे मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम का नया नाम अनैतिक व्यापार (निवारक) अधिनियम, 1986 रखा गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों की राज्यवार संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) महिलाओं का पुनर्वास करना, राज्य सरकार का काम है क्योंकि सामाजिक सुरक्षा, राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। महिलाओं का स्तर बढ़ाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, कुशल बनाना और उनका विकास करना, उद्यम इत्यादि स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना आदि सहित अनेक योजनाएं शुरू की गई है। महिलाओं की भूमिका को मही और स्वतन्त्र रूप में प्रस्तुत करके उनके स्तर को ऊंचा दिखाने के लिए प्रचार माध्यमों का उपयोग किया गया है। ऐसी महिलाओं को रक्षात्मक दिशानिर्देश देने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए "शार्ट स्टे" होम्स तथा सलाह केन्द्र खोले गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	1988	1989	1990
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1405	1633	1182
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	10	9	4
4.	बिहार	10	11	उ०न०
5.	गोवा	86	97	80
6.	गुजरात	5	2	उ०न०
7.	हरियाणा	—	2	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1	—	—

1	2	3	4	5
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	2673	2689	उ०न०
11.	केरल	72	133	58
12.	मध्य प्रदेश	2	3	5
13.	महाराष्ट्र	961	669	उ०न०
14.	मणिपुर	4	8	1
15.	मेघालय	1	—	—
16.	मिजोरम	2	—	1
17.	नागालैंड	—	—	1
18.	उड़ीसा	10	—	उ०न०
19.	पंजाब	2	1	1
20.	राजस्थान	139	144	उ०न०
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	9878	7215	11160
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	659	386	242
25.	पश्चिम बंगाल	42	200	उ०न०
	संघ राज्य क्षेत्र			
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	—	—	—
28.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—
29.	दमन और दीव	—	—	—
30.	दिल्ली	73	117	192
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचेरी	54	156	141

टिप्पणी : 1. उपरोक्त आंकड़े "भारत में अपराध" की वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित हैं।

2. वर्ष 1990 के आंकड़े बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों से उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसलिए वर्ष 1990 के लिए सम्पूर्ण भारत जोड़ नहीं दिया गया है।

3. वर्ष 1990 के लिए आंकड़े अन्तिम नहीं हैं इनको अस्थायी माना जाय।

बिहार में नलकूल

6906. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में नलकूप लगाने के लिए विश्व बैंक द्वारा मंजूर की गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धन-राशि दी गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, बिहार में इस सहायता राशि से कितने नलकूप लगाये गये; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान, उक्त सहायता से राज्य में कितने नलकूप लगाये जाएंगे ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बिहार में सार्वजनिक नलकूप परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 68 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता प्रदान की है, जिसमें से 31 अगस्त, 1991 तक 13.236 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि प्रयुक्त की गई है।

(ख) मार्च, 1991 तक, 240 नए नलकूपों की ड्रिलिंग की गयी तथा उन्हें विकसित किया गया। इनमें से, 4 को बिजली प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त, 33 को आधुनिकीकृत किया गया तथा 351 को दोबारा चालू किया गया।

(ग) 1991-92 के दौरान 3 और नए नलकूपों को ड्रिलिंग करने एवं उन्हें विकसित किए जाने तथा 104 नए नलकूपों को बिजली उपलब्ध कराये जाने का **प्रस्ताव** है। इनके अतिरिक्त, 267 नल कूपों को आधुनिक बनाने तथा 949 नलकूपों को फिर से चालू किए **जाने** का प्रस्ताव है।

भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों को नई आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के सम्बन्ध में अनुदेश

[अनुवाद]

6907. **डा० वी० राजेश्वरन** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय दूतावासों और उच्चायुक्तालयों को वांछित परिणाम प्राप्त करने विशेष रूप से निर्यात संभावनाओं के विकास हेतु नई आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के सम्बन्ध में अनुदेश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) विदेश मंत्रालय विदेश स्थित अपने मिशनों को हमारी नई आर्थिक नीतियों की विस्तृत तथा अद्यतन जानकारी देता रहा है। इन नई नीतियों से हर मुमकिन लाभ उठाने की बात का सुनिश्चय करने के लिए जो कदम उठाए जाने हैं उनके सम्बन्ध में सभी देशों में स्थित मिशन प्रमुखों को भी हिदायतें दी जाती रही हैं। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हमारे आर्थिक हित साधन के लिए राजनयिक के प्रयोग का कितना महत्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार तथा व्यापार उद्योग के स्तर पर उच्च स्तरीय यात्राओं की योजना बनाई जा रही है। जहां भी कहीं आवश्यक है, मिशनों को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि वे नए आर्थिक दायित्वों को निभा पाएं। चुनिन्दा मिशनों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के लिए एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। एक मिला-जुला दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जो हमारी नई नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रचार करने में सहायता

करेगा। इस मूलभूत दृष्टिकोण के अंग के रूप में लक्ष्य देशों में संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने पर भी विचार किया जा रहा है जो हमारी नई नीतियों को समझाने और हमारी आर्थिक क्षमताओं का प्रचार-प्रसार करने में सहायता देगी। पूंजी निवेश तथा प्रौद्योगिकी प्रवाह को बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अतिरिक्त मिशनों को विशेष रूप से यह हिदायत दी गई है कि वे हमारे निर्यातों को अधिक से अधिक बढ़ाने की दिशा में कार्य करें।

मात्स्यिकी के लिए राष्ट्रीय बैंक

6908. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मात्स्यिकी स्रोतों के दोहन के लिए शुरू की गई केन्द्रीय योजनाएं कौन-कौन सी हैं और राज्यवार कितनी सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार का विचार मात्स्यिकी क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सिर्फ मात्स्यिकी के लिए ही एक राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) इस समय सरकार के पास मात्स्यिकी के लिए एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(रुपए लाख में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	सातवीं योजना के दौरान निर्मुक्त राशि
1.	आंध्र प्रदेश	714.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.50
3.	असम	80.85
4.	बिहार	94.87
5.	गोवा	61.48
6.	गुजरात	387.62
7.	हरियाणा	73.61
8.	हिमाचल प्रदेश	11.80
9.	जम्मू व कश्मीर	27.68
10.	कर्नाटक	165.43

1	2	3
11.	केरल	687.98
12.	मध्य प्रदेश	154.67
13.	महाराष्ट्र	517.51
14.	मणिपुर	33.66
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	1.41
17.	नागालैंड	13.38
18.	उड़ीसा	373.87
19.	पंजाब	64.57
20.	राजस्थान	58.28
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	546.88
23.	त्रिपुरा	86.32
24.	उत्तर प्रदेश	444.21
25.	पश्चिम बंगाल	757.11
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.21
27.	चण्डीगढ़	—
28.	दादर, नगर और हवेली	—
29.	दमन और दीव	—
30.	दिल्ली	—
31.	लक्षद्वीप	0.13
32.	पांडिचेरी	11.02
33.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	149.19
	कुल जोड़ :	5520.37

महानगरों में टेलीफोन कनेक्शन

6909. **श्री अन्बारासु इरा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास, मुम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली के लिए जनवरी, 1991 के दौरान वर्ष 1991-92 के लिए कितने नये टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये;

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए उपर्युक्त महानगरों के लिए मई, 1991 के दौरान कितने नये टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये;

(ग) जनवरी, 1991 के दौरान इसमें पहले किए गए आवंटन में कम करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) यह समझा जाता है कि माननीय सदस्य का आशय जनवरी, 1991 और मई, 1991 के महीनों के दौरान बिना बारी के आधार पर मंजूर किए गए टेलीफोनों से है। इस सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :—

स्थान का नाम	बिना बारी के मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या	
	जनवरी, 1991	मई, 1991
दिल्ली	1561	403
बम्बई	65	37
कलकत्ता	20	2
मद्रास	40	3
जोड़ :	1696	445

(ग) बिना बारी के मंजूरियां सरकार के विवेकाधार के अन्तर्गत दी जाती हैं।

बीजों का अधिक समय तक गोदामों में रखना

6910. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के अधिकांश मात्रा में बीज गोदामों में अधिक समय तक रखे रहने के कारण बेकार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घाटे की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय बीज निगम को कितना मुआवजा दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामसन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

नई संचार नीति

6911. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई संचार नीति लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां। यह नीति सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस नीति में संचार मंत्रालय के अधीन दूरसंचार सेवाओं के विकास तथा प्रचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

पंजाब बन्द के दौरान जान-माल का नुकसान

6912. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 और 15 अगस्त, 1991 को पंजाब बन्द के दौरान राज्य में जान-माल का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो बन्द के दौरान कितने व्यक्ति/सुरक्षा बलों के कर्मचारी मारे गये और कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है; और

(ग) इन दोनों दिनों में कितने आतंकवादी गिरफ्तार किये गये/मारे गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 14 और 15 अगस्त, 1991 को आतंकवादी हिंसा के दौरान पुलिस कार्मिकों सहित 16 व्यक्ति मारे गए। वाहनों को जलाने और रेल पटरियों को उड़ाने की कुछ घटनाओं की सूचना भी प्राप्त हुई है। इसी अवधि के दौरान नौ आतंकवादियों के मारे जाने और आठ अन्य आतंकवादियों के गिरफ्तार किए जाने की सूचना है।

आजाद हिन्द फौज के सैनिकों और अधिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

[हिन्दी]

6913. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज के सैनिकों और अधिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (घ) आजाद हिन्द फौज के वे कार्मिक, जो केन्द्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत दी गई पात्रता मापदण्डों को पूरा करते हैं, पेंशन पाने के योग्य हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित एकमुश्त दर पर "सम्मान" के रूप में पेंशन दी जाती है। योजना में महंगाई भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

वाराणसी और मुगल सराय के रेलवे डाक सेवा विभाग में तथाकथित धांधली

6914. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी और मुगल सराय के रेलवे डाक विभाग में पार्सलों में गड़बड़ी करने तथा मनीआर्डरों और बीमांकित लिफाफों में हेराफेरी करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो 1986 से प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) वाराणसी रेल डाक सेवा से होकर जाने वाली डाक में से बीमाकृत पत्रों से चोरी होने के 102 मामलों की सूचना मिली है। मुगल सराय रेल डाक सेवा इस तरह के किसी मामले में शामिल नहीं है। इन दोनों रेल डाक सेवा कार्यालयों में से किसी के बारे में भी मनीआर्डरों में हेर-फेर करने के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ग) 1987 में सूचित किए गए एक मामले की जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है। जांच करने पर जिन गलतियों का पता चला उन पर समुचित ध्यान दिया गया है। 1990 और 1991 में सूचित किए गए शेष मामलों में प्रारम्भिक जांच पूरी कर ली गई है तथा विस्तृत जांच-पड़ताल करने के आदेश दे दिए गए हैं।

रेल डाक सेवा का विस्तार

6915. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बनारस, मुगलसराय, जौनपुर तथा गाजीपुर जिलों में रेल डाक सेवा का विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में दायर किए गए मामलों पर किया गया व्यय

[अनुवाद]

6916. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने गत एक वर्ष के दौरान कलकत्ता में केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण में दायर किए गए मामलों की पैरवी पर कुल कितना धन व्यय किया;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना विशेष श्रेणी के वकील नियुक्त किए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उन पर कितना धन खर्च हुआ ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) 1-9-1990 से 31-8-1991 के दौरान कलकत्ता स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के विरुद्ध दायर किए गए 72 मामलों के लिए अब तक प्रशासन द्वारा 2,08,075 रु० की धनराशि व्यय की गई है।

(ख) और (ग) कलकत्ता स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अण्डमान और निकोबार प्रशासन के विरुद्ध दायर किए गए पांच महत्वपूर्ण मामलों में प्रशासन तथा केन्द्रीय सरकार के हित में प्रभावी पेशी तथा बचाव करने के लिए अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने एक प्रख्यात अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त की हैं, जो अनुमोदित केन्द्रीय पेनल में नहीं हैं। चूंकि प्रशासन को इस कार्य में लगे हुए अधिवक्ता से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है, अतः अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

पूर्वी और दक्षिण दिल्ली की परियोजनाओं के लिए
धन-राशि का आवंटन

6917. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, पूर्वी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली की विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस धनराशि को उन्हीं परियोजनाओं पर खर्च किया गया जिनके लिए स्वीकृति दी गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो बची हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) स्वीकृति परियोजनाओं के स्थान पर अन्य परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान उन क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ऐम० एम० जैकब): (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि योजना के प्रयोजन हेतु दिल्ली को एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में माना जाता है और इसलिए, निधि का आवंटन सेक्टरवार किया जाता है, न कि क्षेत्रवार।

महसूस की गई आवश्यकताओं और अन्य सम्बद्ध पहलुओं के आधार पर अलग-अलग सेक्टर में विभिन्न योजनाएं तैयार की जाती हैं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) भाग में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में रेलवे डाक विलगन कार्य का कम्प्यूटरीकरण

[हिन्दी]

6918. **श्री राम बदन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों से डाक विलगन कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन नगरों के नाम क्या हैं; और

(ग) राज्य के उन शहरों के नाम क्या हैं जहां यह सुविधा वर्ष 1991-92 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध कराने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तिलहनों और अनाजों का उत्पादन

[अनुवाद]

6919. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 और आठवीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों और अनाजों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) 1991-92 के दौरान तिलहनों और अनाजों के राज्यवार उत्पादन के लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। आठवीं योजना के संशोधित लक्ष्यों को अभी निर्धारित किया जाना है ।

विवरण

1991-92 के दौरान तिलहनों के राज्यवार उत्पादन लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य	उत्पादन लक्ष्य (लाख मीटरी टन में)
1.	आंध्र प्रदेश	23.30
2.	असम	2.05
3.	बिहार	1.80
4.	गुजरात	28.40
5.	हरियाणा	5.05
6.	जम्मू और कश्मीर	1.50
7.	कर्नाटक	15.55
8.	मध्य प्रदेश	27.15
9.	महाराष्ट्र	17.05
10.	पंजाब	2.65
11.	उड़ीसा	10.00
12.	राजस्थान	19.80
13.	तमिलनाडु	11.70
14.	उत्तर प्रदेश	13.60
15.	पश्चिम बंगाल	4.20
	अन्य	1.20
	कुल	185.00

1991-92 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य

(लाख मीटरी टन में)

राज्य/यूनिट	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	दलहन	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	108.00	0.10	21.50	7.20	136.80
अरुणाचल प्रदेश	1.40	0.05	0.60	0.05	2.10
असम	30.50	1.20	0.20	0.75	32.65
बिहार	66.20	40.00	14.00	10.00	130.20
गोवा	1.60		0.01	0.05	1.66
गुजरात	8.50	16.50	26.00	7.00	57.00
हरियाणा	18.50	63.00	8.00	7.00	96.50
हिमाचल प्रदेश	1.30	5.40	6.20	0.50	13.40
जम्मू और कश्मीर	6.00	3.00	5.50	0.30	14.80
कर्नाटक	25.00	1.00	40.50	7.40	73.90
केरल	11.00		0.04	0.30	11.34
मध्य प्रदेश	55.00	50.00	37.40	30.00	172.40
महाराष्ट्र	26.50	9.00	76.00	18.00	129.50
मणिपुर	3.35	0.10	0.20	0.12	3.77
मेघालय	1.30	0.05	0.25	0.03	1.63
मिजोरम	0.60		0.10		0.70
नागालैंड	1.50		0.15	0.03	1.68
उड़ीसा	63.00	0.75	5.50	12.43	81.68
पंजाब	63.00	116.50	5.90	2.20	187.60
राजस्थान	1.35	40.90	35.00	15.95	93.20
सिक्किम	0.20	0.20	0.60	0.10	1.10
तमिलनाडु	62.00	0.10	15.04	4.00	81.14
त्रिपुरा	4.60	0.05		0.05	4.70
उत्तर प्रदेश	100.00	209.00	40.50	29.00	378.50
पश्चिम बंगाल	103.20	7.00	1.60	2.46	114.26
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.30			0.01	0.31

1	2	3	4	5	6
चण्डीगढ़					0.00
दादर और नगर हवेली	0.20		0.05	0.03	0.28
दमन और दियू	0.02		0.01		0.03
दिल्ली	0.08	1.10	0.10	0.02	1.30
लक्षद्वीप					0.00
पांडिचेरी	0.80		0.05	0.02	0.87
कुल	765.00	565.00	340.00	155.00	1825.00

एस० टी० डी० सुविधा

6920. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के लिए देश में कुछ और शहरों का चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 तथा आठवीं योजना के दौरान भी एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के लिए जिन शहरों का चयन किया गया है उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा से जोड़े जाने वाले 387 स्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

आठवीं योजना के निम्न उद्देश्यों के अन्तर्गत और अधिक नगरों को एस०टी०डी० सुविधा प्रदान की जाएगी :—

(i) सभी उपमंडलीय मुख्यालयों/समतुल्य खंड विकास कार्यालयों और तहसीलों को प्राथमिकता के आधार पर एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जाएगी ।

(ii) 1-4-90 की स्थिति के अनुसार 500 लाइनों या उससे अधिक क्षमता वाले एक्सचेंजों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जानी है । सभी ग्रामीण स्वचालित इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों को भी एस० टी० डी० सुविधा दी जाएगी ।

(iii) सभी औद्योगिक विकास केन्द्रों पर्यटन और तीर्थ स्थानों को भी एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जानी है ।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान देश में जिन केन्द्रों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है उनकी राज्यवार सूची

आंध्र प्रदेश :

बेल्लामरैल्ली, बीबीनगर, चितयाल, द्रक्षरमा, एट इन्क्लाइन, घाटकेसर, पुडलावल्लेरू, हीरामंडलम, इच्छापुरम, इसनापुर, जनगांव, कोदावलूर, मीरयलगुडा, मेदवाल, नगरकुरनूल, नकरेकल, पेड्डापल्ली, पेडना, पर्वतीपुरम, रेपल्ली, शंकरपल्ली, शमशाबाद, सिरपुरकागज नगर, यादगिरिगुट्टा ।

असम :

अमगुड़ी, दुमदुमा, जोनई, नागांव, सरूपथेर, तेजपुर।

बिहार :

अररिया, बगहा, बिहटा, बरेमो, कहालगांव, एम० सराय, पाकुड़, रामगढ़, रक्सोल, सुपौल।

हिमाचल प्रदेश :

कुल्लू, काल्पा, केलांग।

मध्य प्रदेश :

बेतूल, छतरपुर, गुना, नरसिंहपुर, पन्ना, राजगढ़, शाजापुर, शिवपुरी, शहडोल, सिंगरौली, टीकमगढ़।

कर्नाटक :

अग्निकेरे, ब्यादगी, बलेली, बल्लोर, चमराजनगर, चिलकुंडा, चन्नारायपटना, चन्नागिरि, चिंतामणि, डेडेली, धर्मस्थल, गोकाक, हिमनाबाद, हुंगुड, हुंसूर, कुशलनगर, कोल्लूर, कुमता, कौप, के० आर० नगर, कैंगा, ककाती, मुल्की, मुदीगिरी, मद्दूर, नन्दी गांव, पावगडा, पंडावापुर, पोलीबेट्टा, पेरियापटना, संदूर, सोराब, श्रीनिवासपुरा, श्रीरंगपटना, शाहाबाद, टी० नरसीपुरा, वाडी, यादगिरि।

तमिलनाडु :

अलंगुडी, अन्नामलाय, अन्नूर, अंदीपट्टी, अवलपुंडुराय, चेत्तीनाद, चित्थोड़, छत्रपति, अक्किचयननगरम्, कुड्डालौर, दलवाईपुरम, इरेयूर, किलक्करई, कदयानल्लूर, कुन्नाथूर, कृष्णगिरि, कोवेरीपटनम, कल्लाकुरीची, मुथूर, मोडकुरीची, नामगिरिपेट, नांबियूर, नेवेरी-II, पेट्टावाइतलाई, पवूरछत्रम, श्रीपेरंपुडूर, सीरमपलायम्, सुरंचाय, शोलावंदन, सुरियूर, डलुंदूरपेट, उसीलम्पट्टी, वेलूर, दलापडी, वृद्धाचलम।

महाराष्ट्र :

भुईज, बिछोलिम, भोर (आई० जी० सी०) बुल्दाना, कलंगूट, चकूर, चिपलून, चालिसगांव, दहानू, गोकुलशिरगांव, हिंगनघाट, हिंगोली, इगतपुरी, किरलोसकरवाडी, कारजाट (आई०जी० सी०), किनवट काटोल, कोपरगांव, मूर्तिजापुर, मूरबाद (आई० जी० सी०), नाशोथाने, पेन, पारला वैंजनाथ, पैथान, पालघर, पंडपुर, सावंदा, शिरडी, त्र्यम्बक, उमरेड, वीटा, येवला।

पंजाब :

अजनाला, आनन्दपुर साहिब, बालाचूर, बरनाला, बटाला, दसूआ, गढ़ शंकर, फतेहगढ़, साहिब, मनासा, मुक्तसर, मलेरकोटला, नवां शहर, नकोदर, रामपुराफूल, समाना, सुल्तानपुर लोधी, समराला, सुनाम, तलवंडी भाई, जीरा।

पश्चिम बंगाल :

बीरपाड़ा, बानरहट, बेरहामपुर, बेलडा, बांकुरा, बिशनुपुर, कोर्ट, केनिंग, दिनहाटा, फाटेपुर,

शालसी, जमालपुर, जोईनगर, जलपाईगुडी, कालिमागंज, एम० डी० बाजार, नलहटी, नक्सलबाड़ी, सन्थालडीह, संतगाचिमा, सेहरा बाजार, तारकेश्वर।

केरल :

अंचल, अयारकुन्नम, अंजराकंडी, भरनंगनम, चिरायिकिल, सेहेरूकुन्नु, चावरा, चेरप्लासेरी, कोयलमन्ना, चेंगला, देवीकोलम, इरान्तुपेट्टा, इरूमेली, इडफल, कुथुपरम्बा, कल्लम्बलम, कोन्नी, किलीमानूर, कट्टापाना, कुरूविलगांडु, कत्तूर, कोडुवयूर, कुरूप्पनतारा, कुमाराकोम, कुम्बाला, मेवेल्लूर, मम्मूद, मल्लापल्ली, नाडावूर-पल्लीक्कल, ओचिरा, पठानपुरम, पूवारानी, पुलीमकुन्नू, पेरीन्नानम, पुन्नाचूर कुलम, पनूर, पारवयंगाडी, रामपुरम, एस० एल० पुरम, तिरूरंगाड़ी उदमा, वकथानम, वाइनूर, वेल्लंगुल्लर, बेंजारा।

उत्तर पूर्व :

क्रोंग, त्वेनसांग, वोखा, दापोरीजो।

गुजरात :

बादरा, बालासिनूर, बोरसाड, डाकोर, दोहाद, केवडिया कालोनी, कनोदर, कुकरवाडा, कोसाम्बा, लिमदी, मटार, मानवदर, नंदेसारी, प्रांतीज, रखियाल, वापी।

उत्तर प्रदेश :

आंवला, बरवा-सुमेरपुर, भीमताल बाजपुर, बागपत, चौरी-चौरा, डिबियापुर, देघला दुधवापार्क, इतमादपुर, फरेंदा, फतेहपुर सीकरी, फर्रूखाबाद, गोला गोकरनाथ, गढ़मुक्तेश्वर, गजरौला, हाटा, जौनपुर, जिम कार्बेट पार्क, झांसी, खलीलाबाद, लैंस डाउन, मोतीचूर, मुरादनगर, मिशरीख, मालवान, नौगढ़, नीमसर, नवाबगंज, पलियाकलां, पिलखुवा, ऋषिकेश, रेनूकूट (पिपरी) रासरा, रानिया, शामली, सथारिया, सोनभद्र, सिकंदरा (आगरा) सिकंदराबाद, टांडा, तुलसीपुर, टिहरी, उत्तरकाशी, जंचाहार।

जम्मू तथा कश्मीर :

बदगाम, डोडा, करगिल, लेह, पुलवामा, पूंछ, राजौरी।

हरियाणा :

दारूहेड़ा, घरौंडा, गोहाना, कुंडली, कुरूक्षेत्र, मेहम, सोहाना।

राजस्थान :

अचरोल, बांदीकुई, चिरावा, दौसा, कोटपुतली, खेतरी, नाथसोट, मथानिया, फालना, राजसमंद, शाहपुरा, शाहाजहानपुर, विजयनगर।

उड़ीसा :

राजनीलगिरि, रेमुना, उदाला, रायरंगपुर, करांजिया, छन्दबाली, बदमल, कान्तबन्जी, पटनागढ़, सोनपुर, अथगढ़, बान्की, धनमण्डल, जगतसिंहपुर, जजपुर टाउन, सालेपुर, अथमलिक, आनन्दरपुर, पालसपंगा, चम्पुआ, हिण्डोल, भंजनगढ़, दिगपहाण्डी, पारलाखेमुण्डी, धरमगढ़, मलकानगिरि, उमरकोट, बालीगुडा, बौधनगर, कुचीण्डा, मदमापुर, रायरोकबोल, बोनाईगढ़, बिरमित्रापुर, राजगंगपुर, पट्टमण्डई, जोड़ा, केसीन्गा, हिजिलिकट।

गुजरात में खान के पट्टे देना

6921. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जामनगर जिले में बाक्साइट खान के पट्टे दिए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा ये पट्टे किन शर्तों पर दिए गए हैं;

(ख) क्या वहां, अवैध खनन के कार्य में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन और एस० टी० डी० तथा आई० एस० डी० कनेक्शन

[हिन्दी]

6922. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिलेवार कितने सार्वजनिक टेलीफोन, एस० टी० डी० और आई०एस०डी० कनेक्शन प्राइवेट व्यक्तियों को दिए गए हैं;

(ख) इन कनेक्शनों को देने के लिए क्या नियम और मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान कितने सार्वजनिक टेलीफोन, एस०टी०डी० और आई० एस०डी० कनेक्शन देने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राजस्थान में एस० टी० डी० और आई० एस० डी० सुविधा वाले सार्वजनिक टेलीफोन घरों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एस० टी० डी०/आई० एस० डी० वाले सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों पर तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार विचार किया जायेगा ।

(ग) राजस्थान दूरसंचार सर्किल में चालू वर्ष के दौरान एस०टी०डी०/आई०एस०डी० सुविधा वाले 300 सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

विवरण

राजस्थान में निजी व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे सार्वजनिक टेलीफोन घरों का विवरण

क्रम सं०	जिलों के नाम	मौजूदा सार्वजनिक टेलीफोन घर		
		स्थानीय	एस०टी०डी०	कुल
1.	जयपुर (जिला दौसा सहित)	308	207	595
2.	अलवर	40	25	65
3.	भरतपुर	1	1	2
4.	धौलपुर	शून्य	1	1

1	2	3	4	5
5.	सवाई माधोपुर	3	5	8
6.	टोंक	1	2	3
7.	बूंदी	1	6	7
8.	कोटा (जिला बांरा सहित)	89	53	142
9.	झालवाड़	शून्य	1	1
10.	सिकर	शून्य	18	18
11.	झुनझुनू	शून्य	3	3
12.	बाड़मेर	शून्य	10	10
13.	बीकानेर	56	4	60
14.	चुरू	शून्य	शून्य	शून्य
15.	जैसलमेर	शून्य	शून्य	शून्य
16.	जोधपुर	23	74	97
17.	नागौर	16	4	20
18.	श्रीगंगानगर	9	17	26
19.	अजमेर	125	63	188
20.	पाली	128	24	152
21.	जालोर	29	6	35
22.	सिरोही	44	5	49
23.	भीलवाड़ा	53	43	96
24.	चित्तौड़गढ़	41	7	48
25.	उदयपुर (जिला राजसमन्द सहित)	119	49	168
26.	डूंगरपुर	8	1	19
27.	बांसवाड़ा	45	2	47
	कुल योग	1229	631	860

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

6923. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार विभिन्न मदों के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, और यह कब तक पूरी हो जाएगी;

(घ) क्या राजस्थान को भाखड़ा बोर्ड से अपने हिस्से का पानी दे दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का चरण-I पूरा हो गया है और चरण-II वितरण प्रणाली पर कार्य चल रहा है। जून, 1991 तक चरण-I और चरण-II नहर कार्यों पर क्रमश: कुल 271.23 करोड़ रुपए और 531.20 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। चरण-II नहर कार्यों के लिए गत तीन वर्षों में राजस्थान सरकार को दी गई निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता कुल व्यय में शामिल है :—

वर्ष	सीमा क्षेत्र विकास अनुदान (करोड़ रुपए में)	सूखा राहत सहायता
1988-89	21.00	11.00
1989-90	24.70	—
1990-91	28.60	—

इसके अतिरिक्त, चरण-I और II को कमान क्षेत्र विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत सहायता भी प्राप्त हो रही है। गत तीन वर्षों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 24.44 करोड़ रुपए, 23.61 करोड़ रुपए और 19.99 करोड़ रुपए की सहायता दी गई।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार, निधियों के उपलब्ध होने पर इस परियोजना के दसवीं योजना तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(घ) भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के अनुसार, कुल मिलाकर राजस्थान को उसके देय हिस्से से अधिक पानी दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन

6924. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में खाद्यान्नों, तिलहनों तथा दालों का वर्षवार कितना-कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राजस्थान में 1987-88 से 1990-91 के दौरान खाद्यान्नों, तिलहनों और दलहनों का उत्पादन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

(लाख मीटरी टन)

वर्ष	खाद्यान्न	तिलहन	दलहन
1987-88	47.82	12.58	4.74
1988-89	106.57	19.17	16.23
	(128.9)	(52.4)	(242.4)

1	2	3	4
1989-90	85.31	18.45	11.56
	(—19.9)	(—3.8)	(—28.8)
1990-91	109.80	25.03	16.86
(संभावित)	(28.7)	(35.7)	(45.8)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में हुई वृद्धि/कमी की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

गुलाब की खेती

6925. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गुलाबों की खेती को बढ़ावा देने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान के पुष्कर क्षेत्र में गुलाबों की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा अखिल भारतीय समन्वित पुष्पोत्पादन सुधारप्रायोजना द्वारा गुलाब पर अनुसंधान किया जाता है।

(ग) "गुलाब के तेल के लिए भारत में गुलाब की पैदावार तथा गुणवत्ता के सुधार हेतु आनुवंशिक तथा अन्य विधियों पर जांच" नामक एक तदर्थ योजना उदयपुर (राजस्थान) सहित 5 केन्द्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1983 से 1988 तक पांच वर्षों के लिए चलाई गई थी। उदयपुर केन्द्र में गुलाब की एक किस्म **रोजा डेमासोना** के प्रवर्धन, गुलाब के ज्यादा उत्पादन के लिए कृषि प्रौद्योगिकी के मानकीकरण तथा गुलाब के तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए एक बहुत उपयोगी प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। राजस्थान राज्य में खेती के लिए **रोजा डेमासेना** की एक आशाजनक प्रजाति का भी पता लगाया गया है।

"जेल को अपराध नगरी बनने से कैसे रोका जाए" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

6927. **श्री एस० एन० बेकारिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अगस्त, 1991 को नवभारत टाइम्स में "जेल को अपराध नगरी बनने से कैसे रोका जाए" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 19 अगस्त, 1991 के नवभारत टाइम्स के अंक में मुख्य रूप से तिहाड़ जेल में कैदियों को अधिक संख्या में भरने और जेल प्रशासन में कुछ खामियों से सम्बन्धित समाचार प्रकाशित हुआ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने जेल की क्षमता बढ़ाने, अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, कैदियों का अधिक से अधिक कल्याण करने और जेल के अन्दर अधिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए हैं।

दिल्ली के न्यायालयों में लम्बित सम्पत्ति कर के मामले

6928. **श्री एस० एन० बेकरिया :**

श्री तारा चन्द खंडेलवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अगस्त, 1991 के नवभारत टाइम्स में "सम्पत्ति कर विवादों का संख्या में लगातार वृद्धि" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में सम्पत्ति कर के कितने मामले लम्बित हैं; और

(घ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) 17 अगस्त, 1991 के नवभारत टाइम्स में "सम्पत्ति कर विवादों की संख्या में लगातार वृद्धि" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में कहा गया है कि दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में सम्पत्ति कर के मामलों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 1987-1990 तक के वर्षों के दौरान न्यायालयों में दायर किए गए मामलों के अनुसार कोई वृद्धि नहीं दिखाई देती। उनकी वर्ष-वार संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	दायर किए गए मामलों की संख्या
1987	2677
1988	2207
1989	1810
1990	1956

(ग) और (घ) 30 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या 9145 थी। दिल्ली नगर निगम ने इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इन कदमों में, प्रभावपूर्ण अभियोजन के लिए कानूनी एकक का पुनर्गठन और विस्तार करना तथा जहां करदाता चाहते हों, वहां मामलों को न्यायालय के बाहर सुलझाने के लिए एक समिति नियुक्त करना शामिल है।

दिल्ली में स्वापक औषधियों का सेवन

6929. **श्री एस० एन० बेकारिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अगस्त, 1991 के नवभारत टाइम्स में "कसता हुआ शिकंजा मादक पदार्थों का" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वापक औषधों के खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 9 अगस्त, 1991 के नवभारत टाइम्स में "कसता हुआ शिकंजा मादक पदार्थों का" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ। समाचार में कहा गया है कि मादक पदार्थों के व्यापार में बढ़ोत्तरी हो रही है।

(ख) और (ग) सरकार ने देश में मादक पदार्थों के व्यापार को रोकने के लिए विभिन्न विधायी, प्रशासनिक और निवारात्मक उपाय किए हैं। मादक पदार्थों के व्यापार से सम्बन्धित अपराध के लिए दण्ड को निवारणात्मक बनाया गया है।

अर्ध-सैनिक बलों के लिए आधुनिकतम हथियार

[अनुवाद]

6930. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अर्ध-सैनिक बलों को आधुनिकतम हथियार से सुसज्जित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे हथियार जिन अर्ध-सैनिक बलों को मुहैया कराये जाने का प्रस्ताव है उनके नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सरकार, अर्ध-सैनिक बलों के लिए हथियारों की आवश्यकताओं की समय-समय पर पुनरीक्षा करती आ रही है और सरकार ने, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अत्याधुनिक शस्त्र उपकल्प कराए हैं।

केरल के अल्लेप्पी जिले में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा

6931. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का केरल के अल्लेप्पी जिले में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में उप-भोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान पुलिनसुनू और एस० एल० पुरम को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

अलेप्पी जिले के शेष एक्सचेंजों को आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर रूप से एस०टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

आंध्र प्रदेश में नारियल के पेड़ लगाना

6932. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विशेषतौर पर "कानासीमा क्षेत्र" में नारियल के पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) और अधिक क्षेत्र में नारियल की खेती करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) नारियल विकास बोर्ड 1982-83 से राज्य में "कानासीया क्षेत्र" सहित आंध्र प्रदेश में नारियल की खेती के सम्वर्धन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है :—

(1) टी० एक्स० डी० संकर पौध का उत्पादन और वितरण;

(2) नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार;

(3) नारियल उत्पादकों को सिंचाई सुविधाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराना;

(4) आंध्र प्रदेश में टाटीपाका रोग से प्रभावित ताड़ों को हटाना; और

(5) क्षेत्रीय नारियल नर्सरी की स्थापना ।

(ग) अभी तक इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियां इस प्रकार है : (1) जरूरत-मंद उत्पादकों को 2 लाख टी० एक्स० डी० संकर नारियल पौध का उत्पादन और वितरण । (2) किसानों को नए रोपण के लिए राजसहायता देकर नारियल के अन्तर्गत 1600 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाया गया । (3) किसानों को राजसहायता मुहैया कराके 250 सिंचाई पम्पसेटों को लगाना । (4) किसानों को राजसहायता उपलब्ध कराकर टाटीपाका रोग से प्रभावित 3000 ताड़ों को हटाना और (5) राज्य की 50 प्रतिशत वित्तीय भागीदारी के साथ राज्य में एक क्षेत्रीय नारियल नर्सरी की स्थापना करना ।

(घ) 1991-92 के दौरान बोर्ड के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में अतिरिक्त 150 हैक्टेयर क्षेत्र में नारियल का रोपण करने की योजना है ।

महाराष्ट्र में ब्यूरो फैक्स सेवा

6933. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई स्टेशनों पर ब्यूरो फैक्स सेवा शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में ऐसे स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) अगले वर्ष ऐसे खोले जाने वाले स्टेशनों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां ।

(ख) महाराष्ट्र के ब्यूरो फैक्स सुविधा वाले स्थानों की सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है ।

(ग) उन स्थानों की सूची संलग्न विवरण-2 में दी गई है जहां आगामी वर्ष में ब्यूरो फैक्स सेवा प्रदान किए जाने की संभावना है ।

विवरण-I

31-8-91 तक महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल (गोआ सहित) में ब्यूरो फैक्स सुविधा वाले स्थानों (केन्द्रों) की सूची

1. पश्चिमी सी०टी०ओ० बम्बई
2. सी०टी०ओ० बम्बई
3. बम्बई दादर
4. बम्बई मालाड
5. बम्बई कम्बाला हिल
6. बम्बई चैम्बूर
7. बम्बई कालबादेवी
8. बम्बई चिंछाबन्दर
9. थाने
10. वाग्ले एस्टेट टेलीकाम केन्द्र थाने
11. बसाई रोड
12. सी०टी०ओ० पुणे
13. पुणे चिन्चवाड
14. पुणे-पिम्परी
15. पुणे-किरकी
16. महर्षि कर्वे टेलीफोन एक्सचेंज, पुणे
17. डिविजनल इंजीनियर फोन का कार्यालय, पुणे
18. वाजीराव रोड, पुणे
19. वीर सावरकर भवन, पुणे
20. अहमदनगर
21. श्रीरामपुर
22. सतारा
23. सी०टी०ओ० नागपुर
24. वरधागंज
25. येओटमाल
26. सी०टी०ओ० अकोला
27. गोन्दिया

28. चन्द्रापुर
29. पणजी
30. सी०टी०ओ० कोल्हापुर
31. रत्नागिरी
32. सांगली
33. सी०टी०ओ० नासिक
34. सी०टी०ओ० शोलापुर
35. सी०टी०ओ० औरंगाबाद
36. जालना
37. लातूर
38. नन्देद
39. जलगांव
40. बारसी
41. धुले
42. भुसावल
43. नासिक रोड
44. उसमानाबाद

विवरण-2

आगामी वर्ष में महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल (गोआ सहित) में ब्यूरो फैक्स सुविधा वाले स्थानों की सूची

1. अंधेरी
2. बम्बई-वाइकुला
3. बम्बई-जी०पी०ओ० डी० टी० ओ०
4. बम्बई-गिरगांव
5. बम्बई-खार
6. बम्बई-माटूंगा
7. बम्बई-संताक्रुज (ई)
8. सीपज
9. पूणे शहर

10. परभनी
11. नागपुर सिटी
12. अकोला टेजनापेठ
13. बांद्रा
14. बम्बई—गोरेगांव
15. नागपुर—फूले मार्किट
16. नागपुर—कलमना मार्किट
17. कोल्हापुर सिटी
18. कल्याण
19. उलहासनगर
20. वाशी
21. न्यू पनवल
22. कैम्पटी
23. मीराज
24. अमरावती
25. मारगांव

दूरसंचार सेवाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करना

6934. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों जैसे विदेश संचार निगम, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र तथा सी० एम० सी० द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न मूल्य वर्धित संचार सेवाएं निजी क्षेत्र को देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं को निजी क्षेत्र को देने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसकी क्या शर्तें हैं; और

(ग) नियन्त्रण, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य किन क्षेत्रों में सरकार का अधिकार रहेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में तारघर खोला जाना

6935. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इस समय कितने तारघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या वहां और अधिक तारघर खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इस समय निम्नलिखित तारघर कार्य कर रहे हैं :—

—केन्द्रीय तारघर	—	1
—आंचलिक तारघर	—	3
—मुफसिल तारघर (भदोही में)	—	1
—सयुक्त डाक-तारघर	—	120

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान केवलपुर और गंगापुर में फोनोकॉम आधार पर दो संयुक्त डाक-तारघर खोलने का प्रस्ताव है।

गोवा में बागवानी का विकास

6936. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोवा में बागवानी के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : केन्द्रीय सरकार ने बागवानी के विकास के लिये गोआ को निम्नलिखित धनराशि आबंटित की है :—

(लाख रुपए में)

वर्ष	आबंटन प्रशासनिक मंजूरी	निर्मुक्ति
1988-89	1.9222	1.484
1989 90	1.8262	1.560
1990-91	2.8481	3.2203

इसके अलावा, बागवानी फसलों में अनुसंधान करने के लिए निम्नलिखित धनराशि आबंटित की गयी थी :—

वर्ष	आबंटित धनराशि (लाख रुपए में)
1989-90	27.00
1990-91	58.00
1991-92	75.00

तिहाड़ जेल में मौतें

6937. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल में जुलाई, 1991 से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) 1 जुलाई से 31 अगस्त, 1991 तक तेरह कैदियों की मृत्यु हुई। जेल प्राधिकारियों ने

सूचित किया है कि तेरह में से दो ने आत्महत्या की, दो की मृत्यु जेल अस्पताल में हुई, पांच की मृत्यु अस्पतालों के बाहर हुई, एक की मृत्यु अस्पताल ले जाते समय हुई, और तीन की मृत्यु जेल में हुई। जेल में जिन तीन कैदियों की मृत्यु हुई उनमें से दो नशीली दवा के आदी थे और तीसरा क्षय रोग से पीड़ित था।

कश्मीर के सम्बन्ध में सलाहकार पैनल

6938. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कश्मीर में सलाहकार पैनल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस पैनल से विस्थापितों को अस्थाई पुनर्वास में सहायता मिलेगी ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

देबारी जिंक स्मेल्टर, उदयपुर का कोबाल्ट रिकवरी संयंत्र

[हिन्दी]

6939. **श्री भेरुलाल मीणा** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देबारी जिंक स्मेल्टर, उदयपुर का कोबाल्ट रिकवरी संयंत्र चालू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक, वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) यह एक प्रकार का अनुसंधान और विकास संयंत्र है, और मार्च, 1991 में स्थापित हुआ था। मार्च से जून, 1991 के दौरान यह परीक्षण चालन पर रहा और अब तक का उत्पादन इस प्रकार है :—

जुलाई, 1991	—	*2 घन मीटर कोबाल्ट सल्फेट घोल
अगस्त, 1991	—	3 घन मीटर कोबाल्ट सल्फेट घोल

*1 घन मीटर कोबाल्ट सल्फेट = 80 कि० ग्रा० कोबाल्ट।

मुम्बई के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति

[अनुवाद]

6940. **श्री मोहन रावले** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई की टेलीफोन सलाहकार समिति कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उसका कब तक पुनर्गठन किये की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) मुम्बई की टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन पिछली कामचाऊ सरकार द्वारा मार्च, 1991 में किया गया था। इसके नामित सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तथापि, इस समिति के गठन की जांच की जा रही है।

विवरण

मुम्बइ की टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समिति के लिए
नामित नामों की सूची

I. संसद सदस्य

1. श्री मुरलीधर भण्डारे, संसद सदस्य (राज्य सभा)
   352, जे० एस० एस० रोड, गिरगौम, बंबई
2. श्री वीरेन शाह, संसद सदस्य (राज्य सभा)
   6-ए, सुनीता अपार्टमेंट्स, बी० जी० खेर मार्ग, मुम्बई

II. राज्य विधान सभा

1. श्री रमेश दुबे, विधान सभा सदस्य
   6-बी, लक्ष्मी एस्टेट, वर्मा नगर
   अंधेरी (पूर्व), बम्बई-400069
2. श्री श्री एकनाथ एम० गायकवाड, विधान सभा सदस्य
   219/8557, कन्नमवाड, नगर,
   विखरोली (पूर्व)
   मुम्बई-83
3. श्री जनार्दन एस० गौरी, विधान सभा सदस्य राज महल,
   खारी, पोस्ट-काल्वा,
   तहसील एवं जिला—थाणे
4. श्रीमती पार्वती परिहार, विधान सभा सदस्य
   काउंसिल हाउस, मुम्बई

III. राज्य प्रशासन

1. श्री दिनेश अफजलपुरकर, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी,
   बुएना-विस्टा, कोरशोर रोड, मुम्बई-400021

IV. निगम/नागरिक निकाय

1. श्री नागेश बी० पवार
   कृष्णा बिहार सहाकर
   गृह निर्माण संस्था
   प्रथम तल, साई नगर (तावरी पाडा)
   डा० एस० एस० राव मार्ग, लाल बाग, बम्बई-400012

2. श्री एस० एस० हुसैन
संयुक्त प्रबंधक निदेशक
सी० आई० डी० सी० ओ०, निर्मल, द्वितीय तल
नारीमन प्वाइंट
मुम्बई-400012

V. प्रेस

1. श्री रजत शर्मा
सम्पादक-"डेली"
503, एल इन्दिरा अपार्टमेंट्स
कारमीचल रोड-मुम्बई

2. श्री प्रीतीश नन्दी
सम्पादक-इलस्ट्रेटड वीकली
टाइम्स आफ इण्डिया बिल्डिंग
चौथा तल, दादा भाई नारौजी रोड, मुम्बई

3. श्री निखिल लक्ष्मण
सम्पादक-"मिड डे"
तारदेव-मुम्बई

4. श्री रघुनन्दन धर
द इक्नामिक टाइम्स
टाइम्स आफ इण्डिया बिल्डिंग
डा० डी० एन० रोड-मुम्बई-400001

5. श्रीमती दीना वकील
इण्डियन पोस्ट
बल्लारड पायर
मुम्बई

VI. चिकित्सा व्यवस्था

1. डा० मधुकर रेले
रेले बिल्डिंग, 34-पारेख स्ट्रीट,
मुम्बई

2. डा० रवि कावे
अम्बेर ए-2
नम्बर 2 पेटी क्रॉस रोड, बान्दरा,
मुम्बई-400050

VII. कानूनी व्यवसाय

1. श्री महेश जेठमलानी,
29-जोली मेकर्स
चैम्बर नम्बर-II

2. श्रीमती शुभा एस० वाग
भागीरथी सदन-17वां रोड
खार मुम्बई-400052

3. श्री एम० मानशिदे
I-प्रिया, वर्ली, सी फेस
वर्ली, मुम्बई

VIII. इंजीनियरी वास्तुविदों आदि जैसे अन्य सभी व्यवसाय

1. श्री० के० वेद, सी० ए०
कंचनजंगा
72-पेद्दार रोड
मुम्बई

2. श्रीमती अरूणा पी० ठक्कर
मानवी अपार्टमेंट्स
36-रिज रोड, मुम्बई-400006

IX. व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग

1. श्री वी० के० मोदी
मारवियल आर्क, चौथा तल,
पेडडार रोड, बम्बई

2. श्री सुशील कुमार तोडी, एम० डी० कोस्टल रोड
के-110 कश्वा, बान्दरा-कुर्ला काम्प्लेक्स, मुम्बई-51

3. डा० एम० पी० सिंह,
सुख-शान्ति अपार्टमेंट्स, विद्या निधि रोड
जहू स्कीम मुम्बई-47

4. श्री नसीम अहमद
लार्ड हाउस, दूसरा तल, भाटवाडी
थाणे

5. श्री सैय्यद कमरूल हसन
मैसर्स नसीम एन्टरप्राइजेज
फ्लैट नं० 255, बिल्डिंग नं०-2, जकारिया, अगाडी-1
यारी रोड, वरसोवा, मुम्बई

6. कैप्टन शशिकांत श्रीवास्तव
दिव्या स्मीत, फ्लैट नं० 5-ए
ईस्ट-वेस्ट रोड नं० 2, जे० वी० पी० डी० स्कीम, मुम्बई-49

7. श्री सत्यनारायण पुग्गलिया
बीकानेर भवन
अन्धेरी (ईस्ट)
मुम्बई

8. श्री मनोज एस० महेता,
6-ब्रज अपार्टमेंट्स,
नवरोजी लेन, घाटकोपर वेस्ट,
मुम्बई-400086

9. श्री एस० पी० भंसाली
प्लाट नं० 487, फ्लैट नं० 10
17वीं रोड, खार
मुम्बई-400052

10. श्री गिरधारी लाल झुनझुनवाला
"उषा किरण"
कारमीचकल रोड, मुम्बई-400026

11. श्री फराग सी० मेहता,
नरीमन प्लाइंट, मुम्बई

X. सामाजिक कार्यकर्ता तथा अन्य

1. श्री एस० एम० खालिद,
हाउस नं०-203, जोहरा मंजिल,
डुंगरी, मुम्बई

2. श्रीमती हेमन्त कुमारी, पत्नी-श्री एस० पी० सिंह,
8-अहिल्या, पायलट बुंदेर रोड
कोलाबा, मुम्बई

3. श्रीमती प्रतिमा सिंह, पत्नी-स्व० डी० पी० वी० सिंह,
12 मोती-हीरा अपार्टमेंट्स
जे० वी० रोड स्कीम, रोड नं० 5, अंधेरी (वेस्ट) मुम्बई

4. श्री के० ए० खां
भूतपूर्व विधायक
पीच डि० मेलो भवन
करनाक बुंदेर, मुम्बई

5. श्री जी० एन० सिंह
बी-13, थियोसॉफिकल सोसायटी, जुहू, मुम्बई

6. श्रीमती नादिरा जेड, बम्बर,
202, ओएस्टर शेल, जुहू, मुम्बई

7. श्रीमती जया बच्चन,
प्रतीक्षा, जूहू, मुम्बई

8. श्री सतीश कुमार टी० पुजारी
32/1035, टैगोर नगर,
विकरोली (ईस्ट) मुम्बई

9. श्रीमती मोहिनी बी० कलंत्री
2, वहेदना अपार्टमेंट्स,
75, हिल रोड, मुम्बई-400050

10. श्री क्रांति कुमार जैन सी/डी गिरिसंस (कोलाबा)
दुकान नं० 6, खुसरो बाग
शहीद भगत सिंह मार्ग,
कोलाबा, मुम्बई-400039

11. श्री ए० ए० काजी
ब्रिज व्यू, फ्लैट नं० 1001
16, हंसराज लेन, भैरगजा, मुम्बई

12. श्री गोपाल दत्ताराम धुखांडे
11/101, सिद्धार्थ नगर,
नं० 5, गोरेगांव, बंबई

13. श्री युसुफ लकाड़वाला
सन फलावर, कार्टर रोड, बांद्रा मुम्बई-50

14. श्री जगन्नाथ जयराम सोंखे, नील सागर, प्रथम मंजिल,
रिक्लेमेशन प्लांट नं० 10
बांद्रा (वेस्ट) बम्बई—400050

15. श्री मुरारी लाल सर्राफ
स्नेह बदन, गमडिया रोड मुम्बई-400026

16. श्री हाशिम सुर्वे

17. श्री रमेश चन्द्र सिंह एडवोकेट
राम निकेतन, सिंह एस्टेट,
राम मन्दिर रोड, गोरेगांव, मुम्बई

18. श्री विमल भारतिया, 30/466/आजाद नगर
वीरादेसाई रोड, अंधेरी (वेस्ट) मुम्बई

19. सुश्री अनुराधा रोहिल
चन्द्रा इंडस्ट्रीज, ओल्ड नगर
दासरोड, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई

20. श्रीमती ग्लैडीज माथियस, कान्वेन्ट एवेन्यू
सांता क्रुज (वेस्ट) मुम्बई

21. श्री विजय भोंसले
51/5 बी, पनोदर पार्क घाटकोपर (वेस्ट) मुम्बई

22. श्री शैलेन्द कुमार दुबे
के 1/14 डी० एन० नगर, पी० रोड
अंधेरी (वेस्ट) मुम्बई-400058

23. श्री वेद प्रकाश अग्रवाल
17/बी मानेक भवन, एल डी रूपारेल
मुम्बई-400006

24. श्री नरेन्द्र गोयल
221-222 "क्षितिज"
48, नेपियन सी रोड मुम्बई

25. श्री आर० के० झुनझुनवाला
3, सीतल नगर, प्रथम मंजिल
सीतलबाग, 64, वाल्केश्वर रोड
मुम्बई—400006

26. श्री बी० डी वर्मा
129, देसाई मार्किट
मोदी स्ट्रीट फोर्ट मुम्बई

27. श्री पवन एस० सिंह
पांचवी मंजिल, जीवन विहार
मानव मंडल रोड, मुम्बई—26

28. श्री बी० एस० गोयल
302, आर्शीवाद भवन,
चौथी मंजिल, कमरा नं० 14, फोर्ट
पी० डी० माले रोड, मुम्बई

29. श्री कन्हैया लाल गिडवानी
सेंट्रल बैंक बिल्डिंग
चौथी मंजिल, कमरा नं० 14, फोर्ट मुम्बई—23

30. डा० हजल डिलीमा
निर्मला निकेतन
कालेज आफ सोशल वर्क,
38, न्यू मैरीन लाइन्स, मुम्बई—20

31. श्री श्याम अग्रवाल,
27, नेपियन रोड, मुम्बई

मुम्बई में टेलीफोन एक्सचेंज

6941. **श्री मोहन रावले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उनका आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) बम्बई में 16 पुराने एक्सचेंज है।

(ख) से (ग) जी हां। संलग्न विवरण में दिये गए ब्यौरे के अनुसार मार्च, 1994 तक इन एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर बदलने की योजना है।

विवरण

बम्बई में पुरानी एक्सचेंजों का वितरण

क्रम सं०	एक्सचेंज	कोड	टाइप	उपस्करित क्षमता लाइनें	बदलने के लिए प्रस्तावित समय अवधि
1.	मांडवी-1	32	स्ट्रोजर	7600	मार्च, 92
2.	मांडवी-2	33	स्ट्रोजर	9900	मार्च, 92
3.	गामदेवी-1	35	स्ट्रोजर	7800	मार्च, 94
4.	बाईकूला-1	37	स्ट्रोजर	3800	मार्च, 92
5.	बाईकूला-2	39	स्ट्रोजर	4100	मार्च, 92
6.	शिवाजी पार्क-1	45	स्ट्रोजर	8000	मार्च, 93
7.	खार-2	54	स्ट्रोजर	6000	मार्च, 94
8.	बोरीवली-1	66	स्ट्रोजर	3300	मार्च, 93

1	2	3	4	4	5
9.	मलाड-1	69	स्ट्रोजर	8400	मार्च, 93
10.	चैम्बूर	52	स्ट्रोजर	9900	मार्च, 92
11.	थाने-1	50	स्ट्रोजर	3500	मार्च, 93
12.	उरन	एन बी	स्ट्रोजर	600	मार्च, 93
13.	कूपरेज-3	22	पैन्टाकोंटा क्रासबार	3400	मार्च, 94
14.	सिटी-1	25	पैंटाकोंटा क्रासबार	10,000	मार्च, 93
15.	सिटी-2	29	पैंटाकोटा क्रासबार	10,000	मार्च, 93
16.	सिटी-3	31	पैंटाकोंटा क्रासबार	10,000	मार्च, 93

फास्फोरिक एसिड संयन्त्र की स्थापना

[हिन्दी]

6942. **श्री भेरूलाल मीणा** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देबारी जिंक स्मैल्टर, उदयपुर फास्फोरिक एसिड संयंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संयन्त्र में अब तक कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या मातून खान से कोई पाइपलाइन बिछायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पाइपलाइन के द्वारा इस संयंत्र को कितनी सामग्री की आपूर्ति की गयी है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां ।

(ख) अगस्त, 1991 तक 420430 मेट्रिक टन फास्फोरिक एसिड का उत्पादन किया गया।

(ग) जी हां

(घ) अगस्त, 1991 तक देबारी जिंक स्मैल्टर को पाइपलाइन द्वारा 59,090 मेट्रिक टन राक-फास्फेट सप्लाई किया गया ।

मदर डेरी के दूध के मूल्य में वृद्धि

[अनुवाद]

6943. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी ने हाल में अपने बिक्री केन्द्रों से बेचे जाने वाले दूध के मूल्य में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) मदर डेरी ने 28 अगस्त, 1991 से दूध का विक्रय मूल्य बढ़ा दिया हैं । डबल टोंड दूध का मूल्य 5.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ा कर 6.00 रुपये प्रति लीटर और मानकीकृत दूध (पोली पैक में) का मूल्य 8.00 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 8.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है । दूध और स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा श्वेत मक्खन जैसी जिंसों के खरीद मूल्य में वृद्धि होने के कारण दूध के उपभोक्ता मूल्य में संशोधन किया गया है।

आंध्र प्रदेश के टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

6944. श्री जी० एम० सी० बालयोगी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां ।

(ख) जिन विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों को 1991-95 के दौरान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(1)	मैनुअल एक्सचेंज	85
(2)	छोटे इलैक्ट्रो मैकेनिकल आटोमैटिक एक्सचेंज	300
(3)	मध्यम इलेक्ट्रो मैकेनिकल	88
(4)	मुख्य इलेक्ट्रो मैकेनिकल आटोमैटिक एक्सचेंज	5

मखाना और अरहर का उत्पादन और निर्यात

[हिन्दी]

6945. श्री भोगेन्द्र झा :

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मखाना और अरहर की फसलें उत्तरी बिहार में उगायी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन फसलों के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तानपल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तरी बिहार में, खासकर मधुबनी, दरभगा, समस्तीपुर पूर्णिया और कटिहार के जिलों से मखाना तथा अरहर की फसलें उगाई जाती है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बिहार और पश्चिम बंगाल में मखाना के एकत्रीकरण तथा मूल्यांकन से संबद्ध एक तदर्थ योजना का क्रियान्वयन किया है तथा

यह योजना 3 वर्ष की अवधि के लिए 1.03 लाख रुपए की कुल लागत पर राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार में क्रियान्वित की जा रही है। राज्य सरकार भी अरहर तथा मखाना की खेती के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान कर रही है। कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपेडा) ने मखाना के निर्यात को लोकप्रिय बनाने के लिए 1990 के दौरान दुबई अन्तर्राष्ट्रीय बसन्त मेला में मखाना पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था।

दिल्ली में सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली

[अनुवाद]

6946. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी 1991 की रिपोर्ट सं० 3 में दिल्ली में सहकारी समितियों के कार्यकरण में अनियमितताओं पर प्रकाश डाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उल्लिखित पैरे तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रमांक	पैरा सं० 1990	पैरा का संक्षिप्त विषय	की गई सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट
1	2	3	4
1.	2.1	**भूमिका**—इस पैरा में यह उल्लेख किया गया है कि सहकारिता क्या है और 1973 में दिल्ली में कोपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम, 1972, क्यों लागू किया गया।	यह पैरा विभाग खोलने के सम्बन्ध में है तथा किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
2.	2.2	**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र**—जनवरी से जुलाई तक के रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसाइटीज के दौरान 1985-86 से 1989-90 तक के वर्षों के रिकार्ड के जांच परीक्षण किए गए थे।	किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
3.	2.3	**संगठनात्मक ढांचा**—यह विभाग के संगठनात्मक ढांचा से सम्बन्धित है।	किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं हैं।

1	2	3	4
4.	2.4	**विशिष्टिताएं**—यह पैरा लेखा परीक्षा अधिकारी के प्रेक्षण से सम्बन्धित है जिसकी रिपोर्ट के अगले पैरे में चर्चा की गई है।	अगले पैरे में प्रत्येक विशिष्ट मुद्दे के सामने ऐसी टिप्पणियां दी गई हैं।
5		**निधि का आबंटन और व्यय**—इस पैरा में 1985-86 से 1989-90 की अवधि में निधि का आबन्टन और व्यय के ब्यौरे दिए गए हैं।	यह वास्तविक है और किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
6.	2.6	**समितियां, जो कार्यरत नहीं हैं** : मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार इस अधिनियम के 6618 समितियों को पंजीकृत किया गया था। इस श्रेणी की 4609 समितियां—औद्योगिक बचत एवं ऋण, उपभोक्ता सहकारी भण्डार भवन निर्माण तथा बहुउद्देशीय पैकेज (ग्रामीण) में से, 1297 समितियां परिसमापन के तहत थी तथा 740 समितियां मृत थीं। इस प्रकार 31 मार्च, 1989 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के तहत उन समितियों की संख्या जो कार्यरत नहीं थी, 26 से 67 प्रतिशत के बीच थी।	1. ऐसी समितियों के कारण एवं प्रभाव के अध्ययन करने का कार्य पहले ही उप पंजीयक के रैंक के वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दिया गया है।
		विभाग ने जुलाई, 1990 में कहा कि परिसमाप्त होनी वाली समितियों तथा मृत घोषित समितियों के सम्बन्ध में कारण और प्रभाव विश्लेषण का काम शुरू नहीं किया गया था।	2. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शहरीकरण बहुत बड़ी संख्या में अप्राधिकृत कालोनियां बनने से कृषि आधारित ग्रामीण समितियों का महत्व कम हो गया है। ग्राम्य आधारित बहुउद्देशीय समितियों, औद्योगिक समितियों तथा उपभोक्ता सहकारी भण्डारों ने कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा कच्चे माल तथा मशीनरी के मूल्यों में उच्च मुद्रास्फीती के कारण अपनी व्यावहार्यता खो दी है।
7.	2.7.1	**परिसमापन के तहत उच्च प्रतिशतता**-परिसमापन के तहत समितियों की संख्या बढ़ रही है। परिसमपन के तहत जाने	वर्ष 1980 में परिसमापन के तहत समितियों की सं०885 थी, 1986 में यह संख्या 1230 थी और आज

1	2	3	4
		वाली समितियों की उच्च प्रतिशतता के कारण भी बढ़ रहे हैं।	की स्थिति के अनुसार उनकी संख्या 1297 है। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि परिसमापन के तहत जाने वाली समितियों की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण पा लिया गया है। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संलग्न सारणी स्पष्ट से दर्शाती है कि केवल 0.3 प्रतिशत औद्योगिक समितियों तथा 6.5% उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का 1986-90 के दौरान परिसमापन किया गया था।
	2.7.2	सहकारी समिति नियमावली 1973 यह निर्धारित करती है कि किसी समिति के समापन की कार्यवाही समापन के आदेश से 1 वर्ष के भीतर बंद कर दी जाएगी। जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा यह अवधि बढ़ाई न जाए। रजिस्ट्रार किसी समय पर 6 माह से अधिक की अवधि के लिए समय बढ़ाने और कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक के लिए स्वीकृति नहीं देगा तथापि कुछ समितियां 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए परिसमापन के तहत रखी गई थी।	जनवरी, 1990 से अगस्त, 1991 के बीच विभाग ने 351 समितियों की परिसमापन कार्यवाहियों को अन्तिम रूप दिया है। शेष मामलों में यथा शीघ्र कार्यवाही को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। डी०सी०एस० नियमावली के नियम 105 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित 3 वर्ष की अवधि ऐसी स्थिति में नहीं लागू होती है जब सरकारी या वित्तीय बैंक के बकाये हो। हम अपने वित्त विभागों से परामर्श ले रहे हैं कि बकायों को कैसे छूट दिया जाये जबकि समितियां वर्षों पहले से काम करना बन्द कर दी हैं और कोई मूल्यवान परिसम्पत्ति नहीं हैं।
8.	2.8	बकाया अंशपूंजी—31 मार्च, 1990 को अंशपूंजी की एक मुश्त बकाया धन राशि 48.52 लाख रुपए थी। 42.16 लाख रु० कार्यकारी समितियों पर बकाया धनराशि थी जिसमें दिल्ली उपभोक्ता सहकारी होलसेल स्टोर लिमिटेड पर 6·65 लाख रुपए सहकारी	1-4-1990 से अगस्त, 1991 तक विभागीय प्रयासों से 11.65 लाख रुपए की वसूली हुई है। विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और समितियों के कार्यालयों से राशि एकत्रित करने के लिए क्षेत्रीय कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

1	2	3	4
		स्टौर लिमिटेड, नई दिल्ली (सुपर बाजार) पर 6.16 लाख रुपए और परिसमापन कार्यवाही के तहत आने वाली समितियों पर 5.76 लाख रुपए की बकाया धनराशि थी।	
9.	2.9	बकाया ऋण—कुल बकाया ऋण जिन्हें अभी वसूल किया जाना है बिना ब्याज के 34.70 लाख रुपए है और उस पर लगने वाला ब्याज 27.82 लाख रुपए है। वसूली के लिए बकाये कुल ऋण के वास्तविक आंकड़ों और सरकारी संकलन "तथ्य एवं आंकड़े" में उल्लिखित आंकड़ों में 2.58 लाख रुपए का अन्तर है।	1. समितियों के कार्यालय से उक्त धनराशि की वसूली के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्षेत्रीय कर्मचारियों को इस कार्य में लगा दिया गया है। समीक्षा के पश्चात अगस्त, 1991 तक बकाये ऋण की वसूली बिना ब्याज के 9.39 लाख रुपए की गई और उस पर 4.11 लाख रुपये ब्याज वसूल किया गया। 2. 1988 से पहले बकाया ऋणों/अभिदत्तराशियों हिस्सापूंजी आदि के समुचित लेखा-जोखा तैयार नहीं किया जाता था क्योंकि पहले लेखा प्रक्रिया लेखा में अप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा की जाती थी। नियमित लेखा अधिकारी की नियुक्ति के बाद वर्ष 1988 से समुचित रूप से लेख तैयार किया जाने लगा। बकाया ऋण और सरकारी संकलन तथ्य एवं आंकड़ों में उल्लिखित आंकड़ों में होने वाला अन्तर एक लिपिकीय त्रुटि थी अतः इसको ठीक कर लिया गया।
10.	2.10	बकाया लाभांश—(2) यह सूचना दी गई थी कि केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार (केन्द्रीय भण्डार) और सब्जी उपभोक्ता संघ लिमिटेड अहमदाबाद ने लाभों की सद्घोषणा कर दी है। उनके द्वारा प्रशासन को देय लाभांश	देय धनराशि का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि स्तम्भ (3) में उल्लिखित लाभांशों का भुगतान भारत सरकार के शेयर पूंजी अंश दान के बदले में कर दिया गया है।

1	2	3	4
		निम्नलिखित था : वर्ष — देय धनराशि 1986-87 — 1.41 लाख रुपए 1987-88 — 3.44 लाख रुपए 1988-89 — 0.22 लाख रुपए कुल — 5.07 लाख रुपए लाभांशों की वसूली नहीं की गई है।	इस तरह लाभांशों का दिल्ली प्रशासन को न करके भारत सरकार को किया जाना था।
11.	2.11	**निर्वाचन**—ऐसे मामलों में जहां पर कि समिति निर्धारित समय के भीतर अपनी समिति की निर्वाचन कराने में असफल रहती है तो वहां पर रजिस्ट्रार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से समिति का निर्वाचन सकता है। बड़ी संख्या में समितियों का निर्वाचन न कराया जाना यह दर्शाता है कि रजिस्ट्रार में निहित शक्ति का समितियों के प्रजातांत्रिक कार्य प्रणाली कोसु निश्चित करने में कारगर प्रयोग नहीं किया जा रहा था।	निर्वाचन कराये जाने से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन और प्रबोधन करने के लिए हमने सहायक रजिस्ट्रार की अध्यक्षता वाले एक निर्वाचन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इस सम्बन्ध में समितियों पर नजर रखने के लिए अलग से रजिस्टर भी तैयार किए गए हैं।
12.	2.12	दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 में व्यवस्था है कि रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार हरेक सहकारी समिति के लेखों की लेखा-परीक्षा करेगा अथवा करवाएगा। यह पाया गया कि काफी अधिक समितियों की काफी वर्षों से लेखा परीक्षा नहीं की गई थी, जिसके फलस्वरूप, बहुत अधिक बकाया हो गया। लेखा-परीक्षा शुल्क की बकाया राशि का बकाया बहुत अधिक हो गया है। विभाग ने सांविधिक अथवा अन्य उपचारात्मक उपायों की व्यवस्था करने के लिए उठाए गए कदमों का सविस्तार	1. लेखा परीक्षा नीति की सम्यक समीक्षा की गई थी तथा लेखा परीक्षक को समय पर पूरा करने में दोषी पाए गए सनदी लेखाकरों की काली सूची तैयार की गई है तथा मौजूदा वर्ष में लेखा परीक्षाओं का आबंटन नहीं किया गया है। 2. यह निर्णय लिया गया है कि समय पर लेखा-परीक्षा पूरा करने वाले सनदी लेखाकारों को प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त लेखा परीक्षा करने को दिया जाए। 3. आंतरिक लेखा-परीक्षकों के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं

1	2	3	4
		प्रतिपादन नहीं किया है।	तथा उनके निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। 4. लेखा परीक्षा शुल्क के बकायों का परिसमापन करने लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
13.	2.13	सभी सम्बन्धितों का मार्ग निर्देशन करने के लिए विभाग के पास कोई मैनुअल नहीं है, जोकि समन्वयन तथा कार्रवाई की एकरूपता के लिए अनिवार्य है।	सहकारी मैनुअल को तैयार करने के सम्बन्ध में सन 1986 से विचार किया जा रहा है। मैनुअल का संकलन करने के लिए पहले ही भरसक प्रयास किए जा चुके हैं तथा कार्य दिल्ली राज्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र को पहले ही सौंप दिया गया है।

टिप्पणी : यह उल्लेख करना भी संगत है कि तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है ताकि विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा सके तथा इस प्रणाली की कमियों को पूरा करने के लिए उपाय सुझाए जा सकें।

पान के पत्ते की खेती

[हिंदी]

6947. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा पान के पत्ते का आयात न करने के कारण पान उत्पादकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो नए अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की तलाश करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) पान संबंधी अनुसंधान का लाभ इन पान के पत्तों के उत्पादकों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं मिली है कि पाकिस्तान द्वारा पान के पत्तों का आयात न करने से पान उत्पादक प्रभावित होते हैं।

(ग) सरकार ने पान के पत्तों से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से पान के पत्तों से सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम केतहत गहन अनुसंधान किया है। यह प्रौद्योगिकी, प्रदर्शनों विस्तार एवं तकनीकी बुलेटिनों के माध्यम से अन्तरित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में टेलीफोन कनेक्शन

6948. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 1988 से लेकर श्रेणीवार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान वर्षवार और श्रेणीवार कितने टेलीफोन कनेक्शन जाए किए गये;

(ग) अभ्यार्थियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अलीगढ़ जिले में कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ स्थापित किए गये ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 1988 से 31-7-1991 तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है :

	प्रतीक्षा सूची की तारीख				
श्रेणी	**31-3-88**	**31-3-89**	**31-3-90**	**31-3-91**	**31-7-91**
ओ० वाई० टी०	43	92	8	5	2
गैर-ओ०वाई०टी० विशेष	190	354	87	46	51
गैर-ओ०वाई०टी० सामान्य	780	1396	1083	1719	1414

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की वर्षवार तथा श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है :

श्रेणी	**1988-89**	**1989-90**	**1990-91**
ओ० वाई० टी०	81	266	178
गैर-ओ० वाई० टी० विशेष	5	594	232
गैर-ओ० वाई० टी० सामान्य	28	1157	1174

(ग) इस वर्ष (1991-92) अलीगढ़ जिले के दो एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है। ये टेलीफोन एक्सचेंज अलीगढ़ और हाथरस के हैं जिनका क्रमशः 1200 लाइनों तथा 508 लाइनों तक विस्तार किया जाना है। इससे अधिकांश प्रतीक्षा सूची का निपटान हो जाएगा × शेष प्रतीक्षा सूची मार्च, 1993 तक निपटा दिए जाने की आशा है।

(घ) अलीगढ़ जिले में पिछले वर्षों के दौरान 127 सार्वजनिक टेलीफोन घरों की स्थापना की गई जिनमें से 6 टेलीफोन घर एस० टी० डी० सुविधा वाले और 38 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन थे।

उत्तर प्रदेश में एस० टी० डी० सुविधा वाले सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

6949. **श्री राम बदन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991-92 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा वाले कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त राज्य में ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के आवंटन हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ग) उक्त राज्य में वर्ष 1991-92 के दौरान कितने डाकघरों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों के एस० टी० डी० सुविधा वाले सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के आवंटन हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं और वर्ष 1991-92 के दौरान उनमें से कितने आवेदकों को उक्त केन्द्र आवंटित कर दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 800

(ख) 550

(ग) शून्य

(घ) सूचना निम्नानुसार है :—

	लम्बित आवेदन	जिन्हें 1991-92 के दौरान आवंटित किए जाने की संभावना है
आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश	35	13
मऊ जिला उत्तर प्रदेश	10	3

पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

[अनुवाद]

6950. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दुर्गम पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में रेडियो टेलीफोन पर आधारित लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों पर ऐसे ग्रामीण रेडियो टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरे संलग्न में दिए गए हैं।

(ग) ग्रामीण रेडियो टेलीफोन प्रणालियां निम्नलिखित स्थानों पर संस्थापित की गई हैं ।

1. नान्देड़
2. कुरूदवाड़ी
3. धरानी
4. सालेकासा
5. बारशी
6. जूनावेन
7. धुले
8. बेटावाड़

विवरण

महाराष्ट्र के पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए नियोजित मल्टी एसेस ग्रामीण रेडियो प्रणालियों का ब्यौरा

क्रम सं०	जिले का नाम	पहाड़ी क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र
1.	अहमदनगर	अकोले	—
2.	धुले	संगमनेर	—
3.	कोल्हापुर	गाधिंगलाज	—
4.	नासिक	इगतपुरी	—
5.	पुणे	भोर	—
6.	पहनागिरि	जुन्नार	—
7.	सतारा	राजापुर	—
8.	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	—
9.	थाने	शाहापुर	शाहपुर
10.	कोल्हापुर	चांदगाद	—

पुराने सरकारी दस्तावेज जारी करना

6951. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मंत्रिमंडलीय दस्तावेज तीस वर्षों से अधिक पुराने सरकारी दस्तावेज जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वतन्त्रता से पूर्व अन्तरिम सरकार की स्थापना से लेकर वर्ष 1961 तक की अवधि के विकास सम्बन्धी अध्ययन और अनुसंधान में रूचि रखने वाले तथा विद्वानों को इस अवधि के दस्तावेज उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार

6952. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में सम्बन्धित खाड़ी देश से बात की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) ये शिकायतें संविदा का उल्लंघन या उसमें परिवर्तन करने तथा व्यक्तिगत स्तर पर परेशान किए जाने के बारे में हैं।

(ग) जी, हां ।

(घ) सबसे पहले इस बात की कोशिश की जाती है कि नियोजन और नियोक्ता के बीच के झगड़े की इन शिकायतों को भारतीय राजदूतावास के माध्यम से तय कर दिया जाए; जरूरत पड़ने पर स्थानीय श्रम न्यायालयों से शिकायत दूर करने के लिए अनुरोध किया जाता है और वहां भी अगर फैसला न हो पाए तो मामले को सम्बद्ध स्थानीय सरकार के साथ उठाया जाता है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में अभ्रक के भण्डार

[हिन्दी]

6953. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बिहार में संथाल परगना और छोटा नागपुर में अभ्रक के प्रचुर भण्डारों को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष कार्य योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में स्वर्णरेखा घाटी में सोने के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ स्थापित करना

6954. श्री विश्वनाथ शर्मा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, बांदा, जलौन, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथोरागढ़ जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थानों पर कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए हैं; और

(घ) निकट भविष्य में स्थापित किए जाने वाले सार्वजनिक टेलीफोनों का क्षेत्रवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	लम्बी दूरी के सार्वजनिक प्रस्तावित	टेलीफोन स्थापित	प्रस्तावित स्थानीय एस०टी० डी०	स्थापित लगाये गये पी०सी० ओ०
1.	अलमोड़ा	अलमोड़ा सदर	39	2	2	2
		रानी खेत	28	—	—	—
		द्वाराहाट	25	—	—	—
2.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ (सदर)	20	—	40	—
		पिथौरागढ़	30	—	—	—
3.	नैनीताल	नैनीताल सदर	12	—	3	3
		कालिका	15	—	—	—
		हलद्वानी	15	—	1	1

1	2	3	4	5	6	7
		रुद्रपुर	17	—	3	1
		काशीपुर	10	—	2	—
		रानीनगर	8	—	1	2
	4. झांसी	झांसी (सदर)	15	—	14	—
		मोठ	15	—	—	—
		गारौथा	20	—	—	—
		मोरनीपुर	15	—	—	—
	5. बांदा	बांदा (सदर)	16	—	—	—
		बाबेरू	20	—	—	—
		नारायणी	20	—	—	—
		बारबी	20	—	—	—
		माऊ	20	—	—	—
	6. जालौन/उरई	उरई/जालौन (सदर)	10	—	—	—
		कौंच	15	—	—	—
		कालपी	10	—		—
	7. ललितपुर	ललितपुर (सदर)	35	—	5	—
		महरौनी	36	—	—	—
	8. हमीरपुर	हमीरपुर (सदर)	9	—	—	—
		मौदाहा	10	—	—	—
		माहोबा	4	—	—	—
		चनखरी	11	—	—	—
		रथ	8	—	—	—
		योग	519	2	91	9

भारत-पाकिस्तान के बीच पुनर्गठित तथा आपसी विश्वास की भावना बढ़ाना

[अनुवाद]

6955. डा० जी० एल० कनोजिया : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका तथा ब्रिटेन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पुनर्मेल कराने तथा आपसी विश्वास की भावना बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां। अमरीका के राष्ट्रपति ने मई, 1990 में एक विशेष दूत भारत भेजा था।

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में किए गए प्रयासों की सराहना करती है।

उच्च स्तरीय नेपाली कूटिक बल का दौरा

6956. **डा० जी० एल० कनोजिया** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्च स्तरीय नेपाली कूटिक बल ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर अनुवर्ती चर्चा के लिए हाल ही में भारत का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां। भारत नेपाल उच्च स्तरीय कार्यदल की दूसरी बैठक के सिलसिले में एक उच्च स्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमंडल 1 से 3 सितम्बर, 1991 तक भारत की यात्रा पर आया था।

(ख) इस बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग से समृद्ध आपसी हित के विविध विषयों पर विचार विमर्श किया गया था जिनमें व्यापार, पारगमन, अनधिकृत व्यापार और नियंत्रण तथा उद्योग, नागरिक विमानन, शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग भी शामिल है। यह बातचीत आगे की बैठकों में भी जारी रहेगी। यह उच्च स्तरीय कार्य दल भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगा।

तिल के बीजों का निर्यात

6957. **श्री के० वी० तंगाबालू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैफेड ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के तिल के बीजों का निर्यात किया; और

(ख) 1989-90 और 1990-91 के दौरान घरेलू बाजार में तिल के बीजों की प्रचलित बाजार दर क्या थी ?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान नाफेड द्वारा किया गया तिल के बीजों का निर्यात निम्नलिखित है :—

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)	मूल्य (लाख रुपए में)
1988-89	220	24.50
1989-90	4115	517.31
1990-91	18	3.00

(ख) 1989-90 और 1990-91 के दौरान चार प्रमुख केन्द्रों पर प्रति क्विंटल थोक मूल्य की सीमा निम्नलिखित थी :—

केन्द्र	वर्ष	
	1989-90	1990-91
(1) हैदराबाद	700-740 रु०	998-1125 रु०
(2) बम्बई	1000-1525 रु०	1250-1550 रु०
(3) बरहामपुर (उड़ीसा)	800-1040 रु०	780-1200 रु०
(4) कानपुर	755-1135 रु०	1260-1450 रु०

विदेशी एजेंटों को दिया गया कमीशन

6958. **श्री के० वी० तंगाबालू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैफेड द्वारा विदेशी एजेंट नियुक्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(ख) इस समय "नैफेड" के पैनल में कितने विदेशी एजेंट हैं और ये किन-किन वस्तुओं के लिए नियुक्त हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन एजेंटों को वस्तुवार कुल कितने कमीशन का भुगतान किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) विदेशी एजेंटों की नियुक्ति नाफेड के निदेशक बोर्ड की वाणिज्यिक समिति करती है।

(ख) नाफेड एजेंटों का कोई पैनल नहीं रखता है। तथापि प्याज निर्यात के लिए व्यापार प्राप्त करने के लिए नाफेड ने एक एजेंट की नियुक्ति की है और रामतिल के बीजों का निर्यात करने के लिए नाफेड ने यूनिवर्सल कोपरेटिव्स इंक, यू० एस० ए० के साथ बिक्री एजेंसी सम्बन्धी समझौता किया है।

(ग)

वर्ष	दिया गया कमीशन	
	प्याज	रामतिल
1988-89	41.65	39.32
1989-90	9.96	28.70
1990-91	97.11	37.73

नैफेड में भर्ती किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

6959. **श्री के० वी० तंगाबालू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नैफेड में विभिन्न संवर्गों में कितने उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है; और

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवार हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सितम्बर, 1988 से अगस्त, 1991 तक की गत तीन वर्षों की अवधि में नाफेड में विभिन्न संवर्गों में 60 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

(ख) उनमें से एक कर्मचारी अनुसूचित जाति का है।

अमरीका को रामतिल के बीजों की खेप बिक्री

6960. **श्री के० वी० तंगाबालू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नैफेड" संयुक्त राज्य अमेरिका को खेप के आधार पर रामतिल के बीजों की बिक्री कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को खेप के आधार पर कितनी मात्रा में रामतिल के बीजों की बिक्री की गई; और

(घ) "नेफेड" द्वारा अमरीका को रामतिल के बीजों का सीधे निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) नेफेड के आधार पर मैसर्स यूनीवर्सल कोआपरेटिव इंक यू० एस० ए० के साथ उनके मार्फत रामतिल के बीजों की बिक्री के लिए बिक्री एजेंसी से सम्बद्ध एक समझौता किया है। रामतिल के बीजों के स्टाक पारस्परिक सहमत सी० आई० एफ० मूल्य पर दिए जाते हैं, जो संयुक्त राज्य अमरीका में प्रचलित मूल्य पर आधारित है। रामतिल के बीजों का लदान केवल साख-पत्र पर ही किया जाता है तथा भुगतान पहले ही करा लिया जाता है। अधिकतम बिक्री करने के लिए या तो वायदा व्यापार में या मौके के आधार पर नेफेड के परामर्श से संयुक्त राज्य अमरीका में मैसर्स यूनीवर्सल कोआपरेटिव द्वारा स्टाक का निपटान किया जाता है।

(ग)

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)	पोत पर्यन्त मूल्य (लाख रुपए में)
1988-89	4410	513.64
1989-90	3395	267.18
1990-91	6834	927.34

(घ) नेफेड ने नियमित अन्तरालों पर प्रस्तावों के साथ अमरीका में रामतिल के सभी महत्वपूर्ण खरीददारों के साथ सम्पर्क किया। अमरीका में रामतिल के महत्वपूर्ण खरीददारों के साथ भी व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया, ताकि उनके साथ व्यापार बढ़ाया जा सके। नेफेड के ऐसे प्रस्तावों का उत्तर प्राप्त होने पर इच्छुक खरीददारों के साथ व्यापार को अन्तिम रूप दिया जाता है।

बंगलादेश के विदेश मंत्री का दौरा

6961. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के विदेश मंत्री हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी भारतीय नेताओं के साथ किन-किन द्विपक्षीय विषयों पर बातचीत हुई और इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) जी, हां। बंगलादेश के विदेश मंत्री की 26-29 अगस्त, 1991 तक हाल की भारत यात्रा के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया था। जिन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था वे हैं : तिन बीघा नदी जल का बंटवारा, चकमा शरणार्थी तथा अवैध आप्रवासन। इस बात पर सहमति हुई थी कि अनसुलझे मसलों को हल करके तथा भविष्य में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक रचनात्मक रवैया अपनाकर द्विपक्षीय सम्बन्धों को और सुदृढ़ करना दोनों देशों के आपसी हित में है।

कालीकट दूर-संचार डिवीजन में एस० टी० डी० सुविधा

6962. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान कालीकट दूर-संचार डिवीजन के अन्तर्गत एस०टी०डी० सुविधा कितने दूरभाष केन्द्रों को प्रदान की जायेगी; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) 1991-92 के दौरान कालीकट सेकेन्डरी स्विचन क्षेत्र में पांच टेलीफोन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें से बालूस्सेरी में एस० टी० डी० सुविधा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। बेंगरा, तिरूरंदरी एवं मल्लापुर जिले के ऐडापल तथा कालीकट जिले के कडालुर्ड में एस० टी० डी० सुविधा 1991-92 के दौरान प्रदान किए जाने की योजना है।

केरल के अप्रवाही जल में मछलियों में रोग

6963. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अप्रवाही जल में कुछ रोग फैलने के कारण अत्यधिक मात्रा में मछलियां नष्ट हो गई हैं;

(ख) क्या इस रोग के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले, इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को कितनी सहायता दी गई; और

(घ) इस महामारी के कारण जिन मछुआरों को भारी नुकसान हुआ है उन्हें कितना मुआवजा दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) केरल सरकार ने हाल ही में बताया कि वेम्बेनड नामक झील में अज्ञात रोग से मछलियां प्रभावित हो गई हैं।

(ख) और (ग) बैरकपुर स्थित सेन्ट्रल इन्लैंड केप्चर फिशरीज रिसर्च इंस्टिट्यूट तथा मद्रास स्थित सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर के मछली रोग विशेषज्ञ केरल भेजे गए हैं, ताकि

व्यापक जांच-पड़ताल की जा सके तथा उपचारात्मक उपाय सुझाए जा सकें। जांच-पड़ताल चल रही है।

(घ) मुआवजा देने सम्बन्धी कोई योजना नहीं है।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सिंचाई बांड जारी करना

6964. **श्री एच० डी० देवगौड़ा** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में कार्यान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने की दृष्टि से सिंचाई बांड जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर सिंचाई विकास बैंक स्थापित किए जाने की संभावनाओं की जांच करनी चाहिए ताकि सिंचाई क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सकें। कर्नाटक सरकार ने, विकल्प के रूप में, यह प्रस्ताव किया है कि यदि भारत सरकार ऐसा बैंक स्थापित किए जाने के पक्ष में नहीं है तो कर्नाटक सरकार को सिंचाई बांडों को जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार सिंचाई वित्त निगम स्थापित किए जाने की संभावना का पता लगा रही है, जिसके न होने पर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को तेजी से पूरी करने हेतु विशेष योजना सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

कर्नाटक को मूंगफली की फसल के लिए ऋण

6965. **श्री एच० डी० देवगौड़ा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में मूंगफली की फसल के लिए केन्द्र सरकार से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक को शीघ्रातिशीघ्र ऋण मंजूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) 1986-87 के दौरान, कर्नाटक सरकार ने चुनिन्दा सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भेजा था। इसमें मूंगफली के किसानों के लिए एक विशेष स्तरीय संस्थागत ऋण व्यवस्था के बारे में एक प्रस्ताव शामिल था। भारत सरकार द्वारा कतिपय सुझाव दिये गये थे लेकिन उसके बाद इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के साथ अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई। तथापि नाबार्ड द्वारा ऐसे तिलहन उत्पादकों के लिए, जो कि सहकारी समितियों के सदस्य हैं, अन्य राज्यों के साथ कर्नाटक के लिए एक विशेष स्तरीय ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी।

कर्नाटक में अपक्षीण भूमि को खेती योग्य बनाना

6966. **श्री एच० डी० देवगौड़ा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार के पास राज्य में पाइलट परियोजना आधार पर अपक्षीण भूमि को खेती योग्य बनाने हेतु कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, राज्य द्वारा प्रस्ताव को पुनः तैयार करने की आवश्यकता है और इसलिए इसे राज्य को लौटा दिया गया है। अतः, परियोजना को स्वीकृति देने का प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली में दुग्ध उत्पादों पर प्रतिबन्ध

6967. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत क्रीम से मक्खन बनाने पर रोक लगाई हुई है;

(ख) क्या दिल्ली में दूध से निकाली जाने वाली क्रीम पर रोक लगाई हुई है;

(ग) क्या 1991 के दौरान सरकार को दिल्ली में दुग्ध नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के किसी मामले की जानकारी है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस प्रतिबन्ध को कब तक उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी, नहीं। अब, दूध को दुग्ध चूर्ण (विशुद्ध और स्किम्ड) और संघनित दूध में बदलने पर ही रोक है।

(ग) अभी तक दिल्ली (दुग्ध और दुग्ध आहार) नियंत्रण आदेश, 1991 के उल्लंघन के 11 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। ये मामले, दुग्ध आहार में बदलने, पनीर रखने या दूध का प्रयोग करके मिठाई बनाने या दुग्ध उत्पादों की बिक्री से सम्बन्धित थे।

(घ) विद्यमान प्रतिबन्ध आदेश 31-10-91 तक लागू रहेगा।

कृषि सम्बन्धी मशीनों का विक्रय

6968. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान राज्य-वार कितने ट्रैक्टर, पावर टिलर और कम्बाइन हार्वेस्टर बेचे गए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान ट्रैक्टरों, पावर टिलरों और कम्बाइन हार्वेस्टरों की राज्य-वार बिक्री

क्रम सं०	राज्य का नाम	बेचे गए ट्रैक्टरों की सं०			बेचे गए पावर टिलरों की संख्या			बेचे गए कम्बाइन हार्वेस्टरों की संख्या		
		87-88	88-89	89-90	87-88	88-89	89-90	87-88	88-89	89-90
1.	आंध्र प्रदेश	2728	3411	4616	46	126	249			
2.	असम	296	375	413	416	522	462			
3.	बिहार	6602	6047	4948	153	191	267			
4.	गुजरात	4096	5293	6259	35	95	281			
5.	गोवा	10	15	4	2	22	57			
6.	हरियाणा	10275	14129	15186	उ०न०	उ०न०	उ०न०			
7.	हिमाचल प्रदेश	102	उ०न०	144	उ०न०	उ०न०	उ०न०			
8.	जम्मू व कश्मीर	71	176	139	10	48	4			
9.	कर्नाटक	1946	2760	3284	288	685	518			
10.	केरल	350	489	244	228	234	350			
11.	मध्य प्रदेश	7380	10809	9732	2	उ०न०	17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	महाराष्ट्र	3419	4375	5391	91	173	262	
13.	मणिपुर	उ०न०	उ०न०	उ०न०	90	122	241	
14.	मेघालय	उ०न०	उ०न०	उ०न०	20	50	50	
15.	उड़ीसा	280	353	421	110	126	121	
16.	पंजाब	19023	18865	20997	उ०न०	उ०न०	उ०न०	
17.	राजस्थान	7643	8995	8743	उ०न०	उ०न०	4	
18.	तमिलनाडु	2782	3072	3226	478	662	639	
19.	त्रिपुरा	उ०न०	उ०न०	उ०न०	265	86	192	
20.	उत्तर प्रदेश	20814	23878	30821	उ०न०	6	28	
21.	पश्चिम बंगाल	885	1182	1332	934	1565	1647	
22.	लक्षद्वीप	उ०न०	उ०न०	उ०न०	15	10	5	
23.	पांडिचेरी	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	8	
24.	अन्य/निर्यात	190	464	723	उ०न०	उ०न०	उ०न०	
25.	बिक्री का हिसाब नहीं लगाया गया	4265	5635	5475	—	—	—	
	कुल	93157	110323	122058	3193	4726	5422	×
								144 121 218

टिप्पणी :— 1. भारत सरकार राज्यों में बेची जाने वाली विभिन्न कृषि मशीनरी का रिकार्ड नहीं रखती ।

2. उपर्युक्त विवरण में दी गई जानकारी ट्रैक्टरों, पावर टिलरों और कम्बाईन हार्वेस्टरों के विनिर्माताओं से प्राप्त की गई है ।

*3. कम्बाईन हार्वेस्टरों की राज्यवार बिक्री सूचित करना सम्भव नहीं हुआ है क्योंकि विनिर्माताओं ने यह सूचना नहीं दी है ।

4. उ०न० = उपलब्ध नहीं ।

ग्रामीण परिवार

6969. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अद्यतन जनगणना अथवा इसके पश्चात के अनुमानों के अनुसार कितने ग्रामीण परिवार हैं; और

(ख) भूमिहीन, एक एकड़ से कम भूमि वाले किसानों, पांच से दस एकड़ तथा दस से बारह एकड़ अथवा इससे अधिक क्षेत्र वाली भूमि धारण करने वाले सीमान्त किसानों की संख्या और प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) कृषि संगणना में ग्रामीण परिवारों के अनुसार सूचना एकत्र नहीं की जाती बल्कि प्रचालन जोतों के अनुसार एकत्र की जाती है। नवीनतम उपलब्ध 1985-86 की कृषि संगणना के अनुसार देश में प्रचालन जोतों की कुल संख्या 97.155 मिलियन थी।

(ख) कृषि संगणना में भूमिहीनों के बारे में भी ब्यौरा एकत्र नहीं किया जाता। कृषि संगणना में प्रचालन जोतों का इकाई क्षेत्र "हैक्टेयर" है न कि "एकड़"। विभिन्न आकार ग्रुपों के अनुसार प्रचालन जोतों की संख्या (मिलियन में) इस प्रकार है :—

एक हैक्टेयर से कम (मार्जिनल जोत)	56.147
1 से 2 हैक्टेयर (छोटी जीत)	17.922
5 से 10 हैक्टेयर	5.00
10 हैक्टेयर और इससे अधिक	1.918

1984 के दंगा-पीड़ितों का पुनर्वास

6970. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली में 1984 के दंगा-पीड़ितों में से अब तक कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया है;

(ख) उनके पुनर्वास पर सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है और उनका पुनर्वास किस प्रकार किया गया है;

(ग) क्या अभी कुछ और दंगा-पीड़ितों का पुनर्वास किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (घ) 1984 के दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पुर्नवासित पीड़ितों की संख्या और उपलब्ध कराई गई राहत और उनके पुनर्वास पर व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

I. 1984 के दंगा-पीड़ितों के पुनर्वास के लिए दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राहत राशि, व्यय की गई राशि और अभी पुनर्वास किए जाने वाले पीड़ितों की संख्या, जैसाकि दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है, निम्न प्रकार से हैं :—

(I) **मृत्यु-मामले** : 2560 मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को, प्रत्येक को अभी तक 20,000 रु० की दर से राहत दी गई है। 10 मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। जून 1990 में, भारत सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को भी राहत उपायों के अन्तर्गत लाया गया है जिनके परिवार के सदस्य 1984 से लापता हैं। इस श्रेणी में 127 दावे प्राप्त हुए। इनमें से 124 दावों का निपटान कर दिया गया है। 62 मामलों का अनुमोदन कर दिया है।

(II) **जख्मी मामले** : 2603 मामलों में 500 रु० से लेकर 2000 रु० तक की राहत दी गई है।

(III) **रिहायशी इकाइयों को क्षति** : 1984-85 में, 3537 मामलों में, आंशिक रूप से क्षति-ग्रस्त हुई इकाइयों के मामले में 1000 रु० की दर से, पर्याप्त रूप से क्षतिग्रस्त इकाइयों के मामले में 5000 रु० की दर से और पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त इकाइयों के मामले में 10,000 रु० की दर से वित्तीय सहायता दी गई। जून 1990 में सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के लिए वित्तीय सहायता की दर बढ़ाकर दुगुनी कर दी है। अब तक 2560 मामलों में निर्धारित दरों पर बढ़ाई गई राशि के दावे का भुगतान किया गया है। शेष मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

(IV) **पेंशन (तदर्थ राहत)** : 297 विधवाएं/वृद्ध आयु के व्यक्ति 1000 रु० प्रतिमाह की दर से तदर्थ-राहत प्राप्त कर रहे हैं। इसमें 40 वे विधवाएं शामिल हैं जो अपने एक पुत्र/पुत्री के रोजगार योग्य होने तक अतिरिक्त 1000 रु० की राशि प्रतिमाह प्राप्त कर रही हैं। 12 विधवाओं और एक वृद्ध आयु के व्यक्ति के दावों पर कार्रवाई की जा रही है।

(V) **विधवाओं/बच्चों को रोजगार** : अभी तक 604 विधवाओं/बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

(VI) **आवासों का आवंटन** : दंगा-पीड़ित विधवाओं/बच्चों को 2113 आवास आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, 32 मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

(VII) **विवाह सहायता** : 213 मामलों में एक विधवा के पुनर्विवाह के लिए 5000 रु० और पुत्री के विवाह के लिए 3000 रु० की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(VIII) **गैर-बीमाकृत वाणिज्यिक सम्पत्तियां** : 3406 मामलों का निपटान किया गया। 2 मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। जून, 1990 में भारत सरकार ने गैर-बीमाकृत वाणिज्यिक सम्पत्तियों के मामलों की पुनरीक्षा करने के लिए आदेश दिया है, जिसमें दावा

तय करने वाले अधिकारियों द्वारा सिफारिश किए गए मुआवजे को निदेशक (ग्रार तथा आर) द्वारा कम किया गया हो। इस श्रेणी के 760 मामलों में से अभी तक 66 मामलों की पुनरीक्षा की गई।

(IX) **सहायक इकाइयां** : दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा तिलक विहार में एक सहायक इकाई स्थापित की गई है। 50 विधवाओं को खाद्यान्नों को पैक करने तथा मसालों को पीसने का कार्य करने से पर्याप्त रोजगार प्राप्त हुआ है।

(X) **बीमा दावे** : उन मामलों में जहां दंगों के कारण हुआ नुकसान बीमा पालिसी के अन्तर्गत नहीं आता था, वहां हुई क्षति/हानि के लिए 50% तक की राहत दी जा रही है, जोकि अधिक से अधिक 50,000 तक हो सकती है। 373 मामलों को निपटाया गया है।

(XI) **छात्रवृत्ति की मंजूरी** : 1984 के दंगों में शिकार हुए व्यक्तियों की विधवाओं के बच्चों को 50 रु० प्रतिमाह की दर से स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए और 100 रु० प्रतिमाह की दर से कालिज जाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मंजूर की जा रही है। अब तक 753 मामलों में छात्रवृत्ति दी गई है।

11. 1984 के दंगों में शिकार हुए व्यक्तियों के पुनर्वास पर उपरोक्त विभिन्न योजनाओं के अधीन अब तक 20,40,57,401 रु० व्यय हुए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ, चण्डीगढ़ का अभ्यावेदन

6971. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ, चण्डीगढ़ द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों में आरक्षण नीति को लागू न किए जाने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में पेरूमान रिफ्रैक्ट्रीज

6972. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेरूमान, क्विलोन, केरल में "पेरूमान रिफ्रैक्टरीज" को चालू करने के बारे में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) केरल सरकार का सरकारी उपक्रम केरल स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन का केरल में पेरूमन में एक रिफ्रैक्ट्री इकाई स्थापित

करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने इस रिफ्रैक्ट्री इकाई में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की साम्य भागीदारी का सुझाव दिया है। परंतु रिफ्रैक्ट्रीज उद्योग में अत्यधिक क्षमता को मद्देनजर रखते हुए यह महसूस किया गया कि प्रस्तावित योजना की साम्य में सेल की भागीदारी करना सम्भव नहीं होगा।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के "मार्किट इन्टरवेन्शन आपरेशन" को जारी रखना

6973. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अगस्त, 1991 के "बिजनिस स्टेन्डर्ड" कलकत्ता में "एन० डी० डी० बी० प्रेशर आन गवर्नमेंट टु फोइल आयल ट्रेडर्स लोबी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा अपनाई गई "मार्किट इन्टरवेन्शन आपरेशन" नीति को जारी रखने की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने मंडी हस्तक्षेप कार्य चलाने के लिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को अप्रैल, 1989 में, पांच वर्ष की अवधि के लिए एक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। मंडी हस्तक्षेप कार्यों के उद्देश्य, दिशा-निर्देश, नियम और विनियम निश्चित कर लिए गए हैं। इस मामले में लिए गए निर्णयों में कोई प्रमुख परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव इस विभाग के विचाराधीन नहीं है।

भारत और बंगलादेश के बीच नदी जल बंटवारा

6974. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश के साथ गंगा के पानी के बंटवारे पर सचिव स्तर की समिति द्वारा दीर्घ-अवधि में साझी नदियों के पानी के बंटवारे के लिए एक बोर्ड की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई हैं;

(ख) इस समस्या के समाधान के बारे में बंगलादेश की नई सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ग) बातचीत का अगला दौर कब तक होने की संभावना है;

(घ) क्या अप्रैल, 1988 से भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की स्थाई समिति की कोई बैठक नहीं हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) गंगा जल के बंटवारे के उपयुक्त आधार पर पहुंचने के लिए, यह सहमति हुई कि सम्बद्ध भू-स्थिति का निर्धारण करने हेतु संयुक्त तकनीकी दल भारत और बंगलादेश में आबटित किए जाने वाले गंगा प्रवाहों पर निर्भर क्षेत्रों का दौरा करेगा। अगली बैठक दोनों देशों को सुविधाजनक तारीखों पर आयोजित की जाएगी।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत ने स्थायी समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए स्थानीय

स्तरीय समिति की बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया, लेकिन बंगलादेश से उत्तर प्राप्त न होने के कारण कोई बैठक नहीं हो सकी ।

सिंचाई युक्त कृषि योग्य भूमि

[हिन्दी]

6975. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी भूमि पर खेती की जाती है तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इसमें हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कृषि योग्य भूमि के कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाती है और गत तीन वर्षों के दौरान इसमें हुए वृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सिंचित भूमि क्षेत्र में से कितनी भूमि की सिंचाई पृथक-पृथक रूप से बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा की जाती है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ग) भूमि उपयोग सांख्यिकी वर्ष 1987-88 तक ही उपलब्ध है। इसलिए वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान कृषि योग्य क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र और सरकारी नहरों से सिंचित क्षेत्र (जो वृहद और मध्यम सिंचाई के अनुरूप है) का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-1, विवरण-2 और विवरण-3 में दिया गया है।

विवरण-1

भूमि उपयोग सांख्यिकी 1985-86

(हजार हेक्टेयर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि योग्य क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र	नहरों द्वारा निवल सिंचित क्षेत्र
1	2	3	4	5
राज्य				
1. आंध्र प्रदेश	16026	3538	4337	1783
2. अरूणाचल प्रदेश	281	22	23	—
3. असम	3229	572	572	362
4. बिहार	11265	2808	3819	973
5. गोआ***	228	13	14	—
6. गुजरात	12376	2271	797	489
7. हरियाणा	3806	2236	3678	1181

1	2	3	4	5
8. हिमाचल प्रदेश	809	96	169	7
9. जम्मू तथा कश्मीर	1061	310	423	289
10. कर्नाटक	12867	1675	2012	735
11. केरल	2438	296	399	100
12. मध्य प्रदेश	22817	2987	3088	1296
13. महाराष्ट्र	21087	1881	2462	410
14. मणिपुर	164	65	75	—
15. मेघालय	1104	50	51	—
16. मिजोरम	584	8	8	—
17. नागालैंड	788	51	58	—
18. उड़ीसा	7912	1673	2159	853
19. पंजाब	4291	3690	6514	1412
20. राजस्थान	25831	3109	3863	1154
21. सिक्किम	114	16	16	—
22. तमिलनाडु	8422	2501	3240	774
23. त्रिपुरा	312	29	41	—
24. उत्तर प्रदेश	20865	9879	12148	3330
25. पश्चिम बंगाल	6117	1911	1911	717
उप-योग (राज्य)	184994	41687	54877	15865
संघ राज्य क्षेत्र				
1. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	80	—	—	—
2. चण्डीगढ़	2	1	3	नगण्य
3. दादर व नगर हवेली	25	1	1	—

1	2	3	4	5
4. दिल्ली	73	47	59	5
5. दमन व दीव	—	—	—	—
6. लक्षद्वीप	3	नगण्य	नगण्य	—
7. पांडिचेरी	35	24	38	9
उप-योग (संघ राज्य क्षेत्र)	218	73	101	14
कुल (अखिल भारत)	185212	41760	53978	15879

विषय सूची : *** दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र सहित ।
नगण्य—नगण्य (00 हैक्टेयर से कम)

विवरण 2

भूमि उपयोग सांख्यिकी 1986-87

(हजार हेक्टेयर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि योग्य क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र	नहरों द्वारा निवल सिंचित क्षेत्र
1	2	3	4	5
राज्य				
1. आन्ध्र प्रदेश	16194	3550	4360	1780
2. अरूणाचल प्रदेश	261	22	23	—
3. असम	3229	572	572	362
4. बिहार	11248	2957	3831	1106
5. गोवा	222	12	15	—
6. गुजरात	12338	2324	2710	434
7. हरियाणा	3803	2348	3912	1203
8. हिमाचल प्रदेश	807	95	171	6
9. जम्मू और कश्मीर	1049	307	404	288

1	2	3	4	5
10. कर्नाटक	12870	1816	2247	799
11. केरल	2455	299	426	102
12. मध्य प्रदेश	22819	3345	3456	1394
13. महाराष्ट्र	21070	1881	2462	410
14. मणिपुर	164	65	75	—
15. मेघालय	1104	50	51	—
16. मिजोरम	584	8	8	—
17. नागालैंड	807	53	55	—
18. उड़ीसा	8077	1673	2088	853
19. पंजाब	4291	3717	6590	1440
20. राजस्थान	25704	3421	4351	1205
21. सिक्किम	114	16	16	—
22. तमिलनाडु	8417	2356	2844	819
23. त्रिपुरा	313	44	44	30
24. उत्तर प्रदेश	20857	10132	12908	3356
25. पश्चिम बंगाल	6117	1911	1911	717
उप जोड़ (राज्य)	184934	42974	55530	16304
संघ राज्य क्षेत्र				
1. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	75	—	—	—
2. चण्डीगढ़	2	1	3	नगण्य
3. दादर और नगर हवेली	25	1	2	नगण्य
4. दिल्ली	77	49	65	6
5. दमन और दीव	7	नगण्य	नगण्य	—
6. लक्षद्वीप	3	नगण्य	नगण्य	—
7. पाण्डिचेरी	35	24	36	10
उप जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	223	75	106	16
कुल (अखिल भारतीय)	185157	43049	55636	16320

विषय सूची—नगण्य (500 हैक्टेयर से कम)

विवरण-3

भूमि उपयोग सांख्यिकी, 1987-88

(हजार हेक्टेयर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि योग्य क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र	नहरों द्वारा निवल सिंचित क्षेत्र
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	16194	3369	4298	1593
2. अरूणाचल प्रदेश	301	28	28	—
3. असम	3229	572	572	362
4. बिहार	11195	3194	4054	1125
5. गोआ	222	14	14	—
6. गुजरात	12336	2039	2381	359
7. हरियाणा	3790	2579	3883	1220
8. हिमाचल प्रदेश	807	98	173	7
9. जम्मू एवं कश्मीर	1079	307	404	288
10. कर्नाटक	12879	1853	2296	765
11. केरल	2444	306	393	107
12. मध्य प्रदेश	22815	3331	3437	1368
13. महाराष्ट्र	21177	1881	2381	410
14. मणिपुर	164	65	75	—
15. मेघालय	1104	50	51	—
16. मिजोरम	584	8	8	—
17. नागालैंड	601	54	56	—
18. उड़ीसा	8077	1673	2062	853
19. पंजाब	4279	3774	6721	1414
20. राजस्थान	25678	3327	3995	1090
21. सिक्किम	114	16	16	—
22. तमिलनाडु	8426	2438	2945	721

1	2	3	4	5
23. त्रिपुरा	312	45	45	31
24. उत्तर प्रदेश	20817	10043	139[illegible]	3029
25. पश्चिम बंगाल	6117	1911	1911	717
उप जोड़ (राज्य)	184711	42975	56119	15459
संघ राज्य क्षेत्र				
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	83	—	—	—
2. चण्डीगढ़	3	2	2	1
3. दादरा और नगर हवेली	25	2	2	नगण्य
4. दमन और दीप	7	नगण्य	नगण्य	—
5. दिल्ली	76	46	60	5
6. लक्षद्वीप	3	नगण्य	नगण्य	—
7. पांडिचेरी	35	23	33	5
उप जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	232	73	97	15
कुल (अखिल भारतीय)	184943	43048	56216	15474

विषय सूची : नगण्य—नगण्य (500 हेक्टेयर से कम)।

केरल तथा तमिलनाडु के मध्य परम्बीकुलम अलियार समझौते का नवीकरण

[अनुवाद]

6976. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास तमिलनाडु और केरल के मध्य परम्बीकुलम अलियार समझौते का नवीकरण करने का कोई प्रस्ताव लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं। तमिलनाडु और केरल के मध्य एक द्विपक्षीय परंबीकुलम अलियार समझौता 30 वर्ष पश्चात् अर्थात 8-11-1988 को पुनरीक्षा किए जाने की व्यवस्था थी। अतः समझौते की पुनरीक्षा का मामला केरल और तमिलनाडु सरकारों के बीच विचार-विमर्श के लिए है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

[हिन्दी]

6977. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी हैं;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों के विरुद्ध कतिपय आरोप लगाए गए हैं तथा इन आरोपों की जांच की जा रही है;

(ग) उन पर लगाए गए आरोपों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) 1-1-91 को देश में 3327 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

बिहार में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप

[हिन्दी]

6978. **श्री साईमन मरांडी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1988 से लेकर आज तक भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले बनाए गये हैं;

(ख) कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) बाकी मामलों में जांच शुरू करने तथा कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गत तीन वर्षों के दौरान कितने पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध छापे मारे और कितने अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों में आरोप पत्र दर्ज कराए गये ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

नर्मदा सागर परियोजना के बारे में पत्र-व्यवहार

[अनुवाद]

6979. **श्री राम कापसे** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को नर्मदा सागर परियोजना के बारे में जर्मनी सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में डाक का वितरण

6980. **डा० सी० सिलवेरा** :

श्री गोविन्दराव निकम : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महानगरों में बहुमंजिली इमारतों में डाक का वितरण न करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली और बाहर दिन में केवल एक ही बार डाक का वितरण हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं । बहुमंजिली इमारतों में रहने वाले को उनकी डाक वितरित की जाती रहेगी । लेकिन 29 मई, 1991 के डाक वितरण आदेश 1991 में यह निर्धारित किया गया है कि बहुमंजिली इमारतों में रहने वाले प्राप्तकर्ताओं की साधारण डाक भूतल पर रहने वालों को छोड़कर, 1 नवम्बर, 1991 से उनके द्वारा भूतल पर लगाए गए मेल बॉक्स में ही डाली जाएगी ।

(ख) यह आदेश ऐसी बहुमंजिकी इमारतों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जरूरी हो गया है जिनमें पोस्टमैन के लिए प्रत्येक पते पर डाक का वितरण कर पाना व्यवहार्य नहीं है ।

(ग) जी, नहीं । दिल्ली के अधिकांश डाकघरों और दिल्ली से बाहर के अनेक डाकघरों से प्रतिदिन एक से अधिक बार डाक वितरित की जाती है ।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

कनाडा से खाद्यान्नों का आयात

6981. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कनाडा से मटर, दालें और अन्य खाद्यान्नों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत विश्व में मटरों का सबसे अधिक उपभोग और उत्पादन करता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देश के खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां ।

विदेशी कार्यक्रम ग्रहण करने वाले ऐंटीना

[हिन्दी]

6982. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और-गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐन्टीनाओं की राज्य-वार संख्या क्या है, जो विदेश स्थित दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ग्रहण करते हैं;

(ख) ऐसे ऐन्टीना रखने के लिए व्यक्तियों अथवा संस्थाओं हेतु क्या नियम बनाये गये हैं और उन पर कितना अधिभार लगाया है; और

(ग) इनसे सरकार को प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त होता है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) 1. विदेशी दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा टी० वी० प्रसारण बैंडों में परम्परागत ट्रांसमीटरों के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों को सीमा क्षेत्रों में सामान्य टी० वी० एंटीना उपयोग करके रिसीव किया जा सकता है। टी० वी० रेडियो प्रसारण रिसीवरों सम्बन्धी लाइसेंस पद्धति 1985 में समाप्त कर दी गयी थी। अतः विदेशी दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को रिसीव करने वाले इस प्रकार के एन्टीना का राज्यवार वितरण उपलब्ध नहीं है।

2 (i) जहां तक उपग्रह के माध्यम से विदेशी टी० वी० कार्यक्रमों के रिसेप्शन का सम्बन्ध है सरकार की नीति यह है कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैट) से केवल कार्यक्रमों के रिसेप्शन के लिए ही मात्र "टी० वी० रिसीव डिश एंटीना" की अनुमति दी जाती है।

(ii) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार विदेशी दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को उपग्रह के माध्यम से टी० वी० रिसीव डिश एंटीना का प्रयोग करके रिसीव करने के लिए लाइसेंस आम जनता को नहीं दिए जाते हैं।

(ग) उपर्युक्त 2(ii) की दृष्टि से सरकार को राजस्व का प्रोद्भवन होने का प्रश्न नहीं उठता।

तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में गोष्ठी

6983. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंप्यूटर की सहायता से देवनागरी लिपी में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के बारे में 1989-90 और 1990-91 में मुम्बई तथा लखनऊ में विशेषज्ञों की गोष्ठियों का आयोजन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त गोष्ठी में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) राजभाषा विभाग ने अपने प्लान कार्यक्रम के अन्तर्गत "कंप्यूटरों के द्विलिपीय (देवनागरी-रोमन) संचालन" पर एक-दिवसीय संगोष्ठी-एवं-प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ में दिनांक 25-9-1990 तथा मुम्बई में दिनांक 27-11-1990 को किया था। इन क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के प्रतिनिधियों, कंप्यूटर विशेषज्ञों तथा कंप्यूटर के द्विलिपीय प्रयोग के लिए साफ्टवेयर/हार्डवेयर सुविधाओं के निर्माताओं ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। संगोष्ठी में चर्चा के दौरान, उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटरों पर देवनागरी लिपि में शब्द-संसाधन, डाटा एन्ट्री, प्रोग्रामन, प्रिंटिंग इत्यादि की विस्तृत जानकारी दी गई और इस संदर्भ में उनकी मुख्य शंकाओं का निवारण किया गया। इस प्रकार की

संगोष्ठी-एवं-प्रदर्शनी आयोजित किए जाने का उद्देश्य कंप्यूटरों के देवनागरी लिपि में भी प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देना है, ताकि केन्द्रीय सरकार के कार्यालय, उनपर, "राजभाषा नीति" के अनुरूप कार्य कर सकें।

महाराजा जयपुर से सम्बन्धित स्वर्णाभूषण

[अनुवाद]

6984. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराजा जयपुर से सम्बन्धित स्वर्णाभूषणों को लंदन बैंक में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन स्वर्णाभूषणों को भारत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन आभूषणों का मूल्य कितना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य पदार्थों का उत्पादन और उनकी खपत

6984-क. **श्री सुधीर गिरि** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1900 में और जुलाई, 1991 तक खाद्य पदार्थों का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1989 और 1990 में घरेलू खपत हेतु कुल कितनी मात्रा में खाद्य पदार्थों की आवश्यकता थी;

(ग) वर्ष 1989 और 1990 में खाद्य पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी;

(घ) वर्ष 1989 और 1990 में बफर स्टाक में जमा खाद्य पदार्थों की मात्रा कितनी थी; और

(ङ) क्या वर्ष 1991 में खाद्य पदार्थों के बफर स्टाक में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1989-90 और 1990-91 (संभावित) के दौरान खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन क्रमश: 170.63 और 176.00 से 176.50 मिलियन मीटरी टन है।

(ख) घरेलू खपत की आवश्यकता मुख्य रूप से आन्तरिक उत्पादन से ही पूरी होती है। ये आवश्यकतायें, जो वास्तविक उपलब्धता से निर्दिष्ट हैं; अस्थाई रूप से, वर्ष 1989 और 1990 के लिये क्रमश: 147.3 और 143.3 मिलियन मीटरी टन अनुमानित की गई हैं।

(ग) 1989 और 1990 के लिए प्रति व्यक्ति खपत हेतु खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता अस्थाई रूप से क्रमश: 181.5 कि० ग्रा० और 173.3 कि० ग्रा० अनुमानित की गई है।

(घ) 1988 और 1990 के अन्त में सार्वजनिक एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का स्टाक अस्थाई रूप से क्रमश: 12.13 और 17.92 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) 1-7-1991 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक एजेंसियों के पास रखे खाद्यान्नों का अस्थाई अनुमान, 19.73 मिलियन मीटरी टन होने का है। इसके बाद के महीनों में स्टाक का स्तर, खरीफ

1991-92 के दौरान को जाने वाली अधि-प्राप्ति और केन्द्रीय पूल से निर्मुक्ति किये जाने वाले स्टाक पर निर्भर करेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि वानिकी

6984-ख. **श्री सुखदेव पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सातवीं योजना के अन्त में कृषि-वानिकी में ह्रास के संबंध में कोई अध्ययन किया है और आठवीं योजनावधि के अन्त तक उस में और कितनी कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण जनों के लाभार्थ कृषि-वानिकी में शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान तथा विस्तार कार्यक्रम पहलुओं को सुचारू बनाने के लिये यदि अब तक कोई कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि वानिकी के निम्न कार्यक्रम हाथ में लिए हैं।

(1) 31 केन्द्रों में स्थित कृषि-वानिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना।

(2) झांसी (उ० प्र०) में स्थित कृषि-वानिकी पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र।

(3) 28 केन्द्रों में कृषि वानिकी पर व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजना।

इन कार्यक्रमों से कृषि-वानिकी के लिए उपयोगी प्रौद्योगिकी विकसित हुई है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की वैधता को पुष्ट करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद बोफोर्स मामले की जांच में हुई प्रगति के बारे में

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, बजट सत्र समाप्त होने वाला है। मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या वह बोफोर्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27 अगस्त को इस आशय का निर्णय दिए जाने के बाद जांच कर रही है, जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे न्यायालय में चुनौती दी गई थी, को वैध करार दिया गया था और यदि सरकार गम्भीर हो, तो इस समस्त मामले की जांच का मार्ग अब प्रशस्त है। समाचारपत्रों में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय की कोई प्रति अभी तक स्वीडन और स्विटजरलैंड को नहीं भेजी गई है जहां हम कुछ गोपनीय दस्तावेजों को प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं और जांच कार्य के लिए किसी भी

वरिष्ठ अधिकारी को वहां नहीं भेजा गया है। यह प्रतीत होता है कि इस समस्त मामले को अत्यधिक निरुत्साहपूर्ण रूप से लिया जा रहा है। अतः इस सत्र के समापन से पहले हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि इस जांच को गम्भीरता से करने के लिए वह क्या कर रही है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने इस पर एक सूचना दी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमने भी सूचना दी है। हम उससे सम्बद्ध होना चाहते हैं। (व्यवधान) यह एक गम्भीर मसला है। हमने सूचना दे दी है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : हम सभी ने नोटिस दिए हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम जानते हैं कि कैसे सार्वजनिक हित के नाम पर इस जांच और नाम बताए जाने को दबाने का प्रयास किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अर्थों में उचित समय पर हस्तक्षेप किया, कि कुछ दिन बाद समय सीमा समाप्त हो जाती। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की जानकारी उन्हें भेज देनी चाहिए थी। सरकार फिर आदेश की अशुद्ध प्रति के तर्क के आधार पर उक्त मसले में विलम्ब करने का प्रयास कर रही है। इस समय तक उक्त आदेश वहां के समुचित न्यायालय को नहीं भेजा गया है। अब स्थिति यह है कि मुकदमेबाजी का दूसरा दौर उन व्यक्तियों में से एक द्वारा प्रारम्भ किया गया है, जो सत्ताधारी दल के अत्यधिक निकट है। देश में प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी है और इस प्रकार फिर एक प्रयास किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार की ओर से कोई विधि अधिकारी उपस्थित होगा और समय की मांग करेगा और न्यायालय स्थगन आदेश पास करने के लिए सहमत हो सकता है। यह खेल जारी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का इसके सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है। यह महत्वपूर्ण है। हम बी०सी०सी०आई० घोटाले पर चर्चा कर रहे हैं। बोफोर्स और बी० सी० सी० आई० घोटाले में से कोई भी कम नहीं है। मैं यह नहीं जानता कि इनमें से कौन सा बड़ा घोटाला है। अतः इस तरह के प्रयासों में रुकावट डालने का विरोध किया जाना चाहिए और सफल नहीं होने देना चाहिए हम चाहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में सदन में स्पष्ट रूप से कोई आश्वासन तथा वक्तव्य दे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर जो बातें आनी चाहिए थीं, वे आपके सामने हैं। मुझे विश्वास है कि जो कुछ अदालतों में हो रहा है, उसकी भी जानकारी आपके पास है। परसों वैसे तो वकीलों की हड़ताल थी और अदालतें बन्द थीं और हिन्दुस्तान का कानून जिसको पकड़ना चाहता है, इस डर से जो व्यक्ति दुबई में जाकर बैठा है, उसके वकील के लिए परसों अदालत खुली रही। उस व्यक्ति ने बोफोर्स के मामले में अपनी जान बचाने का सिलसिला पिछले काफी अरसे से चलाया हुआ है, उनकी कैफियत को दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर एक बार लेने का काम किया। हमें ऐसा लगता है कि इस काण्ड को लेकर पिछले 4-5 सालों से सत्तारूढ़ दल की जो भूमिका रही है, उस भूमिका में अभी भी, इस क्षण तक भी कोई फर्क नहीं हुआ है। मेरी यह मान्यता है कि जिस कैफियत को हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है···।

वह कैफियत अपने आप नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वह फैसला अगस्त महीने के अन्त में, अगर मुझे ठीक से याद है, यह फैसला 26 या 27 तारीख को दिया गया है। उसे तत्काल स्विस बैंक तक पहुंचाने का, स्विस सरकार के पास पहुंचाने का काम होना चाहिए था। वह नहीं हुआ। सी० बी० आई० के मुखिया ने ऐसा बहाना किया···।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि मामला न्यायालय में लम्बित है, तो क्या यह न्याय निर्णयाधीन नहीं होगा ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह न्यायालय में लम्बित नहीं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही इसे निपटा दिया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं कह रहा हूं, वह पैंडिंग इन द कोर्ट नहीं है। (**व्यवधान**)

अगर मैंने जो कहा वह गलत हो तो आप कह सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे यह समझने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या उक्त मसला न्यायालय में लम्बित है, और यदि हां, तो क्या यह न्याय निर्णयाधीन है या नहीं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं, महोदय, यह न्यायालय में लम्बित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने 27 अगस्त को निर्णय दिया था। उक्त निर्णय तुरन्त स्वीस अधिकारियों को भेजा जाना है। यह सरकार उस निर्णय का स्वागत करने के लिए बचनबद्ध हैं। इस सरकार ने पुलिस एजेंसियों के द्वारा उस फाईल को लम्बित रखा और जब किसी ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रमुख से यह जानना चाहा कि यह स्विस प्राधिकारियों के पास अब भी क्यों नहीं गई है, तो उत्तर में यह कहा गया कि उक्त निर्णय में कुछ टाईप सम्बन्धी गलतियां थीं और वे उनको दूर करना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कल सर्वोच्च न्यायालय ने उसका भी निपटान कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या उक्त मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है या नहीं ?

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह न्यायालय में लम्बित नहीं है।

[हिन्दी]

इसलिए अध्यक्ष जी, यह मामला अदालत में नहीं है। अदालत के फैसले पर अमल करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। वह अमल नहीं कर रही है, यह हमारी शिकायत है। इसमें मैं जो देख रहा हूं वह यह साजिश है कि एक तरफ जो इसमें एक अपराधी है, जो अपराधी दुबई में जाकर बैठा है, जो अदालत में ऐसे वक्त पर आ जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार अमल नहीं कर रही है, इस इन्तजारी में कि दुबई वाला जल्दी आकर मामला फिर दायर करे और अदालती दांव-पेंच से इसको रोकने का काम हो जाए।

हम आज आपसे मांग कर रहे हैं अध्यक्ष जी, हमारी मांग यह है कि इसी सत्ताधारी दल ने सरकार में रहते हुए ज्वाइन्ट पार्लियामेंटरी कमेटी नियुक्त की थी लीपा-पोती करने के लिए। उस कमेटी ने लीपा-पोती करने का काम किया। लेकिन आज ये तथ्य देश के सामने और दुनियां के सामने आए हैं।

21 भाद्र, 1913 (शक) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की वैधता को पुष्ट करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद बोफोर्स मामले की जांच में हुई प्रगति के बारे में

स्वीडन में रविवार को चुनाव हुए। स्वीडन में रविवार को होने वाले चुनाव में बोफोर्स का मामला एक अहम मामला बना है, जो सत्ताधारी दल उस समय था उसमें और अन्य राजनैतिक दल हैं उनमें। आज बोफोर्स के तथ्यों को क्यों नहीं भारत सरकार को दिया जा रहा है, यह सार्वजनिक बहस का विषय बना है। बोफोर्स का मालिक अदालत में जाकर दिवाला निकाल कर आया है। वह कारखाना सरकार के काबू में है। सारी जानकारी आज स्वीडन सरकार के पास है। हमारी सरकार से सिर्फ दो मांगें हैं इस वक्त। एक तो यह कि आप स्वीडन सरकार से कहें कि हम आपसे सारी जानकारी चाहते हैं, जो पहले नोबल इण्डस्टरी देने के लिए तैयार नहीं थी, वह जानकारी हमें दें। दूसरी यह कि अगर लीपा-पोती करने के लिए, लोगों को मात्र बताने के लिए कि हम सच्चाई की खोज में हैं, आपने ज्वाइन्ट पार्लियामेंटरी कमेटी उस वक्त बनाई थी, तो आज एक नई ज्वाइन्ट पार्लियामेंटरी कमेटी की नियुक्ति होनी चाहिए। इस कमेटी को तथ्य देश और दुनियां के सामने लाने चाहिएं। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, महोदय, आपने पीठ से यह जानना चाहा है कि क्या आप उक्त मसले का संदर्भ दे सकते हैं या नहीं क्योंकि आपके विचार से उक्त मसला **न्याय निर्णयाधीन** हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह **न्यायनिर्णयाधीन** नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह न्यायालय में लम्बित है अथवा नहीं ?

श्री वसुदेव आचार्य : सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही इसे निपटा दिया है। (**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिंह : यह न्यायालय में लम्बित नहीं है। (**व्यवधान**)

उक्त मसला लम्बित है। यह न्यायालय में लम्बित होने का प्रश्न नहीं है। यह **न्यायनिर्णयाधीन** नहीं हैं। आपने यह जानना चाहा था कि क्या हम एक ऐसे मामले का संदर्भ दे रहे हैं जो न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करता है। लेकिन, हम किसी ऐसे मामले को नहीं···

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास इन सभी बातों की कोई जानकारी नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : हम बोफोर्स घोटाले में हुए भ्रष्टाचार के कानूनी पक्ष का संदर्भ नहीं दे रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि क्या 'एक्स' ने धन प्राप्त किया या 'वाई' ने प्राप्त किया अथवा क्या सरकार इसमें शामिल है आदि।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास इन बातों की जानकारी नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : हम यह जानकारी आपको दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण मैं आपसे यह जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि क्या उक्त मामला न्यायालय में लम्बित है या नहीं।

श्री जसवन्त सिंह : नहीं, यह न्यायालय में लम्बित नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उक्त मामला सर्वोच्च न्यायालय ने निपटा दिया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट की वैद्धता को श्री विन चड्ढा इससे छोटे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, जो वह करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सब एक छलकपट है। (**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिंह : यह अब सदन की चिन्ता का विषय है। अब यह सदन की संयुक्त चिन्ता है। कई वर्षों से टालमटोल करने के बाद, हथियारों की खरीद के इस सबसे बड़े घोटाले की सच्चाई को सामने आने से रोकने के प्रयासों के बाद, अन्ततः जब यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन गया, तब सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट उसमें क्षेत्राधिकार के भीतर है और यह एक वैध दस्तावेज है। यही सब कुछ है। उसके बाद, यदि वे भ्रष्टाचारी दुबई में बैठे उद्योगपति, जिनके राजनीतिज्ञों से सम्बद्ध हैं, जैसाकि मेरे मित्रों ने कहा है, यदि वे न्याय और कानून से बचना चाहते हैं, तो फिर मेरे विचार से, विधानमण्डल निश्चय ही···

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकारी संरक्षण में।

श्री जसवन्त सिंह : हां, सरकारी संरक्षण में। मुझे खेद है, महोदय, कि मुझे ऐसा वक्तव्य देना पड़ा है। चूंकि सरकार के निरन्तर व्यवहार से ऐसी आशंकाएं उभरती हैं। अन्ततः सरकार को एक अत्यधिक साधारण मार्ग अपनाना था। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक वैध दस्तावेज था, इस बारे में सीधे-सीधे दो तरह से कार्यवाही की जा सकती थी। प्रथमतः इसकी एक प्रति केन्द्रीय जांच ब्यूरो से 'कवरिंग लेटर' की एक प्रति सहित यह दस्तावेज तुरन्त 'स्विस बैंक' को भेजी जानी थी, जिसने इन खातों को अवरुद्ध कर रखा है। उन्होंने अब इन खातों को अवरुद्ध करने के समय को और बढ़ा दिया है। मैं यह जानकर चिन्तित हूं कि लगभग एक पखवाड़े के बीत जाने के बावजूद सरकार अब भी स्विस बैंक को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की एक प्रति नहीं भेज सकी है ताकि 'स्विस बैंक' इस पर अनुवर्ती कार्यवाही प्रारम्भ कर सके।

दूसरे, जो अत्यधिक चिन्ताजनक है, वह दुबई या अन्य स्थानों पर अप्राधिकृत रूप से रह रहे भारतीयों का यह पक्ष है जिनकी वापसी के सम्बन्ध में सरकार तत्पर या उत्साह नहीं दिखा रही। लेकिन, जब वे भ्रष्टाचार दबाने के लिए भारतीय न्यायालयों में जाते हैं, तो सरकार दुगुनी तेजी से और छुट्टी के दिन भी कार्य करती है, और भारत का उच्च न्यायालय इन मामलों की सुनवाई करता है। यह अत्यधिक चिन्ताजनक पहलू है क्योंकि उनसे भारतीय होने के सम्बन्ध में आशंकाएं उठाई जाती हैं। सरकार क्या कर रही है? इसने प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्यवाही क्यों नहीं की? यह इन जग-प्रसिद्ध श्री चड्ढा के उच्च न्यायालय में जाने और मामला दर्ज करने के लिए अनुमति प्रदान करने का विरोध क्यों नहीं करती?

तीसरे, यद्यपि सरकार ने इससे इन्कार किया है, मेरी शंकाएं इसलिए उठती हैं क्योंकि एक स्वीडिश रेडियो स्टेशन में एक रिपोर्ट आई थी कि भारत सरकार के एक अधिकारी ने स्वीडिश एम्बेसी से सम्पर्क किया था और यह कहा था कि "बोफोर्स के सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।" और पहली बार, जब बोफोर्स घोटाले के बारे में मूल जानकारी स्वीडिश रेडियो से प्रसारित हुई थी, तो सरकार की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उसने इससे इन्कार किया था और मुझे यह विश्वास है कि सरकार का यह इन्कार उ ी तरह का है। अतः, इन तीनों पक्षों पर सरकार को अब अवश्य ही एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। और मैं अपने मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा इस विषय में व्यक्त चिन्ता से सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि बोफोर्स पर एक संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि बीते वर्षों की इस लीपापोती को उजागर किया जा सके। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक सप्ताह पहले मैंने इस सवाल को उठाया था। वह यह है कि कोर्ट के सिलसिले में कोई रेफरेंस कोट नहीं करूंगा। हमको तकलीफ है कि यह जो 1400 करोड़ का जो सिलसिला है, उसके बारे में देश को बताना है कि सरकार क्या कर रही है। हम लोग इसके बारे में और सारा देश चिन्तित है जानने के लिए कि सरकार क्या कर रही है। हमको जानकारी है कि सी० बी० आई० जो इंक्वायरी कर रही है और जो इन्वेस्टीगेटेड एजेंसी है, उसमें जो डेडीकेटेड आफिसर इस काम में लगे थे उनका तबादला कर दिया गया। अभी मौजूदा जो सबसे बढ़िया आफिसर था उनका नाम मैं नहीं लूंगा और जो दूसरा अफसर काम कर रहा था उनको कहा गया कि लांग-लीव में जाओ। इस सरकार का जो इरादा है, वह इरादा नहीं है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, श्री सन्तोष मोहन देव एक मंत्री हैं। वे रेज कर रहे हैं। महोदय, मुझे आपका हस्तक्षेप चाहिए। (**व्यवधान**)

मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए खड़े हो रहे हैं।

मैं आपसे कह रहा हूं कि एक सबसे काबिल आफिशियल हैं सी० बी० आई० के, उनका तबादला कर दिया और एक दूसरे आफिसर से कहा गया कि लांग लीव पर जाओ। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जानकारी है कि इतना बड़ा स्कैंडल, जो हाईएस्ट लैवल में हुआ है, उसका भण्डफोड़ होना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जो ईमानदार आफिसर है, यदि उनको एक एक करके चुनकर तबादला कर दिया जाएगा तो सी० बी० आई० की जो विशिष्टता है, वह खत्म हो जायेगी। इसलिए मेरा यह कहना है कि जब स्वीडन में बोफोर्स स्कैंडल के बारे में जो किकबैक्स के रिसीपियंट्स हैं, उनका नाम आगे लाने के लिए आन्दोलन किया जा रहा है और वहां पर स्वीडन की पावरफुल पार्लियामेंटरी कमेटी के वाईस प्रेजीडेंट श्री पी० एच० आर० ग्रांसटेड और पार्लियामेंट में विरोधी दल के नेता ने कहा कि आगामी रविवार को चुनाव होने वाला है, उसमें वे लोग सोशल डैमोक्रेट्स को हराकर आएंगे।

श्री ग्रांसटेड ने कहा है कि उनको पता नहीं कि सोशल डैमोक्रेटिक पार्टी जिन्होंने इस सिलसिले में किकबैक्स लिए हैं, उनका नाम क्यों नहीं कह रही है लेकिन उन्होंने वायदा किया है कि जब उनकी सरकार रविवार को आ जाएगी तो एक स्पेशल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टीगेटिंग कमीशन स्वीडन में बिठायेंगे परन्तु हमारे हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है? क्यों अभी तक भारत सरकार के कोई आफिसर या पालिटिशियन वहां नहीं गये हैं? अध्यक्ष महोदय अभी तक यह क्यों नहीं किया गया? फिर हाईएस्ट लेवल पर करप्शन का भण्डाफोड़ कैसे होगा? पार्लियामेंट में जहर हो गई। मुझे खुशी होगी यदि आपकी अध्यक्षता में 1400 करोड़ वाले इस स्कैडल का भण्डाफोड़ करने के सिलसिले में इस सदन की एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बैठायी जाये ताकि सारी चीजें देशवासियों के सामने लाई जा सकें।

अध्यक्ष महोदय, अभी श्री जार्ज फर्नान्डीज साहब बता रहे थे नोबल इंडस्ट्रीज के बारे में। नोबल इंडस्ट्रीज बैंकरप्ट होने के बाद सरकार के हाथों में चली गई है। क्या नोबल इंडस्ट्रीज सरकार के मातहत हो गई, इसलिए भारत सरकार स्वीडन सरकार पर दबाव नहीं डालेगी। जब इस पर दबाव नहीं

डालेगी तो कैसे होगा ? बोफोर्स और नोबल इंडस्ट्रीज सरकार के तहत चले गये हैं लेकिन उनके कम्पीटेंस क्लाज के तहत स्वीडन सरकार कह सकती है और उन पर दबाव हो सकता है लेकिन ऐसा लगता है कि भारत सरकार कुम्भकरण की तरह सोयी हुई है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा और मैं सारे हाउस से निवेदन करूंगा कि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सारा सदन इसका निर्णय करे, मैं कांग्रेसियों से भी कहूंगा कि इसका फैसला किया जाए कि दसवीं लोक सभा में इसके लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी गठित की जाए ताकि सारी जो किकबैक्स ली गई हैं, उसका भन्डाफोड़ हो, इतना मैं कहना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि जब कभी भी यहां हिन्दुस्तान में चुनाव होता है **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने एक सूचना दी है। मैं आपसे मिला था और आपको बताया था कि मैं वह मामला उठाना चाहता हूं लेकिन, आप मुझे इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी आपकी ओर से बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्राकर उसी विषय पर बोल रहे हैं। उन्हें भी यह अधिकार है।

(व्यवधान)

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं सरकार से स्पष्ट बयान चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति देना नहीं चाहता।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के 15 दिन बाद भी निर्णय की प्रति स्विट्जरलैंड के प्रान्तीय न्यायालय में नहीं भेजी गई है। ऐसा क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मैंने आपकी पार्टी के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी को आपकी ओर से बोलने की अनुमति दी है। अब क्या आप मुझसे आशा करते हैं कि मैं हर एक सदस्य को बोलने की अनुमति दूं।

(व्यवधान)

ऐसा नहीं होता है।

(व्यवधान)

मैं श्री चन्द्राकर को इसी विषय पर बोलने की अनुमति दे चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अध्यक्ष महोदय, हमने यह देखा है कि जब हिन्दुस्तान में चुनाव होता है तो स्वीडन का नाम लेकर प्रचार करते हैं कि यहां बोफोर्स में घोटाला हुआ है और जब स्वीडन में इस

समय चुनाव होने जा रहा है तो ये फिर बोफोर्स के सवाल को उठा रहे हैं। यह इनकी चालबाजी है। इतनी धोखेबाजी ! इतना षड्यन्त्र ! (व्यवधान)

श्रीमन्, षड्यन्त्र इतना साफ है कि जब कभी भी चुनाव होता है, तब ये इसका शोर-शराबा करते हैं, हालांकि जब ये सरकार में थे, तब ये कर क्या रहे थे ? (व्यवधान)

विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह कहा था कि एक महीने के अन्दर हम यहां पर सब भण्डाफोड़ कर देंगे और बता देंगे सबके नाम, और यहां कितने महीने ये लोग रहे ? बड़े जोरों से उनके पीछे से एक साथी इस प्रश्न को उठा रहे हैं। वह क्या कर रहे थे, जब इनकी गवर्नमेंट थी ? (व्यवधान)

आखिर जब ये गवर्नमेंट में थे, तब कुछ नहीं कर सके, तब इनके हाथ-पैर फूल गए, कुछ नहीं मिला। इसमें कुछ मिलने पर ये हमारी पार्टी को खत्म कर सकते थे, लेकिन कुछ मिला नहीं। अब ये विरोध पक्ष में बैठे हैं तो चिल्लाना शुरू किया है। इस तरह का ये जो षड्यन्त्र कर रहे हैं···

(व्यवधान)

आप इस तरह का षड्यन्त्र करके हमारे देश की जनता को हमेशा धोखा नहीं दे सकते। एक दफा आपने धोखा दे दिया। हमेशा आप ये काम नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इनका कहना है और आज इन लोगों ने जिस तरह से इस सवाल को उठाया है, उससे साफ है कि स्वीडन में चुनाव होने जा रहा है तब ये सवाल को उठा रहे हैं। ये इस सवाल को क्यों उठा रहे हैं ? स्वीडन में चुनाव हो रहा है तो ये इस सवाल को उठा रहे हैं और जब यहां चुनाव होगा तो ये फिर इस सवाल को उठायेंगे, स्वीडन वाले उठायेंगे। यह बहुत गड़बड़ है। जल्दी पता चल जाएगा कि क्या षड्यन्त्र है। (व्यवधान)

इस तरह से दोस्तों, ये यहां के लोगों और स्वीडन के लोगों को दोनों जगह धोखा देना चाहते हैं। जनता समझ गई है। आप इस चालबाजी से हमेशा-हमेशा धोखा नहीं दे सकते। आप डेढ़ साल तक सरकार में बैठे रहे, आप क्या करते रहे ? आप सदन में रोज उठाते थे और कहते थे कि एक महीने में बता देंगे। क्यों नहीं आप बता सके ? यह क्यों नहीं बताते हैं कि एक महीने में क्यों नहीं बता सके ? कहते हैं कि ये जांच की, वह जांच करो, कितने साल तक वह जांच करना चाहते हैं ? ये सिर्फ इस मामले को ही जिन्दा रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

आप लोगों को हमेशा धोखा नहीं दे सकते। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री वी० पी० सिंह।

(व्यवधान)

श्री के० वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : जब आप सत्ता में थे तब आप सच्चाई तक नहीं पहुंच सके और अब आप अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए खड़े हो रहे हैं। आपने भारत के लोगों को काफी बेवकूफ बनाया है। अब आप उन्हें और बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। (व्यवधान)

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : ये लोग एक साल तक सरकार में रहे, क्यों नहीं इन्होंने कुछ किया। इन्होंने तो एक महीने में सब कुछ बाहर लाने का वायदा किया था। क्या करते रहे ये।

(व्यवधान)

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की वैधता को पुष्ट करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद बोफोर्स मामले की जांच में हुई प्रगति के बारे में

12 सितम्बर, 1991

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : (फ़तेहपुर) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने बिल्कुल विशिष्ट प्रश्न किया कि आप सरकार में थे तो आपने क्या किया। (**व्यवधान**)

चूंकि उन्होंने यह विशिष्ट प्रश्न किया है, इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूं, अन्यथा हमारे साथी ने जो बातें कहीं, उससे आगे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं थी। अब चूंकि उन्होंने प्रश्न किया है इसलिए उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर सुनने का धीरज भी होना चाहिए। (**व्यवधान**)

मान्यवर, जो कागज पिछली सरकार, हम लोगों की पूर्व सरकार, कांग्रेस आई की सरकार के पास थे, उन्हीं कागजों के आधार पर हम लोग स्विस बैंक के एकाउन्ट फ्रिज करा सके। यही नहीं···

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जोलपुर) : जो इन लोगों ने नहीं किया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इतना ही नहीं, ए० ई० सर्विसेज की दो अदालतों में हम लोगों की जीत हुई—लोअर कोर्ट में और अपर कोर्ट में। ए० ई० सर्विसेज से हम कुछ कामयाबी हासिल कर सके और उसका कनेक्शन जोर्डन से भी निकलते हुए कागज आये। इसी के साथ, जो आडिट ब्यूरो रिपोर्ट का सीक्रेट पोरशन था, जो पिछली सरकार नहीं हासिल कर सकी थी, उसे भी हम लोगों ने हासिल किया, बोफोर्स में आगे के नये वैपन्स सिस्टम का। हम लोगों ने उसको ब्लैक-लिस्ट किया, जिसका प्रभाव उन पर भी पड़ने लगा। मान्यवर, वही कागजात आज आप हमसे पूछते हैं कि क्या किया जबकि चन्द महीनों के अन्दर हमने उसमें इतनी कामयाबी हासिल कर ली और यह साबित हो गया।

मान्यवर, स्विस कोर्ट से, जब तक कोई क्राइम नहीं होता है हिन्दुस्तान, स्विटजरलैंड में, तब तक वे एकाउन्टस फ्रिज नहीं करते हैं, कागजात नहीं देते हैं। नौर्मल कमीशन को वहां क्राइम नहीं मानते हैं। ब्राइब को क्राइम मानते हैं। उन्हीं ए० ई० सर्विसेज से कागजात हासिल करना पिछली सरकार के, स्विस औथोरिटी, कोर्ट से उस पर मुहर लगवा देना, जो पहले ऐलीगेशन के रूप में था, उस पर पहली बार कोर्ट की मुहर लगी कि यह क्राइम हुआ है···(**व्यवधान**)

ब्राइब का काम हुआ है। इसलिए मान्यवर, जो पिछली जे० पी० सी० थी, जिसने वाईन्डिंग अप चार्जेज की थ्यौरी दी थी, उससे एकदम अब बिल्कुल साबित हो गया है कि वह बिल्कुल गलत था। अब नये तथ्य आ गये हैं। ए० ई० सर्विसेज के कागजात, बैंक एकाउन्टस फ्रिज हैं स्विटजरलैंड में और सीक्रेट पोरशन आडिट ब्यूरो रिपोर्ट का हासिल है। नोबल इंडस्ट्रीज, जिसको स्वीडन गवर्नमेंट ने टेकओवहर कर लिया है, उससे भी हम लोग इन्फार्मेशन हासिल कर सकते हैं। इन सारे तथ्यों को देखते हुए, पिछली जे० पी० सी० की सारी कार्यवाही लीपापोती की हुई है। अब एक नई जे० पी० सी० ही उस सत्य को उजागर कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जांच से क्यों घबड़ाते हैं। (**व्यवधान**)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : महोदय, जब श्री जसवन्त सिंह अथवा श्री रवि राय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, तो मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की क्योंकि मैं उन दोनों को उतना ही बेगुनाह मानता हूं जितना कि इस सदन के किसी अन्य सदस्य को। लेकिन, जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कुछ कहने के लिए खड़े हुए, तो मैंने भी सोचा कि कुछ कहूं। मुझे यह अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनके पास जनमत को गुमराह करने की भारी क्षमता है। आप याद करें तो जब 1986-87 में उन्होंने कांग्रेस से दल बदलकर···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप अपने शब्द बदल लीजिए। यह निष्कासन था, न कि दल बदल। आप अपना वाक्य ठीक कीजिए। **(व्यवधान)**

श्री के० वी० तंगकाबालू : उन्हें इसलिए निष्कासित किया गया क्योंकि···*

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री के० वी० तंगकाबालू : महोदय, मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं।

12.35 म० प०

[इस अवस्था में, श्री श्रीकान्त जेना और कुछ अन्य माननीय सदस्य उठकर आए और पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप लोग अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझदारी से काम कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन के नेता को क्यों आना चाहिए? यदि किसी सदस्य ने कुछ गलत कह दिया है, तो वह उसमें संशोधन कर लेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह ठीक नहीं है। कृपया, अपनी सीट पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आपको नियमों का पालन करने में मदद करता है। कृपया अपनी सीटों पर वापस जाइए। हम त्रुटिपूर्ण वाक्यों में संशोधन करवाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सभा की कार्यवाही 13.00 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा 13.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

* अध्यक्षपीठ द्वारा दिए गए आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

1.01 म० प०

लोक सभा की कार्यवाही 1 बजकर 1 मिनट पर पुनः आरम्भ हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की वैधता को पुष्ट करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद बोफोर्स मामले की जांच में हुई प्रगति के बारे में ।

अध्यक्ष महोदय : श्री तंगकाबालू ।

श्री के० वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : अध्यक्ष महोदय, जब हम बोफोर्स मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, तो सदन के इस पक्ष और उस पक्ष के विचारों में मतभेद था । गर्मागरम बहस के दौरान, मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जो ठीक नहीं थे । मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं और यदि उन शब्दों का यहां तथा बाहर बैठे सदस्यों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ा हो, तो मैं उसके लिए खेद महसूस करता हूं । ये शब्द मैंने गलती से उच्चरित किए थे ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : महोदय, मेरे सहकर्मी ने अपने शब्दों को वापस ले लिया है और संभवतः उनका ऐसा कुछ कहने का मंतव्य नहीं था । इस बारे में कोई दो मत नहीं है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न तो सदन के अन्दर और न ही सदन के बाहर किया जाना चाहिए ।

मैं लोकतंत्रवादी हूं । जब हम सदन में आएं तो हमें आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए न कि आपस में झगड़ना चाहिए । मुद्दों पर चर्चा करते समय हमें विवेक से काम करना चाहिए, न कि गरमागरमी से । यही हमारी परम्परा रही है और महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम अपनी तरफ से इस परम्परा को बनाए रखेंगे ।

जहां तक श्री वी० पी० सिंह का सम्बन्ध है, मुझे अवश्य ही यह स्वीकार करना चाहिए कि हम एक-दूसरे को पचास के दशक के शुरूआत मे ही जानते हैं । वह मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूं । हम एक-दूसरे के काफी निकट रहे हैं···(**व्यवधान**) मेरा सभी लोगों से निकट का रिश्ता है ।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं किसी मुद्दे के बारे में गलत अनुमान नहीं लगाता । मैं निश्चित बातों को कहता हूं । लेकिन, फिर भी, मैं उत्तेजित नहीं होता हूं । परन्तु, जब वह सत्ता में आए और 2 दिसम्बर, 1989 को देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली, उन्होंने भारत के लोगों से यह वादा किया था कि पन्द्रह दिन के भीतर, एक पखवाड़े के भीतर वे बोफोर्स से सम्बन्धित सभी तथ्यों को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे तथा अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे । मेरे विचार से श्री वी० पी० सिंह 11 महीनों तक शासनाध्यक्ष रहे । उनके पास ये सभी दस्तावेज मौजूद थे । पूरे देश पर उनका नियंत्रण था । उन्होंने भरसक प्रयत्न किए किन्तु, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली कि प्रधानमंत्री बनने से पूर्व उन्होंने जो कुछ भी कहा था, उसे वे कर न सके और सज्जन पुरुष के रूप में, व्यक्ति के रूप में जिन्होंने देश का सर्वोच्च पद संभाला था, मैं उनसे चाहूंगा कि जो कुछ भी उन्होंने वायदे किए थे और जिन्हें वे पूरा नहीं कर सके, उसके लिए, उन्हें भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए । मुझे बस यही कहना था ।

21 भाद्र, 1913 (शक)

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की वैधता को पुष्ट करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद बोफोर्स मामले की जांच में हुई प्रगति के बारे में

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभा का माहौल बदलने के लिए हम श्री एम० एल० फोतेदार के आभारी हैं। क्या वह ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि श्री वी० पी० सिंह दो हफ्तों के भीतर अपने रहस्योद्घाटन के वायदे को पूरा नहीं कर सके, अत: आपका यह विचार है कि यह नई सरकार इसका रहस्योदघाटन करने की कोशिश नहीं करेगी ? आप यह क्यों नहीं बताते कि आप क्या करने जा रहे हैं। चूंकि वे 15 दिन में ही असफल हो गये, इसलिए, आपने प्रयत्न करना बन्द कर दिया है। (**व्यवधान**)

श्री एम० एल० फोतेदार : इस मामले में कोई दम नहीं है। (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम) : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोफोर्स से सम्बन्धित मामले को जल्दी निपटाया जायेगा और सही न्याय किया जायेगा, सरकार ध्यानपूर्वक सभी कदम उठा रही है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : न्यायाधिकरण अदालत को दो हफ्तों के बाद भी उसकी प्रति क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई।

श्री रंगाराजन कुमारमंगलम : मैं समझता हूं कि इस सभा में उठाए गए मुद्दों में से कुछ मसलों को थोड़ा संशोधित करने की आवश्यकता है। मेरे कहने का अभिप्राय आलोचना करना नहीं है। किन्तु, एफ० आई० आर० की वैधता के प्रश्न के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अपनी राय स्पष्ट रूप से नहीं बताई है। हमारी सरकार का मत है कि एफ० आई० आर० वैध है, इस सम्बन्ध में हमने सर्वोच्च न्यायालय में बहस की है। न्यायहित में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को आधार मानकर अपनी राय बनाई और पाया कि एफ० आई० आर० की वैधता के सम्बन्ध में निष्कर्ष तब तक नही निकाले जा सकते, जब तक कि अभियुक्तों में से एक दोषी व्यक्ति के समान ही किसी जिम्मेदार अधिकारी को न जाना जाये जो वास्तव में इच्छुक हो और जो स्वयं अदालत में जाते हों और वह व्यक्ति जो अदालत में गये हैं, वे जिम्मेदार नहीं हैं।

सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से, एक व्यक्ति है जिसे एफ० आई० आर० में दोषी पाया गया है, जो उच्च न्यायालय तक पहुंचा लगता है। वह किसी भी तरह हमें इस क्षण रोक नहीं रहा है। जितनी जल्दी हो सके, हम इस मामले में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं।

जहां तक 14 अथवा 15 दिनों का सम्बन्ध है, मेरे पास इस समय वह जानकारी उपलब्ध नहीं है, जैसे ही यह उपलब्ध होगी, हम सभा में उपलब्ध करायेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : बात यह है कि अब हुए नये परिवर्तन के समर्थन के लिए नई परिस्थितियां हैं। माननीय सदस्यों ने जो कहा है और जो हम सब महसूस करते हैं, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ए० ई० सर्विसेज से सम्बन्धित दस्तावेज हमारे पास हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लेखा परीक्षा ब्यूरो रिपोर्ट का गोपनीय हिस्सा हमारे पास है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नोबल उद्योग को स्वीडिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, हम महसूस करते हैं कि दबाव डालने हेतु नई जे० पी० सी० के लिए यही उपयुक्त समय है और सरकार को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। इस पर माननीय मंत्री जी ने कोई टिप्पणी नहीं की है और वे पहले ही बता चुके हैं कि इस मामले में कोई दम नहीं है। जब वहां

इतना सब कुछ है, यह हमारे मस्तिष्क में एक गम्भीर शंका पैदा करते हैं। ए० ई० सर्विसेज के दस्तावेजों के अनुसार जार्डन के साथ सम्बन्ध है। इसकी गहराई में जाए बिना हमें दस्तावेज नहीं मिल सकते थे। लेखा परीक्षा ब्यूरो रिपोर्ट का गोपनीय हिस्सा वही है। नोबल उद्योग को स्वीडिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इन सबके साथ एफ० आई० आर० पर भी अब क्रम में विचार किया जाता है, न कि इसकी योग्यता पर कम से कम यह मानते हुए कि यह एक वैध दस्तावेज है। इन सभी मामलों का कोई उत्तर नहीं आया है। वह दर्शाता है कि सरकार का इरादा सच्चाई तक पहुंचने का नहीं है बल्कि, वह उससे बचना चाहती है और जहां तक कार्यवाही का सम्बन्ध है, जो कुछ भी किया गया है, यह कुछ महीनों में हुआ है। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास तीन वर्षों तक रहे, आपने इनका क्या किया? कुछ महीनों में हम क्या कर सकते थे, हमें कागजात मिले, हमें कुछ महीनों में अवरुद्ध बैंक एकाउन्ट मिले, गोपनीय हिस्सा मिला। आप वर्षों से कुछ नहीं कर सके। यह सच्चाई है और आप पुनः इससे बचना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

हमने एफ० आई० आर० लिखवाई और वे एफ० आई० आर० दायर न कर सके।

इस मामले के सम्बन्ध में, उनकी बात मुझ पर आ गई और वे "15 दिन" की बात कर रहे हैं। एक जन सभा में कुछ कर्मचारियों ने कुछ वक्तव्य दिया और प्रैस में वह वक्तव्य मुझसे सम्बन्धित कर दिया गया और यही बात मैं कहना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि जो वे वर्षों में न कर सके, वह सब बिन चड्ढा और कम्पनी के आने और रुकावट डालने के बावजूद हमने कुछ महीनों में प्राप्त कर लिया। यही हमारी उपलब्धि रही है। यहां तक कि मारकोस के केस से भी फिलीपीन्स कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं कर पाया है। हमारी यह उपलब्धि है और हमारी सरकार की यही एक सफलता है।

(**व्यवधान**)

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : हमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की अनुचित रूप से आलोचना नहीं करनी चाहिए किन्तु वह स्पष्ट करें कि क्या पटना में उन्होंने यह वक्तव्य नहीं दिया था जब तीन राष्ट्रीय स्तर के नेता उपस्थित थे, और जो राष्ट्रीय समाचारपत्रों में "15 दिन" नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। अगर वे यह कह सकें कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तो हम जनता को बता सकते हैं कि हमारी तरफ से गलती हुई थी, इसके हम दोषी नहीं हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जे० पी० सी० गठित कीजिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया व्यवस्था बनाये रखिए।

श्री रोशन लाल (खूर्जा) : आपके दल ने और भी बहुत से वायदे किए हैं। आपके दल ने यह भी कहा था कि 90 दिनों के भीतर कीमतों को कम किया जायेगा। आपका वह वादा कहां गया?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया है।

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, स्वीटजरलैंड के फैसले को कब भेज रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कब भेज रहे हो। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने यह महसूस किया है कि सभा में हम अपने विषय से हट रहे हैं। मुझे यह समझना है कि भूख और क्रोध दोनों का कुछ प्रभाव पड़ता है। यदि लड़ने के स्थान पर भोजनावकाश हो तो अच्छा रहेगा।

अब इस मुद्दे को हमें और नहीं खींचना चाहिए और भी दूसरे मुद्दे हैं, जिन पर हमें विचार करना है। अब मैं महन्त अवैद्यनाथ से अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री महन्त अवैद्यनाथ (गोरखपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए अवसर दिया।

कल शून्यकाल में फतेहपुर लोकसभा के सांसद पूर्व प्रधान मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, ने गोरखपुर के पूर्व विधायक और राज्य मन्त्री श्री शारदा प्रसाद रावत की हत्या के सम्बन्ध में एक पत्र सदन में पढ़ते हुए मेरे नाम का उल्लेख किया था। महोदय, पूर्व प्रधान मन्त्री जी की नीयत क्या है, यह मैं नहीं जानता लेकिन यह स्पष्ट है कि श्री रावत जी से मेरी कभी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। मैं पांच बार उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव लड़ा हूं और गोरखपुर के अन्तर्गत एक ही विधान सभा क्षेत्र मानीराम से लड़कर जीता हूं।

तीसरी बार गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर मैं आया हूं। मैं लगातार गोरखपुर से चुनाव लड़ रहा हूं। अनेकों लोग चुनाव में मेरे प्रतिद्वन्दी कर चुके हैं, लेकिन उन सबसे हमारे व्यक्तिगत सम्बन्ध सदैव मैत्रीपूर्ण रहे हैं। श्री रावत भी अन्य लोगों की तरह मेरे विरुद्ध गत चुनाव में उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव में कहीं कोई कटुता कभी उत्पन्न नहीं हुई। कभी कोई टकराव की हालत पैदा नहीं हुई। उनको तथा उनके परिवार को मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन सदन में सहसा जिस तरह से मुझे इस हत्या से सम्बद्ध किया जा रहा है इससे मुझे गहरा दुःख पहुंचा है।

महोदय, मृतक के परिवार वालों ने मेरा तथा मेरे किसी कार्यकर्ता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखाया है और जिन व्यक्तियों का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है उनकी पुष्टि उनके साथ घायल हुए श्री लालचन्द्र यादव ने भी अपने बयान में की है। इस घटना का सम्बन्ध मुझसे किस तरह बनता है, यह मैं बिलकुल नहीं समझ पा रहा हूं। यह स्पस्ट है कि श्री रावत के अन्तिम संस्कार में जद के बड़े नेताओं के जाने पर राजनीतिक लाभ एवं मेरी स्वच्छ छवि को धूमिल करने के लिए घटना के दो दिन बाद नई कहानी गढ़ी गई हैं।

महोदय, आज तक जितने चुनाव लड़े हैं उनमें मैं जीता हूं उनमें किसी ने मेरे चुनाव के खिलाफ कभी पिटीशन तक दायर नहीं किया है। यदि मैं चुनाव में किसी भी गलत माध्यम का आश्रय लेता तो निश्चित ही कभी न कभी मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही अवश्य होती। मुझे इस बात का गर्व है कि इतने लम्बे राजनैतिक जीवन में मैंने सामाजिक, नैतिक और प्रजातान्त्रिक मूल्यों का सदैव सम्मान किया है।

महोदय, मैं एक साधु हूं और मेरा सारा जीवन आध्यात्मिक रहा है। हिंसा, घृणा, वैर और

प्रतिशोध जैसी नीच प्रवृत्तियों से सदैव लड़ता रहा हूं। आज इस तरह का आरोप मेरे 72 वर्ष की आध्यात्मिक आस्था को आहत करता है।

महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेषतया गोरखपुर में शिक्षा के विकास के लिए मैंने जो कार्य किया है उसे हर कोई जानता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोग तथा एक दर्जन से अधिक शिक्षा संस्थाओं एवं अनेक सेवा पुकल्पों का संचालन आज भी कर रहा हूं। मैंने सदैव अस्पृश्यता जैसे सामाजिक अभिशाप के विरुद्ध संघर्ष किया है। इसी समाज सेवा के कारण मैं सदैव चुनाव में विजयी होता रहा हूं। आश्चर्य है कि मुझ पर इतना गम्भीर आरोप लगाने के पूर्व तथ्य की जानकारी के लिए किंचित प्रयत्न नहीं किया गया और अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिये इस पत्र द्वारा मेरी स्वच्छ छवि को कलंकित करने का प्रयास किया। इस सारी घटना में मेरी एक ही गलती हुई है, 1991 के चुनावों में मैंने जनता दल के प्रत्याशी को जनता के असीम प्रेम व समर्थन के सहारे पराजित किया।

श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों का नाम प्रथम सूचना में दिया गया है वे लोग रावत के परिवार के ही हैं और इन लोगों का आपसी जमीन का विवाद है, जिसको रावत ने हड़प लिया और उनको उससे वंचित किया। यही लड़ाई का मूलाधार है। ऐसी परिस्थिति में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस घटना से मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वे एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप बिलकुल नहीं लगा सकते, जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या आपने उनके वक्तव्य की विषय-वस्तु को देखा है? क्या वे उसे पढ़ रहे हैं अथवा आरोप लगा रहे हैं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनके वक्तव्य में आपत्तिजनक बात है?

श्री चन्द्र जीत यादव : महोदय, उन्होंने कहा कि श्री रावत जी, जो अब नहीं हैं, इसलिए मारे गये क्योंकि उनकी जमीन का मुकद्दमा चल रहा था···**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : उनके पुत्र ने ऐसा कहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कोई आरोप नहीं है।

कृपया आप बैठ जाइए। श्री सोनकर शास्त्री।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सभा की कार्यवाही करने दीजिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : यदि वे व्यक्तिगत बात समझा रहे हैं, तो मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सदन को चलाने दीजिये। इस समय व्यवस्था सम्बन्धी कोई बात नहीं है। कृपया बैठ जाइये, मैं सभी सदस्यों से बातचीत कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : श्रीमन्, कल इस सदन में मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाये गये और एक नई कहानी गढ़ कर आरोप लगाये गये, मैं उनका स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरी पार्टी, इन दोनों ने कभी भगवान के प्रति कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किये हैं, जिनसे किसी की भावना को चोट पहुंचे। (**व्यवधान**)

श्रीमन्, कल जो कहानी कही गई है वह मनगढ़ंत है। मैंने कभी भगवान को* नहीं कहा, मैंने* कहा था। परसों मैंने शंबूक प्रकरण में कहा था कि उन्होंने शंबूक का वध किया था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइये। बिला वजह बीच में में मत बोलिये। इस पर चर्चा हो चुकी है, आप कंप्लीकेट मत कीजिये।

(**व्यवधान**)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्पष्टीकरण तो दे दिया लेकिन फिर राम को* कह दिया, ऐसे स्पष्टीकरण से कोई लाभ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मैं देख लूंगा, अगर ऐसी कोई बात है तो उसको निकाल दूंगा। अब आप कृपया शांत रहिये। सारा समय आप लोगों को ही बोलना चाहिये, स्पीकर को कुछ नहीं बोलना चाहिये, ऐसा नियम भी नहीं होना चाहिये।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे, इस मामले में कुछ कहना है। सदस्यों द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें सदन में नहीं किया जाना चाहिये। सदस्यों ने ऐसे कार्य किये हैं, जिन्हें सदन में नहीं किया जाना चाहिये। खैर हमें कार्य करना है तथा सदन की कार्यवाही चलानी है। इसलिये, हम इस सबको भूल जाते हैं, तथा उन्हें माफ भी कर देते हैं। जहां तक जसवंत सिंह जी ने श्री वी०पी० सिंह जी के सम्बन्ध में कहा है, कल कुछ हुआ था और मैंने सदस्यों से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया तथा यह पाया कि श्री वी०पी० सिंह जी ने जो कुछ कहा था, उसमें कुछ तथ्य अवश्य हैं। इसलिये मैंने कहा कि हमें भूल जाना है तथा उन्हें माफ करना है। यह उचित ही होगा कि हम ऐसे व्यवहार तथा प्रणाली अपनायें जो हमारे लिए लाभकारी हों। मैं नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में अपने सदस्यों से बात करें इस मामले को मैं और नहीं बढ़ाने देना चाहता तथा इसे यहीं समाप्त करना चाहता हूं।

[हिंदी]

(**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अध्यक्ष जी, आपने जो कहा, मैं इस विषय पर नहीं कह रहा हूं। महंत जी के दिल में चोट पहुंची है, शायद मेरी स्पष्टीकरण से उनकी चोट हल्की हो सकती है। मान्यवर, मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है। (**व्यवधान**)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैंने स्वयं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है यह आप रिकार्ड देख सकते हैं। मैंने केवल यह कहा था, रावत जी, जिनकी हत्या हुई है, अपने जीवनकाल में उन्होंने जो आशंकायें प्रकट की थीं और एक पत्र में आरोप लगाये थे, केवल उल्लेख किया था, मैंने अपनी ओर से कोई आरोप नहीं लगाया था।

इसलिये यह स्पष्टीकरण जरूरी है। क्योंकि इनका समझना कि आरोप अपनी ओर से लगाये थे, गलत है। जो पत्र में था, मैंने उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था, अधिकारियों ने जो रिफ्यूज किया था, उस पर ध्यान आकर्षित किया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, आप बैठ जाएं। मेरी स्पेशल रिक्वैस्ट है पासवान जी से और खुराना जी से कि वे एक दूसरे पर चर्चा करें।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैंने आपको कल नोटिस दिया था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, आपने बहुत टाईम लिया हाउस का, आप बैठ जाइये।

श्रीमती कुन्भा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष जी, बिहार प्रांत की गिरती हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न परिस्थिति की ओर आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आज तक देश के इतिहास में ऐसी दहशत, आतंक अव्यवस्था, अराजकता, असुरक्षा कभी नहीं देखा गया। अपहरण तथा हत्याओं की संख्या वहां बढ़ती जा रही है। पिछले एक सप्ताह के अन्दर 20-25 अपहरण की घटनायें हुई। अपहरण की घटनाओं की संख्या विभिन्न जिलों में भी बढ़ी है। एक सप्ताह में 20-25 और एक महीने में पचासों अपहरण की घटनायें हुई हैं।

परसों एक डाक्टर राम सेवक सिंह, फार्मर सुप्रीटेडेंट पी०एम०सी०एच० का अपहरण हुआ है। वे 73 वर्ष के थे। उनके साथ उनकी गाड़ी, उनके ड्राईवर सबका अपहरण कर लिया गया है। एक महीने में 50 अपहरण की घटनायें हुई हैं।

मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि बिहार में तलवार की नोक पर लोग जीवन-यापन कर रहे हैं। भारत सरकार इस ओर ध्यान दे और देखे कि ऐसी घटनायें क्यों हो रही हैं। साथ ही, बिहार सरकार को बर्खास्त किया जाए।

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय को उठाना चाहती हूं। आंध्र प्रदेश में भूख से पांच लोगों की मृत्यु हुई है। गरीबी और भूख के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र तेनाली, आन्ध्र प्रदेश में पांच हथकरघा बुनकरों की मृत्यु हुई है। मेट्टीमेस्ट्रीपालेम श्रीमती सलीम मंगम्मा ने नहर में कूदकर इसलिए आत्महत्या करली, क्योंकि वह अपने बीमार पड़े पति को दवा न दिला सकने के कारण नहीं बचा सकी। सत्तर वर्षीय श्रीमती कोरनेपति मेल्लावन्दम्मा ने

आत्म हत्या की कि एक हथकरघा बुनकर के रूप में उसे इतनी कम कमाई हो रही थी कि वह अपने तथा अपने परिवार को चला नहीं पा रही थीं। चेरूकुपल्ली मंडल के गुल्लापल्ली गांव के श्री और श्रीमती राधवय्या ने अपने परिवार की दयनीय गरीबी की हालत को देखकर आत्महत्या कर ली है।

एक और हथकरघा बुनकर ने प्रकाशम् जिले के चिराला गांव में आत्महत्या कर ली है। आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर पाँच लोग भूख से पीड़ित होकर मरे हैं तथा और कई लोग तेनाली के आसपास के गांवों में भूख से त्रस्त हैं। मैं इन दुःखी परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रगट करता हूं। आंध्र प्रदेश के गांवों में हथकरघा बुनकर आत्म हत्यायें कर रहे हैं, परन्तु, राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की न तो दिलचस्पी दिखायी है और न ही परिवारों को कोई आर्थिक सहायता दी है तथा न ही किसी भी मन्त्री ने वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया है आंध्र प्रदेश में भूख से पीड़ित होकर हथकरघा बुनकरों की मृत्यु ऐसे कोई पहली बार नहीं हुई है, इसके पहले सन् 1985 में भी बुनकरों ने भूख से पीड़ित और तंग आकर आत्म हत्यायें की हैं। चूंकी इन लोगों का जीवन स्तर दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है अतः, सरकार को यह आवश्यक हो जाता है कि वह स्थिति का पूरी गम्भीरता से पुनरीक्षण करें। हथकरघा बुनकरों की समस्या को सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार ने केवल इन लोगों द्वारा कपड़ा बनाए जाने के लिए 22 किस्म के कपड़ों को आरक्षित कर दिया। परन्तु, दुर्भाग्यवश न तो अब तक लागू हुआ और न ही सरकार इस बारे में गम्भीरता रही है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : हथकरघा बुनकरों के रहने की हालत को सुधारने के लिए, आबिद हुसेन समिति ने जो सिफारिशें की थीं, उनका भी क्रियान्वयन नहीं किया गया। हथकरघा बुनकर अपने पारम्परिक व्यवसाय में रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वस्त्र उद्योग काफी प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है।

पिछले वर्षों में रंग, सूत तथा रसायनों की कीमतों में तीन सौ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप कई बुनकर इस व्यवसाय से बाहर हो गए हैं। हथकरघा बुनकरों की वर्तमान दयनीय स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से विनती करता हूं कि सूत निगम तथा 'कोमोडिटी बोर्डों' के समान ही एक हथकरघा निगम शुरू किया जाये ताकि हथकरघा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा सके इसके अतिरिक्त बुनाई की गई वस्तुओं की कीमतें, दोहरी कीमत नीति के आधार पर होनी चाहिए और हथकरघा बुनकरों को आर्थिक राजसहायता भी दी जानी चाहिए है। इसके अलावा, वस्त्र उद्योग तथा हथकरघा क्षेत्र को अलग-अलग रखा जाना चाहिए तथा विभिन्न मन्त्रालय के आधीन रखा जाना चाहिए ताकि हथकरघा क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया जा सके।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि हथकरघा बुनकरों के परिवारों को भूख से त्रसित न होने देने के लिए उनको अनुग्रह राशी दी जानी चाहिए ताकि वे भूख से त्रसित न हों और अपने पारम्परिक व्यवसाय को बचा सकें।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा-बून्दी) : माननीय अध्यक्ष जी, गत सप्ताह में माननीय उपाध्यक्ष श्री मल्लिकारजुनय्या का स्वागत, सत्कार जिमखाना क्लब के परिसर में आयोजित किया गया था। दिल्ली की कुछ संस्थाओं के द्वारा किया गया था। काटेज नं० 4 में यह कार्यक्रम था। मैं काटेज नं० 3 के बारे में कुछ नहीं कहूंगा गलती से जिमखाना क्लब के मुख्य प्रवेश द्वार में मैंने जैसे ही प्रवेश किया तो जोत सिंह नाम के सरदार दौड़कर आए उन्होंने कहा कि आप कहां जा रहे हैं मैंने उनसे आग्रहपूर्वक कहा कि मैं सांसद हूं और मुझे इस प्रकार के एक कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया है और इसमें पत्रकार और सांसद भी आने वाले हैं, कृपया मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा "नो" और इस जिमखाना क्लब में धोती-कुर्ता वाला कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। (**व्यवधान**) मैंने आग्रह किया कि मैं सांसद हूं और मैं इस जिमखाना क्लब में क्यों नहीं जा सकता। चालीस वर्ष बाद भी इस देश में धोती-कुर्ता पहनने वाले ऐसे क्लब में नहीं जा सकते। इसके बाद में हतोत्साहित और अपमानित होकर आया। मुझे कहा गया कि अगर आप सूट और पैंट-बुशर्ट पहनकर आते तो यहां पर अलाऊ किया जा सकता है जबकि यहां पर धोती-कुर्ता वाले अलाऊ नहीं है। जब मैं अपमानित होकर बाहर आने लगा तो हमारे दूसरे साथी झांसी से प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री कार से उतरे। उनको मैंने टोका कि आपने कुर्ता-पायजामा पहना हुआ है इसलिए आप अन्दर नहीं जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह कैसे असम्भव है। वे जब गए तो मैं भी उनके साथ गया तो उनके सेक्रेटरी ने आकर के कहा कि धोती-कुर्ता वाले इस क्लब के अन्दर नहीं जा सकते। मैंने कहा कि श्री मल्लिकारजुनय्या का स्वागत है, आप कृपया करके हमें जाने दीजिए। (**व्यवधान**) यह विशेषाधिकार का मामला है। (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि श्री दाऊ दयाल जोशी जी ने जो मामला उठाया है और सारे सदन की राय होगी कि हिन्दुस्तान की आजादी के 44 वर्ष बाद भी किसी भी कोर्ट में क्लब्स या सारी क्लब्स, अंग्रेजों के समय में चलती थी और तब कुछ रूल्स बनाए थे और आज तक इसी तरह चलते रहेंगे कि कोई धोती-कुर्त्ता पहनकर जायेगा तो उसका प्रवेश निषिद्ध होगा। अगर जब पाश्चात्य लेशभूषा पहनकर नहीं जाते तो तब भी प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा और इसको कोई विशेष रूप से स्वीकार नहीं कर सकेगा। हम सबकी राय है और मुझे विश्वास है कि उनके इन नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा···(**व्यवधान**)···

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, आडवाणी जी ने जो मामला उठाया है वह भारत के संविधान के फाण्डामेंटल राइट का उल्लंघन है। भारत के संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जाति, धर्म और वेशभूषा के नाम पर यदि रोका जाता है तो भारत के नागरिक का जो फण्डामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन है। हम भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे किसी भी प्रदेश में रोक लगा हुआ हो। (**व्यवधान**)

जहां इस तरह की रोक लगी हुई है, उनपर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये कि कैसे सब के लिए खोलना चाहिये। यह मामला हालियामेंट में भी उठा चुका है और सरकार ने इसके बारे में अपना जवाब भी दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि कई क्लब प्राईवेट जगह पर हैं, पब्लिक जगह पर नहीं है। इसमें संविधान की बात कही जायेगी वह देखी जा सकती है लेकिन यह जो देसी अंग्रेज हैं, सूट-बूट वाले और हिन्दुस्तान के जन-प्रतिनिधियों को या इस देश में किसी भी व्यक्ति को अपने देश के कपड़े का इस्तेमाल करके अपने क्लब में आने से रोकते हैं जहां सार्वजनिक फंक्शन होता है, इसमें बर्दाश्त करने की कोई बात कतई नहीं हो सकती है। कलकत्ता में यह बात हुई थी। कलकत्ता क्लब में यही चलता था कि धोती पहनकर उसके अन्दर नहीं जा सकते थे···

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपूर) : कलकत्ता क्लब में एक बार एक न्यायाधीश को अन्दर नहीं जाने दिया।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जज ने वहां पर इस सवाल को उठाया। हमारे लोग घुस गये और उसके बाद क्लब ने अपने नियमों को बदल दिया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : और पेंटर हुसैन के साथ···

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बम्बई के विलिंग्डन क्लब में यही हुआ कि वहां धोती में नहीं जा सकते हो एक बहुत नामी पेन्टर एफ० एम० हुसैन वहां पर खाली पांव से चुनाती देकर गये थे तो अनेक जगह पर यह सिलसिला चलता रहा। इस पार्लियामेंट में जहां छाया पड़ती है, उस जगह पर अगर देसी अंग्रेज हमें अन्दर जाने से रोक देते हैं तो मैं दाऊ दयाल जोशी और सबसे कहूंगा कि अगर अगले सात दिन में इस चीज को दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने नियमों को नहीं बदलेंगे तो फिर कुछ लोगों को वहां जाकर सिविल नाफरमानी करनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं बचेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, दिल्ली का जिमखाना क्लब एक निजी क्लब हो सकता है तथा उनके नियम क्या हों। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। चूंकि वे अपने क्लब को सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए किराये पर देते हैं, इसलिए वे किस तरह एक आमंत्रित व्यक्ति को अपनी पसन्द की वेशभूषा पहन कर आने पर क्लब में आने से रोक सकते हैं।

मुझे पता नहीं है कि सदन में ऐसा कोई वैधानिक प्राधिकारी है जो, उन्हें निर्णय सुना सकें। परन्तु, मैं कामना करता हूं कि देश में ऐसा कोई प्राधिकारी हो। जोकि इस क्लब के सूट-बूट से सुसज्जित व्यवस्थापकों को कहे कि उन लोगों ने जो किया है इसके पश्चाताप के रूप में वे धोती कुर्त्ता पहनें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सरकारी जमीन होगी, वे जिस जमीन पर रह रहे हैं वह सरकार द्वारा उन्हें पट्टे पर दी गई जमीन होगी **(व्यवधान)**

संसदीय मामलों के राज्य मंत्री तथा विधि न्याय एवं कम्पनी मामलों के राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने सालों के बाद भी एक आमंत्रित सदस्य को क्लब में चाहे वह क्लब निजी हो अथवा न हो, प्रवेश

करने से इसलिए रोका गया क्योंकि उसने एक ऐसी वेशभूषा पहन रखी थी, जिसे हम राष्ट्रीय वेशभूषा कहते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि यदि हम सूट, जो किसी भी प्रकार का हो, और यह एक विदेशी वेशभूषा है।

श्री जसवंत सिंह : चाहे वह बाथिंग सूट हो।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : हां यह सच है चाहे वह बाथिंग सूट भी हो तो हमें क्लब में जाने दिया जायेगा। दुर्भाग्य से हमारे संविधान के एक मूलभूत अधिकार के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के भेद भाव पर रोक लगा दी गई है परन्तु, इस प्रकार का भेदभाव का निजी स्थानों पर रोकने के लिये कोई मूलभूत अधिकार नहीं है। खैर, मुझे विश्वास है कि ऐसे कई तरीके होंगे, जिनके द्वारा सदन इस प्रकार के व्यवहार तथा लगाई गई रोक की एकमत से निन्दा करें। हम लोग जिमखाना क्लब के लोगों को इस प्रकार के व्यवहार को न करने के लिए उन पर दबाव डालें और सरकार भी इस मामले में अवश्य ध्यान देगी।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि हमने इस मामले पर डेढ़ घण्टा ले लिया है, अतः मैं दूसरे मामले पर जा रहा हूं।

1.40 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नर्मदा निमंत्रण प्राधिकरण के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के सम्बन्ध में विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : महोदय, श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 615/91]

(3) (एक) आन्ध्र प्रदेश की पुलिचिन्ताला बालनसिग जलाशय परियोजना के बारे में श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 354 के 18 जुलाई, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 616/91]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधीन अधिसूचना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 के अन्तर्गत अधिसूचना

संख्या यू० 14011/160/89-दिल्ली, जो 4 सितम्बर, 1991 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 1990 की अधिसूचना संख्या यू० 14011/160/89-दिल्ली में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 617/91]

मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : महोदय, मैं मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1983-84 से 1989-90 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 618/91]

दिल्ली सहकारी समितियां (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991, उर्वरक (नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1991, केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1988-89 आदि के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1972 की धारा 97 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली सहकारी समितियां (दूसरा संशोधन) नियम 1991, जो 19 अगस्त, 1991 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 47/578/जी० एच०/कोप० में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 619/91]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1991, जो 16 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 530(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 620/91]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल कृषि उद्योग लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1988-89 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 621/91]

(ख) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 622/91]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त हुए संदेशों की सूचना देनी है :—

(i) मुझे लोक सभा को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने अपनी 4 सितम्बर, 1991 को हुई बैठक में, लोक लेखा समिति से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रस्ताव को स्वीकार किया है :—

"कि यह सदन लोक सभा को लोक लेखा समिति के 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, उक्त समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य निर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत है, और उसने उक्त समिति के लिए, सभापति के निदेश के अनुसार इस प्रकार निर्वाचन करने के लिए सदन के सात सदस्यों के नाम सूचित किए हैं।"

उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में मैं लोक सभा को आगे सूचित करता हूं कि उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों का चयन किया गया है :—

(1) श्री विश्वजीत पी० सिंह

(2) श्री एच० हनुमनथप्पा

(3) श्री आर० के० धवन

(4) श्री ईश दत्त यादव

(5) श्री जे० पी० जवलि

(6) श्री मुरासोली मारन

(7) श्री दीपेन घोष

(ii) मुझे लोक सभा को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने अपनी 4 सितम्बर, 1991 को हुई बैठक में, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रस्ताव को स्वीकार किया है :—

"कि यह सदन लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, उक्त समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य निर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत है और उसने उक्त समिति के लिए सभापति के निदेश के अनुसार इस प्रकार निर्वाचन करने के लिए सदन के सात सदस्यों के नाम सूचित किए हैं।"

उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में मैं लोक सभा को आगे सूचित करता हूं कि उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों का चयन किया गया है :—

(1) श्री अश्विनी कुमार

(2) प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर

(3) श्री सैयद सिब्ते रजी

(4) श्री अजीत पी० के० जोगी

(5) श्री महेन्द्र सिह लाठर

(6) डा० जी० विजय मोहन रेड्डी

(7) श्रीमती कमला सिन्हा

(iii) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने अपनी 4 सितम्बर, 1991 को हुई बैठक में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति से संबंधित निम्नलिखित प्रस्ताव को स्वीकार किया है :—

"कि यह सभा यह संकल्प पारित करती है कि 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी दोनों सदनों की समिति में राज्य सभा भी शामिल होती है और एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुरूप, उक्त समिति को सेवा प्रदान करने हेतु, इस सदन के सदस्यों में से दस सदस्यों का चयन करती है।"

उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में मैं लोक सभा को सूचित करता हूं कि उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों का चयन किया गया है :—

(1) श्री चतुरानन

(2) श्री एम० विन्सैंट

(3) श्री राधाकृष्ण मालवीय

(4) श्री एस० के० टी० रामचन्द्रन

(5) श्री ब्योमो लोथा

(6) श्री राजूभाई ए० परमार

(7) कुमारी सुशीला तिरिया

(8) अनन्तराय देवशंकर दवे

(9) श्री सुनील बसु राय

(10) श्री आनन्द प्रकाश गौतम

वी० पी० चेस्ट इंस्टीच्यूट, दिल्ली के कार्यकरण की जांच की आवश्यकता के सम्बन्ध में याचिका

श्री के० पी० उन्नीकृष्णनन (बडागरा) : महोदय, मैं वी०पी० इन्स्टीच्यूट, दिल्ली के कार्यकरण की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में डॉ० पी० एम० साहनी, आर्थोपैडिक सर्जन तथा मैडिको सोशल वर्कर तथा छः अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्तांतरित एक याचिका प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

पांचवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 11 सितम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा 11 सितम्बर, 1991 को इस सभा को प्रस्तुत किए गए अपने पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पंजाब साधारण निर्वाचन रद्दकरण विधेयक*

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधानमंडलीय कार्य पर आते हैं।

श्री विजय भास्कर रेड्डी।

श्री एल० के० आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है?

श्री एल० के० आडवाणी : मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न प्रक्रिया का है और यह प्रश्न मेरे साथी जसवन्त सिंह जी द्वारा अन्य विधेयक के सम्बन्ध में भी उठाया जा चुका है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अध्यक्ष के निर्देशों के पीछे एक कारण है, जिसकी सरकार द्वारा इन मामलों में अवहेलना की जा रही है। एक समय था, जब सरकार प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक के बारे में औपचारिक

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 12;9-91 में प्रकाशित।

सूचना देने के लिए बाध्य नहीं थी और यह केवल 1957 में ही घटित हुआ जब इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई ।

महोदय, कौल और शकधर द्वारा लिखित पुस्तक संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार के पृष्ठ 525 पर, यह कहा गया है :

"निदेश संख्या 19-ख 1957 में, इस निदेश के जारी किए जाने से पहले प्रथा यह थी कि सभा में विधेयक के पुरःस्थापित होने के बाद उसकी प्रतियां बांटी जाएं, यद्यपि सदस्यों की जानकारी के लिए पुरःस्थापन के समय विधेयक की कुछ प्रतियां लाबी में रखी रहती थीं। क्योंकि नियम 72 में यह उपबन्ध था कि कोई भी सदस्य विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति देने के प्रस्ताव का विरोध कर सकता है, इसलिए कभी-कभी यह मांग की जाती थी कि पुरः-स्थापित किए जाने वाले विधेयकों की प्रतियां पहले से सदस्यों में बांट दी जायें जिससे कि पुरः-स्थापन के प्रस्ताव पर बहस हो तो उन्हें यह पता हो कि विधेयक में क्या है।"

यह निदेश अध्यक्ष के द्वारा 13-9-1957 को जारी किया गया था ।

निदेश 19(ख) में यह कहा गया है :

"कोई विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए किसी दिन की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब कि उसकी प्रतियां उस दिन से जब कि विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विचार हो, कम से कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न की गई हो।"

महोदय, श्री कौल तथा शकधर की पुस्तक संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार से मैंने जो उद्धरण पढ़ा है उससे यह तर्क बिल्कुल स्पष्ट है और इस विशेष मामले में तो मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस विशेष नियम की संवैधानिक वैधता के लिए मैं ज्यादा तैयार रहना चाहूंगा । मैं सदन की विधायी क्षमता के आधार पर इसका विरोध भी करने वाला हूं जबकि सदन में इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगी गई है। मैंने इस विधेयक को अभी-अभी देखा है इसलिए मैंने व्यवस्था के इस प्रश्न को उठाया है ताकि आप सरकार को निदेश दे कि इस विशेष मामले में सदन के सदस्यों को ज्यादा समय दिया जाना चाहिए क्योंकि साधारणतया आपको भी सात दिन पहले तथा सदस्यों को कम से कम दो दिन पहले सूचना मिलनी चाहिए। इस विशेष मामले में विधेयक 6 सितम्बर, 1991 का है जिसका मतलब यह है कि आपको भी सात दिन पहले सूचित नहीं किया गया है, तथा निश्चित रूप से हमको तो सूचित नहीं किया गया है । यह मामला पंजाब में चुनाव से सम्बन्धित है, जिसके बारे में हम लोग सदन का सत्र शुरू होने से पहले ही अखबारों में पढ़ते आ रहे हैं कि सरकार का विचार वहां चुनाव रद्द कराने का है अतः सरकार के सामने ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिससे सरकार को सदन में आना आवश्यक हो जाता जैसे आपातकाल में होता है, कि हमें पहले कोई उपयुक्त सूचना नहीं मिल पाई इसलिए हम लोग आपको सूचित नहीं कर सके ।

मैं यह चाहता था कि इस विधेयक को आज की कार्य-सूची में शामिल न किया जाता । परन्तु आपने इसे शामिल कर लिया है । अतः मैं यह अनुरोध कर सकता हूं कि यदि आप लोगों ने इस विनियम का उल्लंघन पहले भी किया है तो कम से कम अब तो न करें तथा इस मामले पर पुनर्विचार करें तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को कल अथवा परसों लाये। यह मेरा अनु-रोध है।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं माननीय विपक्ष के नेता की बात से असमत हूं कि विधेयक के परिचालन तथा अध्यक्ष को सूचना भेजने के बारे में पूरी सूचना नहीं दी गई है। भाग्यवश 'इस विशेष मामले में, मेरे विचार से, हम इस मामले में बिलकुल गलत नहीं हैं।

हमने दो दिन पूर्व अर्थात् इस माह की 10 तारीख को इस विधेयक का सुबह परिचालन किया था। जिसके फलस्वरूप हमने नियमों की आवश्यकता को पूरा किया। नियम 19(ख) के अधीन अपेक्षित विधेयक को पुरःस्थापित करने के अभिप्राय का पूरा नोटिस दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, जब कभी हम विधेयक को पुरःस्थापित करने के अभिप्राय की सूचना देते हैं तब हम सामान्यतया विधेयक की प्रति नहीं देते हैं। जैसे ही हमारे विधायी विभाग में विधेयक तैयार हो जाता है उसे मुद्रण के लिए मेज दिया जाता है। सामान्यतया जो तारीख डाली जाती है अर्थात इस मामले में यह 6 सितम्बर है, वह मुद्रण की तारीख होती है। हमने पूरा नोटिस दिया है तथा परिचालन के लिए विधेयक की प्रतियों को समय पर दिया है। इसे इस महीने की दस तारीख को परिचालित किया गया है। अतः नियम के उल्लंघन धन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : मैं कह सकता हूं कि मुझे यह विधेयक 10 तारीख को लिफाफे में मिला था।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने शर्तों को पूरा किया है।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : आडवाणी जी ने मुझसे कहा था। चूंकि मैंने विधेयक नहीं देखा था इसलिए मैंने ऐसे कह दिया। गलती मेरी है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति मांगें।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब राज्य के सम्बन्ध में साधारण निर्वाचन आहूत करने वाली कतिपय अधिसूचनाओं को कुछ रद्द करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि पंजाब राज्य के सम्बन्ध में साधारण निर्वाचन आहूत करने वाली कतिपय अधिसूचनाओं को रद्द करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, मैं इस बिल को प्रस्तुत करने का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मेरा विरोध इस कारण भी है कि इसके द्वारा पंजाब की स्थिति सुधरने की बजाए और खराब होगी। इसके बारे में विस्तार से, जब विधेयक पर यहां विचार होगा, तब चर्चा करना चाहूंगा लेकिन मेरा विरोध इस कारण भी है कि इस सदन को संविधान यह अधिकार नहीं देता कि किसी घोषित चुनाव को रोक करके, उसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए। इसलिए इसको कह सकते हैं कि लैजिस्लेटिव कम्पीटैंस इस हाउस की नहीं है। यह अगर करना ही है तो किसी संविधान में संशोधन लाने वाले बिल के जरिए करना चाहिए था। साधारण कानून के द्वारा ऐसा नहीं करना चाहिए था।

[अनुवाद]

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

विधेयक की पुरःस्थापना के समय माननीय सदस्य इस विधेयक के गुणावगुणों पर चर्चा नहीं कर सकते । कार्य-संचालन के नियम 72(1) के अनुसार :

"जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक एक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा ।"

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : संभवतः माननीय मन्त्री महोदय अनुवाद को नहीं सुन रहे हैं जोकि मैं समझता हूं कि सही है । मैं आपसे सीधे बातचीत करने के लिए अंग्रेजी में बोलूंगा । जहा तक विधेयक के गुणावगुण की बात है जब इसे विचारार्थ लिया जाएगा तब उस मौके पर मैं इसके गुणावगुणों पर भी विरोध कर सकता हूं ।

परन्तु इस समय, मैं सरकार को उल्लेख करना चाहूंगा कि इस प्रकार के विधेयक को अधिनियमित करना सदन की विधायी क्षमता में नहीं है । यदि यह एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होता तो एक अलग बात थी । परन्तु संविधान में यह व्यवस्था है कि हर पांच साल में प्रत्येक राज्य विधान सभा के चुनाव करवाए जाने चाहिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है ।

इस सम्बन्ध में दो ही अपवाद हैं एक यदि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो, परन्तु संविधान में भी कुछ सीमायें लगा रखी हैं, तथा दूसरा अपवाद यदि उस राज्य में आपातकालीन स्थिति हों । केवल ये दो अपवाद हैं ।

अनुच्छेद 174 में व्यवस्था की गई है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में विधान सभा के दो सत्रों के बीच की समयावधि छः महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।

अब ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनमें एक विधान सभा के चुनाव करवाये जाने हैं ।

अब तक हमने कई अवसरों पर पंजाब के चुनाव स्थगित किये हैं । जहां तक मैं सही हूं पंजाब विधान सभा के आखिरी चुनाव 1985 में हुए थे । यदि मैं इस मामले में सही हूं, तथा वह विधान सभा दो वर्ष तक ही टिक पायी । वर्ष 1987 से पिछले चार वर्षों से पंजाब में चुनाव नहीं हुये हैं तथा वहां से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है । यह सभी जानते हैं तथा जब हम इस मामले के गुणावगुणों पर विचार-विमर्श करेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे ।

परन्तु आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वह यह है कि अप्रैल माह में वहां चुनाव कराने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी । बाद में वे चुनाव कुछ समय के लिए स्थगित कर दिए गए थे तथा निर्धारित समय के अनुसार चुनाव 22 जून को सम्पन्न हुए । जो लोग हिंसा द्वारा चुनावों में बाधा डालना चाहते हैं उनको ऐसा करने से रोकने के लिए हमने कुछ सुझाव दिए थे । कुछ सुझाव मेरी पार्टी ने भी दिए थे । दुर्भाग्य से सरकार ने इन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि हमने सुझाव दिया था कि जैसा सरकार ने पहले भी किया है कि पंजाब में जब कभी चुनाव करवाए जाते हैं तब एक अध्यादेश जारी किया जाए कि यदि किसी निर्दलीय उम्मीदवार की हत्या या मृत्यु हो जाती है तो चुनाव रद्द नहीं किए जायेंगे । इसका अभिप्राय यह सुनिश्चित कराना था कि निर्दलीय उम्मीदवारों को, जो की काफी संख्या में होते है किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहे । इस अध्यादेश से इन्हें स्वतः ही सुरक्षा मिल जाती है क्योंकि

हत्यारों का उद्देश्य किसी विशेष उम्मीदवार की हत्या करना नहीं है, अपितु उनका उद्देश्य किसी भी तरह चुनावों में बाधा डालना है और तब सुरक्षा देने का पूरा प्रयास पार्टी उम्मीदवारों तक ही सीमित होकर रह जाएगा, जिनकी सुरक्षा करना सम्भव हो सकेगा क्योंकि पार्टी उम्मीदवारों की संख्या काफी कम रहती है। परन्तु ऐसा स्वीकार नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप हत्यारों को एक के बाद एक उम्मीदवार को मारने में कोई दिक्कत नहीं हुई। शायद सरकार को चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का पता चल गया हो और उसने चुनाव न कराने का निर्णय ले लिया हो। परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। तथा राज्यपाल ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था कर ली कि चुनाव सही तरीके तथा निष्पक्ष रूप से 22 जून को हो सके परन्तु केवल एक दिन पहले चुनाव स्थगित कर दिए गए। परंतु इनका स्थगन इसलिए किया गया है ताकि 30 सितम्बर से पहले किसी भी समय ये चुनाव करवाए जा सकें। हम लोग पहली बार विधायी मंजूरी देने जा रहे हैं। हम न केवल चुनाव स्थगित किए जाये, अपितु अनिश्चितकाल के लिए चुनाव रद्द किए जाए इसके लिए संसदीय मंजूर देने जा रहे हैं।

इसमें कहा गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों तथा कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तथा उम्मीदवारों तथा अन्य निर्दोष व्यक्तियों की और ज्यादा जाने न जाये पैं उद्देश्यों तथा कारणों के कथन से पढ़ रहा हूं—यह आवश्यक हो गया है कि फिलहाल पंजाब राज्य में आम चुनाव कराए जाने के लिए जो अधिसूचना जारी की गई हैं उसे रद्द किया जाए। जैसे ही वहां सही व्यवस्था हो जाएगी चुनाव शीघ्र ही करवा दिए जायेंगे। यह मेरा विश्वास है।

जिस तरह की परिस्थितियां आज पंजाब में हैं, तथा वहां जिस प्रकार अनिश्चितकाल के लिए चुनावों को स्थगित किया जा रहा है उससे कोई भी यह अर्थ लगा सकता है कि वहां स्थाई रूप से चुनाव स्थगित होने हैं। क्योंकि वहाँ पर इस तरह की स्थिति है इसलिए पंजाब में कोई चुनाव नहीं होंगे। पंजाब पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आप महसूस करें। इसका राजनैतिक प्रभाव होगा। स्थिति बहुत गम्भीर है। अतः मैं मानता हूं कि सदन एक संवैधानिक तौर पर इस प्रकार के साधारण विधान द्वारा वहां चुनाव रद्द कराने की स्थिति में नहीं है। यहां एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। गुणावगुण के आधार पर भी यह नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा करने से पंजाब के आम नागरिकों को एक गलत संकेत मिलेगा। चुनाव कराए जाने के सम्बन्ध में जो सबसे ज्यादा नुकसान किया जा सकता है वह 21 जून को किया जा चुका है। मेरी ही पार्टी के कुछ उम्मीदवार मारे गए। तथा एक या दो उम्मीदवार उसके बाद भी मारे गए। 30 सितम्बर के पहले चुनाव कराये ही जाने हैं। उतने लोगों की हत्याओं के बाद, पंजाब में सारे देश से अर्द्ध सैनिक बल पहुंचाने के लिए हमने करोड़ों रुपया खर्च किया तथा यदि अब हम चुनाव रद्द करने हैं और पंजाब के लोगों को यह संदेश देते हैं कि पंजाब में चुनाव तब तक नहीं कराए जा सकते हैं जब तक वहां की स्थिति पूरी तरह सामान्य न हो जाए। मेरे विचार से यह किसी भी तरह से समझदारी तथा बुद्धिमतापूर्ण कदम नहीं है मैं महसूस करता हूं कि इस विशेष मामले में सरकार विधेयक को पुरःस्थापित नहीं करेगी। मैं महसूस करता हूं कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए सरकार को अनुमति न देकर सदन ठीक करेगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अभी जब विरोधी दल के नेता ने, यह बिल सर्कुलेट हुआ कि नहीं हुआ, इस मुद्दे को छेड़ा तो मैंने तत्काल अपने मित्र को यह कहा कि यह बिल 10 तारीख को सर्कुलेट हुआ था 10 तारीख की याद मुझे इसलिए थी कि उस दिन सुबह जब मैं बिल पढ़कर नौ बजे होम मिनिस्ट्री की कनसलटेटिव कमेटी मीटिंग में मैं गया था तो वहाँ गृह मन्त्री ने अपने भाषण के दौरान, कमेटी के

सामने दिए हुए वक्तव्य के दौरान यह कहा था कि पंजाब की स्थिति सुधर रही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम यहां पर परामर्शदात्री समिति बैठकों की कार्यवाही का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं कनसलटेटिव कमेटी की कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं केवल वह बात कह रहा हूं जो अखबारों में छपी है। गृह मन्त्री ने इस बात को बार-बार कहा है। पिछले कई दिनों से वे कहते आए हैं कि पंजाब में स्थिति सुधर रही है। सदन में भी यह बात कही गई है और सदन के बाहर भी यह बात कही गई है। 11 तारीख के अखबारों को आप देखें तो गृह मन्त्री के 10 तारीख के दिए हुए उस निवेदन को आप पढ़ सकते हैं। चूंकि मैंने सुबह मीटिंग में जाने से पहले बिल को पढ़ा था, इसके ऑब्जैक्टस एण्ड रीजन्स में लिखा है :

[अनुवाद]

राज्य में आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है तथा चुनाव की घोषणा के बाद तो वहां पर बड़े पैमाने पर हत्यायें तथा निर्दोष लोगों का जनसंहार हो रहा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

सरकार का एक अंग बोलता है कि स्थिति बहुत सुधर गई है और सुधरती जा रही है और दूसरा अंग यानि लॉ मिनिस्टर कहते हैं स्थिति बहुत बिगड़ गई है इसलिए हमको कानून लाना पड़ा है। संवैधानिक मुद्दों को आडवाणी जी ने यहां पर उठाया वह तो अपनी जगह पर है लेकिन जब सरकार दो जबान से बोल रही है तो हम लोग कैसे सरकार के बीच इस विधेयक पर विश्वास करें, कैसे इस विधेयक को ईमानदारी से लाया हुआ विधेयक कहकर मान लें। अन्ततोगत्वा सरकार के किसी एक अंग पर जब विश्वास करने की नौबत आती हो जब दो अलग-अलग जबान से बोलते हैं जैसे आज सुब्रह बोफोर्स के मामले में भी दो बातें हो गई। एक मन्त्री ने कहा कि केस है ही नहीं जबकि कानून मन्त्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर जब हम काम करने जा रहे हैं तब हम लॉ मिनिस्टर की बात को मानेंगे क्योंकि लॉ मिनिस्टर को ये बातें ज्यादा मालूम हैं स्वास्थ्य मन्त्री को कुछ भी नहीं मालूम है। उनको किसी चीज का कुछ नहीं मालूम है, एक ही चीज का मालूम है और उसकी बहस यहां पर नहीं होती है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय इस समय मौजूद नहीं हैं।

2.00 म० प०

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे मालूम नहीं कि क्या कोई सदस्य सरकारी तौर पर ऐसी टिप्पणी कर सकता है अथवा नहीं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह वास्तव में सरकारी तौर पर की गई टिप्पणी होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जैसे वहां कानून मन्त्री की बात पर विश्वास रखा क्योंकि वह इस बात को जानते हैं, उसी प्रकार कानून मन्त्री पंजाब की स्थिति को नहीं जानते हैं, गृह मंत्री उसे जानते हैं। उनकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी के ऊपर उन्होंने हम लोगों को यह बताया है कि पंजाब में स्थिति सुधर रही है।

मैं एक दूसरे मुद्दे को आपके सामने रखना चाहता हूं। इस विधेयक को आज लाने की जो बात हो रही है, आपको याद होगा कि किसी परिस्थिति में पंजाब के चुनाव स्थगित हुए थे। पंजाब के चुनाव पंजाब की स्थिति को लेकर स्थगित नहीं किए गए थे, पंजाब के चुनाव स्थगित हुए थे तब जब यह तय हुआ कि यहां दिल्ली में नई सरकार बन रही है। इलेक्शन कमीशन का यही उस समय कहना था कि वह पंजाब में चुनाव करवा रहा है लेकिन बहुत कुछ परेशानियां हैं। ऐसे में सबने अपना प्रचार किया। उस दौरान काफी लोग मारे गए, सब कुछ हुआ और आज जब यहां पर कह रहे हैं कि चुनाव करने में दिक्कत आ रही है कि हमारे पास पैरा मिलेट्री फोर्स नहीं है। सारे देश का चुनाव आपने कर लिया। पैरा मिलट्री फोर्स और पुलिस ने आपकी हर सूबे में मदद की। तीन दिनों में समूचे देश में चुनाव हुए और आज एक सूबे पंजाब के बारे में बता रहे हैं कि पैरा मिलिट्री फोर्स के अभाव में चुनाव करने की स्थिति में नहीं है। इससे बढ़कर सदन को गुमराह करने का कोई तरीका हो नहीं सकता है।

अध्यक्ष जी, इस विधेयक को दो मुद्दों पर अस्वीकार करना चाहिए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं जानता हूं कि आप बहुत निष्पक्ष हैं लेकिन आज ऐसी सरकार को अपनी जगह बैठाने का काम करिए जिससे वह सदन को इस तरह गुमराह करने की बात न करें।

अध्यक्ष जी, इसमें दो बातें हैं जो कि सीधी गुमराह करने वाली हैं एक तो पंजाब की स्थिति और दूसरा पैरा मिलट्री फोर्स का नहीं होना। हम स्कूल के बच्चे तो हैं नहीं और न ही प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं। यह जानकर बहुत ताज्जुब हो रहा है कि भारत सरकार के पास पैरा मिलट्री फोर्स नहीं है पंजाब के 12-13 लोक सभा क्षेत्रों और विधान सभा के क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए। जब देश के चार हजार विधान सभा क्षेत्रों और 530 लोक सभा के क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए फोर्स है तो यहां का चुनाव कराने के लिए कैसे फोर्स नहीं है ?क्या समझ रखा है आपने सदन को। इस तरह से** बनाने की बात मत करिए। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं बोलना बन्द कर दूंगा लेकिन मानूंगा नहीं। आपको इसमें हिम्मत दिखानी होगी और इस विधेयक को वापस करना होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं वह शब्द वापस लेता हूं। सरकार को यह देखना होगा। वह इस विधेयक की मेहरबानी करके वापस ले।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक संवैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमारे आडवाणी साहब और आपने जो कुछ कहा, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

संविधान के आर्टिकल 329 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि चुनाव के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विवाद कहीं पर सुना नहीं जाएगा। आर्टिकल 329 को इंटरप्रियेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जिस दिन से कांस्टीट्यूयेंसी को कॉल अपौन करते हैं और इलेक्शन का प्रोसैस प्रारम्भ हो जाता है, तब हर स्टेज अर्थात् नामिनेशन का, फाइलिंग का, विदड्राअल का, अनकन्टेस्टिड डिक्लेयर होने का, इलेक्शन के लिए पोलिंग होने का सब प्रारम्भ हो जाता है। पोस्टपॉनमेंट के लिए आर०पी० ऐक्ट में सैक्शन 58 है और उसके द्वारा पोस्टपॉनमेंट प्रीजाइडिंग आफिसर विशेष परिस्थितियों में कर सकते हैं।

आज इनको लाने से एक बड़ा संवैधानिक संकट राष्ट्र के सामने आ जाएगा और जब कोई राजनीतिक पार्टी चाहेगी तब इसका इस्तेमाल कर लेगी। जब उसको लगेगा कि वह चुनाव हार जाएगी तो चार दिन पहले बहुमत के आधार पर इसको पास करवा कर इलेक्शन को निरस्त कर देगी या पोस्टपॉन कर देगी। फिर न उस पर पैटिशन होगा और न ही वह हाई कोर्ट में केस जाएगा।

हमारे यू०पी० में 18-18 इलेक्शन होने वाले हैं। इस काले कानून के द्वारा काला इतिहास बन जाएगा। चूनाव जोकि स्वच्छ और निष्पक्ष होने चाहिए, उसकी आधारशिला भी उसके द्वारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह पजाब का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न यह है कि क्या एक कानून के द्वारा हम ऐसी स्थिति में जब चुनाव के नोमीनेशंस हो गए, नोमीनेशंस के बाद में यदि कोई कैण्डीडेट अन्कटेस्टेड डिक्लेयर हो जाय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, नोमीनेशंस फाइल होने के बाद में विथड्रावल के बाद में कोई कैण्डीडेट अनकण्टेस्टेड डिक्लेयर हो जाय या हो गए हैं या हो सकते हैं तो क्या इस एक्ट के द्वारा हम उनका चुनाव निरस्त कर सकते हैं, यह बहुत गम्भीर मसला है ? मैं चाहूंगा कि लॉ मिनिस्टर इस पर विचार करके जवाब दें कि क्या एक कैण्डीडेट का इलेक्शन नोमीनेशन फाइल करने के बाद, बिथड्रावल के पश्चात् डिक्लेयर हो गया तो इस कानून के द्वारा उसे निरस्त कर सकते हैं ?

[अनुवाद]

क्या हम उन्हें अलग छोड़ सकते हैं ? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते ? ऐसा हमेशा हो सकता है।

(व्यवधान)

[हिंदी]

सारे खर्चे का प्रश्न अलग है। सारा खर्च हुआ, कैम्पेन हुआ लेकिन एक बेसिक फण्डामेण्टल बैंडराक सारी हमारी डैमोक्रेसी का आज यदि हो सकता है, आज कांग्रेस यहां पर पावर में है, कल कोई दूसरी पार्टी हो, जैसे चन्द्रशेखर जी थे, उन्होंने पंजाब में चुनाव कराना ठीक समझा, यह पार्टी पावर में आ गई, उन्होंने पहले से इसका बॉयकाट किया था, उन्होंने ठीक नहीं समझा और उनकी नीयत पर हम शक नहीं करते, उनका असेसमैण्ट ठीक हो सकता है कि यहां पर खून-खराबा होगा लेकिन इलेक्शन प्रोसेस सारा होने के बाद में उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, लैजिस्लेटिव मैजर्स से। यदि हम कांस्टीट्यूशन एमेण्डमैण्ट भी करेंगे तोआर्टिकल 368 के अन्दर···

[अनुवाद]

क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध जाता है। इसका आशय संविधान के मूल आकार का उल्लंघन करना है।

[हिन्दी]

तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी स्ट्रक डाउन कर देगी इसलिए मेरा निवेदन है, यह दो जजमैण्ट हैं, इसके बारे में, जिनको मैं साइट करना चाहता हूं। पूरा पढ़ने की यदि आवश्यकता हुई तो बाद में कहूंगा। एक है 1970 में रामपतकार-वर्सेसजत्ती, जो हमारे वाइस प्रेसीडैण्ट थे, उनके 1970 के चुनाव का, 3 एस०सी०सी० पेज 147 और दूसरा है राधास्वामी-वर्सेस-कृष्णा, 1963 ए०आई०आर० सुप्रीम कोर्ट 458-464, इन दोनों में यह प्रिंसीपल ले डाउन किया है कि यह कार्डिनल प्रिंसीपल है कि इलेक्शन प्रोसेस प्रारम्भ होने बाद में न तो लेजिस्लेशन में शक्ति है, न कोर्ट में शक्ति है कि उसको रोक सके। इसलिए यह हमारा इतिहास भविष्य का, लोकतंत्र का, संवैधानिक परम्पराओं को हमें बनाना है, उसके बारे में हम विचार करें। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह बिल, कानून, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कानून की आवश्यकता थी तो इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोण्ड कैसे कर दिया। इलेक्शन कमीशन कभी इस प्रकार से पोस्टपोण्ड कर दे, कभी कानून के द्वारा इसको खत्म कर दे, दूसरे इसको स्टिल बॉर्न चाइल्ड की तरह कत्ल कर दे तो एक बहुत बड़ा बलात्कार होगा, खून होगा, हमारे जनतंत्र का, लोकतंत्र का, संविधान का।

इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि मेरी संवैधानिक आपत्ति है इसलिए इसको इण्ट्रोड्यूस करने की अनुमति न दी जाय।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय मैं इस सभा की विधायी सक्षमता के आधार पर इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त, चुनाव की पूरी प्रक्रिया रद्द करने के एक अन्य पहलू से देश भर में एक बहुत गलत संकेत मिलेगा; यह हमारे देश में संसदीय लोकतन्त्र के कार्यकरण सम्बन्धी एक गलत संकेत भी देगा।

चुनाव कैसे होने चाहिए और कराए जाने चाहिए यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से 329क में उपबन्धित किया गया है। हमारे संविधान में इन्हीं में इनका उपबन्ध किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 324(1) में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है।

> "इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमण्डल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन-नामवली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है।"

हमारे देश में चुनाव होने और कराए जाने के सम्बन्ध में केवल इन्हीं अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है। इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत हमने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 पारित किया था। इस तरह से इस सभा को यह क्षमता संविधान से ही प्राप्त हुई है कि चुनाव कैसे होने चाहिए, कराए जाने चाहिए। हमने पहले ही विधान बना दिया है कि कतिपय मामलों में चुनावों को स्थागत किया जा सकता है, इन्हें प्रत्यादेशित किया जा सकता है। लेकिन यह कहीं नहीं कहा गया हैं कि समूची प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। यदि आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम देखें, तो अध्याय तीन, अनुच्छेद 52, 57 58 और 58-क में उपबन्ध किए गए हैं। केवल इन्हीं उपबन्धों के अन्तर्गत चुनाव स्थापित किए जा सकते हैं।

यदि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व किसी उम्मीदवार की हत्या कर दी जाती है, अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो चुनावों को प्रत्यादेशित किया जा सकता है इसके पश्चात निर्वाचन अधिकारी का अधिकार होता है। यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार की मृत्यु हो गई है, अथवा उसकी हत्या कर दी गई है, तो वह चुनाव स्थागित कर सकता है और इसकी सूचना चुनाव आयुक्त को दे देता है। कतिपय मामलों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत उन मामलों, जहां पर मतदान केन्द्रों पर कब्जा किया गया हो, जहां पर मतगणना प्रक्रिया में बाधा डाली गयी हो, जहां पर मतदान डिब्बों को नष्ट किया गया हो, में निर्वाचन आयोग को भी अधिकार होता है। केवल इन्हीं मामलों में निर्वाचन आयोग को अधिकार होता है कि वह या तो चुनाव रद्द कर दे या इन्हें स्थागित कर दे। निर्वाचन आयोग को केवल इन विशेष मामलों में चुनादों की तारीख को आगे भी बढ़ाने का अधिकार होता है, जैसाकि इसने पंजाब के मामले में किया। लेकिन यह कैसे किया गया ? सबसे अधिक आपत्तिजनक बात यह है कि ऐसा स्वतन्त्र भारत में कभी नहीं हुआ था, कि पूरे राज्य की चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया हो तथा इस सभा में यह विधेयक लाया गया है कि पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह बात सत्तारूढ़ दल के अनुकूल है यहां तक कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। संसद द्वारा बनाया गया एकमात्र अधिनियम यही है। पंजाब में चुनाव 22 जून को होने थे। '21 जून सायं 4 बजे एक पत्रकार ने पंजाब के राज्यपाल से सम्पर्क किया और उनसे पूछा क्या चुनाव स्थगित किए जा रहे है ?" राज्यपाल ने उत्तर दिया "क्या ऐसी बात है ? मुझे तो कोई जानकारी नहीं है।" अब पूरा देश जानता है कि राज्यपाल ने केवल इसी मामले पर त्यागपत्र दिया था, क्योंकि पूरे चुनाव स्थगित कर दिए गए थे जिसकी गम्भीर राजनैतिक प्रतिक्रिया होनी थी।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यह पता लगाने चाहते है कि क्या यह विधायिका इस मामले में सक्षम है अथवा नहीं, तो हम संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची को देखेंगे। यदि यह राज्य सूची में उल्लिखित है, तो यह क्षेत्राधिकार प्रतिबन्धित हो जाएगा। यदि इसका उल्लेख राज्य सूची में नहीं है, तो अवशिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत, यह विधायिका·····**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? मैं यह बात नहीं कह रहा हूं कि इस सभा को किसी अधिनियम को पारित करने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस समय चर्चा तो इसी बात पर करनी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपको दोनों बातों में अन्तर करना होगा। दो स्थितियां हैं। **(व्यवधान)** किसी अधिनियम को पारित करना एक बात है और उस अधिनियम के अनुसार चलना दूसरी बात है। हमने एक अधिनियम पारित कर दिया है। हमें उस अधिनियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस अधिनियम में यह अधिकार नहीं दिया गया है कि कोई व्यक्ति पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दे। चुनाव स्थगित किए जा सकते है।

सरकार के लिए यह सही होता कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में या तो पश्चगामी प्रभाव से संशोधन करती कि यह अधिनियम पंजाब में भी लागू होगा अथवा केवल पंजाब के लिए ही, न कि किसी प्रयोजन से संविधान में एक संशोधन करती। इस सभा में हमने पहले भी अधिनियम पारित किए हैं। हमने केवल पंजाब हेतु न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन किया है। हमने संविधान में एक विशिष्ट संशोधन किया था कि यह पंजाब में विशिष्ट स्थिति में केवल एक निश्चित अवधि के लिए, उससे अधिक नहीं, लागू होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार जो कार्य कर रही है वह हमारे लोकतन्त्र के आधार को ही नष्ट कर देगा। वास्तविक बात तो यह है कि आप संविधान के अन्तर्गत

गठित की गई एक संस्था, चुनाव आयोग को क्षति पहुंचाने और इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे है। चुनाव आयोग ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 30 सितम्बर को अर्थात इसी माह वहां चुनाव शुरू होने चाहिए। उसके पास एक यही अधिकार है। मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा चुनाव आयोग को इससे अधिक कुछ करने का अधिकार नहीं है। न ही आयोग और न ही सरकार पूरी प्रक्रिया रद्द कर सकती है क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और संविधान उन्हें यह अधिकार प्रदान नहीं करता। श्रीमन्, मैं कहूंगा कि इससे न केवल एक गलत प्रथा स्थापित होगी, बल्कि यह हमारे देश के संवैधानिक उपबन्धों के विरूद्ध होगा। इससे हमारे देश की लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचेगा। यदि किसी सरकार की मर्जी से मतदान शुरू होने से तीन या चार घन्टे पूर्व स्थागित कर दिए जाए, जैसाकि पंजाब में किया गया हैं, तो लोकतन्त्र नष्ट हो जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होने वाले थे और जिस राज्यपाल को ये चुनाव करवाने थे, उन्हें सुबह चार बजे तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी और इसी बात पर उन्होंने यह कहते हुए त्याग-पत्र दे दिया कि वह ऐसा कार्य नहीं कर सकते जोकि संविधान के विरूद्ध जाता हो। और जिससे पंजाब के लोगों की भावनाएं आहत होती है। यह प्रक्रिया क्यों रद्द कर दी गई, विधेयक में इसके जो उद्देश्य और कारण बताए गए हो, वे सही नहीं है। असम में इन्हीं हालतों में चुनाव कराए गए थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस समय विधेयक की अच्छाईयों को देखिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र जीत यादव : जी हां, मैं इस सम्बन्ध में बाद में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ हुआ क्या आप पुनः बोलेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : विधेयक जब प्रस्तुत होगा तो में निश्चित रूप से इस पर बोलूंगा और यदि आप इसकी अनुमति देंगे।

इस तरह से, मेरा अनुरोध है कि आप इसे ध्यान से पढ़िए। मेरा अनुरोध है कि इसे तकनीकी चीज नहीं बनाया जाना चाहिए। आप संवैधानिक उपबन्धों और लोक प्रनिनिधित्व अधिनियम का अध्ययन करें।

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष का भी निर्णय नहीं मान रहे है। यह बात भी ठीक नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमन, अन्ततः आपको ही तो निर्णय करना है कि विधेयक की विधायी सक्षमता है अथवा नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं निर्णय नहीं करूंगा, सभा इसका निर्णय करेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : अन्तिम विश्लेषण तो यही है कि इस पर सभा निर्णय करेगी···**(व्यवधान)** सभा ही विधेयक के पुरःस्थापन के सम्बन्ध में निर्णय करेगी।

अध्यक्ष महोदय : सभा मतदान द्वारा निर्णय करती है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि विधेयक के पुरःस्थापन के सम्बन्ध में निर्णय सभा द्वारा ही किया जाता है। कृपया धैर्यपूर्वक सुनिए। आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं कि आपमें सुनने का धैर्य भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि विधेयक के पुरःस्थापन का निर्णय सभा द्वारा किया जाता है। इस तरह से न तो संविधान और न ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम इन्हें चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने

का कोई अधिकार देते हैं। यह एक अत्यन्त अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया होगी इससे हमारे देश के आम चुनावों में लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा और यह एक बहुत गम्भीर बात होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि संसद सूची की मद संख्या 77 को हमें न दिखाएं इसमें उल्लेख किया गया है कि सरकार के पास अधिनियम बनाने की शक्ति है लेकिन वह चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार नहीं देता। कृपया यह विधेयक पुरःस्थापित न कीजिए अन्यथा सभा को इसे अस्वीकार कर देना चाहिए।

श्री शरद दिघे (बम्बई-उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का विरोध करने वाले जिन तीन माननीय सदस्यों ने विधायी सक्षमता के आधार पर इस विधेयक का विरोध किया है, वस्तुतः गुणावगुणों के आधार पर ही इसका विरोध किया है अथवा दर्शाया है कि इस विधेयक को पारित करने में कोई औचित्य नहीं है। जहां तक विधायी सदस्यता का सम्बन्ध है, मैं उल्लेख कर दूं कि संघीय सूची की मद संख्या 72 इस सभा में यह अधिकार प्रदान करती है। इसमें कहा गया है।

"संसद, राज्यों की विधान सभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग के पदो के चुनाव।"

यह विधेयक संसद और विधानमण्डलों के चुनावों से स्पष्ट रूप से सम्बन्धित है। अतः मैं कहूंगा कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि यह सभा विधेयक के सम्बन्ध में वैधानिक रूप से सक्षम है।

विपक्ष के नेता श्री आडवाणी जी ने अपने भाषण के अन्त में कहा है कि इस विधेयक को पारित करना एक अत्यन्त मूर्खतापूर्ण और अविवेकपूर्ण कदम होगा। अतः वैधानिक तौर पर सक्षमता के आधार पर उन्होंने निश्चय ही इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने मात्र यही कहा है कि पहली दफा इस तरह का विधेयक लाया गया। परन्तु पंजाब की स्थिति भी अभूतपूर्व है और पहली बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः इससे भी सदन की वैधानिक सक्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने यह भी बताया है कि एक साधारण कानून की बजाय संवैधानिक कानून पारित किया जाना चाहिए। परन्तु संविधान में किसी भी अनुच्छेद के साथ उन्होंने अपने तर्कों का समर्थन नहीं किया है। इससे भी पता चलता है कि इस सम्बन्ध में वैधानिक सक्षमता है। किस तरह का कानून पारित होना चाहिए इस पर विभिन्न विचार हो सकते हैं। यदि किसी उद्देश्य को दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है और सरकार एक तरीका अपनाती है तो आप सोचेंगे कि दूसरा तरीका अच्छा होता।

इसी प्रकार से श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए था।

इस तरीके से भी उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। परन्तु यदि सरकार ने इस अधिनियम को पारित करने का यह विशेष तरीका अपनाया है तो जहां तक वैधानिक सक्षमता का सम्बन्ध है, इसमें कुछ गलत नहीं है। श्री चन्द्रजीत यादव ने अनुच्छेद 324, 329(क) आदि का हवाला दिया है। इन अनुच्छेदों में चुनाव सम्बन्धी नियमों, चुनाव कराने आदि के बारे में बताया गया है। ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दिया गया है और चुनाव रद्द करने का चुनाव आयुक्त को कोई अधिकार नहीं है। वह चुनावों को और आगे की तिथी तक स्थगित कर सकता है। परन्तु इसमें, सरकार चुनावों को पूरी तरह से रद्द करने का उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है। अतः मेरा कहना है कि अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान है।

जहां तक श्री जार्ज फर्नान्डीज के भाषण का सम्बन्ध है, उन्होंने सदन की सक्षमता के बारे में कुछ

भी नहीं कहा है। उन्होंने राजनीतिक भाषण दिया है और विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अध्यक्ष इसे रद्द कर दें। मुझे नहीं मालूम विधेयक को रद्द करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष को किस प्रकार की वैधानिक सक्षमता प्राप्त है। इस अवस्था में अध्यक्ष के लिए ऐसा करना एकदम नामुमकिन है। अनुच्छेद 72 के तहत, इसे पूर्ण वैधानिक सक्षमता प्राप्त है और इन सभी तर्कों का कोई आधार नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, श्री दिघे ने वैधानिक सक्षमता के पहलू के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। किसी निर्णय पर आने से पहले, मुझे एक मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस बार क्या आप केवल विधान सम्बन्धी पक्ष पर ही बोलेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं केवल अपनी व्यवस्था सम्बन्धी मामले पर ही बोलूंगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह पूर्णतः स्पष्ट है कि वैधानिक सक्षमता के बारे में केवल संसद को ही प्राधिकार है कि वह चुनावों के सम्बन्ध में कोई कानून बना सकती है वास्तव में आर० पी० अधिनियम के अन्तर्गत, चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति को ही यह अधिकार है कि वह चुनाव की घोषणा को सामान्यतः जब कोई इसकी और व्याख्या करना चाहता है, तो ऐसा यह कहकर कर सकता है कि साधारण खण्ड अधिनियम तथा उसकी व्याख्या पर विचार करते हुए जब हमें चुनाव कराने का अधिकार है तो हमें उनको रद्द करने का भी अधिकार है। जब कोई इसकी अधिक व्याख्या नहीं करना चाहता है तो फिर वह यहां तक कह सकता है कि आर० पी० अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। श्री चन्द्रजीत यादव ने ऐसा ही सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति को चुनाव रद्द कराने का अधिकार देने हेतु आर० पी० अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। सरकार को कुछ भी न करना उचित लगा। हमने ऐसा महसूस किया चूंकि चुनाव रद्द किया जाना बहुत महत्वपूर्ण पहलू है अतः इसे उसे किसी कार्यकारी तथा किसी एक वैधानिक प्राधिकारी पर पास नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जिस पर कुछ होना चाहिए सदन को स्वयं विचार करना चाहिए।

यदि किसी चुनाव विशेष को किन्हीं कारणों से रद्द किया जाना है तो इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए गम्भीरतापूर्वक एक विशेष विधान पास किया जाना चाहिए। मैं अभी कारणों पर नहीं जाना चाहता हूं। हालांकि मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से सहमत नहीं हूं कि गृह मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय में कोई विवाद या मतभेद हैं परन्तु फिर भी हम लोग एक सा सोचते हैं तथा सामूहिक रूप से कार्य करते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : परन्तु आप अलग-अलग बात बोलते रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : या फिर हिचकिचाते-हिचकिचाते।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं न तो हिचकिचाता हूं और न ही बोलने में रुक रहा हूं। यह तो मेरे गले में कुछ तकलीफ है इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं विशेषतौर पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार यह पूर्वोदाहरण स्थापित करना चाहती है कि कोई भी चुनाव कार्यकारी प्राधिकारी अथवा संवैधानिक प्राधिकारी स्वतः ही रद्द नहीं किया जाएगा तथा विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते

हुए इसे एक विधान द्वारा रद्द किया जाएगा। हमने सोचा कि यह सबसे अच्छा प्रजातांत्रिक एवं उचित मंच है और यह सबसे अच्छा तरीका है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। यह संसद ही है जिसे उपयुक्तता तथा वैधानिक उपबंधों दोनों दृष्टियों से वैधानिक सक्षमता प्राप्त है। अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि विधेयक पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति दी जाए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने नियम 65(1) के तहत एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाया था जिसके अनुसार :

> "मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य, जो किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना चाहता हो, अपने इस अभिप्राय की सूचना देगा और सूचना के साथ विधेयक की एक प्रति और उद्देश्यों और कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण जिसमें प्रतर्क नहीं होंगे भेजेगा।
>
> परन्तु अध्यक्ष यदि, वह ठीक समझे, उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पुनरीक्षित कर सकेगा।"

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण का पुनरीक्षण भी कर सकता है। नियम 65(1) के अन्तर्गत व्यवस्था सम्बन्धी मामला उठाने के अलावा, मैं वैधानिक मामलों के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा सदन में 16 दिसम्बर 1960 तथा 5 अगस्त 1968 को दिये गये विनिर्णय पर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं कौल तथा शकधर के 1991 संस्करण के पृष्ठ संख्या 485 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं महोदय उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण पर भी एक उप-चेप्टर है। मैं पहला पैरा नहीं पढ़ूंगा। मैं दूसरा पैरा पढ़ूंगा जिसके अनुसार :

> "उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण की भाषा गैर तकनीकी होनी चाहिए। यह अनावश्यक रूप से लम्बा नहीं होना चाहिए और न ही उसमें तर्क-वितर्क वाली बात होनी चाहिए और यदि अध्यक्ष चाहे तो इसका पुनरीक्षण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विधेयक का प्रभारी सदस्य इस पर हस्ताक्षर करता है। विधेयक का प्रभारी सदस्य विधेयक को पेश करते समय अध्यक्ष की अनुमति से इस विवरण में संशोधन कर सकता है। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यदि किसी प्रकार का दोष रहता है तो उसे विधेयक प्रस्तुत करते समय बता देना चाहिए। विधेयक के विचाराधीन के समय यदि उस दोष को बताया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा।"

महोदय, मैंने उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में एक त्रुटि की ओर ध्यान दिलाया है। मैं नहीं चाहता कि कानून मंत्री बुरा माने। मैं यह नहीं चाहता कि कोई भी बुरा माने, परन्तु कुछ ऐसे मामले हैं जहां सरकार एक जैसा सोचे तथा करे परन्तु यदि सरकार ही अलग-अलग कहने लगे तो लोग कई निष्कर्ष निकालेंगे। आप सरकार के एक वर्ग से जो संदेश हर रोज भिजवा रहे हैं कि स्थिति सुधर रही है। हमें स्थिति का पता है तथा वास्तविकता क्या है वह भी पता है। 12 सितम्बर को आप एक विधेयक प्रस्तुत करते हैं तथा 6 सितम्बर को एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर करते हैं जिसमें कहा जाता है कि स्थिति ऐसी आ गई है कि हम लोग चुनाव करवा सकते हैं तथा उसी के दो-चार दिन बाद 10 तारीख को गृह मंत्री कुछ वक्तव्य देते हैं जो पंजाब के लोगों के पास पहुंचता है। इससे यह धारणा बनती है कि सरकार के निर्णय लेने में कहीं दोष है।

महोदय, दूसरी बात जिस पर मैं ज्यादा आक्षेप करना चाहूंगा वह उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कही गई बात पर है कि सरकार के पास पंजाब में चुनाव कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल

नहीं है। कोई भी इस दलील को नहीं स्वीकारेगा, चाहे हमारे देश में हो, तथा चाहे विश्व में क्योंकि मेरे विचारो से विश्व में भारतीय सेना का चौथा स्थान है जिसकी अर्धसैनिक बल, पुलिस तथा अन्य बलों से भी ज्यादा है, और वही एक छोटे से राज्य जिसमें 13 लोक सभा की सीटें तथा राज्य विधान सभा की 117 सीटें हैं, का चुनाव नहीं करा सकती, कोई भी इस दलील को नहीं स्वीकारेगी।

कौन इस प्रकार के उद्देश्यों तथा कारणों को सदन की कार्यवाही वृत्तांत में लेने देगा ? क्योंकि दायित्व को निभाना तथा स्पष्ट एवं उद्देश्यपूर्ण होना भी तो आवश्यक है। जिस प्रकार की समस्याएं सरकार के सामने हैं, वह सभी महसूस करते हैं, परन्तु उद्देश्यों तथा कारणों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि शामिल किया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में संशोधन करे तथा फिर विधेयक पेश करे। यदि आपके विधेयक के सम्बन्ध में कोई और विचार है तथा यदि आप सहमत हैं कि हमारे सुझाव···

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे बाध्य कर रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यदि आप यह महसूस करते हैं कि जहां तक हमारी पहली सांविधानिक आपत्तियों आदि का सम्बन्ध है यह विधेयक, सही नहीं है तो, महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप कम से कम मंत्री महोदय को उद्देश्य और कारणों में संशोधन और इस विधेयक को पुनः पुरःस्थापना करने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि माननीय गृह मंत्री का क्या विचार था। यह मुद्दा बहुत समझदारी से उठाया गया है। लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : महोदय, व्यवस्था का प्रश्न इस आधारभूत बात के लिए वैध है कि यदि किसी असंगति का उल्लेख किया जाता है और सरकार इसमें संशोधन नहीं करना चाहती है, तो ऐसा केवल इस स्थिति में किया जा सकता है। ऐसा कल या परसों, जब चर्चा की जाती है, नहीं किया जा सकता। अतः, यह सरकार पर निर्भर करता है। उस सीमा तक व्यवस्था का प्रश्न वैध है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैंने यह अत्यधिक स्पष्ट कर दिया है कि कोई असंगति नहीं है। यदि माननीय सदस्य असंगति देखना चाहते हैं, जो नहीं है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, संविधान के अनुच्छेद 327 में यह कहा गया है :

> "इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद समय-समय पर, विधि द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से सम्बन्धित या संसक्त सभी विषयों के सम्बन्ध में, जिनके अन्तर्गत निर्वाचक नामावली तैयार कराना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय है, उपबन्ध कर सकेगी।"

[हिन्दी]

सदनो के गठन के सिलसिले में आपका जो कानून बनाने का अधिकार है तो आप कानून बनाने जा रहे है। सदनों के गठन के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार इस सदन का है वह रेस्ट्रीक्टेड है और यह जो कानून आ रहा है यह तो उसमें विसर्जन के लिए आ रहा है, इसलिए हमारे अधिकार से बाहर है इस पर फिर से विचार करें···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : फिर व्यवस्था प्रश्न अत्यधिक समझदारी से किया गया है लेकिन इसमें कहा गया है 'सदन से सम्बन्धित'। यह संविधान या असंविधान के बारे में कुछ नहीं कहता। मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

अब, प्रश्न यह है :

"कि पंजाब राज्य के सम्बन्ध में साधारण निर्वाचन आहूत करने वाली कतिपय अधिसूचनाओं को रद्द करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जायें।"

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विरोध में हों वे 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार मे निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : निर्णय 'नही' वालों के पक्ष में हुआ।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें।

अब, दीर्घायें खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि पंजाब राज्य के सम्बन्ध मे साधारण निर्वाचन आहूत करने वाली कतिपय अधिसूचनाओं को रद्द करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें।

कई माननीय सदस्य : 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : जो इसके विरोध में हों वे 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय : निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब, मत विभाजन होगा!

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 4] [समय.....

अरुणाचलम, श्री एम०
आचार्य, श्री बसुदेव
इन्द्र जीत, श्री
श्री ई० अहमद,
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
ओडेयर, श्री चनैया
कहांडोले, श्री जेड० एम०
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन,* यह विभाजन का परिणाम इस प्रकार है।

पक्ष में : 81

विपक्ष में : 49

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं। **(व्यवधान)**

अनेक माननीय सदस्य : निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यदि दोनों संख्याओं में थोड़ा अन्तर होता, तो हमने प्रतीक्षा की होती। लेकिन अन्तर काफी है। इसी वजह से हमने प्रतीक्षा नहीं की। हमने दूसरा विधेयक ले लिया है। क्या आप दूसरे विधेयक पर भी मत विभाजन चाहते हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं।

2.41 म०प०

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक**

परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम०एल० फोतेदार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग सम्बन्धी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग का विनियमन करने के लिए और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण, जिसके बाद स्त्रीलिंग भ्रूणवध हो सकता हो, के प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों का दुरुपयोग का निवारण करने के लिए तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत दिया।

पक्ष में : सर्व श्री दलबीर सिंह, सिद्दप्पा भीमप्पा न्याम गौड, विजय कृष्ण हान्डिक, नुरुल इस्लाम, राव राम सिंह, बारेलाल जाटव, खेल साय सिंह, एम० कृष्ण स्वामी, स्वरूप उपाध्याय बनवारी लाल वर्मा, बापू हरि चौरे, भोगेन्द्र झा, तेज नारायण सिंह, सुव्रत मुखर्जी, विश्वनाथ शास्त्री सोमनाथ चटर्जी, बालिन कुली।

विपक्ष में : सर्व श्री जी०एम०सी० बालयोगी, महेन्द्र बैठा, सत्येन्द्र ब्रह्मो चौधरी, हरि किशोर सिंह चुनचुन प्रसाद यादव, डा० एस० वी० यादव, एन०के० बलियान, श्रीमती सरोज दुबे, सर्वश्री रोशन लाल, राम सिंह शिवशरण सिंह, ब्रज किशोर त्रिपाठी, सुरेन्द्रपाल पाठक, राजनारायण, बलराम पासी, रमेश चन्द्र तोमर वीरेन्द्र सिंह, रामपात्र सिंह, बृजभूषण शरण सिंह श्रीमती शीला गौतम, प्रो० राम कापसे, सर्वश्री चन्दू भाई देशमुख, राम टहल चौधरी, योगानन्द सरस्वती, गंगाराम कोली, आनन्द रत्न मौर्य, पंकज चौधरी, रामलखन सिंह यादव और ग्रीश चन्द्र दीक्षित।

** दिनांक 12-9-91 के भारत में असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्3 2 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग सम्बन्धी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग का विनियमन करने के लिए और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण, जिसके बाद स्त्रीलिंग भ्रूणवध हो सकता हो, प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों का दुरुपयोग का निवारण करने के लिए तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम०एल० फोतेदार : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा होगी। श्री विलास मुत्तेमवार।

2.43 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नक्सलवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों से निपटने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : महोदय, मैं इस सम्मानीय सदन का ध्यान नक्सलवादियों से सम्बन्धित अत्यधिक गम्भीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो न केवल मेरे अपने क्षेत्र विदर्भ के ही कुछ जिलों में ही बल्कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के समीपवर्ती जिलों में भी महामारी की तरह फैल रही है।

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की चार राज्य सरकारों ने इस खतरे का सामना करने के लिए अपने पुलिस बलों की एक संयुक्त कमांड बनाई हैं। इसी तरह का एक प्रयास पांचवें दशक में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और विन्ध्य प्रदेश के चार पिछले राज्यों मे काफी संख्या में कार्यरत मुख्यात डाकुओं को समाप्त करने के लिए किया गया।

2.44 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तथापि, मैं केन्द्रीय गृह मन्त्री बहुत स्पष्ट और बलपूर्वक यह कहा है कि नक्सलवाद के खतरे की जड़ें आदिवासी जनसंख्या में हैं। गृह मन्त्री ने ठीक ही कहा है कि उक्त समस्या का समाधान ठीक वहीं है जहां इसकी जड़ें स्थित हैं। अतः उक्त समस्या का समाधान बल से सामना करके नहीं बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में विस्तृत आदिवासी जनसंख्या का विश्वास जीतने के लिए वास्तव में प्रभावी और दीर्घकालीन कार्यक्रमों को बनाने और उनके ईमानदारी से क्रियान्वयन से किया जा सकता है :

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं वह इस दिशा में सोचे और उपयुक्त रूप से कार्य करें और मैं सदन से अपील करता हूं कि सरकार को इस विषय में ईमानदारी से काम करने के लिए और नक्सलवादियों को अपना प्रभाव आगे बढ़ाने के लिए कोई और समय न देने के लिए मेरा साथ दें।

(दो) देवदासी प्रथा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास की परियोजना को मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा (चित्र दुर्ग) : देश में, विशेषरूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में देवदासी प्रथा जैसी घृणित और अमाननीय प्रथा में नवयुवतियों को खुल्लमखुल्ला लगाया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने 1987 में इस प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाते हुए एक कानून पारित किया था। कर्नाटक सरकार ने भी इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

इस कुप्रथा की शिकार प्रायः ये सभी नवयुवतियां दलित वर्ग की होती हैं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बेलगांव जिले के सभी तालुकों में एक व्यापक सर्वेक्षण किया है और एकत्रित किए गए आंकड़ों को कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसी दौरान देवदासी प्रथा की शिकार युवतियों के पुनर्वास हेतु किए जाने वाले विभिन्न उपायों पर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे केन्द्रीय सरकार के समक्ष उसकी मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस परियोजना को शीघ्रता से अपनी मंजूरी प्रदान करे तथा राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करे जिससे कि देवदासी प्रथा की शिकार युवतियों को इससे मुक्ति दिलाई जा सके।

(तीन) आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री ए० प्रताप साय (राजमपेट) : आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, जैसे रायलासीमा क्षेत्र की जनसंख्या एक करोड़ से भी अधिक है। भूवैधानिकों की रिपोर्टों के अनुसार, यह क्षेत्र अगले दो या तीन वर्षों में रेगिस्तान बनते जा रहा है। ऐसी समस्या को टालने के लिए कुछ सिंचाई परियोजनाओं का प्रस्ताव पहले ही किया जा चुका है लेकिन कई कारणों से वे लम्बित पड़ी हैं।

वर्षा के पानी की अनुपलब्धता होने अथवा भूस्तर पर जलाशयों के न होने से भूमिगत जल स्तर प्रति वर्ष कम होता जा रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कम से कम उन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करे जो रायलासीमा जैसे सूखा प्रवण क्षेत्रों के अन्तर्गत आती है। ये परियोजनाएं केन्द्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए लम्बित पड़ी हैं।

[हिन्दी]

(चार) उत्तर प्रदेश फरीदपुर आंवला और बिनावर दातागंज, में चीनी मिलें लगाने की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सूचना देना चाहता हूं कि बरेली बदायूं जिला, उत्तर प्रदेश का प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्र है, जिसके अन्तर्गत आंवला लोक सभा क्षेत्र आता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी चीनी मिल नहीं है जबकि सर्वेक्षण के अनुसार 3 चीनी मिलों के लायक गन्ना पैदा होता है।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में फरीदपुर आंवला एवं बिनावर और दातागंज के बीच में एक-एक चीनी मिल लगाने की अनुमति देकर किसानों की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी की जाये। उन्हें गन्ने का उचित मूल्य दिलाकर उन्हें गरीबी से मुक्त कराया जाये।

(पांच) आंध्र प्रदेश में सर्वेक्षित रेलवे लाइनों को तत्काल पूरा करने की आवश्यकता

श्री वत्तात्रेय बंडारु (सिकन्दराबाद) : आंध्र प्रदेश नई रेलवे लाइनों का निर्माण के मामले में अब तक काफी उपेक्षित रहा है। आजादी के बाद से केवल लगभग 200 किलोमीटर नए रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। काफी लम्बे समय से यह मांग की जाती रही है कि पाटनचेरू से सिद्डीपेटा, करीम नगर होते हुए पेड्डापल्ली तक नई रेल लाइन बिछाई जाए जिसमें से एक शाखा रेल लाइन करीम नगर से जगितयाल औट निर्मल होते हुए आदिलाबाद तक; नांदयाल से येरागुंटला तक; निजामाबाद से रामागुण्डम तक; निडूब्रोलू से निजामपटनम तक तथा हैदराबाद से सूर्यापेट, खामः, काठगोदाम और भद्राचलम होते हुए विशाखापत्तनम तक भी निकाली जाए।

यद्यपि इन सभी रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी का निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया है।

उपरिलिखित रेलवे लाइनें आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों से गुजरती हैं और वे औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उपर्युक्त रेलवे निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाए।

(छः) उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच झांसी-बलिया रोड पर पुल का निर्माण करने की आवश्यकता

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सूचना देना चाहती हूं कि उत्तरी बिहार का सारन, सिवान तथा गोपालगंज जिला आर्थिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा है। आजादी के पहले और बाद भी इस क्षेत्र के विकास पर सरकार की नजर नहीं के बराबर गई है। चार नदियों से घिरे इस क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक गंगापुल (सड़क पुल) की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जाती रही है। छपरा से वाराणसी की दूरी जो मात्र 200 कि०मी० है, सड़क पुल के अभाव में भटनी देवरिया होकर करनी पड़ती है जो 372 कि०मी० है। नदी के उस पार बलिया या गाजीपुर भी मात्र दिन में दो-तीन छोटी लाइन की गाड़ियों के सहारे ही जाया जा सकता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में लघु उद्योग पनप नहीं पाते हैं और इस क्षेत्र के पिछड़ेपन में वृद्धि होती जा रही है। सरकार ने इन बिन्दुओं को देखते हुए सन 1977 में झांसी-बलिया के बीच एक सड़क पुल की योजना बनाई तथा तत्कालीन सरकार द्वारा शिलान्यास भी हो गया। धीरे-धीरे काम भी होता रहा। पायों के बन जाने के बाद से काम रुका हुआ है। कुछ समय पहले निर्माण सामग्री भी हटा ली गयी है। पर सरकार का तीन लाख रु० प्रतिमाह वहां की इस्टैब्लिशमैंट की मद में खर्च हो रहा है। देर होने से लागत में भी बढ़ोत्तरी होती जा रही है। इतने दिनों बाद भी पुल न बनने तथा निर्माण सामग्री के हटा लिए जाने से क्षेत्र की जनता क्षुब्ध है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि बिहार के अत्यन्त अविकसित और आर्थिक दृष्टि से कमजोर क्षेत्र के विकास के लिए झांसी-बलिया सड़क पुल का निर्माण-कार्य अविलम्ब पूरा कराया जाए।

2.50 म० प०

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

(सात) बक्रेश्वर और कोलाघाट ताप विद्युत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : केन्द्र सरकार के विद्युत विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (1990-91) ताप विद्युत इकाइयों कार्य-निष्पादन की निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करती है, जो कि एक गंभीर

चिन्ता का विषय है। 1990-91 में ताप उत्पादन 14.91 बिलियन यूनिट था जो निर्धारित लक्ष्य से कम था। विशेष महत्व की बात है परियोजनाओं को शुरू करने में होने वाले विलम्ब की परिणति अधिक लागत और अधिक समय में होती है। 1990-91 में व्याप्त अनिश्चितता के कारण आने वाले वर्षों में विद्युत संयंत्रों को, विशेष रूप से बक्रेश्वर परियोजना (पश्चिमी बंगाल में), शुरू करने में विलम्ब हो सकता है तथा सोवियत संघ में हुए हाल के राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के कारण इस मामले में एक अनिश्चितकालीन विलम्ब भी हो सकता है। पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा इस परियोजना में पहले ही 120 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश कर दिए जाने के कारण वह इसे मार्च, 1992 तक क्रियान्वित करने के लिए कृतसंकल्प थी। अतः, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि सोवियत संघ के साथ बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में किसी वित्तीय समझौते को अन्तिम रूप दिए जाने के काम के लम्बित पड़े होने के कारण, वह राज्य सरकार को कुछ ठोस वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करे जिससे कि इस परियोजना के कार्य को बिना और किसी विलम्ब के आगे बढ़ाया जा सके। राज्य सरकार को पहले से ही भारी वित्तीय संकट में है, जिसने इसे अपनी कोलाघाट तथा विद्युत परियोजना पर होने वाले आगे के कार्य को लम्बित करने पर कर दिया है। इस मामले से भी केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कुछ वित्तीय सहायता देने पर विचार कर सकती है जिससे कि परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके। इससे न केवल अधिक लागत को नियन्त्रित किया जा सकेगा अपितु कलकत्ता शहरों को विशेष-रूप से इसके उद्योगों को विद्युत के संकट से अति आवश्यक राहत भी मिलेगी।

(आ3) **विशेषकर उत्तर आरकोट तथा चेंगई जिले में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए विशाल नलकूप लगाने हेतु तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता**

श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम)* : महोदय, तमिलनाडु में विशेष रूप से उत्तरी आरकोट तथा चेंगई अन्ना जिलों में, वर्षा के अभाए के कारण लोगों को काफी कठिनाइयां हो रही हैं। वेल्लोर, अराकोनम, गोलीन्गापुरम, रानीपेट और आरकोट में पलार नदी के तटीय क्षेत्रों के निवासी पेयजल की सप्लाई न किए जाने से बहुत प्रभावित हुए हैं क्योंकि नगर पालिका के प्राधिकारियों द्वारा पेयजल की सप्लाई चार दिन में केवल एक बार की जाती है। भूमिगत जल का स्तर 400 फुट से 500 फुट तक नीचे चला गया है। अतः यदि कोई व्यक्ति अपने घरेलू प्रयोजन के लिए लगवाना चाहता है तो उसे प्रोत्साहन देते हुए सरकार के माध्यम से 10,000 रुपए की राजसहायता दी जानी चाहिए।

अतः मैं माननीय सिचाई मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह तमिलनाडु सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर विशाल नलकूप लगाने के लिए आवश्यक धनराशि मंजूर करें जिससे कि लोगों को पेय-जल की सुविधा उपलब्ध हो सके। मैं मन्त्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को कर्नाटक सरकार के साथ उठाएं और उससे पदगमलय जलाशय से पलार नदी को कम से कम एक महीने तक पानी रिलीज करने के लिए कहें जिससे कि पेयजल के वर्तमान संकट पर काबू पाया जा सके।

(नौ) **असम में गोलपाड़ा अथवा धूबरी में केन्द्र द्वारा प्रायोजित मेडिकल कालेज, क्षेत्रीय व जोनियरिंग कालेज अथवा आई०आई०टी० स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

श्री नुरुल इस्लाम (धूबरी) : महोदय, आपका निचला इलाका अपने सभी पहलुओं में काफी पिछड़ा हुआ है। सरकार से यह आग्रह किया जाता है कि वह 8वीं योजना में असम के गोलपाड़ा अथवा

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पूर्वी में केन्द्र द्वारा प्रायोजित मेडिकल कालेज, एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज अथवा प्रस्तावित आई० आई० टी० समूह की स्थापना शीघ्रातिशीघ्र करने के प्रस्तावों को शामिल करे।

2.56 म० प०

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक

—जारी

सभापति महोदय : अब हम श्री मनमोहन सिंह द्वारा 11 सितम्बर, 1991 को लाए गए वित्त विधेयक पर आगे चर्चा करते हैं। श्री गिरधारी लाल भार्गव बोल रहे थे। वह पहले ही पांच मिनट ले चुके हैं। वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री राम नाईक (बम्बई-उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल शाम जब माननीय वित्त मंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे—जो बहुत लम्बा वक्तव्य था– तो मैंने यह कहते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि यह एक बहुत लम्बा वक्तव्य है। हमें उनके भाषण का मूल पाठ अवश्य मिलना चाहिए साथ ही उसमें किये गये संशोधन भी समय रहते प्राप्त होने चाहिए जिससे कि हम उसका अध्ययन कर सकें और उनके द्वारा सुझाए जा रहे संशोधनों आगे और संशोधन कर सकें। अध्यक्ष महोदय ने मेरी बात की सराहना की तथा कहा कि मूल-पाठ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे।

(व्यवधान)

3.00 म० प०

श्री राम नाईक : जी हां। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भाषण का मूलपाठ प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि हम संशोधनों को समझ सकें। मैंने यह भी अनुरोध किया था कि संशोधन भी हमारे पास आने चाहिएं क्योंकि अठहत्तर संशोधन किए जाने का सुझाव दिया गया है और यदि हमें ये रात्रि के 8.30 बजे अथवा 9.00 बजे प्राप्त होते हैं तो इसका लाभ नहीं होगा, हम पहले ही थके हुए है। इस सबके अतिरिक्त, हमें वित्त मंत्री के भाषण की प्रति भी नहीं मिली। अब यह प्रेस को प्राप्त हो गई है—और मुझे इसे प्रेस द्वारा प्राप्त किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनके माध्यम से सूचना पाठकों तक पहुंचती है—किन्तु हम तो सदस्य हैं और हमें प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष महोदय से पूछना पड़ता है। सुबह जब मैं यहां आया, तब मैं दोबारा अध्यक्ष महोदय के पास गया और प्रातः 11.47 बजे इसकी प्रति प्राप्त की। महोदय, क्या यह सरकार के काम करने का तरीका है?

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय दे दिया तो मैं निर्देश देता हूं कि सरकार कृपया वित्त मंत्री महोदय के भाषण की प्रतियां प्रदान करे।

श्री राम नाईक : महोदय, सरकार को कम से कम अपनी ओर से खेद तो व्यक्त करना ही चाहिए।

[हिंदी]

श्री मुरली देवड़ा (मुम्बई दक्षिण) : आपने पहले क्यों नहीं बोला है···(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : क्या में बहस करेंगे ?

श्री मुरली देवड़ा : दो घंटे पहले कह देते तो आपको मिल जाता।

श्री राम नाईक : कल शाम को 6 बजे कहा है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री नाईक, एक मिनट रुकिए।

श्री राम नाईक : महोदय, जो कुछ कहना है उसे पूरा करूंगा। इसलिए यह नहीं दिया गया है। क्या अध्यक्ष महोदय के निदेश अथवा विनिर्णय को इतना हल्के से लेना चाहिए ? तब सरकार हमारी ओर से प्रतिक्रिया की कैसे अपेक्षा करती है ?···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं आपकी बात समझ गया हूं। प्रतियां सभा पटल पर रख दी गई हैं। वे वहां से प्राप्त की जा सकती हैं। (**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : वे हमें मिलनी चाहिए थीं। क्या हमारे से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि इन्हें हम पढ़ें और वित्त मंत्री के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें ?

सभापति महोदय : मुझे बताया गया है कि वे कल सायंकाल तक परिचालित नहीं की जा सकी। वे तैयार हैं। किन्तु वे सभा पटल पर रखी हुई हैं और जो भी उन्हें लेना चाहे वह सभा पटल से ये ले सकता है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मुझे जरा यह सही स्पष्ट करने दें कि इन प्रतियों को आवश्यक रूप से परिचालित करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। वस्तुतः, सदन में दिए गए भाषण को सरकार द्वारा परिचालित किया जाना आवश्यक नहीं है। इसे बुलेटिन में इस प्रकार से दिया जाता है जिससे सामान्य रूप में सभी को जानकारी मिल सके। एक विशेष मामले के रूप में भाषण की प्रतिया प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया गया था और हमने वे लोक सभा सचिवालय को दे दी हैं। यदि लोक सभा सचिवालय इन्हें परिचालित करना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : क्या इन्हें वितरित करने का उत्तरदायित्व लोक सभा सचिवालय का नहीं है ? जब किसी वस्तु की सरकार से अपेक्षा की जाती है और उसने इसे लोक सभा सचिवालय को दे दिया है तो इनके वितरण हेतु लोक सभा सचिवालय से आशा की जाती है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, यह हमारा उत्तरदायित्व नहीं है···। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री नायक जी, कृपया व्यवधान न डालें। पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें। क्या सरकार ने वित्त मंत्री के भाषण की एक प्रति लोक सभा सचिवालय को दी थी ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : जी हां, यह दी गई थी। वास्तव में यह सभा पटल पर रखी गई थी।

सभापति महोदय : तब इसके पश्चात यह लोक सभा सचिवालय का उत्तरदायित्व बनता था।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सभापति महोदय, जरा मुझे यह स्पष्ट करने दें कि जो भाषण

सभा में दिया जाता है वह हर अगले दिन बुलेटिन के रूप में चला जाता है। जब बुलेटिन जारी कर दी जाती है, तब भाषणों को इसलिए रखा जाता है जिससे सभा की कार्यवाही का पता चल सके और सदस्य वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं अथवा यदि वे किसी भाषण विशेष को विस्तृत रूप में देखना चाहें तो वे इसे ग्रंथालय से प्राप्त कर सकते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। यही सामान्य प्रक्रिया है। मेरे विचार में किसी विशेष मामले के रूप में भाषण की उन प्रतियों के लिए अनुरोध किया गया था। भाषण की प्रतियां तो स्वतः ही लोक सभा सचिवालय के पास उपलब्ध होती हैं और लोक सभा सचिवालय आगे प्रतियों को सभा पटल पर रखता है। यदि सदस्य यह अपेक्षा करते हों कि जो भी भाषण सभा में दिया जाता है उसे उन्हें व्यक्तिगत रूप से परिचालित किया जाए, तब ऐसे में उन्हें सभा में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है।

सभापति महोदय : मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि सभा में दिया गया प्रत्येक भाषण परिचालित नहीं किया जा सकता। लेकिन, जैसा श्री नाईक जी ने उल्लेख किया है कि यदि अध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में कोई विनिर्णय दिया है कि वित्त मंत्री का यह विशेष भाषण परिचालित किया जाएगा, तो मेरे विचार से भाषण की प्रतियां परिचालित की जानी चाहिएं।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, परिचालन किया जाना हमारी समस्या नहीं है।

सभापति महोदय : तब यदि भाषण लोक सभा सचिवालय को सौंप दिया गया है—तब इसे परिचालित किए जाने का उत्तरदायित्व लोक सभा सचिवालय का बन जाता है—अथवा कम से कम इसे सभा पटल पर रख दिया जाना चाहिए और सदस्यों को यह बता देना चाहिए कि यह तैयार है और वे इसे सभा पटल से ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मुझे एक बात स्पष्ट करने दें। सदस्यों को प्रतियों का परिचालन करने का कार्य लोक सभा सचिवालय का है और यह काम सरकार का नहीं है। सरकार का कर्त्तव्य एक प्रति प्रदान करना है। हमने न केवल एक प्रति ही प्रदान की है बल्कि —यह रिकार्ड में भी है—सभा पटल पर रखने हेतु प्रतियां तैयार कर दी गई थी। समय की कमी होने के कारण···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सरकार ने वित्त मंत्री के भाषण की प्रति लोक सभा सचिवालय को दे दी गई थी और लोक सभा सचिवालय···

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : यह आपकी आंतरिक व्यवस्था है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : सरकार और लोक सभा सचिवालय के मध्य कोई भी आंतरिक व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, मैं इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त करता हूं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : आपको प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि कोई सदस्य यह आरोप लगता है कि सरकार और लोक सभा के बीच कोई सांठगांठ है, तो यह अत्यधिक खेदजनक बात है और वे टिप्पण कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिए जाएंगे।

श्री राम नाईक : मैंने यह नहीं कहा था।

सभापति महोदय : जी हां, आपने कहा था। आपने कहा था कि चाहे यह आंतरिक ममता हो अथवा नहीं, यह हमारा उत्तरदायित्व है। यहां कोई आंतरिक मामला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, अब मुझे अपनी बात पूरी करने दें। यह मामला कल लगभग 6.30 म० प० सामने आया। आम तौर पर जो भी सभा में बहस होती है, संसदीय वाद-विवाद हमें 6.00 बजे तक प्राप्त हो जाता है। हम बुलेटिन प्राप्त करते हैं। लेकिन यह 6.00 बजे म० प० के बाद की बात है। इसलिए विशेष अनुरोध से, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से अपील की थी कि अब 6.00 म०प० बज चुके हैं और यह हमें कार्यवाही-सारांश में नहीं मिलेगा और यही कारण है कि यह हमें प्रदान की जाए। इस पर सहमति का यही कारण था। लेकिन अभी भी स्थिति यह है मुझे यह प्रति आज सुबह 11.47 बजे प्राप्त हुई और अन्य सदस्यों को अभी तक नहीं मिली है। इसी में कुछ असामान्य बात है। हम प्रतिदिन तो भाषण की प्रति की मांग नहीं करते।

सभापति महोदय : मैं आपकी बात समझ गया हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री अहमद जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या यह व्यवस्था का प्रश्न, व्यवस्था के प्रश्न पर ही है अथवा एक नया व्यवस्था का प्रश्न है?

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : नहीं आप नहीं कह सकते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे लोक सभा सचिवालय द्वारा सूचित किया गया है कि वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो भी संशोधन सुझाए गए थे उन्हें पहले ही परिचालित किया जा चुका है। मुझे अब आगे सूचित किया गया है कि अध्यक्ष महोदय ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया था कि वित्त मंत्री के भाषण की प्रति को परिचालित किया जाएगा। हम वाद-विवाद जारी करते हैं। श्री गिरधारी लाल भार्गव, आप बोलना आरम्भ करें।

श्री ई० अहमद : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर अपने व्यवस्था के प्रश्न को वापस लेता हूं।

श्री मुरली देवरा : कृपया अब कोई अव्यवस्था न फैलाएं।

सभापति महोदय : जी, हां, श्री गिरधारी लाल भार्गव आप बोलना आरम्भ करें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सम्माननीय सभापति जी, यह बात यूं तो सत्य है, मुझे आपकी रूलिंग के बाद नहीं कहना चाहिए कि जो कल माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां पर स्पीच दी थी और जो रियायतें दी थीं, उनकी कापी हमको अभी तक नहीं मिली···

सभापति महोदय : भाई साहब, आप अपनी स्पीच को कण्टीन्यू करिये। इस पाइण्ट को खत्म कर दिया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जो आज्ञा, मैं तो आपका भी कहना मानता हूं।

वित्त मंत्री जी को कल मैंने सलाह दी थी और सलाह कल उनको मैंने इसलिए दी थी कि कल गणेश चतुर्दशी थी, गणेश जी का जन्म दिन था, ज्ञान का था, गणेश जी ज्ञान के दाता हैं इसलिए मैंने वित्त मंत्री जी को निवेदन किया था।

मैंने इस बिल को तो काला बिल मानकर, क्योंकि, आपने सोना गिरवी रखा, दो किश्तों में और रुपये का अवमूल्यन हुआ, इसे जनता विरोधी, गरीब विरोधी बताया। लेकिन मैंने साथ-साथ उनसे निवेदन किया था कि गरीब और अमीर के बीच की खाई भी चौड़ी हो रही है इसलिए आप कम से कम जो मैनीफैस्टो में आपने बात कही थी कि हम राज्य कर्मचारियों कीजो इंकम टैक्स की लिमिट है 22,000 रुपये, इस 22 हजार को बढ़ाकर 48 हजार करेंगे, मैंने यह आपको गणेश चतुर्दशी के दिन कहा था। वित्त मंत्री जी मैं आपका शुभचिन्तक हूं इसलिए कहा था···शुभचिन्तक मैं इसलिए हूं कि आपने भी कांग्रेस पार्टी में भी घोषणायें की थीं और यह बात भी कही थी। राज्य कर्मचारी आज आपकी ओर निहार रहे हैं। मैं आपकी हितैषी हूं, इसलिए जहां तक मेरी जानकारी है, आपने अभी लोकसभा का चुनाव लड़ना है। आप किस चक्कर में पड़े हैं, आप घोषणा कर दीजिए। वरना यदि आप हार गए तो वित्त मंत्री नहीं रहेंगे और राज्य कर्मचारी आखिरकार आपको वोट देने वाले हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया विधेयक पर बोलिए आप विधेयक के काफी परे जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप 48 हजार की घोषणा कर दें, मैं इसकी वकालत कर रहा हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राज्य सभा में आ जायेंगे। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : चुनाव की सब अपनी-अपनी फिक्र करेंगे। आप उनकी फिक्र में क्यों लगे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, मुझे वित्त मंत्री जी बढ़िया लगते हैं। यह मैं इस लिए कहता हूं, आखिरकार वित्त मंत्री जी बजट पास होने के बाद एक-दो तारीख तक भोजन तो वहीं करेंगे **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : चुनाव की इतनी चिन्ता है तो चुनाव में उनको सपोर्ट करने के लिए चले जाना।

···(व्यवधान)···

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि 22 हजार के स्थान पर 48 हजार कर दें। दूसरी बात यह है कि नौकरी करने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 12 हजार के बजाए 20 हजार या एक-तिहाई होना चाहिए। क्योंकि**

12 हजार के बजाए 20 हजार करने की मांग कर रहा हूं। आज 12 तारीख है और आपको* इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है···

सभापति महोदय : श्री भार्गव, यह ठीक नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि 20 हजार या एक-तिहाई करें। तीसरी मेरी मांग यह है···

सभापति महोदय : यह* बात प्रोसिडिंग्स से काट दें।

(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह कोई मैंने नहीं बजाए। यह मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। पार्लियामेंट में मैं इस प्रकार के शब्दों को न आज तक बोला हूं और जब तक सदस्य रहूंगा, न बोलूंगा। मेरा यहां पर निवेदन करना यह है कि भारत के जो दुकानदार हैं, उनके द्वारा विदेशों को विदेशी मुद्रा में जो माल बेचा जाता है, जैसे जवाहरात, हाथ की बनी हुई वस्तुएं, गलीचे इत्यादि। उनको जिस प्रकार से छूट पहले मिलती थी, उसी प्रकार की छूट उनको मिलनी चाहिए। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एवं ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु सर्वप्रथम 1986 में आयकर कानून, 1961 की धारा 80 एच० एच० सी० को लागू किया। इस धारा के अन्तर्गत निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित करने पर, आयकर से छूट प्रदान की गई। ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए समय-समय पर परिवर्तन कर ज्यादा सुविधायें प्रदान की गई। इसके प्रारूप को विस्तृत करते हुए धारा 80 एच० एच० सी० के तहत इसका लाभ होटल मालिकों, ट्रैवल एजेंट्स एवं टुअर आपरेटर्स को भी दिया गया है, जोकि विदेशी भ्रमणकारियों को सुविधा प्रदान कर विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। इन सब बातों को फलस्वरूप जो विदेशी दुकानों से विदेशी भ्रमणार्थियों को माल बेचकर विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, उनकी बिक्री में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। मेरा यहां पर निवेदन कर देना यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वित्त विधेयक में भारत सरकार के द्वारा नए प्रस्तावित बजट में धारा एच० एच० सी० में जो छूट प्रदान की गई है, उससे उन लोगों की जो विदेशी भ्रमणकारियों से परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा प्राप्त कर भारत में ही उन्हें माल बेचते हैं, उनसे यह छूट एक अप्रैल, 1986 सेवावित्त लेने का प्रावधान कर दिया है, रिट्रोस्पैक्टिव किया है। यहां पर मेरा कहना यह है कि रिट्रोस्पैक्टिव कर देने के कारण यह स्पष्ट है कि सरकार की मंशा धारा एच० एच० सी० में किए गए परिवर्तन से विदेशी मुद्रा को खाने की तो नहीं है, परन्तु इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप जाने-अनजाने में व्यापार को प्रोत्साहन देने के एवज में विदेशी मुद्रा का नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि यदि यह

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रस्ताव कानून बन जाता है तो व्यापारी इस दायित्व को जो 1986 से कर चुकाने वाली बात है, किया गया है, उससे व्यापारी संस्थाएं बन्द हो जायेंगी। इसके परिणामस्वरूप इस व्यापार में संलग्न श्रमिक एवं कारीगर बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि जब ये काउन्टर सेल करते हैं और जब उस व्यापारी से अण्डरटेकिंग ले ली जाती है, इस माल को वह बाहर ले जाएगा, विदेशी मुद्रा को यहां पर देगा। ऐसी परिस्थिति में मैं प्रार्थना करता हूं कि धारा एच० एच० सी० में काउन्टर में बिक्री के तहत प्रस्ताव परिवर्तन में होने वाले परिवर्तनों पर आप पुनर्विचार करें और एक अप्रैल, 1986 नहीं, जिस प्रकार की पद्धति आज तक थी जिस प्रकार से आप और धन्धों को, फॉरन एक्सचेंज यहां पर आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो जवाहरात का धन्धा करते हैं या हाथी दांत का काम करते हैं या गलीचे बेचने का काम करते हैं, मेरे शहर जयपुर में भी काफी लोग हैं और भारतवर्ष में तो काफी लोग हैं···

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ये जो आप इस प्रकार से फोरन एक्सचेंज पर वसूल करते हैं, यदि उसको बैंक में जमा करा दिया जाएगा तो वह सफेद हो जाएगा, लेकिन यदि वे बैंक में जमा न करा करके, चूंकि वह अपना एक प्रकार का केश-मीमो काटता है, केश-मीमो काट देने के कारण आपने उनसे जो टैक्स लेने वाली बात कही है, इससे यह धन्धा यहां पर खत्म हो जाएगा। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी मेरी आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप इस टैक्स को निश्चित रूप से वापस ले लेंगे और इन सारे के सारे व्यापारियों को आप लाभ देंगे।

श्रीमान, 1-4-86 से रिट्रोसपेक्टी टैक्स लेने वाली बात जो हास्यापद लगती है, इसलिए 1-4-86 से नहीं, बल्कि जिस प्रकार से आप आज तक दयालु थे उसी प्रकार से आप दयालु बने रहेंगे और उन व्यापारियों को, जो फोरन एक्सचेंज कमाते हैं उन पर किसी प्रकार टैक्स नहीं लगे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं यहां पर यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि रेस्टोरेंट पर और एक्सपेंडीचर टैक्स लगाने से विदेशी सेलानियों पर इसका विपरीत प्रभाग पड़ेगा और इसका प्रभाव इस प्रकार से पड़ेगा कि जो भी यहां रेस्टोरेन्ट्स हैं, उन रेस्टोरेंट्स को प्रतिवर्ष पर्यटन विभाग से हर साल एक अनुमोदन करवाना पड़ता है, तो या वह अनुमोदन करायेंगे। इसमें चार बातें होंगी, उसके यहां टेलीफोन होगा, उसके दो लेट्रीन, बाथरूम होंगे, एयरकंडीशन होगा और फ्रिज यहां पर लगा होगा, तो मेरा मतलब है कि इन चारों में से तीन शर्तों की यदि वह पूर्ति करता है या पर्यटन विभाग से वे अनुमोदन करा लेता है। इन बातों के हो जाने के बाद वह रेस्टोरेंट टेक्सेबल हो गया। इसका मतलब है कि सौ रुपए का माल यदि किसी को गिफ्ट दिया तो कम से कम दो सौ रुपये का माल तो आदमी बैठ कर खाता ही है इसलिए सौ रुपये के माल में 12 परसेंट तो सेल्स टैक्स हो गया और 20 परसेंट आपका व्यय कर हो गया, तो सौ रुपए में से 32 रुपया, दो सौ रुपया बिल हो गया। तो 64 रुपया वह दो सौ में से आपको दे देगा। इसलिए छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स इससे बर्बाद हो जाएंगे।

इसलिए मेरा यह नियेदन है कि इस टैक्स को न लगा कर के, यों ही राज्य सरकार सैल्स टैक्स लगाती है, आज क्यों केन्द्रीय सरकार इसमें दखल कर रही है। इसलिए फाइवस्टार जो होटल हैं वहीं तक आप सीमित रहें और शेष को आप माफ करें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। मुझे उम्मीद है कि दोनों बातें जो मैंने व्यापारियों वाली बात कही है, उसको और जो रेस्टोरेंट्स वाली बात कही है, इन दोनों को आप निश्चित रूप से जिस समय आपका समापन भाषण होगा, आप मानें।

सभापति महोदय, यहां पर मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो राज्य कर्मचारी, जो बीमार हो और विदेश मे जाता है और 75 हजार रु० उसका वेतन है, आपने एक लाख रुपये तक की

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

बात तो कर दी, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आप यह अधिकार अपने हाथ में रख लीजिए, आप 75-50 की संख्या में क्यों पड़ते हैं। यह अधिकार आपके अपने हाथ में रह जावे। इसीलिए मैं समझता हूं कि एक लाख से मुझे सन्तुष्टि नहीं है यह केवल मात्र आप अपने अधिकार में रखें तो मुनासिब होगा।

इसी प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी वैल्थ टैक्स के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपको मालूम होगा कि एक मकान यदि कोई आदमी खरीदता है तो पांच लाख मे छोटा-मोटा मकान भी नहीं आता। इसलिए आपने एक मकान, जो रिहायश खरीद है, उस पर आपने पांच लाख तक टैक्स माफ कर रखा है, मेरा कहने का मतलब यह है कि पांच लाख में कोई मकान नहीं आता। कम से कम आज जो महंगाई हो गई है और आगे भी बढ़ रही है और आपके बजट के बाद तो और भी ज्यादा बढ़ गई है और बढ़ जाएगी। मेरा मतलब है कि पांच लाख की बजाए यदि आप इसका अमाउन्ट 10 लाख कर दें तो मैं समझता हूं कि मेरी यह गैर वाजिब मांग नहीं है और इस सम्बन्ध में मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

इसी प्रकार से मेरा यहां पर यह निवेदन भी है कि चीनी भी आपके बजट के बाद महंगी हो गई, गैस और पेट्रोल भी महंगा हो गया। राशन में पहले चीनी मिलती थी, 5.50 रुपए, वही अब 6 रु० 15 पैसे के हिसाब से महंगी हो गई। आपने अपने घोषणा-पत्र में सौ दिन में महंगाई को कम करने की बात कही थी, पर मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने कहा कि सौ दिन में मैं महंगाई को नहीं घटा सकता, तो इसके लिए आपकी जो चिन्ता है और आपका जो व्यवहार है कि मैंने यह बात घोषणा-पत्र में कही होगी, पर मैं तो अब ऐसा नहीं कर सकता। पर कम से कम चीनी पर जो आपने 5.50 से 6.15 रु० बढ़ा दिया है, इसको आपने निश्चित रूप से कल जो रियागतें दीं, उनमें तो आपने रियायत चीनी पर नहीं दी, इसलिए ऐसा लगता है कि कुछ रियायतें आपने इसलिए रोक दीं कि आखिरकार जिस समय वित्तीय बजट पास होगा तो फिर आपके पक्ष के लोग ताली-वाली बजाएंगे, उनको ताली बजवाने के नाते आपने ऐसा किया और मेरी बात आप यदि अभी नहीं मान रहे हो और उस समय आप मानें तो मुझे भी कोई गम नहीं, मैं भी आपकी पार्टी के लोगों के साथ ताली बजा दूंगा। गैस पर 12 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गये।

इसी प्रकार पेट्रोल की कीमतों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, पेट्रोल पहले 10.50 रुपये प्रति लीटर था। उसके बाद खाड़ी संकट आया और एक बार नहीं दो बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। अब खाड़ी संकट है नहीं, समाप्त हो गया है। अब या तो हम मान लें कि जब भी सरकार किसी संकट के नाम पर टैक्स लगाएगी, एक बार लगा दिया तो लगा दिया, फिर उस टैक्स को कभी घटाया नहीं जाएगा। आप तो बहुत कुशल वित्त मंत्री हैं, आज तक कई बजट आपने बनाए हैं, दुनिया में आपकी शोहरत है, मनमोहन सिंह जी का नाम दुनिया में जाना जाता है, दुनिया आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रही है, लेकिन पेट्रोल डलवाने जाएं और वहां पर लोग आपको गालियां दें, तो मैं तो कम से कम इस चीज को बरदाश्त नहीं कर सकता। मैंने उन लोगों से कहा कि मैं लोकसभा में जाकर वित्त मंत्री जी से कहूंगा और वे पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें वापिस ले लेंगे। खाड़ी संकट से पहले पेट्रोल की कीमत 10.50 रुपये प्रति लीटर थी, उसके बाद खाड़ी संकट आने पर कीमतें बढ़ायी गयीं। अब खाड़ी संकट समाप्त हो जाने के बावजूद वे खाड़ी संकट वाली बढ़ी हुई कीमतें तो वापिस नहीं ली गई, बल्कि 25 परसेंट कीमतें बढ़ा दी गई और अब पेट्रोल हो गया 16.26 यानी साढ़े 16 रुपये प्रति लीटर। इस

तरह से आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसी तरह से बंगलादेश संकट के समय 10 पैसे का टिकट लगाया गया था, वह संकट समाप्त होने के बाद आपने 10 के बजाए टिकट की कीमत 20 पैसे कर दी। आखिर सरकार की नीति क्या है। एक बार टैक्स लग गया, फिर दोबारा, तिबारा लगाते चले जायेंगे।

सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि पेट्रोल की कीमतों को ईमानदारी से घटाइए। खाड़ी संकट के नाम पर जो दो बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, उनको वापिस लीजिए और अब जो कीमत बढ़ाई गई है, इसको भी ईमानदारी से वापिस लीजिए और पेट्रोल की कीमतें पहले की तरह 10.50 रुपये प्रति लीटर करिए। यदि आप यह काम कर देंगे तो सारे हिन्दुस्तान के लोगों से मालाओं से आपको मैं लदवा दूंगा और यहां बैठे हुए सब लोग मेरा सहयोग करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अब सपोर्ट करने से क्या होगा, सरकार का तो पता ही नहीं चलता कब तक रहेगी। पहले भी 11 महीने में चले गए अब भी पता नहीं है कब चले जाएं। अभी सब लोगों को मकान भी अलाट नहीं हुए, लोग मिलने आते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं आप तो कब चले जाओगे। कल पता नहीं कोई और वित्त मंत्री हो, उनको ये सारी बातें कहनी पड़ेंगी। **(व्यवधान)**

इसी तरह से आपने लाटरी वालों को रियायत दी है, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो दलाली का काम करते हैं उनके लिए 2500 रुपये तक की जो बात की गई है, उसके बाए 10000 रुपये से ज्यादा पर करना चाहिए, जिससे दलालों को भी राहत मिले।

एक बात और कहना चाहता हूं आपने इनकम टैक्स रिफण्ड पर ब्याज 18 परसेंट से घटाकर 12 परसेंट कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है। जब आप लेते 24 परसेंट हैं तो फिर 18 परसेंट क्यों और अब 18 से भी घटाकर 12 परसेंट क्यों। यह अन्याय क्यों किया जा रहा है? जो वांट लेने का हो वही देने का होना चाहिए। 24 परसेंट के हिसाब से आप ब्याज लेते हैं तो 24 परसेंट के हिसाब से ही ब्याज दीजिए, बड़ी तर्कसंगत बात है। जो हाथ लेने का हो, वही हाथ देने का होना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदग है कि रिफण्ड पर ब्याज की दर 24 परसेंट कीजिए।

इसी प्रकार से बैंकों में एफ० डी० आर० पर पहले 7500 रुपये तक ब्याज पर टैक्स माफ था, अब 2500 रुपये कर दिया गया है। इसका परिणाम क्या हो रहा है, आप बैंकों में जाकर देखिए, लोग अपनी एफ० डी० वापिस ले रहे हैं, क्योंकि उनको बताया गया है कि इसके ब्याज पर यही बैंक में ही टैक्स काट लिया जाएगा। इस तरह से लोग अपनी रकमें वापिस ले रहे हैं और अगर यही हालत रही तो बैंक जिन मकानों में किराए पर चल रहे हैं, उनका किराया देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। बैंक कर्मचारी बेकार हो जाएंगे। बैंक कर्मचारियों का आन्दोलन होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं और इस चीज का उपचार बता रहा हूं कि आप बैंक से सालाना स्टेटमेंट मंगवा लीजिए और उससे जांच कर लीजिए कि यह टैक्सेबल है या नहीं। आपने ऐटसोर्स टैक्स काटने का तरीका अपना लिया, इससे बैंकों का व्यवसाय ठप्प हो जाएगा। स्टेटमेंट बनाकर, जिसमें उसका खाता है, उसको देखें, यदि उसमें आपको कुछ टैक्स के बारे में नजर आता है तो आप वसूल कर सकते हैं। बैंकों में ऐटसोर्स काटने से निश्चित रूप से सारे बैंकों का व्यवसाय खत्म हो जाएगा। यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसी प्रकार से शेयर की कीमत बाजार भाव से यदि आप लगाते हैं तो ठीक नहीं है। आपको शेयर की कीमत बैलेंस शीट के आधार पर रखनी चाहिए मार्किट रेट के आधार पर नहीं रखनी

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

चाहिए। इससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं समझता हूं कि कुछ मैंने बातें आपकी सेवा में निवेदन की हैं, इनको आप जरूर मानेंगे।

अन्त में मैं यह कह सकता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, उन पर आप निश्चित रूप से विचार करेंगे और विचार करने के साथ-साथ दोनों व्यापारिक बन्धु, जिनके बारे में रेट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट टैक्स लगा रहे हैं, वह तो आप माफ करेंगे, माफ करने के बाद रेस्टोरेन्ट वालों को भी माफ करेंगे, लाटरी, दलाली वालों को भी माफ करेंगे। जो कुछ मैंने बैंकों के बारे में सुझाव दिए हैं, उन पर भी आप सोचेंगे।

चीनी, गैस और पेट्रोल, इन तीन चीजों के सम्बन्ध में जो मैंने आपको रचनात्मक और तर्कसंगत सुझाव दिए हैं, उनको भी आप मानेंगे। अन्त में, मैं आपका शुभचिन्तक होने के नाते यही बात कह सकता हूं कि राज्य कर्मचारियों के बारे में भी आप सोचेंगे, 22 हजार रुपये कोई भी कमा सकता है, दो हजार रुपये महीने के हिसाब से 24000 होता है। यह भी दो हजार ज्यादा हो जाता है। हर कोई इनकम टैक्स की रेंज में आ गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से आप बहादुरी के आधार पर, आप चाहे वित्त मंत्री रहें या न रहें मैं समझता हूं कि 48000 की घोषणा आप कर के सरकारी कर्मचारियों को निश्चित रूप से राहत देंगे। चीनी, पेट्रोल और गैस के सम्बन्ध में आप रियायत देंगे।

सभापति जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, इस सिंहासन को धन्यवाद देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : मैं श्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किए बजट का समर्थन करता हूं। बजट अर्थव्यवस्था की लेखा जांच है, तथा आगामी वर्ष के आय और व्यय का विवरण देता है।

हमने देखा है कि कई वर्षों में पहली बार डा० मनमोहन सिंह ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जिसने देश की आर्थिक स्थिति को स्वस्थ विशलेषणात्मक रूप से स्थिर तथा सशक्त बताया है।

तीन महीनों की छोटी सी अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी गई है। इन तीन महीनों की छोटी अवधि में ही कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें भारत आने के लिए तैयार हैं उन लोगों ने अब पुनः यह महसूस किया है कि जिसे वे भूल गए थे, आज भी भारत अपना अस्तित्व कायम रखता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री मुरली देवरा : बजट में जो नये प्रस्ताव रखे गये हैं, मैं उनसे प्रसन्न हूं तथा मैं सरकार को नई औद्योगिक नीति के लिए उसका धन्यवाद देता हूं ? सरकार ने यह दिखा दिया है कि भारत पुनः विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बना रहा है।

मैं बहुत खुश हूं कि आज ही मैंने इण्डियन एक्सप्रेस में एक लेख पढ़ा तथा श्री सोमनाथ चटर्जी के सूचनार्थ वह श्री ज्योति बसु का 'इण्टरव्यू' था। मैं उस 'इण्टरव्यू' को एक ही लाइन में उद्धृत करना चाहता हूं। हम लोगों को विश्वास नहीं हो सकता है कि यह इन्टरव्यू इतना छोटा हो सकता है (**व्यवधान**)

पिछली बार अपने मेरा भाषण नहीं सुना था। मैंने कहा कि साम्यवाद का चलन चीन तथा मास्को में नहीं है परन्तु ये मार्क्सवादी लोग भारत में इसका चलन चाहते हैं लेकिन, पश्चिम बंगाल में जैसाकि आप सभी जानते हैं कि जो कोई भी बड़े औद्योगिक घराने तथा बहु राष्ट्रीय कम्पनियां पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई हैं, वे वहां खुश हैं। उनसे सही तरीके से पेश आया जाता है तथा व्यवहार भी ठीक तरह से किया जाता है। आप लोग उनका विरोध तब कर रहे हैं जबकि वे राज्य के अन्य भागों में जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : बम्बई को आप कितना देते हैं आप भारत से सबसे अमीर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री मुरली देवरा : मैं खुश हूं। तथा इसका मुझे गर्व है। इसीलिए मैं आपको वहां आमन्त्रित नहीं कर रहा। आपकी स्वीकृति से मैं श्री ज्योति बसु ने जो कहा है वह कह रहा हूं।

"विश्व काफी संकुचित हो चुका है।" यह आज के इण्डियन एक्सप्रेस में हैं **(व्यवधान)** आप अभी तक दुनिया की चीजों से दूर रहे हैं फिर आप आज की सुबह का अखबार कैसे पढ़ सकते हैं? मुझे तुम्हें बधाई देनी होगी। आप लोगों को शेष विश्व से दूर नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा कहा :

> "पिछली दो पीढ़ियों से रूस की कम्युनिस्ट पार्टी वहां की जनता के लिए कोई कार्यक्रम बनाने में सफल नहीं हुई जिससे कि वे उन्हें सैद्धांतिक रूप से उसके अनुरूप ढाल सकते। हमारे देश में भी कुछ वर्षों से ऐसा ही हो रहा है। हम इसका दोष अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। देश की औद्योगिक तथा आर्थिक नीतियों ने हमारे देश को अकेला कर दिया है। परिणाम स्वरूप, उद्योगपतियों तथा उद्यमियों चाहे वे छोटे अथवा बड़े, स्वदेशी अथवा विदेशी फेरा के तहत आने वाले या बहुराष्ट्रीय कोई भी हों, मैं यह सकता हूं कि देश की क्षमता को खोजने तथा उसको सुसज्जित करने में ये लोग प्रयास नहीं कर सके। मैं उल्लेखित करना चाहूंगा की तीन महीने की छोटी सी अवधि में श्री पी० वी० नरसिम्हाराव की सरकार तथा हमारे सक्रिय वित्त मन्त्री श्री मनमोहन सिंह ने उद्यमियों की मदद करने में काफी प्रसंसनीय कार्य किया है।"

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : पांच साल पहले आप क्या कह रहे थे!

श्री मुरली देवरा : मैंने पांच साल पहले जो कहा था इसका कार्यान्वयन अब हो रहा है। यदि आपने मेरे पांच साल पहले वाले भाषण को, तब आप वहां बैठते थे, सुना हो, तो आपको याद होगा, कि मैंने औद्योगिक नीतियों के लिए यही कहा था, जो आज की सरकार इस नई औद्योगिक नीति को कार्यान्वित करने की सोच रही है। आज नई औद्योगिक नीति का कार्यान्यवन उन्हीं आधारों पर किया जा रहा है मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जोकि मैंने कहा था, क्योंकि उस समय श्री सोमनाथ चटर्जी नहीं थे, बाद में मैं सीमेंट का उदाहरण दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अपनी ही पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं हैं।

श्री मुरली देवरा : मैं भली-भांति जानता हूं कि आप श्री ज्योति बासु से असहमत नहीं होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ कहिये।

श्री मुरली देवरा : महोदय, कल वित्त मन्त्री जी ने कई रियायतों की, विशेषकर धारा 80 एच० एच० सी० 80 एच० एच० डी० की घोषणा की तथा पर्यटन उद्योग द्वारा प्राप्त आय पर भी कुछ

[श्री मुरली देवरा]

प्रोत्साहनों की घोषणा की । इससे लगता है कि वित्त मन्त्री लचीला रुख अपना रहे हैं । यदि बजट में कोई गलत प्रस्ताव हो चुका है, बजट में कोई संशोधन करना है । तो सरकार को उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना लेना चाहिए । सरकार को कई विषयों पर जैसे सम्पति कर, तथा स्रोत पर कर की कटौती आदि पर सुधार तथा संशोधन कर लेना चाहिए । ये ऐसी मुख्य बातें थी जिनपर मुझे कुछ कहना था । मैं वित्त मन्त्री द्वारा इस प्रकार के निर्भीक निर्णय लेने के लिए उन्हें बधाई देता हूं । देश में विभिन्न लोगों ने—आप 'एस्सोचेम', 'फिक्की' आदि का नाम अपना सुनना पसंद नहीं करेंगे—वित्त मन्त्री को अपनी समस्याओं पर ध्यान दिलाया तथा माननीय मन्त्री जी ने उन्हें संतुष्ट भी किया है । मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने कर कम कर दिये परन्तु उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि जो कुछ बजट के लिए अच्छा है, वह हमारे अर्थव्यवस्था के लिए तथा पूरे देश के लिए अच्छा है ।

महोदय, माननीय मन्त्री जी ने एक मामले पर हमारी बात नहीं मानी और वह थी उर्वरकों पर से राजसहायता हटाने की । मैं उर्वरकों पर राजसहायता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । उर्वरक पर दोहरी नीति जिसके अन्तर्गत कुछ लोगों को फायदा दिया जा रहा है तथा कुछ को नहीं, सफल नहीं होगी ।

मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वह उस सरकार से अत्यधिक सम्बद्ध हैं वर्ष 1978-79 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन ऋण दिया गया था । यह कृषि ऋण था । उस समय चार प्रतिशत की ब्याज दर पर छोटे और सीमान्त किसानों को ही यह ऋण दिया गया था । मैंने इस बारे में कहीं पढ़ा था । कुछ लोग गांव में गये और उन्होंने एक किसान से पूछा कि पिछले वर्ष तो वह बड़ा किसान था और अगले ही वर्ष वह छोटा किसान कैसे बन गया । उसने कहा, "अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऋण की बदौलत मुझे छोटा किसान बनना पड़ा ।" मुद्दा यह है कि पहले वह रियायती दर पर ऋण लेने का अधिकारी नहीं था । परन्तु, दोहरी ब्याज दर नीति की वजह से वह रियायती दर पर ऋण का अधिकारी छोटा किसान होने पर ही हो सकता था । दो तरह की ब्याज दरें थी एक कम ब्याज पर छोटे और सीमान्त किसानों के लिए और ज्यादा दर पर बड़े किसानों के लिए मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बारे में काफी लेख एवं सम्पादकीय आदि पढ़ें होंगे । आप लोगोंगों से बातचीत करिये जिन्हें ग्रामीण भारत की जानकारी है तो वे कहेंगे कि उर्वरक के सम्बन्ध में दोहरी मूल्य नीति काम नहीं करेगी । उनका कहना है कि किसानों के किसी एक वर्ग को ऋण देना और किसी अन्य वर्गको न देने से काम नहीं चलेगा जब कभी भी सरकार ने ऐसी नीति बनाई उसे सफलता नहीं मिली ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : समस्या यह है, अब उर्वरक के सम्बन्ध में काफी जोरों से चर्चा चल रही है ।

श्री मुरली देवरा : मैं बड़े उर्वरक संगठनों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं । मैं छोटे किसानों का समर्थन कर रहा हूं मैं माननीय वित मन्त्री जी से राजसहायता को पुनः लागू करने का अनुरोध कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत अच्छी बात है ।

श्री मुरली देवरा : मेरा कहना है कि सरकार छोटे और बड़े किसानों में फर्क न करे । मेरा कहना है कि इसे कार्यान्वित नहीं किया जायेगा ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अब वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहे हैं ।

श्री मुरली देवरा : मेरा निर्वाचन क्षेत्र शहर में है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी अनुरोध कर रहा हूं कि जैसा कि अन्य मामलों में वह उदार हैं, उन्हें देखना चाहिये कि हमसे हमारे देश की ग्रामीण ऋण व्यवस्था प्रभावित हो जोकि श्री वी० पी० सिंह की सरकार में ऋण मेलों के दौरान हुई थी।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य ऋण मेलों में।

श्री मुरली देवरा : जी हां, यह ऋण मेले से भी खराब थी। ऋण मेले इससे तो सौगुना अच्छे थे इसमें किसानों को दिये गए ऋण बड़े खाते कर दिये गये हैं इन्होंने देश में प्रचलित ऋण प्रणाली को पूरी तरह अव्यवस्थित कर दिया है। ऋण मेलों में कोई बुराई नहीं थी। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस पर पुन: विचार करें और हम नये प्रस्ताव पर विशेषज्ञों से राय लें। यदि यह अच्छी है तो इसे लागू करिये यदि अच्छी नहीं है तो उदारता से काम लीजिये और अन्य उपायों की भांति इसे भी वापिस कर लीजिए।

वित्त मन्त्री जी द्वारा सबसे बड़ी समस्या व्यापार सन्तुलन की है। एक ऐसा समय था जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में देश की क्रेडिट रेटिंग न्यूयार्क में मोदी की अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग है—ए० ए० ए० रेटिंग थीं। यह भारत के लिये सबसे अच्छी रेटिंग थी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हम लिपोरेट पर चौथाई प्रतिशत पर ऋण मिल रहा है और अब लिबोरेट पर छह और साढ़े छह प्रतिशत पर। आपके समर्थन वाली गैर-कांग्रेस सरकार ने एक वर्ष में ही भारत की क्रेडिट रेटिंग स्वतन्त्र भारत के इतिहास में सबसे कम हो गई है। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : जो कुछ आपने किया है यह उसी का ही नतीजा है। मेरे विचार से, ऐसा नहीं है। जो कुछ आपने किया, उसी के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ है। पिछले पांच वर्षों में आपने कितना ऋण लिया है। **(व्यवधान)**

श्री मुरली देवरा : अमल दत्त जी, मुझे आपके भाषण बहुत अच्छे लगते थे जब आप वहां थे लेकिन, अब नहीं। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : वर्ष 1985-90 के दौरान और 1991 में कितना ऋण लिया गया था ?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप वित्त मंत्री जी का परिचय बंगाल के लिये भी गुण गाते रहिये।

श्री मुरली देवरा : ठीक है। मेरा कहना है कि कारण चाहे कोई भी हो आज भारत में क्रेडिट रेटिंग सबसे कम है। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि जब तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक का ऋण उतर नहीं जाता हमें यह देखना चाहिये कि सरकारी अथवा नीति क्षेत्र के आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई० अथवा कोई अन्य संस्थान अगले दो या तीन महीनों में तब तक ऋण न लें, जब तक कि इन ऋणों का निपटान नहीं किया जाता अन्यथा हमें विदेशी मुद्रा में काफी अधिक ब्याज देना होगा। यह मेरा सुझाव है और मुझे विश्वास है कि वह इससे सहमत होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण निपटान के पश्चात् हमारी क्रेडिट रेटिंग में सुधार आयेगा और हमें कम ब्याज देना पड़ेगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या आप उनके द्वारा बताये गये फ्लोटिंग ब्याज दर का विरोध करते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस बारे में फिक्की ने उन्हें नोट्स नहीं दिये हैं।

श्री मुरली देवरा : आप ही वह व्यक्ति हैं जोकि सारे नोट्स सप्लाई कर रहे हैं।

व्यापार संतुलन की समस्या को दूर करने के बारे में मेरा एक सुझाव है। वित्त मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है कि जिस किसी के पास भी विदेशों में पैसा है, वह बिना टैक्स दिए ला सकता है। खाड़ी के देशों में 20 लाख लोग हैं। वे इस समय लगभग 5000 करोड़ रु० भेज रहे हैं। यह खाड़ी युद्ध के बाद से थोड़ा कम है। वे कुछ पैसा सरकारी माध्यम से और कुछ हवाले के माध्यम से भेज रहे हैं क्योंकि इसमें उन्हें 20 से 25 प्रतिशत अतिरिक्त पैसा मिलता है। जब सरकार बिना कर दिये विदेशों में पैसा रखने वालों को प्रोत्साहन देने को तैयार है, जब सरकार निर्यात सम्बन्धी एक्जिम लाइसेंस पर 30 प्रतिशत 'रैप' (आर० ई० पी०) का अधिकार देती है, तो सरकार उन लोगों को 10 या 15 प्रतिशत का प्रोत्साहन देने पर क्यों नहीं विचार करती ताकि सरकारी और कानूनी तरीके से विदेशी मुद्रा को भारत ला रहे हैं।

खाड़ी युद्ध के पश्चात् छह 'ओ० पी० ई० सी०' देशों सउदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतार, यू० ए० ई० तथा ओमान ने तीस लाख यमनवासी, फिलिस्तीनी, जोरडन निवासी, सूडानवासी एवं ईराकियों को अपने यहां से भेज दिया था क्योंकि युद्ध के समय उन्होंने ईराक का समर्थन किया था। वहां कौन जायेगा? पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, चीन और भारत के लोग और सिवाय भारत के, सभी देशों ने मजदूरों/श्रमिकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए इन छह देशों ने विशेष प्रयास करने शुरू कर दिये।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक हमारा संबंध है, हम अभी भी निद्रामग्न हैं। मैं अपने माननीय वित्त मन्त्री जी को सूचित करना चाहूंगा कि सच्चाई यह है कि वहां स्थित हमारे उच्चायोग अथवा दूतावास देश में विदेशी मुद्रा लाने के लिए कोई उत्पादक कार्य नहीं कर रहे हैं। वे तो वहां पर कार्यरत भारतीय लोगों, को ठीक तरह से सेवा भी नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आदिवासियों की सुरक्षा करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत न कि श्रम मंत्रालय के अधीन एक अलग विभाग होगा चाहिए। इस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन बनाया जाना चाहिए और कम से कम उन छह देशों में अपना एक प्रतिनिधि रखना चाहिए। इस विभाग के माध्यम से आप 20 लाख भारतीय को बाहर भेज सकते हैं।

कुछ समय पूर्व, बम्बई में रिक्रूटिंग एजेन्ट्स एसोशिएशन ऑफ इन्डिया के प्रतिनिधि मुझसे मिले थे और मुझे एक पत्र भी मिला था। मुझे पूरा विश्वास है कि हम किसी भी निवेश के बिना लगभग 20000 रु० से 21000 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। इससे काफी हद तक हमारी बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी; इससे विदेशी मुद्रा की हमारी समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। श्रम मन्त्रालय में प्रवर्जन विभाग इतनी समस्याएं पैदा कर रहा है कि यदि किसी से साक्षात्कार भी लेना हो, तो उसे दिल्ली आना पड़ता है, चटर्जी महोदय। अधिकांश लोग कोचीन से हैं, और वे बंबई आने को प्राथमिकता देते हैं। श्रम मन्त्रालय बम्बई में ही उनके साक्षात्कार लिए जाने की सुविधा प्रदान करने हेतु एक छोटा सा कार्यालय खोलने तक को तैयार नहीं है। इसलिए, मैं वित्त मन्त्री जी से

अनुरोध करता हूं कि इन लोगों की क्षमताओं का उपयोग करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए ताकि ये लोग बाहर जा सकें; ये लोग खाड़ी के देशों में जा सके और हमारे लिए विदेशी मुद्रा ला स कें।

नई औद्योगिक नीति में विदेशी निवेश के सम्बन्ध में एक मुख्य बात है। भारत पर आज 72 बिलियन डालर का विदेशी ऋण है, लेकिन यदि हम अपने देश में विदेशी निवेश को देखें तो यह 1.6 बिलियन डालर से कम हैं। यह अनुपात 1:37 अथवा 1:38 का है।

निवेश और ऋण में कितना अन्तर हैं। यदि कुछ धन ऋण लेते है, तो उसे ब्याज सहित चुकाते हैं और ऋणदाता को हमारे देश में कोई रुचि नहीं है। हमारे देश में इक्विटी (साम्य पूंजी) में यदि कोई निवेश किया जाता है, चाहे यह 40 या 50 अथवा 80 प्रतिशत है, तो कम्पनी के विदेशी शेयर-धारक को पहले तो वह लाभांश के रूप में जो कुछ कमा रहा है, उस पर कर चुकाना होगा। दूसरी बात यह कि जब कम्पनी में उसका दावा होता है, तो वह देखेगा कि कम्पनी में आधुनिक प्रौद्योगिकी हो, वह यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि कम्पनी निर्यात करने की स्थिति में हो; वह यह भी देखेगा कि कम्पनी वह सब करे जो नया और इसके हित में अच्छा हो।

मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान एक उत्पाद की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। एक समय था जब एक बहु-राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कं० बम्बई में एक एन्टी-बायोटिक दवाई, जिसे अब विदेशी कंपनी अर्थात् अमेरिका कम्पनी बना रही थी, उत्पादित करना चाहती थी। हम पूरी तरह से समाजवादी थे और हमने इसको बनाने की अनुमति नहीं दी। हमने किसको अनुमति दी थी हमने इंडियन ड्रास एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० को इसे बनाने की अनुमति दी थी और छः कम्पनी आज लगभग रुग्ण इकाई हो गई है। आई० डी० पी० एल० को यह प्रौद्योगिकी कहां से प्राप्त हुई? इसने यह प्रौद्योगिकी रूस थी एक कंपनी से प्राप्त की थी। रूस कम्पनी ने यहां कहां से प्राप्त की थी?

इसने इसे उसी फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी से प्राप्त किया जोकि भारतीय कम्पनी की जनक थी। मुझे बताएं इसे समाजवाद कैसे कहा जा सकता है? यदि हम अमरीकन कम्पनी को अपना निवेश बढ़ाने और भारतीय कम्पनी के अपना विनिर्माण लाइसेंस देने की अनुमति दे देते तो आज वह जीवन-रक्षक एन्टी बायोटिक भारत में बनाया जाता। इसके बाजय, हमने छह वर्ष गंवा दिए; हमने बाकी पैसा गंवा दिया और अभी भी उस प्रौद्योगिकी, जोकि अमरीका और दूसरे देशों में उपलब्ध है, से सात अथवा आठ वर्ष पीछे चल रहे हैं। रूस की कम्पनी को पहले ही बन्द कर दिया गया है। आई० डी० पी० एल० भी बन्द कंपनी जैसी ही है मैं यह कहने की चेष्टा कर रहा हूं कि समाजवाद की आड़ में हमने·····की अनुमति नहीं दी

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह तो पूंजीवाद नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री मुरली देवरा : हिन्दी में एक कहावत है और श्री बाजपेयी इस बारे में जानते हैं :

[हिन्दी]

"जो सावन में जन्मता है, उसको हरा-हरा ही दी दिखता है।"

[अनुवाद]

इसका अर्थ हुआ कि जो 'सावन' के माह में जन्म लेता है वह सर्वत्र हरा ही देखता है। **(व्यवधान)** हम पूंजीवाद के बारे में बात कर रहे हैं कि इसी और चीज के बारे में नहीं। अब दूसरे मैं प्रश्न, ब्याज दर के बारे में बात करूंगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (लखनऊ) : सावन जन्म नहीं लेता है, "जो सावन में अंधा होता है, उसको हरा-हरा ही दिखाई देता है।

लेकिन ये सावन के अंधे नहीं हैं। ये हर दम के अंधे है।

श्री मुरली देवरा : ये कम्युनिस्ट लोग सावन के अंधे नहीं हैं, ये हरदम के लिए अंधे हैं। आप कहते डरते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

महोदय, जिस वस्तु के लिए सर्वाधिक विदेशी पूंजी बाहर जाती है, वह है पैट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद। 1990-91 में 6400 करोड़ रु० के बजट की तुलना में देश को इन मदों पर 10800 करोड़ रु० खर्च करने पड़ रहे हैं। आपने भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में भी उस बात का उल्लेख किया है। जहां तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का सम्बन्ध है, इसने पहली बार पिछले वर्ष के उत्पादन से 2.4 मिलियन टन कम तेल का उत्पादन किया है। हम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण की समीक्षा कर सकते हैं और समाचार-पत्रों पत्रिकाओं में जो छप रहा है, उसकी पुनरीक्षा कर सकते हैं। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए···(**व्यवधान**) मैं यह कहने की चेष्टा कर रहा हूं कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण में सुधार लाया जाना चाहिए ताकि और अधिक तेल और गैस का उत्पादन किया जा सके। हम अपने संसाधनों का उपयोग करने के बारे में बात कर रहे हैं श्री सोमनाथ चटर्जी, आपको बता रहा हूं कि 14 वर्ष पहले, मैं बम्बई का मेयर था। हम बम्बई हाई की प्रज्ज्वलित गैस, जोकि प्रतिदिन 14मिलियन ब्यूबिक मीटर निकलती है, का उपयोग करने की बात कर रहे हैं। आप 'गेटवे आफ इन्डिया' से देखिए कि वहां पर क्या हो रहा है। यह हमारे शहर को प्रदूषित कर रही है। इससे बम्बई की जलवायु गर्म हो रहीं है। लोग आज तो इसका अहसास नहीं कर रहे हैं। अभी तक इस गैस का उपयोग नहीं हो पाया है। इसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा ? इसका कारण यह है कि उनके पास कोई संसाधन नहीं है और इस गैस को विभाजित करने के लिए एक दूसरे 'उड़ान टर्मिनल' हेतु योजना आयोग द्वारा कोई धन आबंटित नहीं किया गया है। नई नीति के अनुसार, यदि हमारे पास पैसा नहीं है, तो अच्छा होगा हम विदेशी कम्पनियों को इस काम को अपने हाथ में लेने की अनुमति दे दें। अब सरकार ने 79 तेल और प्राकृतिक गैस ब्लाक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और भारतीय निजी उद्यमियों को सौंपने की अनुमति दी है। चटर्जी महोदय, यदि सात या आठ वर्ष पूर्व इनकी अनुमति दे दी जाती तो हम इस समय 20 से 21 मिलियन टन तेल का आयात न कर रहे होते। इस ढंग से, हम छह वर्ष पीछे चल रहे हैं। यदि हमने उन्हें आने की अनुमति दे दी होती, तो हम तेल आयात के लिए आज 10800 करोड़ रु० खर्च नहीं कर रहे होते।

गैस आवंटन एक समस्या है। मंत्रालय में कुछ लोग गैस का उपयोग पहले 'फीडस्टाक' उवरकों के लिए कच्चेमाल आदि और बाद में ईंधन के लिए करने की वकालव कर रहे हैं। यदि आप इसका उपयोग 'फीडस्टाक' के लिए नहीं कर सकते तो इसे बेकार जाने देने की बजाय कम से कम इसे ईफन के रूप में तो प्रयोग में ला सकते हैं। टाटा विद्युत पूर्ति के बारे में भूल जाइए। यहां तक कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की गैस की मांग भी उनके द्वारा पूरी नहीं की जाती और इसके विपरीत, बम्बई हाई में कितनी ही मिलियन टन गैस हरवक्त जलती रहती है।

महोदय, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय करने के लिए अनुरोध करता हूं जिससे गैस के प्रज्ज्वलन को

रोका जा सके और हमारी पृथ्वी में गैस के भण्डारों की जो बर्बादी हो रही है, तेल और गैस के कूपों के अन्वेषण से पहले उसे रोका जा सके। पृथ्वी से जो कुछ मिलता है उसका समुचित उपयोग होना चाहिए। अगर आप अल्जीरिया जैसे देशों को देखें, तो, चटर्जी महोदय आप पाएंगे कि गैस अधिक महंगी है। गैस तेल से बेहतर होती है।

पोलीथीलीन, पोलीप्रोलीन, पोली कारबोनेट, प्लास्टिक सामग्री इत्यादि जैसे पैट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस गैस का उपयोग किया जा सकता है। उनके लिए गैस एक अभीष्ट कच्चा माल है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस बारे में कुछ करेगी।

इस समय विदेशी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस देश में कार्य करने की अनुमति दी है। किन्तु यह अत्यन्त शोचनीय है कि नई उदार नीति के अनुसार सरकार इन कम्पनियों को गैस का प्रयोग करने के लिए इस देश में कार्य आरम्भ करने के लिए कहा है लेकिन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इस मामले में बाधा डाल रहा है। मैं 'इकोनोमिक टाइम्स' के सम्पादकीय से एक उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूं :

> "पिछली बातचीत के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग उसके द्वारा प्राप्त किए गए भूकम्पीय आंकड़ों की गवेषण कम्पनियों के साथ भागीदारी में इच्छुक नहीं दिखाई दिया।"

इस सम्पादकीय से पहले तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कहा था कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उनके साथ शामिल होने को तैयार नहीं था। इस बारे में उन्हें इतनी ईर्ष्या क्यों है? जब सरकार अथवा मंत्रालय अथवा मन्त्रिमंडल बम्बई हाई और अन्य स्थानों में तेल की खोज के लिए विदेशी अथवा निजी अथवा संयुक्त कम्पनियों को कार्य करने की अनुमति देने सम्बन्धी निर्णय करता है तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को उनके मार्ग में बाधा नहीं डालनी चाहिए। एक बार जब आप नीति सम्बन्धी निर्णय लेते हैं तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया को आपके साथ सहयोग करना चाहिए। उन्हें इसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वास्तव में यह सच नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा महोदय, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं पुनः उद्धृत कर रहा हूं :

> "सरकार ने यह निर्धारित किया है कि 4 कम्पनियों को प्रारम्भिक गवेषणात्मक लागत स्वयं वहन करनी चाहिए थी और हड़ताल होने की स्थिति में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लि० के साथ क्षेत्र का विकास करके किया जाना चाहिए था। जिससे भागीदारी सम्बन्धी हित का 30 प्रतिशत पूरा किया जा सकता है।"

यह उसके साथ एक समझौता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं इसका समर्थन करता हूं। मुझे यह कहना है कि जब सरकार ने उनके कार्य करने की अनुमति दी है तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को समस्याए उत्पन्न करने की अपेक्षा सहयोग करना चाहिए।

हम प्रतिदिन समाचार-पत्रों में मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ते हैं। कल के समाचार पत्र में मुख पृष्ठ पर सलाहकार समिति की बैठक के बारे में एक लेख छपा था। मुद्रास्फीति की दर इस समय 20 % है। सरकार इस समय यह प्रयत्न कर रही है कि मुद्रा पूर्ति को नियन्त्रित किया जाए—यह अच्छी बात है। परन्तु ऐसा करने में सरकार ने ब्याज की दर बहुत अधिक बढ़ा दी है। ब्याज दर इतनी बढ़ाई जानी

[श्री मुरली देवरा]

चाहिए कि इससे बचत को प्रोत्साहन मिले लेकिन इसे इतना भी नहीं बढ़ाया जाना चाहिए कि पूंजी निवेश में बाधा आए। परन्तु इस समय क्या हो रहा है? इस समय मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं बैंक में अपना पैसा जमा करूं और 17 अथवा 18 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त करूं। बम्बई में बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां 26 प्रतिशत ब्याज प्रदान कर रही हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सरकारी दर है अथवा गैर-सरकारी दर?

श्री मुरली देवरा : यह सरकारी दर है। मैं खुलेआम आपसे गैर-सरकारी दरों की बात नहीं करता। मैं आपसे निजी तौर पर बात करूंगा।

मेरे कहने का आशय यह है कि ब्याज की दरें बहुत अधिक बढ़ गई हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया करके वित्त मन्त्री जी को बतायें कि प्रत्येक राज्य में लघु बचत योजनायें क्यों प्रभावी हो रही हैं।

श्री मुरली देवरा : आज ठीक कह रहे हैं। मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। उनमें पूंजी निवेश किया जा रहा है क्योंकि वह कर मुक्त है। अन्यथा कोई भी इन योजनाओं के लिए राशि नहीं देगा। इंदिरा बॉंड, एन०टी०पी०सी० बॉंड इत्यादि में भी ऐसा ही है अन्यथा यदि वे कर मुक्त न हो तो कोई भी इसमें पूंजी निवेश नहीं करेगा। इसके बाद यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने भी यही रास्ता अपनाया वित्त मन्त्री जी इस बारे में जानते हैं। उत्पादों की लागत में मुद्रास्फीति का एक कारण यह है कि स्वयं मुद्रा लागत में ही वृद्धि हो रही है। मुद्रा लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आपको यह भी देखना चाहिए कि उत्पादक कार्यों के लिये और उद्योगों के लिये जो धन उधार लिया जाये वह कम ब्याज दरों पर हो। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये जो धन उधार दिया हो, उसकी ब्याज की दर कम होनी चाहिए। इस समय ब्याज की दरें बहुत अधिक हैं। मैं बैंकों के बारे में फुल नहीं बोलना चाहता क्योंकि कोई बैंकों के बारे में बोलना चाहे तो बोलता ही रह सकता है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि ऐसा कोई प्राथमिक क्षेत्र होना चाहिये जो कम ब्याज दर पर दे। पैसों की पूर्ति को नियन्त्रित करने के लिये जो एस०एल०आर० अनुपात है वह 38 या 39 प्रतिशत है। इसलिए वे पैसा नहीं बना पा रहे हैं। अन्य बैंकिंग संस्थानों को भी यदि बैंक पैसा देता है तो वे 22 से 24 प्रतिशत की दर से ब्याज लेती है। उत्पादन कार्य हेतु ब्याज की दर को कम करना एक मामला है। मैं बस यही कहना चाहता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको अस्थिरता पर भी नियन्त्रण रखना चाहिये।

श्री मुरली देवरा : कुछ क्षेत्रों के मामले में न कि सभी क्षेत्रों के मामले में लिक्वीडिटी पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिये।

इस समय हमारे पास एफ०सी०एन०आर० तथा एन०आर०आर०ए० स्कीमों में एन०आर०आर०ई० के 20,000 करोड़ रुपये जमा हैं। मैं आपका ध्यान आर्थिक सर्वेक्षण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एन०आर०आर०ए० के तहत अप्रवासी के खातों में यदि पैसा भारतीय मुद्रा में जमा कराया गया है तो उसे डालर अथवा डी०एम० में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एफ०सी०एन०आर० विदेशी मुद्रा अप्रवासी खात के रिजर्व के पैसों को आप विदेशी मुद्रा में ले सकते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए, आपने 25 मिनट ले लिये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये देश के सबसे सशक्त लॉबी के लिये बोल रहे हैं। हमें इनके विचार सुनने चाहिए।

सभापति महोदय : यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं इन्हें हमेशा अधिक समय दे सकता हूं।

श्री मुरली देवरा : मैं माननीय वित्त मंत्री से यही अनुरोध कर सकता हूं कि एफ०सी०एन०आर पर ब्याज की दर ज्यादा होनी चाहिए। पहले अन्तर था। परन्तु अब कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। सन् 1985 में 3819 करोड़ में से 2864 करोड़ रु० एन०आर०आर०ए० में था तथा एफ०सी०एन०आर० में केवल 955 करोड़ था। अब 1991 में एन०आर०आर०ए० में 7137 करोड़ है तथा एफ०सी० एन०आर० में 13400 करोड़। यह इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि तीन वर्ष की समयावधि के बाद वे अपना रुपया वापस ले सकते हैं। डालर जिसकी दर 17 रुपये थी, जब आप वापस देंगे यह 22 रुपये आएगी अतः स्वाभाविक अवमूल्यन हो रहा है हालांकि सरकारी तौर पर अवमूल्यन नहीं हुआ है, यह दर में अन्तर रहने के कारण हो रहा है। इसलिये एफ०सी०एन०आर० के ब्याज की दर ज्यादा होनी चाहिए।

आज थोडा बहुत अन्तर है। लेकिन बाद में अन्तर बढ़ने की आवश्यकता, गुंजाइश तथा मामला हो सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि जो लोग एन० आर० ए० में पैसा जमा करा रहे हैं उन्हें स्थानीय जमाकर्ता को ब्याज की दर दी जाती है वही दी जानी चाहिए हमें अनिवासी भारतीयों को एफ०सी०एन० आर० योजना के बजाय एन० आर० आर० ए० योजना में पैसा जमा कराने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। क्योंकि आप आश्वस्त हो जाएंगे कि इन लोगों के विश्वास पर जरा भी कुछ अन्तर आयेगा तो भी लोग सारा पैसा निकाल लेंगे यहां पर एक रुपया भी नहीं रहेगा।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : वह भी परिवर्तनीय है।

श्री मुरली देवरा : वे लोग एन०आर०आर०ए० में जमा पैसे को निकालने में हिचकिचायेंगे क्योंकि वह रुपया नयी समता दर पर परिवर्तनीय है। एफ०सी०एन०आर० में जमा किया गया पैसा भी परिवर्तनीय है तथा वे लोग यदि ऐसा होगा तो शीघ्र ही अपना पैसा निकाल लेंगे।

श्री मनमोहन सिंह : वह भी परिवर्तनीय है।

श्री मुरली देवरा : ये नई कीमतों पर परिवर्तनीय है। वे लोग अपने पैसे में से 20 से 21 प्रतिशत खोयेंगे। मैं इस बारे में ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। मुझे विश्वास है कि आपके पास है क्योंकि जिन लोगों ने 1985 में पूंजी निवेश किया है उन्हें नुकसान हो रहा है क्योंकि 1985 में डालर की दर 14 या 15 रुपये थी तथा आज की सरकारी दर 25.52 रुपये है। अतः मेरा सुझाव है कि इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिये।

सभापति महोदय : देवरा जी कृपया समाप्त कीजिये।

श्री निर्मला कान्ति चटर्जी : महोदय, यह तो पूरे देश को समाप्त करना चाहते हैं।

श्री मुरली देवरा : हालांकि आयात तथा निर्यात की दरों में अवमूल्यन हुआ है, परन्तु एस०टी०

[श्री मुरली देवरा]

सी० तथा एम०एम०टी०सी० अब भी देश के आयात को तथा निर्यातकों पर ज्यादती कर रही है। सभी लोगों ने इस मामले को उठाया। आडवाणी जी न्यूजप्रिंट आयात पर तीन बार बोले। क्या आपको पता है कि न्यूजप्रिंट का संकट क्यों आया? यदि इसका माध्यम एस०टी०सी० न होता तो यह समस्या ही नहीं आती। सरकार को काफी नुकसान हुआ। ऐसी और कई चीजें हैं जैसे फिल्म की 'रोल'। एक दिन श्री सुनिल दत्त जी कह रहे थे कि फिल्म के 'जम्बो रोल' का माध्यम भी एस०टी०सी० है। इसका समाधान यही है कि इसका विकेन्द्रीकरण किया जाये। आप एस०टी०सी० तथा एम०एम०टी०सी० से यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वे यह बताये कि विश्व में कौन-सा सबसे अच्छी न्यूजप्रिंट उपलब्ध है इसकी कीमत क्या है, रोल की लम्बाई क्या है जोकि हमारे अखबार उपयोग में लाते हैं आदि-आदि यह उन्हें मालूम करना सम्भव नहीं है, अतः कृपया उसे विकेन्द्रित कर दे।

जब वी०पी० सिंह सत्ता में थे तब मुझे बताया गया कि एम०एम०टी०सी० ने 'कुदरेमुख' लौह अयस्क, जिसमें सबसे ज्यादा अयस्क पाया जाता है, का 6 मिलियन टन का अनुबन्ध बिना किसी शर्त के किया है मैं, आपको कहना चाहता हूं कि मैं खुद जापान तथा अन्य देशों से चीजें खरीदता हूं तथा प्रत्येक वस्तु के तीव्रीकरण की शर्त उत्तम रहती है विशेषकर जिनकी वितरण अवधि ज्यादा लम्बी होती है। कोई भी देश खदान के उत्पादकों को इतनी ज्यादा मात्रा में इतने वर्षों तक निश्चित कीमत पर देने के लिये अनुबन्ध नहीं कर सकता है। हमारी खुद की स्टील मिलें अच्छे लौह अयस्क के लिये तरस रही हैं। मैं यही कसना चाहता हूं कि मामले की जांच की जाये।

यदि किसी पार्टी ने 60 लाख टन लौह अयस्क का निर्यात किया था जिसकी कीमत अत्यधिक है तो उन्हें इसकी भी जानेकारी होगी कि इससे कैसे बाहर निकलें।

अब, हम जापान से इस्पात का आयात कर रहे हैं और वे अधिक कीमत ले रहे हैं। क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम यह नहीं कह सकता कि वे परिवर्तित कीमत अदा करेंगे। यह संविदा लोह अयस्क के इस्पात में परिवर्तन पर होना चाहिये था।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : मेरे विचार से यह समझौता उस समय हुआ था जब कांग्रेस सत्ता में थी।

श्री मुरली देवरा : नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आज इसका पता लगाया है।

श्री ई० अहमद : फिर भी सरकार को इसे पुनरुज्जीवित करने का पूरा अधिकार है।

सभापति महोदय : श्री देवरा, कई वक्ता हैं और मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि आप अपने समय से अधिक बोल चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त कर दीजिये, अन्यथा आपके दल के दो या तीन सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिलेगा।

4.00 म०प०

श्री श्रीकान्त जेना : आप ऐसे व्यक्तियों को क्यों नहीं लाते जिनको संविदा दिया जा सकता है?

श्री मुरली देवरा : मेरे पास कोई संविदा नहीं है। मैंने इसमें बाद में कुछ समाचार-पत्रों में पढ़ा था।

सभापति महोदय : श्री जेना, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये। उसमें व्यवधान न डालिये।

श्री मुरली देवरा : अतः मेरा तर्क यह है कि खनिज और धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम की भूमिका कम की जानी चाहिये। 60 लाख टन लौह अयस्क के निर्यात की जांच की जानी चाहिये। कीमतें अत्यधिक कम हैं।

कल, आपने कई उपायों की घोषणा की थी। आप एक उपाय की घोषणा करना भूल गये थे और वह मूल्यह्रास की दर के सम्बन्ध में है। जब उद्योग कोई पूंजी उपस्कर लगाती है, तो स्वदेशी उपस्कर अपूर्तिकर्ताओं के लिये कुछ वरीयता होती है। आप सोच रहे हैं कि आपने पहले ही उन पर अध्यधिक कर लगा दिए हैं।

सभापति महोदय : श्री देवरा, आप सभापति के माध्यम से सदन को सम्बोधित करें। यदि आप वित्त मन्त्री से बात करना चाहते हैं, तो आप उसके चैम्बर में जा सकते हैं और बात कर सकते हैं।

श्री मुरली देवरा : महोदय, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं। (**व्यवधान**)

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि स्वदेशी उपस्करों के लिए मूल्य ह्रास की दर अधिक होनी चाहिए। उनको स्वदेशी उपस्कर निर्माता से खरीदने के लिये उद्योग को प्रोत्साहन होना चाहिए। इसमें उनको बढ़ावा मिलेगा अन्यथा कॉलगेट जैसी अधिक लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियां उपस्करों को बनाने के लिए स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा उपस्करों को खरीदने के लिए अब कीमतें देती रहेंगी।

हाल ही में, रूस में घट रही घटनाओं पर कई सम्पादकीय आए हैं। रुबल-रुपए समानता का उदाहरण लें। रूस के लोग, सोवियत संघ की सरकार हमारी स्वतन्त्रता के बाद कई वर्षों से हमारा साथ दे रही है। अब हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन रुपये-रूबल दर की पुनरीक्षा के लिये एक मामला है आप रुपये-रूबल की सरकारी दर 30 : 1 है। मैं बाजार दर नहीं देना चाहता। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया आम व्यक्तियों के लिए एक शब्द कहें और भारत के लिए भी एक शब्द कहें।

श्री मुरली देवरा : इससे आम लोगों और देश को भी सहायता मिलेगी। साठ प्रतिशत रक्षा उपस्करों का सोवियत संघ से आयात किया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि हम अधिक धन न गंवाएं। रुपये-रूबल दर पर कोई निर्णय किया जाना चाहिए। क्योंकि रूस की नई सरकार यह सुनिश्चित करना चाहेगी कि उनका निर्यात दुर्लभ मुद्रा, जैसेकि डालर, डयूशमार्क आदि में किया जाए। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में क्या हो रहा है? हम जर्मनी, इंग्लैंड और अमरीका से आयात कर रहे हैं। वे मूल्य का 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत जोड़ रहे हैं उनका रूबल क्षेत्रों में निर्यात कर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इसकी जांच करें ताकि देश को कोई धन न गंवाना पड़े।

मैं नई औद्योगिक नीति में घोषित विनियमिन को समाप्त करने के उपायों का वास्तव में स्वागत करता हूं। लेकिन वे हमारी अर्थव्यवस्था की केवल चार विशिष्ट प्रणालियों में लागू किए गए हैं— आयात-निर्यात नीति, लाईसैंसिंग, एम०आर०टी०पी० और विदेशी निवेश। लेकिन कई अन्य आर्थिक गतिविधियों को अब भी छोड़ दिया गया है। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री उसकी ओर भी ध्यान देंगे।

एक क्षेत्र जिसको माननीय वित्त मंत्री ने अभी तक उदारीकरण के लिए नहीं लिया है, वह

[श्री मुरली देवरा]

आवास क्षेत्र है। उन्होंने उसमें कतिपय प्रोत्साहन दिए हैं। मैं उसके साथ सहमत हूं। आपको आवास क्षेत्र को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक बढ़ावा देना चाहिए। वास्तविक वस्तु जो मार्ग में आ रही है, वह शहरी भूमि सीमा है, किराए और अन्य स्थानीय समस्याओं के संबंध में कानून हैं महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, कि शहरी भूमि सीमा को, जिसमें शहरी क्षेत्रों में यहां तक कि अपने लक्ष्य के आधे प्रतिशत को भी प्राप्त नहीं किया है, या तो इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए या यदि आप इसे समाप्त नहीं करना चाहते तो कम से कम आप इसमें संशोधन करें ताकि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के शहरी समूहों में विकास के लिए भूमि उपलब्ध की जा सके।

उस भूमि पर 600 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर की फ्लैटस बनाई जा सकती है। आज भूमि का एक बड़ा टुकड़ा शहरों में उपलब्ध है, लेकिन शहरी भूमि विकास प्राधिकरण से स्वीकृति के अभाव में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।

हमारे पास काफी मात्रा में लौह अयस्क है, लेकिन फिर भी हम इस्पात का आयात करते हैं; हमारे क्षेत्रों में काफी मात्रा में तेल और गैस उपलब्ध है, लेकिन हम फिर भी 200 लाख टन तेल के आयात पर 10800 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। क्यों? हमें एक निर्णय करना है। इस देश में संसाधन की सबसे बड़ी समस्या है; हमारे पास धन नहीं है। हमारे समक्ष विकल्प यह है कि हम विदेशियों को अनुमति दें; क्या बड़ी कम्पनियों को अनुमति दें; क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों बड़े घरानों को, फेरा या गैर फेरा या भूतपूर्व फेरा को अनुमति दें या इसका आयात करें। हमें इसका चुनाव करना पड़ेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां उपस्थित हैं। 1980-81 में, हम 220 लाख टन सीमेंट का उत्पादन करते थे। सीमेंट का सरकारी मूल्य 16 रुपये प्रति बोरा था। बाजार मूल्य, मुम्बई बाजार, समस्त भारत में 61 रु० प्रति बोरा थी। सरकार ने क्या किया? सरकार ने सीमेंट से नियन्त्रण हटा दिया। 16 रुपये प्रति बोरे की सरकारी कीमत को हिसाब में लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। ए० सी०सी० सरकारी तौर से इसे 16 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से बेच रही थी। इसका क्या परिणाम हुआ? वे कर अदा कर रहे थे; वे समेंट संयंत्रों के विस्तार के लिए कुछ धन प्राप्त कर सके थे।

आज, हम 47 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं। पहले सीमेंट उत्पादन के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं थी। पूर्व में, सीमेंट के उत्पादन की अनुमति किसी को भी नहीं थी। ऐसा करके हमने समाजवाद को किस तरह छोड़ दिया था? आज हम 47 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं। परन्तु सीमेंट का उत्पादन कौन कर सकता है? मैं सीमेंट का उत्पादन नहीं कर सकता। एक मिलियन टन सीमेंट उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करने में 130 करोड़ रु० की लागत आती है। केवल टाटा, बिड़ला या बहुराष्ट्रीय अथवा विदेशी कम्पनियां या फिर उन्हें आप जो भी कहें, ही सीमेंट का उत्पादन कर सकती हैं। आज यदि, एक बोरी सीमेंट की कीमत 100 रु० या 90 रु० है तो इसलिए कि हम 47 मिलियन टन सीमेंट उत्पादित कर रहे हैं. यदि हम 42 टन सीमेंट उत्पादित करते होते तो आज यह कीमत 300 रु० प्रति बोरी होती। मैं दावा करता हूं इस बात का। यह एक मामला है, यह उदारीकरण का एक उदाहरण है। हमें सीमेंट के उदाहरण पर सोचना है; हमें लौह अयस्क के उदाहरण पर सोचना है। हमने टाटा को उनकी उत्पादन क्षमता में एक मिलियन टन की वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी है। हमने नौ वर्षों में कितने टन इस्पात का निर्यात किया है। वे दस वर्ष पूर्व, पांच वर्ष पूर्व अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना चाहते थे।

देश को अवश्य ही प्रगति करनी चाहिए; और देश केवल उदार गतिशील आर्थिक नीति के साथ ही प्रगति करेगा, जो आपने शुरू की है और आपको यह नीति जारी रखनी चाहिए ।

श्री तरित वरण तोपदार : सभापति महोदय, वित्त मन्त्री के बजट भाषण से हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत धुंधली तस्वीर नजर आती है, जो कि एक वास्तविकता है । हमें पता है कि ऐसा वित्त तथा वित्तीय नीति के क्षेत्र में गलत नीतियों तथा प्राथमिकताओं के बारे में असंतुलन एवं संसाधनों को जुटाने के प्रति अपर्याप्त तथा असमान दृष्टिकोण के कारण हुआ है जिससे आज यह स्थिति पैदा हो गई है । हम संकट में हैं क्योंकि उन्होंने इसे आर्थिक नीति के नाम पर विखण्डित कर दिया है; उन्होंने उसे भी विखण्डित कर दिया है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए किया था । हममें पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों को लेकर मतभेद थे । अब भी हम उन नीतियों से असहमत हैं। यही कठिनाई है । हमारे साथ वही समस्या और कठिनाई है । हमारे देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को नए-उपनिवेशवाद के शिकंजे में जकड़े जाने से रोकने के लिए लम्बे समय तक किसी नीति का अनुसरण किया और अब, नई आर्थिक नीति की कृपा से यह वास्तविकता बन गई है ।

इस बात से हमें पुनः कठिनाई हो रही है कि नए मंत्रालय ने अपने पूर्वाधिकारियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है कि ये सभी संकट तथा समस्यायें पिछली सरकारों द्वारा अनुसरण की गई नीतियों के परिणाम है, यद्यपि पिछली सरकारें इसके लिए दोषी भी नहीं थीं ।

इस विधेयक में, सरकार ने करों पर लेवी लगाने अथवा मौजूदा कर ढ़ांचे में सुधार करने अथवा मौजूदा ढांचे को उस अवधि की सीमा के बाद भी जारी रखने, जो पूर्व में संसद द्वारा स्वीकृत की गयी थी, का प्रस्ताव किया है ।

मैं देखता हूं कि कृषि क्षेत्र में सरकार का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है । मैं वित्त मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पांच प्रतिशत हमारे ग्रामीण लोगों का 50 प्रतिशत भूमि और इसके उत्पादन पर नियन्त्रण है । निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के लोग तथा यहां तक कि उच्च आय वर्ग के लोगों, जो वेतनभोगी हैं, को भी कराधान के क्षेत्र में रखा गया है । वे इससे बाहर नहीं जा सकते हैं । लेकिन सीमा केवल 22,000 रु० की है । मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसकी पुनरीक्षा करे तथा यह देखें कि क्या इसे बढ़ाया जा सकता है ।

सभापति महोदय : क्या आप यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि आयकर की सीमा कितनी बढ़ाई जाए ?

श्री तरित वरण तोपदार : नहीं । मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इस पर चर्चा की जा सकती है ।

श्री तरित वरण तोपदार : जी हां, आमने-सामने बैठकर इस पर चर्चा की जा सकती है । मैं कोई सुझाव नहीं देता हूं ।

श्री मुरली देवरा : आमने-सामने बैठकर क्यों ? आप सुझाव दे सकते हैं ।

श्री तरित वरण तोपदार : मेरी सलाह है कि ये पांच प्रतिशत लोगों, जो ऐसी जमीन पर एकाधिकार रखते हैं, को कराधान की सीमा में लाना चाहिए । उन्हें अवश्य ही आयकर देना चाहिए । अभी तक ऐसा नहीं किया गया और हम देखते हैं कि प्रस्ताव में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है अथवा इसकी लेशमात्र चर्चा भी नहीं की गई है ।

[श्री तरित बरण तोपदार]

प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में, सर्वप्रथम, और सर्वप्रमुख बात यह है कि, भारत सरकार ने बार-बारकाले धन के स्वामियों को अपने काले धन की घोषणा करने का एक अवसर दिया है। 1950 में, तत्कालीन वित्त मन्त्री, श्री त्यागी ने कालेधन के स्वामियों को अपने काले धन की घोषणा करने के अन्तिम अवसर की घोषणा की थी और उसके पश्चात बाद के वित्त मंत्रियों ने लगभग प्रति वर्ष काले धन के स्वामियों को अपने काले धन की घोषणा करने के लिए अन्तिम अवसर के रूप में राजक्षमा की घोषणा की है। कई अन्तिम अवसर दिए जाने के बावजूद हमने देखा है कि काले धन का पता नहीं लगाया जा सका, बल्कि उल्टे काले धन में वृद्धि हुई। उन्होंने केवल एक नगण्य योग, जिसे इन काले धन के स्वामियों ने अपने लिए सुविधाजनक समझा, की घोषणा की, और वे खुले रूप में सरकार के सामने विभिन्न क्षेत्रों में अन्य अधिकाधिक लाभ अर्जित करने के लिए आए, जिससे उन्होंने पुनः काला धन कमाया।

महोदय, वित्त मन्त्री ने अपने भाषण के 6 वें पैराग्राफ में गम्भीर परिणामों की धमकी दी है और अगले पैराग्राफ में उन्होंने काले धन को प्रकट करने की योजना की बात की। मुझे डा० सिंह को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम उन्होंने प्रो० कालडोर का नाम तो याद किया। प्रो० कालडोर द्वारा कराधान तथा हमारी अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं के बारे में दिए गए सुझावों को दर किनार करते हुए वित्त मन्त्री ने लोगों से कहा कि वे उस उचित समय का इंतजार करें जब वह प्रो०कालडोर के विचारों को क्रियान्वित करने में सक्षम होंगे। लेकिन वह लोगों पर अधिकारिक कारोपण की बात बताना नहीं भूले। मैं उनके भाषण का पैरा 87 उद्धृत करता हूं वह कहते हैं कि—

> "परिस्थितियों के अधीन जो कुछ मैं उत्कृष्ट रूप में कर सकता हूं वह है जो मैं इस वर्ष करने का विचार रखता हूं : वैयक्तिक आयकर दर की स्थिति, जिसमें अतिरिक्त कर भी शामिल हो, में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मैंने करदाता के बोझ में कोई नई वृद्धि नहीं की है जो कि स्वयं में एक राहत है।".

आधिकारिक करारोपण से तात्पर्य मेरा उपरोक्त कथन से है जो भारत के लोगों पर अल्प मत सरकार के माननीय वित्त मन्त्री के रूप में रहा है।

वेतनभोगी लोग कर चोरी नहीं करते हैं। बड़े औद्योगिक घराने ही कर की चोरी करते हैं। डा० सिंह काले धन के स्वामियों से, यदि वे खुश हों तो, समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रोफेसर कालडोर ने कहा कि तीन धुरंधरों, श्री पी०वी० नरसिम्हाराव, श्री मनमोहन सिंह और श्री पी० चिदम्बरम ने नेहरू जी द्वारा स्थापित आर्थिक नीतियों की नींव को एकदम हिला दिया है। अवमूल्यन और अन्य नीतियों द्वारा यह कार्य किया गया है। उन्होंने हमारे देश की हालत ऐसी दयनीय बना दी है कि हमें विदेशों पर निर्भर करना पड़ रहा है और विदेशों में भारतीयों द्वारा कमाए गए काले धन की धोखाधड़ी हो रही है।

[हिन्दी]

यह नहीं मालूम किसका मनमोहन है। एन०आर०आई० और फारेन फाइनांस कैपीटल का, किसका मनमोहन है, यह समझना मुश्किल है।

[अनुवाद]

अल्पमत सरकार ने जनता और संसद की सलाह के बिना और देश में चुनाव सम्बन्धी तथा अन्य

स्थितियों का लाभ उठाकर यह कार्य किया है। यह एक निकृष्ट सत्तावाद के साथ-साथ एक प्रकार से ब्लैकमेल करना भी है। उन्होंने एक नई औद्योगिक नीति और नई वित्तीय नीति, नई आयात-निर्यात नीति की घोषणा की है और उन कई बातों को छोड़ दिया है, जो हमारे देश में विद्यमान रही हैं। उन्होंने किसी भी सदन को विश्वास में नहीं लिया और उन्होंने जनता के समक्ष अपना प्रस्ताव संसद के जरिए नहीं रखा।

अवमूल्यन से लेकर आयात-निर्यात सम्बन्धी नीति की मूल आर्थिक नीति में, जिसमें औद्योगिक नीति भी शामिल है और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के मूल्यांकन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के विचारों में काफी सामंजस्य है। जो हमारी अर्थव्यवस्था और राज्य विकास के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है।

शब्द जाल और ज्यादा अपेक्षाओं के कारण देश नई आर्थिक और वित्तीय नीतियों द्वारा बंध गया है और अपने भाषण में महिमापूर्ण अथवा प्रभावी कथन शैली का प्रयोग करते हुए डा० सिंह ने किसी एक भारतीय एंटोनी को मात करने और अपनी वाकपटुता द्वारा जनता को बहकाने का प्रयत्न किया किन्तु वे जनता के प्रति अपनी अभिरुचि दिखा नहीं पाए।

एक पैरे में उन्होंने लिखा है :

> "शर्त लगाने वालों को अब दौड़ से प्राप्त आय को सरकार के साथ बांटने का सुख भी मिलेगा।"

सभापति महोदय : वित्त मन्त्री के भाषण में जो विनोद और परिहास है क्या आप उसका आनंद उठा रहे हैं ?

श्री तरित बरण तोपदार : मैं जुए की सराहना कर रहा हूं। महोदय, वे वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करने में सक्षम नहीं रहे हैं। उन्होंने जनता को अच्छे दिनों का इंतजार करने को कहा है। दूसरी ओर, मैं कहना चाहता हूं कि कर सम्बन्धी प्रस्तावों में नया कुछ नहीं है। यदि आप बजट पर सरसरी दृष्टि डालें, यदि आप इस वर्ष की, पिछले वर्ष की और उसके पूर्ववर्ती वर्ष की 'फ्लो-शीट' को देखें जहां यह दिखाना गया है कि रुपया कहां से आता और जाता है, तो आप बहुत कम अन्तर पाएंगे। इसीलिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि इन कर सम्बन्धी प्रस्तावों में जनता शुरू से ही फंसी हुई है। इसमें नया कुछ नहीं है। बड़े लोगों को पूरी छूट है। यह भी शुरू से ही है। पाप कहीं और किए जाते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही यह एकीकरण और खर्च के क्षेत्र में रहा है। अब यह औद्योगिक नीति के क्षेत्र में वित्त सम्बन्धी नीति के क्षेत्र में, पूंजी और धन बाजार से निपटने के क्षेत्र में, निर्यात और आयात संबंधी नीति के क्षेत्र में किया जा रहा है। इन नीतियों के कारण वही कुछ हो रहा है जिसको हमारी पार्टी लगातार बताती रही है कि दिवालिया कर देने वाले पूंजीवाद पथ से एकाधिकार और उपनिवेशवाद के खतरे को बढ़ावा मिलेगा।

अब, महोदय हम इस खतरनाक स्थिति के दहलीज पर खड़े हैं जो हमारे देश की प्रभुसत्ता और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगी। भुगतान संतुलन में इस अधम स्थिति के लिए किसे दोषी ठहराया जाये ? भाषण में वर्ष का भी उल्लेख होना चाहिए कि किसके शासन में सर्वाधिक भुगतान संतुलन बनाया गया उसका उल्लेख नहीं हुआ है। बड़े दुख की बात है कि हमारे वित्त मंत्री यह उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि 2984-89 के दौरान यह सबसे अधिक था जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की सरकार थी। हम

[श्री तरित वरण तोपदार]

गम्भीर रूप से चिंतित हैं कि हमारा देश, संसद और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें क्या हैं। क्या हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेश पर रुपए का अवमूल्यन किया है? एक साक्षात्कार में डा० सिंह ने उत्तर दिया कि पहली बार अवमूल्यन इसलिए किया गया था क्योंकि विदेशी मुद्रा के भंडार खाली हो गये थे। तब उन्होंने यह दोबारा किया। ऐसा दो बार क्यों किया गया, मैं नहीं जानता। उन्होंने विस्तार से बताया कि समाचारपत्र के एक शीर्षक ने पूरे देश के स्टाक बाजार में, धन बाजार में उत्तेजना पैदा कर दी थी।

सुबह जब हमने अखबार की सुर्खियां देखीं, हमें पता चला कि वह दफ्तर आए और स्टाक बाजार के खुलने से पहले ही एक और अवमूल्यन की घोषणा कर दी और कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया था।

जब रुपये का अवमूल्यन 20 प्रतिशत हुआ है तो इसका अर्थ है कि 100 करोड़ रुपये निर्यात की कीमत अब 120 करोड़ रुपये है। अतः जब हम रुपये में देखेंगे कि हमारा निर्यात 20 प्रतिशत बढ़ा है, तो इसका वास्तव में मतलब है शून्य; इसका वास्तव में कुछ भी मतलब नहीं है। इसलिये यही वह क्षण है जब हमें इसे राष्ट्रीय शर्मिंदगी के क्षण के रूप में समझना चाहिये। जिस उपनिवेशवाद के खतरे का आज हम सामना कर रहे हैं वह उससे कहीं अधिक गम्भीर है जिस पर वर्षों बाद स्वतन्त्रता आंदोलन और गुट-निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विजय प्राप्त की थी। हमारे दो नारे थे—पश्चिम के साथ चलने का प्रयास और 21वीं सदी की ओर अग्रसर होना। दोनों का अर्थ था बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशी तकनीक का थोक आयात।

इसका सबसे अधिक असर हुआ और इससे भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत बिगड़ गई। दूसरी ओर, अवमूल्यन के फलस्वरूप, मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि का अनुभव देश की जनता को पहले ही हो गया है। वह बढ़ते ही जा रहे हैं। यह घरेलू उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन पर प्रभाव डालेगा।

यह सब एक दिन में नहीं हुआ है। प्रौद्योगिकी हमेशा विदेशी नहीं रहती। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। वह अब हमारे लिये विदेशी नहीं रहा है। जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज की आजकल वह हमारे लिये पराया नहीं है कुछ वर्षों पूर्व, कम्प्यूटर हमारे लिये विदेशी प्रौद्योगिकी थी। अब हम विभिन्न देशों को मशीनों का निर्यात कर रहे हैं अतः मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि कैसे क्वांटम मशीनों के वैज्ञानिक सिद्धांत से ऐसा हुआ है। हम सभी यह देख सकते हैं कि पानी की बूंदें गिर कर निरन्तर जमा होती हैं और जब एक निश्चित मात्रा जमा हो जाती है तो नीचे की ओर गिरती हैं। यह वह मात्रा धीरे-धीरे प्राप्त होती है। जिसे हमने नेहरू के जमाने में सीखा था स्थिति बनी रहनी चाहिए। अब सुधारक बन गये हैं। परन्तु यदि कांग्रेस दल का कोई व्यक्ति उस पद पर होता, वह इस तरीके से ही काम करता क्योंकि यह उनके द्वारा शुरू की गई विकास प्रक्रिया के लिये अति आवश्यक है। हम देख रहे हैं कि, राजनैतिक दल और कुछ राजनीतिज्ञ, जिसकी अपने में आस्था नहीं रहीं उनका नौकरशाही, तकनीकी विदों तथा अन्य व्यवसायिकों, (नौकरशाही पद पर हैं) द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय दलों से सांठ-गांठ हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एकीकरण के नाम पर हम सब ऋण जाल में फंसे हैं जिससे हम निकल नही सकते। श्री मुरली देवरा ने संकेत दिया है कि विदेशी निवेश बहुत संभव है क्योंकि इससे हमारे देश में उनका स्वामित्व हो जाएगा। वह यह बताना भूल गये हैं कि हमारे देश की

राजनैतिक प्रणाली के संचालन में भी उनका स्वामित्व होगा। यह वह खतरा है जिसका हम अब सामना कर रहे हैं।

अन्त में, मैं सुझाव के रूप में वित्त मन्त्री महोदय से दोबारा निवेदन करूंगा कि वह हमारे पश्चिम बंगाल के अनुभव से कुछ अनुभव लें। गम्भीर प्रवृत्ति राजनीति से प्रेरित राजनीतिज्ञ और राजनैतिक दल यानि कि कांग्रेस दल के अभाव में भी पश्चिम बंगाल भूमि सुधार और लोकतांत्रिक राजकी आधारशिला पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपेक्षित स्तर तक विकसित करने में सक्षम रहा है। पूर्वी प्रांतों के राज्य—बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और अन्य राज्य भी इसके लिए उत्सुक हैं वह भी पूछ रहे हैं कि यदि पश्चिम बंगाल ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं ? अब पश्चिम बंगाल प्रतीक बन गया है जो समूचे भारत में लोगों को प्रेरित करेगा कि किस प्रकार स्वतन्त्र होना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे विकसित होना, तथा किस प्रकार नौकरशाही तंत्र पर निर्भर नहीं रहना है।

सभापति महोदय : अब कृपया आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा।

श्री तरित वरण तौपदार : इस मामले में मैं, माननीय वित्त मन्त्री से सहकारी आंदोलन, पंचायती राज और मूलभूल सुधारों पर विशेष ध्यान देने के लिए अनुरोध करूंगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भारत की जनता का आह्वान करें और केन्द्रमें सत्तारूढ़ दल से मैं आग्रह करता हूं कि वह मूल अधिक मुद्दों पर और तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के विश्लेषण पर भाजपा की ओर अधिक प्रवृत न हो कृपया भारत की जनता पर भरोसा करें और वास्तविक भूमि सुधार के लिए भारत की जनता का आह्वान करें तभी हम स्वावलम्बी बन सकते हैं। यदि हमारा आधार स्तंभ शक्तिशाली होगा तभी हम अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में सम्मानपूर्वक अपना योगदान दे सकते हैं यह मजबूत आधार सही भूमि सुधार के द्वारा ही, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, स्थापित किया जा सकता है।

डा० सिंह ने कहा था कि ये दीर्घकालिन नीतियां हैं और अब उनके थैले खाली हैं। लेकिन केवल देश को बेच डालने का विकल्प ही हमारे पास नहीं है। खर्चों में कमी लाने के अन्य विकल्प भी थे। एक आदेश पारित करके वे केन्द्रीय और राज्य सरकार के मोटरकार के खर्च में 25 प्रतिशत तक की कमी ला सकते थे। वे एक अन्य आदेश यह पारित कर सकते थे कि रेलवे में डीजल इंजनों को हटा दिया जाएगा और रेलवे के विकास हेतु केवल भाप इंजनों अथवा विद्युत इंजनों का ही उपयोग किया जाएगा। रेलवे के विकास के बजाय हम मोटर-कार उद्योग का विकास कर रहे हैं जो आयात बिल में वृद्धि करता है। मेरे कहने का यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विदेशी वित्तीय पूंजी जिनमें अनिवासी भारतीय भी सम्मिलित हैं, हमारे पास शीघ्र अपनाए जाने वाले अन्य उपाय भी थे।

श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी (ओंगोले) : सभापति महोदय, मैं आपको मुझे इस सम्मानीयसभा में अपना प्रथम भाषण देने हेतु अवसर प्रदान किए जाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, देश में विद्यमान चिन्ताजनक आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें वास्तव में अपने माननीय वित्त मंत्री महोदय को विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने में उनके नेक प्रयासों के लिए मुबारकबाद देना चाहिए और मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं आपके द्वारा विचार करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

जैसाकि आपको पता है कि 1965 से 1970 तक आयकर की दर 87.5 प्रतिशत और धनकर की दर 15 प्रतिशत एवं यह कुल मिलाकर 102.5 प्रतिशत थी। चूंकि आयकर की दर इतनी

[श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी]

अधिक थी कि कोई भी नागरिक 102.5 प्रतिशत कर देने के लिये इच्छुक नहीं था जिसका परिणाम कर-अपवंचन और देश में काला धन पैदा हुआ।

उपरोक्त अवधि के दौरान करों की ऊंची दरों के परिपेक्ष्य में, सरकार ने काला-धन पैदा करने के लिए एक मजबूत नींव डाली थी, जो अब एक आवश्यकता और एक आदत सी बन गई है एवं यह एक समानान्तर अर्थव्यवस्था बन चुका है।

हालांकि यह अनुमान लगाया गया है कि काला-धन 80,000 करोड़ रुपये है, तो भी सरकार को यह पता नहीं है कि यह सारी राशि नकद रोकड़ के रूप में नहीं है, बल्कि यह अन्य सम्पत्तियों के रूप में जैसाकि सेना, हीरे, चल और सम्पत्तियों के रूप में है। वर्तमान में, प्रकाश में आने वाली हर अपरिवर्तनीय सम्पत्ति में काला-धन सम्मिलित है। हर बेचने वाले को काला-धन मिलता है और हर खरीदार काले धन का भुगतान करता है।

काले-धन को सही बनाने के लिए माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने एक योजना लागू की है। जिसमें राष्ट्रीय आवास बैंक में धन जमा किया जाएगा और इस प्रकार जमा की गई राशि पर 40 प्रतिशत अधिभार लगेगा और बाकी राशि किश्तों में देय होगी। हो सकता है कि काले-धन से निबटने के लिए प्रस्तावित योजना के अपेक्षित परिणाम न निकलें। पूर्व में वर्ष 1980 और 1986 में सरकार ने धारक बांडों और स्वैच्छिक प्रकरन योजना लागू की थी। 80,000 करोड़ रुपए के अनुमानित काले-धन में से प्रत्येक योजना 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि को आकर्षित नहीं कर सकी।

इसलिए मेरे सुझाव यों हैं कि चूंकि काले-धन का 90 प्रतिशत सोना, हीरे, चल और अचल सम्पत्तियों के रूप में है, अतः सरकार को ऐसी नीति लागू करनी चाहिए जिससे सभी कर निर्धारिती और गैर-निर्धारिती अपनी सम्पत्तियों का सही मूल्य प्रकट कर सकें। सम्पत्तियों के सही मूल्य प्रकट करने हेतु, सरकार के पुनर्मूल्यांकित सम्पत्तियों की बिक्री पर से पूंजी लाभकर को समाप्त कर देना चाहिए। 12,000 करोड़ रुपए के आय-कर संचय में से, पूंजी लाभ-कर से प्राप्त होने वाला राजस्व 200 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा और यह काले-धन के परिचालन का सबसे बड़ा साधन है।

करदाताओं को अपनी परिसम्पत्तियों के सही मूल्य घोषित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए सरकार को धन-कर और उपहार-कर को भी समाप्त करना होगा। उपरोक्त दोनों करों से प्राप्त होने वाला राजस्व बहुत ही कम है इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए।

यदि पूंजी लाभ-कर और धनकर को समाप्त कर दिया जाता है, तो सरकार 80,000 करोड़ रुपए के काले-धन को एक वर्ष की अल्पाधिक परिचालन में लाने में सक्षम होगी। एक बार काला धन चलन में आ जाता है तो इससे आने वाले वर्षों में आय बढ़ेगी जो आयकर की नियमित दरों के अध्याधीन होगी। यदि 80,000 करोड़ रुपए का काला धन चलन में आ जाता है, और यदि यह 15 प्रतिशत आय भी अर्जित करता है, तो यह 12,000 करोड़ रुपए की आय में वृद्धि करेगा और इस पर कम से कम कर 4000 करोड़ रुपए होगा जो पूंजी लाभकर और धन कर राजस्व के दस गुणा के बराबर है। इस प्रक्रिया से, देश पूंजी लाभ कर और धन-कर को समाप्त करने से हुई हानि का 10 गुणा अधिक वसूल कर सकेगा और काले धन का परिचालन बन्द हो जाएगा।

आज सरकार ने, लम्बी अवधि के पूंजी लाभ पर पूंजी लाभकर में 50 प्रतिशत और की गई बिक्री को वित्तीय संस्थाओं में जमा करवाने पर पूंजी लाभकर में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की है। इसलिए,

काले धन के प्रचलन को समाप्त करने के लिए, सरकार को पूंजी लाभ-कर को समाप्त कर देना चाहिए और विभागीय तंत्र को जो फार्म 37(1) को जारी करने और अन्य सम्बन्धित कामों में लगा हुआ है, का बेहतर उपयोग करना चाहिए और भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए एवं कर निर्धारितियों की कठिनाइयों को दूर करना चाहिए।

अब यह सुझाव दिया जाता है कि आय की तुलना में पूंजीगत हानियों को जोड़ने की अनुमति न दी जाए बल्कि पूंजीगत हानियों को भविष्य में पूंजी लाभ के अन्दर समायोजन करने दिया जाए।

यह समस्या का उत्तर नहीं है। सरकार को अधिक जटिल प्रणाली लागू करते समय सावधान रहना चाहिए क्योंकि नियम को तोड़ने वाले भी समस्या पर काबू पाने में समान रूप से चालाक हैं। आज हमने पूंजी हानि को पूंजी हानियों के साथ ही समायोजन करने की योजना लागू की है। इसी तरह से, यदि सब्जी के व्यापार में हानि होती है तो हमें इसे केवल सब्जी के व्यापार में हुए लाभ से ही पूरा करना होगा। इसलिए, हम अपने आय-कर को उत्पादन के आधार पर लेते हैं अथवा सम्पूर्ण आय पर लेते हैं? सरकार प्रणाली को जितना जटिल बनाती है, नियम तोड़ने वाले उतने ही नए तरीकों की खोज करके इन पर नियन्त्रण पा लेते हैं।

सभी जटिलताओं से बचने के लिए और काले धन के चलन को समाप्त करने के लिए अच्छा ही है कि आय पूंजी लाभ-कर, धन-कर और दान-कर समाप्त कर दें।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि 23,000 करोड़ रुपए की परिचालित नकद राशि में से, लगभग 15,000 करोड़ रुपए की राशि हिसाब में ली गई है और बाकी की 8,000 करोड़ रुपए बिना हिसाब में ली गई राशि है। इस बिना हिसाब की 8,000 करोड़ रुपए की राशि को परिचालन में लाने हेतु, सरकार को काला धन रखने वालों को इस काले धन के प्रयोग से 800 से 1200 वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्र वाले छोटे मकान बनाने के अनुमति देने की योजना लागू करनी चाहिए। इस प्रकार बनाया गया घर जब बिक जाता है, तो बिक्री से प्राप्त धन को एक वर्ष की अवधि हेतु वित्तीय संस्थान में जमा कराया जाए और बाद में इस तरह से जमा किया गया धन मुख्य धारा में आ जाएगा। यह योजना लागू करके सरकार को दोहरे परिणाम मिलेंगे, नामतः मकानों की कमी की समस्या का समाधान होगा और इसके साथ काले धन का चलन भी समाप्त हो जाएगा। यदि सरकार काले धन के संकट का समाधान करने के प्रति गम्भीर है तो उपरोक्त दो सुझावों पर विचार किया जाए।

काले धन को समाप्त करने हेतु, निगमित क्षेत्र के लिए आयकर दर को 40 प्रतिशत एवं प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 30 प्रतिशत कर देना चाहिए। ऐसा करने से, काले धन को कमाने की प्रवृति समाप्त होगी। 1986 में भारत सरकार ने करों की दर में अत्यधिक कमी की थी फिर भी कर राजस्व में काफी वृद्धि हुई है। अतः कर दाताओं की संख्या में वृद्धि करने हेतु आयकर की दरों में कमी करने के लिए सरकार को साहसिक कदम उठाने चाहियें। इससे कर-राजस्व में वृद्धि होगी।

पिछले तीस वर्षों में देश में कर-चैंतरेबाज पैदा हुए हैं। अब समय आ गया है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग कर अदा करें। कर-अनुपालना, कर सम्बन्धी कानून का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तथा कर अपवचन को अनुचित कर-प्रणाली द्वारा बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए।

हमारा विगत राजस्व इतिहास बताता है कि 1989-90 के दौरान 11,700 करोड़ रु० की कर-वसूली में से 90 प्रतिशत निधरितियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अग्रिम कर एवं आय पर कर-कटौती तथा

[श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी]

स्वत: निर्धारण कर के रूप में दिया गया था तथा शेष 10 प्रतिशत विभागीय प्रवर्तन तन्त्र के अथक प्रयासों से वसूल किया गया था और प्रवर्तन तन्त्र पर 262 करोड़ रु० का खर्च आया।

वृहत स्तर पर प्रवर्तन तन्त्र से कर-दाताओं में भ्रष्टाचार और प्रताड़ना व्याप्त हो गई है। उदाहरण के लिए सरकार ने सदन में घोषणा की है कि आयकर के बकाया के रूप में 6,558 करोड़ रु० की राशि है। वृहत स्तर पर कर प्रवर्तन तन्त्र ने अपने अस्तित्व को जताने के लिए अनुचित और स्वैच्छिक मांगें उठायीं जिनमें से अधिकांश कानूनी रूप से खरी नहीं उतरती और अपने मुद्दे के समर्थन में मैंने वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया कि 1-4-90 को बकाया राशि की पुष्टि की जाये तथा उपरोक्त राशि में से 31-3-91 तक कितनी राशि वसूल की गई थी तथा वसूल की गई राशि, अनुचित और काफी अधिक मात्रा में वसूल न की जा सकने वाली मांगों को साबित करेगी। इससे पता चलता है कि हमारे कानून किस प्रकार से ईमानदार व्यक्तियों को बेईमान बनाते हैं। हमें इस इतिहास को बदलना होगा और कर-अनुपालन को सम्मानजनक बनाना होगा। वास्तव में कर-अनुपालन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए। कर कानूनों का सरलीकरण स्वैच्छिक भुगतान तरीकों के माध्यम से कर-अनुपालन को और अधिक सुगम बनायेगा। अत: विशाल विभागीय प्रवर्तन तन्त्र के स्थान पर हम एक छोटा और सक्षम संगठन बना सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य सोचते होंगे कि ईमानदार कर-दाताओं को वंचित किया जाता है, यदि मेरे सुझावों को लागू किया जाता है देश में आर्थिक विकास हेतु कभी-न-कभी तो इस काले धन की बुराई को समाप्त करना होगा।

अदायगी/वापसी पर ब्याज : कर निर्धारितियों को देय ब्याज में 18 प्रतिशत से कम करके 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है जबकि निर्धारितियों से वसूल किया जाने वाला ब्याज 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत है जो कि अनुचित है। देय एवं वसूल किया जाने वाला ब्याज दोनों ही समान होने चाहियें।

बैंकिंग-अशोध्य ऋण और निष्क्रिय खाते : प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक बी० आई० एफ० आर० का मामला बन गया है। परन्तु एकाउन्टिंग प्रणालियों में विन्डो ड्रेसिंग के माध्यम से सभी को व्यवस्थित बनाया हुआ है। एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि से निष्क्रिय खातों, यदि उन्हें अशोध्य ऋण और निष्क्रिय माना जाये, तो सभी राष्ट्रीयकृत बैंक दिवालिये हो जायेंगे और परिणामस्वरूप बैंकों में जमा-कर्ताओं का विश्वास खत्म हो जायेगा और पूरी बैंकिंग प्रणाली अर्थात् हमारी वित्त व्यवस्था की सम्पूर्ण संरचना तथा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था टूट जायेगी। बैंक और वित्तीय संस्थानों को कम से कम संसद के प्रति अपने बकाया ऋणों, समुचित कारणों से एक वर्ष से अधिक पुराने निष्क्रिय खातों को बन्द कर देना चाहिये और वसूली हेतु कदम उठाने चाहियें। यदि हम हाल ही में छपे समाचार-खबरों को देखें तो पायेंगे कि आठ प्रमुख बैंक घाटे में चल रहे हैं यदि उनके अशोध्य ऋणों को दृष्टिगत रखा जाये जो कि उनके खातों में दिखाये नहीं गये हैं। यदि आवश्यक हो तो इस सम्माननीय सदन को उपरोक्त जानकारी देने हेतु बैंकिंग विनियम अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहियें।

वित्तीय संस्थानों के मामले भी इसी प्रकार के हैं। वसूलियों एवं अनियमित खातों के सम्बन्ध में वित्तीय संस्थानों के प्रकाशित आंकड़े वास्तविकता के बजाय काल्पनिक ज्यादा हैं। तथाकथित उदारीकृत

औद्योगिक नीति में, उद्योगपति कुछ ही लोगों के हाथों में अर्थव्यवस्था केन्द्रित करने हेतु सार्वजनिक बचत को हटाकर बैंकों में अपने मुद्रास्फीति वाले एवं वृद्धिकारक औद्योगिक परियोजनाओं की भरमार कर रहे हैं।

बैंकिंग क्षेत्र, विशेषरूप में वित्तीय संस्थान प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और अन्य की मौजूदगी और व्यक्तिगत गारन्टी पर बल नहीं देते हैं। जिसके परिणामस्वरूप, उद्योग के शुरू होने से पूर्व ही यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह निश्चय ही रुग्ण ईकाई होगी। उद्योग में हानि होने से सम्बन्धित उद्योगपति समृद्ध हो जाते हैं और आर्थिक रूप से विकसित देशों के फायदे के लिए अनुचित ढंग से कमाये गये धन को लेकर विदेशों में चले जाते हैं।

चूंकि वित्तीय संस्थान अपनी ऋण राशि को वसूल करने की स्थिति में नहीं हैं, अब उन्हें आंशिक रूप में पूंजी निवेश रोकने पर जोर दिया जा रहा है। अत: मैं निम्नलिखित उपायों का सुझाव देता हूं :

1. वित्तीय संस्थानों द्वारा गारन्टी खण्डों को कठोरता से लागू करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उद्योगपति, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स तथा उनके नजदीकी सम्बन्धी इसमें शामिल हों।

2. निगमित ऋण का कम से कम 10 प्रतिशत, उद्यमियों से सम्बन्धित समानान्तर प्रतिभूतियों द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

3. छोटे उद्यमियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के मामलों में एक करोड़ तक की लागत की परियोजनाओं के सम्बन्ध में निगमित ऋण की उपरोक्त 10 प्रतिशत समानान्तर प्रतिभूति को माफ कर देना चाहिए। परन्तु अन्य गारन्टियां होनी चाहिएं।

4. ऐसे प्रमोटर्स जिनके उद्योग रुग्ण हो जाते हैं उनके नाम, आगे ऋण दिये जाने से रोकने हेतु काली-सूची में डाल देने चाहियें। कोई भी कम्पनी जो उन्हें ऋण देती है उसे भी काली-सूची में डाल देना चाहिए।

5. ऐसे बैंकिंग चेयरमैन और अन्य निदेशक जो इस प्रकार के निष्क्रिय खातों के लिए उत्तरदायी हैं, दोषी ठहराये जाने चाहियें और सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उन्हें सजा देनी चाहिए।

उपरोक्त सभी सुझाव उद्यमी की ऋण क्षमता देखने एवं उनमें डर पैदा करने हेतु बताये गये हैं और यह महसूस करने के लिए कि यदि वे एक बार भी बैंक को धोखा देते हैं तो उन्हें बैंक से भविष्य में ऋण नहीं मिलेगा जैसा कि अमरीका में होता है।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क : आयात नीति प्रतिस्पर्धात्मक आधारों पर स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने वाली होनी चाहिए न कि इसे कम करने वाली। इस प्रयोजन के लिए मूल नियम यह है कि आयातित कच्चे माल पर आयात शुल्क, तैयार माल पर लगे शुल्क की अपेक्षा कम होना चाहिए ताकि स्थानीय विनिर्माता कच्चा माल आयात कर सके तथा तैयार आयातित माल से प्रतिस्पर्धा कर सके। यदि कच्चे माल पर शुल्क तैयार माल की तुलना में अधिक होगा तो यह नीति अपने आप में ठीक नहीं होगी। इस प्रकार की नीति तैयार माल के आयात को प्रोत्साहन देगी तथा स्वदेशी उत्पादन को निरुत्साहित करेगी। इससे विदेशी मुद्रा की हानि होगी तथा साथ ही साथ स्थानीय क्षमता, गैर-किफायती व बेकार होगी। उदाहरण

[श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी]

के लिए पोलिस्टरीन पर शुल्क 55 प्रतिशत है तथा कच्चा माल, जो कि एथिल बेनजीन है, पर शुल्क 90 प्रतिशत है। आप उपर्युक्त से देख सकते हैं कि कच्चे माल पर शुल्क तैयार माल की तुलना में 70 प्रतिशत अधिक है। पोलिस्टरीन का स्थानीय निर्माता किस प्रकार आयातित पोलिस्टरीन से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अतः पोलिस्टरीन का आयात सस्ता तथा लाभप्रद है। अपने स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए तथ्य आयात को कम करने के लिए शुल्क नीति को ठीक करना होगा।

इसी प्रकार धर्मार्थ अस्पतालों के लिए 'होल बॉडी स्केनर' के आयात पर कोई शुल्क नहीं है। भारत में अधिकतर अस्पताल धर्मार्थ हैं अतः वे कोई शुल्क नहीं देते। इसीलिए वे स्केनर आयात करना पसन्द करते हैं।

इसके बिपरीत, स्थानीय विनिर्माता आयातित संघटकों पर 25 प्रतिशत शुल्क का भुगतान करते हैं तथा वे शुल्क मुक्त आयातित स्कैनरों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं।

इस प्रकार का अनियमित शुल्क ढांचे अथवा नीति का क्रियान्वयन राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा किया गया था तथा इसने हमारे स्थानीय उद्योग को पंगु बना दिया है तथा हमारी मूल्यवान विदेशी मुद्रा बाहर गई है। इस प्रकार की नीति के कारण हमें विदेशी मुद्रा उधार लेने के लिए अपने मूल्यवान स्वर्ण को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गिरवी रखना पड़ा है। अभी भी अधिक देर नहीं हुई है तथा यदि इस प्रकार की असंगति को ठीक कर लिया जाता है तो हम बहुत सी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं जिससे न केवल हमें अपना स्वर्ण वापिस लेने में सहायता मिलेगी अपितु साथ ही हम और अधिक स्वर्ण प्राप्त कर सकेंगे तथा अपनी मुद्रा को मजबूत कर सकेंगे।

भुगतान सन्तुलन : भुगतान सन्तुलन स्थिति में सुधार करने के लिए तथा विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने दो योजनाएं दी हैं।

पहली योजना में भारतीय नागरिकों को उपहार के रूप में विदेश से भेजी गई रकम शामिल है जिस पर उपहार कर नहीं लगेगा तथा उस व्यक्ति को कहां से यह उपहार मिला है इस सम्बन्ध में भी कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा।

दूसरी योजना भारत विकास बन्ध पत्रों कीं पांच वर्षों की अवधि की परिपक्वता पर उनकी विदेशी मुद्रा में बिक्री से सम्बन्धित है। दोनों योजनाएं 30 नवम्बर, 1991 तक वैध हैं।

मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि दोनों योजनाओं से वांछित परिणामों का 10 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं होगा। माननीय वित्त मंत्री ने सदन में इस बात का उल्लेख किया था कि यहां तक कि अनिवार्य वस्तुओं के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं है।

अतः मैं निम्नलिखित योजनाओं का सुझाव देता हूं जिनसे अप्रवासी भारतीयों द्वारा अर्जित लाभ को वापस न ले जाने के आधार पर 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होगी। हमारे देश में अनिवार्य वस्तुओं जैसे खाद्य तेलों, दालों आदि की बहुत अधिक कमी है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उपर्युक्त वस्तुएं आयात नहीं की जा सकती थी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरित नहीं की जा सकती थी जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए उपर्युक्त वस्तुओं की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई।

यदि अप्रवासी भारतीयों को लाभ वापस न ले जाए जाने के आधार पर उपर्युक्त वस्तुएं आयात करने की अनुमति दी जाती है, तब इस प्रकार की आयातित वस्तुओं का 50 प्रतिशत, भारत में पहुंचने की लागत पर, भारत सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए दिया जा सकता है तथा शेष 50 प्रतिशत वस्तुओं के लिए, अप्रवासी भारतीयों को अन्य स्थानीय उत्पादकों की तरह उसे खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जा सकती है। चूंकि अप्रवासी भारतीय अर्जित लाभ वापस न ले जाए जाने के आधार पर इन वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 40 प्रतिशत आयात कर छूट दी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय आवास बैंक चैनल के माध्यम से भारत सरकार ने 40 प्रतिशत की दर पर विशेष कर देकर काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने की घोषणा की है।

भारत में विदेशी मुद्रा के उपहार के रूप में प्रेषण के मामले में, भेजने वाले को 40 प्रतिशत विशेष कर का भुगतान नहीं करना होगा। अत: सरमार ने विदेशी मुद्रा के प्रेषण के सम्बन्ध में विशेष लेवी पर 40 प्रतिशत की छूट दी है।

अत: अप्रवासी भारतीयों को यदि अर्जित लाभ वापस न ले जाए जाने के आधार पर आयात करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में इसी प्रकार का निर्णय लिया जाता है तो 40 प्रतिशत की दी जाने वाली छूट उचित है।

यदि इसी आधार पर निर्णय लिया जाता है तो विदेशी मुद्रा का एक रुपया भी खर्चे बिना सरकार उपर्युक्त आयातित वस्तुओं का 50 प्रतिशत उपभोक्ता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए दे सकती है तथा शेष 50 प्रतिशत अप्रवासी भारतीयों द्वारा खुले बाजार में बेचा जा सकता है जिससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम हो जाएंगी।

स्वर्ण का आयात : यदि सरकार 1 कि०ग्रा० सोने पर 50,000 रु० का एकमुश्त शुल्क लगाने का निर्णय लेती है तो बड़ी मात्रा में लाभ वापस न ले जाए जाने के आधार पर अप्रवासी भारतीयों द्वारा सोना स्वदेश लाया जा सकता है। इस प्रकार सोने की तस्करी स्वत: नियन्त्रित हो जाएगी। सोने के मुक्त खुले तौर पर उपलब्ध होने के कारण भारत में सोने का विक्रय मूल्य कम हो जायेगा। अत: उपर्युक्त सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए।

यदि उपर्युक्त दो योजनाएं सफल होती हैं तो सरकार कुछ अन्य मदों, जोकि अप्रवासी भारतीयों द्वारा आयात की जा सकती हैं, के सम्बन्ध में विचार कर सकती है।

मेरा यह दृढ़ विचार है कि यदि उपर्युक्त दो योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं तो हमारे देश में 10,000 से 15,000 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा आएगी। इससे हमें अधिक ब्याज दर पर बाहर से ऋण लेने को कम करने में सहायता मिलेगी तथा बजटीय घाटे को भी कम करने में सहायता मिलेगी।

5.00 म० प०

उर्वरक : माननीय वित्त मंत्री ने उर्वरकों की कीमतों में 40 प्रतिशत की वृद्धि की है तथा व्यापक वाद-विवाद के बाद वे छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए 10 प्रतिशत कीमतें घटाकर 30 प्रतिशत तक करने के लिए तैयार हो गए हैं। किन्तु इस नीति को क्रियान्वित करते हुए सरकार ने छोटे तथा सीमांत किसानों से 30 प्रतिशत बढ़ी हुई दरों पर उर्वरक देने के निर्देश दे दिए हैं जिनकी आवश्यक

[श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी]

भूमिधारण प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। इस प्रकार की प्रणाली से बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, सरकार को राजस्व की हानि होगी तथा छोटे और सीमांत किसानों को बहुत अधिक कष्ट होगा। इस प्रकार की बोझिल प्रक्रिया के स्थान पर यदि सरकार समरूप से कीमतों में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लेती है तो उससे किसी को भी कष्ट नहीं होगा तथा किसानों को भ्रष्टाचार का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।

अतः कृपया मेरे इस सुझाव पर विचार किया जाये।

मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री रोशन लाल (खुर्जा) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक के बारे में मुझे बोलने की अनुमति दिए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं विधेयक की विभिन्न कमियों के सम्बन्ध में विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वित्त विधेयक के सम्बन्ध में अपना सामान्य भाषण प्रारम्भ करने से पहले मैं चर्चा अधीन विधेयक पर अपने वित्त मंत्री के निष्पादन के सम्बन्ध में अपनी निराशा व्यक्त करना चाहूंगा। ये देश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। किन्तु मैं नहीं जानता कि इस विधेयक को बनाने में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इतने लम्बे समय काम करने के अनुभव का प्रयोग क्यों नहीं किया। वे नौकरशाही की प्रक्रिया से बन्धे हुए प्रतीत होते हैं। मैं यहां उर्दू का एक शेर याद दिलाना चाहूंगा :

[हिंदी]

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतराये खून निकला।"

[अनुवाद]

विभिन्न असंगतियां नीचे दी जा रही हैं :

इसने गरीबों की, निम्न तथा मध्यम श्रेणी के लोगों की कमर तोड़ने का प्रयास किया गया है, इसकी उत्तेजक प्रवृत्तियों के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, चीनी, साबुन, ब्लेडों, सर्फ, दालों, खाद्य तेलों, जूतों, उर्वरकों तथा कीटनाशकों की कीमतों में वृद्धि हुई है।

भारत की सत्तर प्रतिशत आबादी ग्रामों में रहती है अर्थात् कुल जनसंख्या का सत्तर प्रतिशत अपनी आय कृषि से प्राप्त करता है। इसमें भूमिधारी तथा भूमिहीन मजदूर भी शामिल हैं।

यद्यपि, वित्त मंत्री ने मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग भूस्वामियों को और आगे राहत प्रदान की है लेकिन इससे उनको राहत नहीं मिलेगी। इसकी अपेक्षा इससे समस्या जटिल होगी और उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी।

वित्त मंत्री, आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने तथा निर्यातित वस्तुओं की कीमतों में कमी करना चाहते हैं। सत्ताधारी दल के चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि सत्ता में आने के बाद आवश्यक

वस्तुओं के मूल्यों को जुलाई 1990 के स्तर पर लाया जायेगा। इस माह के अन्त तक सौ दिन पूरे हो जायेंगे।

5.04 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

कीमतों में वृद्धि और सरकार के दृष्टिकोण को देखते हुए, क्या कीमतों को कम करके जुलाई 1990 के स्तर पर लाना सम्भव है?

यदि सरकार को यह करना है, तो इसे कीमतों में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। परन्तु कतिपय वस्तुओं की कीमतों में 25 प्रतिशत और कुछ में 30 प्रतिशत और कतिपय मामलों में कीमतों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अत: वर्तमान सरकार या वित्त मंत्री के लिए कीमतो को जुलाई 1990 के स्तर पर लाना असम्भव नहीं, तो सम्भव भी नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता और तेजी से औद्योगिकीकरण के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों और 'फैरा' कम्पनियों को लगभग पूरी स्वतन्त्रता प्रदान करके आम आदमी की क्रय शक्ति और रोजगार अवसरों को कम कर रहे हैं और दूसरी ओर राष्ट्र की आत्मनिर्भरता का क्षय होगा।

बहुराष्ट्रीय निगमों, 'फैरा' कम्पनियों और बड़े औद्योगिक घरानों को प्रदान की गई अत्यधिक रियायतें हमारे राष्ट्र की प्रौद्योगिकीय निर्धारिता में आमूल चूल परिवर्तन करेगी और इससे संगठित क्षेत्र में रोजगार अवसरों में काफी कमी होगी। मध्यम और लघु क्षेत्र उत्तरोत्तर समाप्त हो जायेंगे, प्रतिनिधियों के रूप में इनको छोड़कर।इसके अतिरिक्त कृषि विकास की अवहेलना से रोजगार के अवसर कम होंगे। इस संदर्भ में, रोजगार योजना के लिए 2100 करोड़ रुपये का आवंटन ऊंट के मुंह में जीरा के समान होगा। जबकि रुपये के अवमूल्यन से आयात महंगा और निर्यात सस्ता होगा, हमारे औद्योगिक उत्पादों की प्रतियोगिता बहुराष्ट्रीय निगमों या फैरा कम्पनियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की तुलना में कम होगी, जो नई नीति से विदेशी प्रभाव से अधिक प्रभावित होगी और इस तरह न केवल हमारे स्वदेशी उद्योग, बल्कि अनुसन्धान और विकास भी प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त, 30 प्रतिशत की अत्यधिक ऋण सेवा दरें विदेश व्यापार को और असन्तुलित करेगी और हम एक "ऋण जाल" के निकट चले जायेंगे। हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता भी खतरे में पड़ जायेगी।

वित्त विधेयक में एक लाख रुपये तक की आय वाले मध्यम आय वर्ग निर्धारितियों कोई राहत प्रदान करने का प्रावधान नहीं किया गया है। विधेयक में उनको कोई राहत देने का प्रावधान नहीं किया गया है। अत: इस विधेयक में कर योग्य आय सीमा को बढ़ाने का प्रावधान नहीं किया गया है और यह 22000 रुपये ही रखी गई है। इसमें आयकर अधिनियम की धारा 16(1) के अन्तर्गत उपबन्धित मानक कटौती में वृद्धि का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि इसका प्रावधान किया गया होता तो वेतनभोगी व्यक्तियों को कुछ राहत मिल जाती। इस विषय पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। प्रत्यक्ष करों से मिलने वाले कुल राजस्व में से, 85 प्रतिशत राजस्व 15 प्रतिशत निर्धारितियों से आता है। ये 15 प्रतिशत निर्धारिति जो 85 प्रतिशत राजस्व प्रदान करते हैं, बड़े औद्योगिक घरानें हैं। यदि सरकार ने उन वर्गों को जिनकी आय एक लाख रुपये तक है, कोई राहत प्रदान की होती, तो कर वसूली में कमी को उच्च

[श्री रोशन लाल]

सीमा वाले करदाताओं अर्थात एक लाख रुपये या दो लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं की आयकर दरों में वृद्धि करके पूरा किया जा सकता था।

इस विधेयक में विभाग के उन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाये रखने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों को क्रियान्वित करते हैं। यहां मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो "तलाशी और जब्ती कार्यपालन" करते हैं। मेरे विचार से यहां प्रत्येक व्यक्ति इन व्यक्तियों के भाग्य से परिचित होगा। लगभग 1982-83 में जब मैं यहां दिल्ली में नियुक्त था, तो श्रीनगर में जब्ती कार्ड के लिए एक छापा दल था। महिला अधिकारी और पुरुष दोनों को बुरी तरह से पीटा गया था। उनके कपड़े फाड़ दिए गये थे, उनके साथ हाथापाई की गई थी और सभी तरह का दुर्व्यवहार किया गया था।

बाद में, 1986-87 में, मुजफ्फरपुर में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी। आयकर विभाग के कर्मचारी, जो यहां हैं, यह अच्छी तरह से जानने होंगे कि जब वे तलाशी कार्य पर थे तो उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया गया था।

आप देहरादून में हाल ही में हुई एक घटना के बारे में जानकर आश्चर्यचकित रह जायेंगे। वहां से ये 1978 में सेवानिवृत हुआ था। लगभग आठ या नौ महीने पहले, एक प्रोपर्टी डीलर की व्यापार परिसर पर एक छापा मारा गया था। कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज पकड़े गये थे। आयकर उपायुक्त, जिसके पास वे आपत्तिजनक दस्तावेज थे, निरीक्षण भवन में ठहरा हुआ था और सुबह, जब वह अन्य विश्रामगृह को जा रहा था, तो सड़क पर एक गुण्डे ने उसे पकड़ लिया जिसे प्रापर्टी डीलर ने वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर भेजा था। दोनों के बीच झगड़ा हुआ झगड़े और हाथापाई के दौरान गोली चलाई गई। उस गुण्डे ने बिना लाइसेंस के एक रिवाल्वर से गोली चलाई थी और उसके पास लाइसैंस वाला एक रिवाल्वर भी था। गुण्डा स्वयं घायल हुआ था और उपायुक्त को गिरफ्तार किया गया था और उसे जेल भेज दिया गया था। जिला न्यायालय ने उसको जमानत पर नहीं छोड़ा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे जमानत पर रिहा किया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वित्त मंत्रालय या भारत सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है। पर हमारे लिए एक अत्यधिक शर्म की बात है कि हम अपने उन अधिकारियों की रक्षा नहीं कर सकते जो हमारा राजस्व एकत्रित करते हैं।

महोदया, ऐसा 1987 में हापुड़ में भी हुआ था जब मैं छापा दल का इन्चार्ज था। अधिकारियों ने व्यापारी समुदाय से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज पकड़े थे और कुछ लोगों को बन्दूकों, लाठियों और अन्य चीजों के साथ जाने की अनुमति दी गई थी। उपायुक्त, जो इंचार्ज था, ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट से—गोली चलाने के आदेश देने के लिए कहा था। अन्त में मुझे उत्तरदायित्व लेना पड़ा और मैंने उनको पकड़ा···(**व्यवधान**) जब तक हम सुरक्षा प्रदान नहीं करते और कुछ उपाय नहीं करते, तो इस सम्बन्ध में कोई सुधार नहीं होगा। मैं इस भाग पर बाद में चर्चा करूंगा। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय इस सम्बन्ध में क्या उपाय कर रहा है।

निवेश कम्पनियों के बोली न दिए गये शेयरों के मूल्य के सम्बन्ध में धनकर अधिनियम की अनु-

सूची तीन के नियम 12 में उपनियम 3 को 1-4-1991 से प्रभावी के रूप में जोड़ा गया है जिसके अनुसार निवेश कम्पनियों द्वारा धारित शेयरों का निवेश कम्पनियों के शेयरों का मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए मूल्य निर्धारण बोली दी गई—कीमतों पर किया जायेगा। इस धारा का प्रावधान 1989 में भी किया गया था लेकिन बाद में, अव्यवहार्य होने प्रशासन द्वारा खर्चीला पाये जाने के कारण इसे हटा दिया गया था। अब, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस तरह का उपबन्ध फिर से क्यों किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 122 आई० टी० आर० 38 और 86 आई० टी० आर० 621 में यह उल्लेख किया है कि निवेशकर्ता कम्पनियों द्वारा धारित शेयरों के मूल्यांकन की प्रणाली से सम्पत्ति कर की देयता उन्हीं शेयर धारकों की होती है। इस तरह से जो उपबन्ध अब पुरःस्थापित किया गया है। उसे पुनः समाप्त करना होगा।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रीय आवास बैंक सम्बन्धी एक योजना शुरू की है। अपने बजट भाषण में, उन्होंने काला धन बाहर निकालने के लिए कतिपय प्रस्तावों का किया है। तथापि, ये प्रस्ताव अधूरी इच्छा शक्ति से प्रेरित लगते हैं और ये पूरी तरह से वस्तु स्थिति से विपरीत लगते हैं। यह प्रकटन योजना, जिसके अन्तर्गत निर्धारिती को काला धन आवास बैंक में जमा करने और तत्पश्चात् कतिपय उल्लिखित उद्देश्यों हेतु 60 प्रतिशत धन निकालने की अनुमति दी जाएगी, असफल होनी निश्चित है क्योंकि इसमें कतिपय मूलभूत कमियां हैं। यह योजना इस भ्रमपूर्व धारणा पर आधारित है कि निर्धारिती की गुप्त तिजौरियों में बिना हिसाब-किताब का रुपया भरा पड़ा है। तथापि, स्थिति यह नहीं है। यह बिना हिसाब-किताब का धन अचल सम्पत्तियों और पूंजीगत आस्ति स्टाक में विभिन्न प्रकार से लगाया गया है।

व्यक्तियों के लिए आयकर की दर 56 प्रतिशत है और लिमिटेड कम्पनियों के लिए यह 56.6 प्रतिशत है जबकि प्रकटन योजना के अन्तर्गत शुल्क 40 प्रतिशत है। इस तरह से प्रकटन योजना व्यावहारिक नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रोशन लाल : महोदया, मैं कर-अपवंचन की चुनौती का सामना करने के लिए कतिपय सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि तलाश और जब्ती कार्यक्रमों के प्रभारी अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक उपायुक्त के मुख्यालय पर दो सशस्त्र सिपाहियों के साथ एक उप-निरीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए और ये पुलिस अधिकारी आयकर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने चाहिए।

छापों पर जाते समय इन अधिकारियों को उसी तरह से अग्निशस्त्र दिए जाने चाहिए जिस तरह से केन्द्रीय उत्पाद कर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी के समय ये शस्त्र दिए जाते हैं। यह सुझाव भी दिया गया है कि चूककर्ताओं के जब्त किए गए माल को रखने के लिए स्ट्रांग रूम होने चाहिए। विभाग को कर चूककर्ताओं की चल सम्पति को भण्डारित करने में काफी कठिनाई हो रही है।

अब मैं बकाया कर की वसूली की बात करता हूं। हमारा बकाया कर 6,500 करोड़ रुपये जा पहुंचा है जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक की वसूली नहीं की जा सकती। लगभग 3000 करोड़ रुपये

[श्री रोशन लाल]

मात्र ही वसूल किए जा सकेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस योजना को परिणामोन्मुखी बनाने का अनुरोध करता हूं। प्रत्येक अधिकारी को कतिपय बकाया की वसूली करने के लिए कहा जाना चाहिए और उन्हें चल और अचल सम्पत्तियों की बिक्री में से कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

आयकर सीमा को 22000 रुपये से बढ़ाकर 30000 रुपये कर दिया जाना चाहिए और मध्य-वर्गीय वेतनभोगी लोगों को राहत देने की दृष्टि से कर को 20 प्रतिशत की दर से घटाकर 5 प्रतिशत कर देना चाहिए।

वेतनभोगी लोगों के लिए मेरा सुझाव यह है कि 50,000 रु० तक मानक कटौती बढ़ाकर 20,000 रु० कर दी जाए और जिन निर्धारितियों का वेतन 50,000 रु० से अधिक है, उनके लिए मानक कटौती 25,000 रु० कर दी जाए। राजस्व के इस घाटे को पूरा करने के लिए अन्य आय समूहों की दरों में उपयुक्त वृद्धि की जाए।

किसी वर्ष के निर्धारित लक्ष्य से अधिक कर संग्रहण पर अधिकारी विशेष को उस अधिशेष का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में दिया जाना चाहिए। बजट लक्ष्यों को पूरा नहीं करने वाले अधिकारी को उपयुक्त सजा मिलनी चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को अपनी एक या दो वर्षों की तैनाती में कम से कम एक छापा मारने या सर्वेक्षण मामला देने के लिए कहा जाना चाहिए। इसी तरह से, अधिकारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप संग्रहित किए गए अधिशेष राजस्व के लिए अधिकारी को पुरस्कार दिया जाना चाहिए।

अब मैं काले धन को न्यूनतम करने के लिए कतिपय सुझाव दूंगा। बकाया कर के भुगतान के लिए, अधिकारी को भुगतान के स्रोत के बारे में पूछताछ नहीं करनी चाहिए।

समाज के कमजोर वर्गों के जिन लोगों के पास काला धन है, वे लगभग 25,000 रुपए से 30,000 रुपये की कीमत के जनता फ्लैट बना सकते हैं हैं। यह राशि कर योग्य शुद्ध आय में से घटा दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : चूंकि 5.30 पर आधे घण्टे की एक चर्चा होनी है, कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए ताकि मैं कम से कम एक वक्ता को बोलने की अनुमति दे सकूं।

श्री रोशन लाल : विशिष्ट सरकारी निक्षेप योजनाओं में निवेश स्रोत का पता लगाने का प्रावधान समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदया, वित्त मंत्री जी ने एक ऐसे वातावरण में बजट प्रस्तुत किया है जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक मुद्रा क्षेत्र में हावी है और समाजवादी विश्व किसी हद तक अपने द्वारा पैदा की गई समस्या से ग्रस्त है।

[हिन्दी]

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : हिंदी में बोलिए, आप तो बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मान लिया।

सभापति महोदय, समाजवादी जगत एक जनतंत्र के प्रयास की बहुत सी पीड़ाओं से गुजर रहा है। राजकीय क्षेत्र और आम जन गण की समस्याएं इस माने में धूमिल होती जा रही हैं। अभी जनतांत्रिक प्रक्रिया का स्वागत करते हुए इतना कहना जरूरी समझता हूं कि कितना भी गैर जनतांत्रिक, समाजवादी व्यवस्था का स्वरूप हो, जनतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था के मुकाबले में असंख्य श्रमजीवियों के लिए वह ज्यादा जनतांत्रिक होता है, मगर फिर भी जनतन्त्रीकरण का प्रयास बहुत ही स्वागत योग्य है, पहले होना चाहिए था, अब और भी तेजी से होना चाहिए। मगर जो वित्तीय सवाल पर समस्याएं पैदा हो रही हैं और यह एक चेतावनी है हमारे लिए, अभी 2-4 दिनों में अमरीका के विदेश मन्त्री और राष्ट्रपति जिस तरह की शर्तें सोवियत संघ पर लाद रहे हैं, उसके अन्दरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं, हमारे अखबार शायद हंसी उड़ा रहे हैं। अभी भी संसार का फौजी मामले में, सामरिक मामले में महानतम शक्तिशाली देश है, उसके ऊपर अगर यह धमकी दी जा सकती है, कल हमारी क्या गति होगी, दुर्गति होगी, केवल हमारी ही नहीं लगभग 100 देश ऐसे हैं, कौन उसमें बोलने वाला रहेगा, कौन आवाज उठाने वाला होगा? इस पृष्ठभूमि में मैं समझता हूं हमारे वित्त मंत्री जी ने नतमस्तक होकर विश्व बैंक और विश्व मुद्राकोष के सामने मस्तक झुका दिया है।···(व्यवधान)···इतनी आसानी से बिकने वाला देश नहीं है, लेकिन मस्तक झुकाया है। जो मूल समस्याएं थी, जो चुनाव का इनका वायदा था, 100 दिनों में कीमतें कम करेंगे, हिम्मत तो इन्होंने की, मगर मैं समझता हूं कि वह अपनी हिम्मत नहीं है, वह विश्व बैंक और मुद्राकोष का दुस्साहस है। इतनी तेज रफ्तार से महंगायी बढ़ रही है। इतने अनुभवी वित्तीय क्षेत्र में जो हमारे वित्त मन्त्री हैं, लम्बी छलांग से लगभग 20 परसेंट के हिसाब से मुद्रास्फीति की वृद्धि होती चली है। कुल अनुभवों का यही नतीजा है। इसका मतलब क्या होता है कि करोड़ों श्रमजीवियों द्वारा जो अर्जन किया जाता है, उनकी पाकेट मारी जाती है। बिना ब्लेड, बिना कैंची के उनकी जेब कतरी जा रही है। वे मेहनत करके रुपया लाते हैं, वह अठन्नी, चवन्नी बनता चला जा रहा है। लूट की रफ्तार बहुत तेज हो गयी है, इस बार के वित्तीय प्रकरण में जो नीति अपनायी गयी है, उसके चलते।

महोदय, ढोल पीटा जा रहा है निजी क्षेत्र के नाम पर। हमारे कुछ मित्र बोले हैं। बोले हैं तो मुझे पसन्द नहीं है। क्योंकि देश के करोड़पतियों का तबका दूसरे राजनेताओं के मुंह से जो बुलवाता है या भ्रष्टाचार जो करवाता है, वे चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि खुल कर यहां से बोले। जो कुछ इधर से या उधर से लोग बोले हैं। हमारे जनतन्त्र में इस बोलने पर कोई एतराज की बात हमारे लिए नहीं है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था हमने शुरू से अपनायी है। राजकीय क्षेत्र को हमने इसलिए बनाया, इसलिए नहीं कि कुछ कम्युनिस्टों की बात थी, नेहरू जी की बात थी, हमारी अनिवार्यता थी। इस पिछड़े देश को आगे बढ़ाने के लिए मूल उद्योग में पैसा लगाने के लिए हमारे देश के करोड़पति तैयार नहीं थे। विदेश से कोई सहायता देने के लिए तैयार नहीं था मूल उद्योग के लिए। एक सम्मेलन जो हुआ था, 1958-59 की बात है, अमेरिका के प्रतिनिधि कैनेडी ने कहा था कि भारत चरखा और हल का देश है, इसको पश्चिम की नकल नहीं करनी चाहिए, मशीन की नकल नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमको औद्योगिकरण की ओर समाजवादी जगत में मुख्यतः सोवियत की मदद से मूल उद्योगों की ओर बढ़ना पड़ा, राजकीय क्षेत्र में बढ़ना पड़ा। वह राजकीय क्षेत्र और निजी क्षेत्र का मिश्रण है। हमारे अखबार, जिनके मालिक हमारे देश के करोड़पति हैं, जो अखबार राजकीय क्षेत्र के पैसे से चलते हैं, विज्ञापनों का पन्ना देख लें कि सरकारी पैसे से, आम जनता के कर के पैसे से अखबार चलते हैं, मुनाफा कमाते हैं, चोट करते हैं राजकीय क्षेत्र पर। मैं चाहूंगा वित्त मन्त्री जी बतायें सदन को कल जवाब देते समय बताएं, क्या एक भी देश में थोक व्यापारी है जो सिर्फ अपने पैसे से, सारे भारत में, व्यापार कर रहा हो? क्या सारे भारत में एक भी उद्योगपति हैं जो सिर्फ अपने पैसे से उद्योग चला रहा हो? राजकीय क्षेत्र का पैसा लेकर,

[श्री भोगेन्द्र झा]

आम लोगों का पैसा ले कर चोट कर रहे हैं आम लोगों के ऊपर कि तुमसे यह समाज नहीं चलेगा, तुमसे यह राज नहीं चलेगा।

मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखबार उनके हाथ में है और हमारे पढ़ने वाले लोग अखबारों के शीर्षक ही पढ़ते हैं और उसी में भागते भी हैं। इसलिए हमारा पैसा जितना पचाया है। निजी क्षेत्र में क्या राजकीय क्षेत्र में इतना घाटा लग रहा है? मैं चाहूंगा वित्त मंत्री इस सदन के सामने, देश के सामने इस तथ्य को रखे कि जितना पैसा हमारा मार दिया है निजी क्षेत्र ने, एक से दूसरे उद्योग में लगा दिया, दूसरे से तीसरे उद्योग में लगा दिया उसका हिसाब रखें कि कितने हजार करोड़ रुपया हमारा पचा लिया है। मैं खुश नहीं हूं इस पचाने पर। मगर मैं कह रहा हूं इस तरह चोट की जा रही है राजकीय क्षेत्र पर। समाज के अपने क्षेत्र के ऊपर। उस चोट का जबाव मैं आशा करूंगा, वित्त मन्त्री, जो भारत सरकार के वित्त मन्त्री हैं, इस संसद में उनकी आवाज मनमोहन सिंह की आवाज नहीं होगी, वह आवाज देश की सरकार की होगी।···इस मायने में जो राजकीय क्षेत्र है और जिसके बगैर हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। नेहरू जी ने एक बार कहा था··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बैठने को कह सकती हूं। हमारा 5.30 म० प० बजे आधे घण्टे की चर्चा कराने का विचार है। मुझे यह भी सूचित किया गया है कि हमें आज वित्त विधेयक भी पारित करना है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : कार्य मन्त्रणा समिति में यह निर्णय नहीं लिया गया था। मैं वहां सारा समय उपस्थित था।

श्री कल्पनाथ राय : यह विधेयक आज अवश्य पारित किया जाना है।

सभापति महोदय : अब आधे घण्टे की चर्चा करवाई जाएगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज अपने भाषण को चर्चा की समाप्ति के बाद जारी रख सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मुझे इसके पश्चात एक अन्य बैठक में जाना है। यदि आप बाद में मुझे समय दे तो मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : आधे घण्टे की चर्चा की समाप्ति पर आपको समय दिया जाएगा।

श्री राम कापसे : यह निर्णय बिल्कुल नहीं लिया गया था कि 6.00 म० प० बजे के बाद बैठेंगे।

श्री चित्त बसु : क्या आज सभा की बैठक 6.00 बजे के बाद भी होगी?

सभापति महोदय : मेरे विचार में यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है कि आज सभा की बैठक 8.00 बजे म० प० तक होगी।

श्री राम कापसे : नहीं। कार्य मन्त्रण समिति मे यह तय नहीं हुआ था। मैं वहां सारा समय उपस्थित रहा था।

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) : यह कब तय किया गया था? मुझे इसके बारे में पता नहीं है।

श्री कल्पननाथ राय : आज वित्त विधेयक पारित किया जाएगा।

सभापति महोदय : ठीक है। कृपया बैठ जाएं। आप अपना भाषण कितनी देर में समाप्त करेंगे ?

श्री भोगेन्द्र झा : मैं 15 मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय : यह तो काफी लम्बा समय है। मैं आपको अपना भाषण समाप्त करने के लिए पांच मिनट का समय दे सकती हूं। यदि सभा इस बात से सहमत हैं, तब उसके पश्चात हम आधे घन्टे की चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : ठीक दस मिनट के अन्दर समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : क्या सभा उनके अनुरोध से सहमत है ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा आग्रह होगा कि वित्त मन्त्री ने लोगों से साहस पूर्वक कहा कि महंगाई को हम रोक नहीं सकते है। मेरा इनसे आग्रह होगा कि आज सदन में एलान करें या कल कर दें कि जो भी थोक व्यापारिकों के लिए, निजी थोक व्यापारियों को बैंक का पैसा दिया गया है, उसको यह वापिस कर दें और हम राजकीय क्षेत्र का पैसा और बैंकों का पैसा व्यापार के लिए, मैं उद्योग के लिए नहीं कह रहा हूं, बैंकों का पैसा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया के जरिये सामान के लिए दें। जन वितरण प्रणाली को चलाने के लिए, निजी थोक व्यापार को आजाद छोड़ दें। अपने पैसे वह थोक व्यापार के लिए दिखाए और कल ऐलान कर दें तो कीमतें नीचे आयेगी। उससे सौ दिन का जो वायदा था वह पूरा हो जायेगा। अगर नीयत हो और राजनीतिक साहस हो तो यह ऐलान कर दें। अगर यह चीज होगी तो दिखलाएं कि थोक व्यापार का कितना पैसा व्यापार के लिए रखा हुआ है। हजारों-करोड़ों रुपए का सीमेंट, कपड़ा, चीनी और गल्ला माल गोदाम में बन्द हो गया। लेकिन उपभोक्ता गोदाम से बाहर रह गए। उसके बाद आक्रोश शुरू हो जाता है कि सामान कम रह गया और उपभोक्ता ज्यादा हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं। कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ती है। साढ़े सत्रह करोड़ टन गल्ला पैदा हुआ, सबसे ज्यादा पैदा हुआ। मगर गल्ले की कीमतें ज्यादा बढ़ गई। सीमेंट की ज्यादा उत्पादन होता है तो उद्योगपति कहते हैं कि बाजार में ग्लट आ जायेगा, बिकेगा नहीं तो सीमेंट की कीमतें बढ़ती चली गई। वही चीनी का हाल हुआ। ज्यादा उत्पादन और ज्यादा कीमतें हो गई। सरकार का पैसा लेकर पब्लिक का पैसा लेकर गोदाम में रखकर महंगाई बढ़ाई जा रही है। आप कहेंगे कि हमारी समर्थित सरकार ने तय किया था। उसने भी समर्पण किया था इस मामले में, लेकिन मंहगाई रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। और उसी से पहले भी अपना रही है। उसके पहले की सरकार द्वारा भी अपनाया था। इसका मतलब यह है कि देश की राजसत्ता मुफ्तखोरों के हाथमें है कि पब्लिक का पैसा लेकर, पब्लिक से सस्ता माल खरीदकर पब्लिक के हाथ में महंगा माल देकर, बैठे-बैठे मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसी लूट की व्यवस्था हमारे यहां भी है। जो अखबारों पर नियंत्रण रखे हुए हैं, नेताओं को खरीदते हैं, दलों को खरीदते हैं, सरकारों को तोड़ते और बदलते हैं। तो इतनी बड़ी सत्ता है। मैं चाहूंगा कि हमारे वित्त मन्त्री ने कुछ साहस दिखलाया कि सरकार इतना ही खरीदे, सरकारी पैसा दे दे, अपने पैसे से निजी व्यापार करे।

सभापति महोदय, मेरा यह आग्रह होगा कि जो हमारे मसले हैं, हमारे वित्त मन्त्री का उद्योग

[श्री भोगेन्द्र झा]

का, वित्त और वाणिज्यिक मसला रहा या जो अभी हमारे मित्र ने लोहा का सवाल उठाया था, क्या आज भी हमारी यही हालत है कि लोहा और अभ्रक हम विदेश भेजें। क्यों नहीं तैयार लोहा और अभ्रक विदेशों में भेजें। तो आज भी औपनवैशिक हालत हमारी बनी हुई है, वही दासता चली आ रही है कि हम कच्चा अभ्रक और कच्चा लोहा बाहर भेज रहे हैं और दुनिया के बाजार में घाटा उठा रहे हैं। हम जापान से इस्पात महंगे दाम पर मंगा रहे हैं। ऐसा कई साल से हो रहा है, क्या इसको हम रोक नहीं सके ? धीमी गति के बावजूद उद्योग में दुनिया में हमारा मुल्क 10 वें स्थान पर है और कृषि में 1985 में जाकर हम 5 करोड़ टन से साढ़े सत्रह टन तक बढ़ पाये हैं। इसलिए हमारी औद्योगिक में, वित्तीय नीति में परिवर्तन की जरूरत है।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया, वित्तमन्त्री भी कहते है और हम भी कहते हैं और सभी कहते हैं, क्या यह संभव नहीं है कि राजकीय क्षेत्र में इसे शुरू करके, निजी क्षेत्र में भी कहता हूं कि श्रमिकों को उत्पादन में, प्रबन्धन में भागीदार बनाया जाना चाहिए, जिम्मेदारी भी दी जाये। सब जगह जो पैदा करते हैं, हम उनको प्रबन्धन में जिम्मेदारी दें कि हर एक हमारे कारखाने में जिसमें संभव हो, वह मुनाफा उसे मिले। अगर कहीं अपवाद होगा, उसको मिलकर जाचेंगे। इस प्रकार उत्पादन बढ़ेगा। खासकर हमारी जो औद्योगिक नीति रही कि मिल क्षेत्र, बड़े उद्योग वाले क्षेत्र, मंझौले और लघु क्षेत्र और गृह उद्योग जहां 85 करोड़ गर्दन हैं, उसके दूने हाथ हैं, वहां गृह उद्योग की बहुत बड़ी कीमत है। बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी पार्टी सत्ता में आये, उसका बहुत बड़ा महत्व रहेगा नहीं तो हम बड़े उद्योगों के बिना चल सकते है और न मंझौले उद्योगों के बिना चल सकते हैं। जो आंकड़ा पेश किया गया है, उसमें कितने लघु उद्योग मरे जा रहे हैं और कितने बड़े पैमाने पर बढ़ सकते है। यदि हम अपने देश में लघु उद्योग को, गृह उद्योग को पोषण करें, उनको हम बढ़ावा दें तो यह स्वावलम्बी बनाने में मददगार होगा और कुछ मायनों में विदेशों का मुकाबला करेंगे।

सभापति महोदय, समय कम है, इसलिए मैं आंकड़ा नहीं दूंगा। मेरा इतना आग्रह होगा कि लघु उद्योगों को मदद देने से उत्पादन में सहायता मिल सकती है। बेकारों को काम देने का सवाल भी कांग्रेस दल ने हल करने का वायदा किया था। सभी सरकारों ने वायदे किये कि हम बेकारी हटायेंगे या घटायेंगे। मैं उस दृष्टि से देखना चाह रहा हूं कि बेकारों को काम दीजिए। मैं इसी दृष्टि से देखना चाह रहा हूं कि हमारा करोड़ों जवानों की जवानी बीतती जा रही है। और उसका फायदा देश को नहीं हो रहा है। मैं बेकारी को इस रूप में रखना चाह रहा हूं कि उनकी क्षमता, बुद्धि और हुनर का देश के उत्पादन एवं उसके निर्माण में फायदा नहीं हो रहा है। यह एक राष्ट्रीय क्षति है। इस मायने में मेरा आग्रह होगा कि वित्त मन्त्री जी जब जबाव दें तो इस बात को विचारें। कि क्या यह सम्भव है कि नहीं ? रोजगार देकर रोजगार देना सम्भव नहीं है तो स्व-रोजगार देकर उत्पादन में लगाकर देश का जो भी व्यक्ति युवक अथवा युवती चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ा हो, अगर स्वनियोजन में लगता है तो धन और साधन की आप मदद करें ताकि भारत जैसे विशाल देश की आबादी, जनशक्ति का उपयोग उत्पादन करने में लगा सकें। मैं विभिन्न उत्पादनों की किस्मों की बात कह रहा हूं। चाहे उसमें पंजाब हो या हरियाणा या बंगाल में हो। अगर जो पाकिस्तान से पंजाब में आये, वे पहले कंगाल थे, वे अब करोड़पति बन गये यद्यपि उन्होंने उत्पादन नहीं किया। यह उदाहरण हमारे सारे देश के लिए एक नकल की चीज है। तो मैं आग्रह करूंगा, हमारे वित्त मन्त्री से मैंने आग्रह भी किया है कि नमूने के तौर पर हम कुछ प्रोग्राम चलाना चाहते हैं जहां सिर्फ उत्पादन के लिए स्वनियोजन में हमारे लोग आएं पढ़े-लिखे या अनपढ़ आये। कुछ अनपढ़ जिन्होंने जूते बनाने का काम शुरू किया था मेरे कहने पर करीब 20 साल पहले, आज वह लखपति बने हुए हैं।

वह मेरे अहसानमन्द हैं कि मैंने उनकी मदद की, मैं उनका अहसानमन्द हूं कि वे झंडा बनकर खड़े हैं और मैं मधुबनी का बनाया हुआ जूता पहनता हूं, जो किसी बाटा के बाप से मुकाबला करता है। केवल दाम कम है, चीज उससे बेहतर है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि पढ़ा, बिन पढ़ा हो उनके लिए स्वनियोजन के लिए धन और साधन देकर एक तरह का कदम उठाया जाए, क्षेत्रों को चुना जाए, कुछ बैंकों को भार दिया जाए। बैंक उन्हें देने में हिचकते हैं चूंकि थोक व्यापारी रिश्वत भी देते हैं, पैदा भी करके दे देंगे और ये तबका तो रिश्वत भी नहीं दे सकता है।

इसलिए इसमें भी गड़बड़ी हो रही है। तो सभापति जी, हमारा आग्रह यह है कि कुछ ऐसी नीति का मामला है जिससे उलझनें होती हैं। यहां 10 सितम्बर को बिहार के राजपत्रित, अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी और शिक्षक सभी धरने पर आए थे और इसलिए आए थे कि उनको आयकर में छूट मिले। अभी हमारे मित्र उधर से 48,000 कह रहे थे, 50,000 की बात भी होगी हमेशा यह बात उठती रहती है। क्या यह बात सम्भव नहीं है वित्त मंत्री जी कि आयकर को आप महंगाई से जोड़ दीजिए। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती चली जाए, उसी अनुपात में आयकर में वृद्धि होती चली जाए जैसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेशन अपने आप बढ़ती चली जाती है क्यों इसके लिए आंदोलन होगा क्यों इसके लिए हड़ताल होगी, क्यों थोड़ा समय भी बाहर या भीतर का बरबाद जाएगा ? यह बात कोई बहुत बड़ी नहीं है। जो भी आय कर निर्धारित हो, आप उसको तय कर दें और बढ़ती हुई महंगाई के अनुपात में अपने आप वृद्धि होती चली जाएगी। इससे एक झंझट से सरकार भी बचेगी और देश भी बचेगा और जो आयकर देने वाले हैं उनके लिए भी मुसीबत नहीं रहेगी। कुछ आयकर के वकीलों को घाटा हो सकता है, कुछ कम मामले उनके पास आने शुरू हो जाएंगे।

सभापति जी, इसी मामले में मेरा कहना है कि जो बिहार के लोग 10 सितम्बर को आए थे, यह बिहार का मामला नहीं है, सारे देश का मामला है। कुछ मामला रॉयल्टी का है। 3 सितम्बर को को बिहार के सभी कम्यूनिस्ट विधायक और सांसद धरने पर थे। हम लोग प्रतिनिधि मंडल में वित्त मंत्री जी से मिले भी थे कि जो भी खनिज पैदा करने वाले राज्य हैं—बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है और जो कोयला पैदा करते हैं, उनकी रॉयल्टी वजन पर होती है, कीमत पर नहीं होती है। कीमत जिस रफ्तार से बढ़ रही है तो वह राज्य घाटे में रहते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है।

आप उतना धन नहीं दे पाएंगे। इसलिए अभी भी मेरा आग्रह है कि आप कीमत के आधार पर कोयले रॉयल्टी को निर्धारित कर दें तो वह भी झंझट खत्म हो जाएगा कि बिहार के मुख्य मंत्री को ऐलान करना पड़ा था कि वह अनशन पर बैठेंगे, हम लोगों को यह कहना पड़ा था। इसलिए आप जान बूझकर ऐसा मामला क्यों रखते हैं कि हल्ला या आंदोलन करने का मौका मिले भीतर या बाहर। इसलिए उसको भी आप पूंजी आधारित कर दें। एक और चीज उसके साथ है कि जो भाड़े का मामला है कि जो भाड़ा झरिया से धनबाद के गिरीडीह के कोयला खदान के बगल में जिस कीमत पर लोगों को मिलेगा, उसी भाड़े पर चाहे वह त्रिवेन्द्रम हो या सबसे दूर स्थान हो, वहां भी मिलेगा। इससे क्या होता है कि जो पिछड़े राज्य हैं उसको उस भाड़े के लिए भी वह घाटे में रह जाता है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इसको भी आप विचारें। अगर आप इसको नाजायज समझते हैं तो देश के सामने खुलकर रखिए कि यह काम नाजायज है और नहीं, तो कम से कम कबूल करने के लिए हिम्मत आप करिए कि इसको आप कबूल करते हैं।

सभापति जी, समय तो हो चुका है। मेरा एक आग्रह होगा कि अभी जो बजट है, बीच में भी कुछ राहत की बातें हुई हैं। गहरी चोट करके इस बजट को जारी किया गया था किसानों के उर्वरक से

[श्री भोगेन्द्र झा]

अनुदान को पूरी तरह हटाकर। मैं समझता हूं कि इसका विरोध हुआ, कांग्रेस दल के लोगों से भी विरोध हुआ और एक बहुत बड़ी जीत हुई लघु और सीमांत किसानों के ऊपर से वह अनुदान हटाने की बात खत्म हो गई, जो अनुदान था, वही रहेगा। हमारे कुछ मित्र बोले हैं कि आप किसानों को तोड़ना चाहते हैं पर मैं इसको नहीं समझ रहा हूं।

मैं समझता हूं कि देश के तीन-चौथाई किसानों के लिए एक बड़ी जीत हुई, हमारे जनतांत्रिक दबाव की जीत हुई, मगर जिनको रह गया है, उर्वरक के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, वह जरूरी है। गल्ला उत्पादन में आप उत्साह दें, इसलिए जो इसमें 20-25 किसान बच गए हैं, वह धनी किसान हैं, मगर उनको आप जो पुराना अनुदान था वह देने के लिए रखें ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। धनी तबका भी उसमें है, शोषक तबका भी है, मगर कृषि उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिये यह जरूरी है कि उस चीज को आप दें और इसको पूरा कर लें, तो आगे बढ़े।

वैसे ही किरासन तेल पर, सम्मिलित मांग के बाद, आपने कीमत घटाई। मैं समझता हूं कि यह गरीबों की बड़ी जीत हुई है। सरकार की नीति को पीछे हटना पड़ा। यह पहला मौका मेरी याद में है जब कीमत नहीं बढ़ी। बढ़ी नहीं, बल्कि घटी —किरासन तेल की कीमत घटी। अच्छी बात हुई लेकिन डीजल के बारे में भी आपको सोचना होगा जो बसों में इस्तेमाल होता है और जिसकी वजह से बसों का भाड़ा बढ़ रहा है। आम लोग बसों में सफर करते हैं, वे किसी कार पर नहीं चलते हैं। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि आम लोगों पर पड़ा बोझा कैसे कम करें। इसी वित्त विधेयक का जवाब देते वक्त, आप इसकी घोषणा करें।

हमारे समाने आज लघु उद्योगों की समस्या, विभिन्न स्तर के मजदूरों की समस्या, महंगाई की समस्या, इस सबके चलते, हमारा जो राजकीय क्षेत्र है, उसके लिए आप इस रूप में आये कि हमारे राजकीय क्षेत्र को मुनाफे में चलना है। श्रमिकों को प्रबंध में भागीदार बनाना है।इस विश्वास के साथ मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। मैं यहां अपने अनुभव के आधार पर आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर एक ही क्षेत्र में एक ही जगह निजी क्षेत्र और राजकीय क्षेत्र को रखियेगा तो राजकीय क्षेत्र कभी भी निजी क्षेत्र का मुकाबला नहीं कर पायेगा। क्योंकि इसी के कारण हमें राष्ट्रीयकरण करना पड़ा बिना बिजली पैदा किये हुए, अब वे राजकीय क्षेत्र से बिजली लेकर, चोरी करके कमाई करते रहते हैं। इसलिए जिसको लेना हो, पूरा ले लीजिए ओर जिसको छोड़ना हो, पूरा छोड़ दीजिए एक ही क्षेत्र में, एक ही जगह दोनों को रखकर चलेंगे तो चल नहीं पायेंगे चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो।

वैसे ही बिक्रीकर के मामले में भी मेरा आग्रह है, शायद हमारे मित्रों ने इस पर कुछ नहीं कहा है कि आपको एक बिन्दु पर बिक्रीकर लेना चाहिये। आप हिम्मत कीजिए कि एक बिन्दु पर बिक्री कर लें। यहां बिक्रीकर, वहां बिक्रीकर इससे राज्यों को शिकायत हो सकती है, हमेशा के लिए। पांच साल, दस साल का हिसाब जोड़ लीजिए जिस अनुपात में बिक्रीकर की वृद्धि होती गयी है, उस हिसाब से राज्यों को हिस्सा दे दीजिए ताकि जो छोटे दुकानदार तबाह हो रहे हैं, वे बच सकें। आज उनसे बिक्री कर के बदले, रिश्वत की वसूली होती है और उसका चौथाई पैसा भी आपको नहीं मिलता है। सारे दुकानदार तबाह हो गये हैं और दुकानदार उस पैसे को ग्राहक या उपभोक्ता के माथे डाल देते हैं। इस लिए बिन्दु पर बिक्रीकर की व्यवस्था यदि आप कुछ कर सकते हैं, रफ करके देख लीजिए पहले, और फिर अगर मरहम पट्टी लगा सकते हैं तो करिये।

यदि इन चीजों को करते हैं तो हम कुछ सोचेंगे कि आप कुछ नये कदम बढ़ाने जा रहे हैं। यदि नहीं करते हैं तो जो दृष्टिकोण है, हमारे राष्ट्रीय स्वावलम्बन पर चोट, राजकीय क्षेत्र पर चोट, विश्व बैंक और मुद्राकोष के सामने समर्पण, आपकी इस नीति का हमें विरोध करना है और इसीलिए वर्तमान रूप में आये इस वित्त विधेयक का, अपने दल की ओर से, मैं विरोध करता हूं।

5.48 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में आधे घण्टे की चर्चा होगी। श्रीमती सुशीला गोपालन जी।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मेरा प्रश्न व्यवस्था से सम्बन्धित है। आपके द्वारा वित्त विधेयक पर चर्चा आरम्भ करने से पहले, सभी माननीय सदस्यों के लिए यह सुविधाजनक रहेगा, यदि यह बात पहले तय कर ली जाए कि इस चर्चा पर वित्त मंत्री जवाब कब देंगे और उसी के अनुसार सभा के द्वारा यह तय किया जा सकता है कि आज कब तक बैठना है और सभा को कल कब तक बैठना है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मेरा सभा और सभी दलों के नेताओं से यह अनुरोध है कि हम आज कम से कम बहस पूरी कर लें, कल वित्त मंत्री जवाब देंगे और हम विधेयक पर विचार करेंगे और खण्डवार भी विचार कर लेंगे क्योंकि उसमें कुछ समय लगेगा। कल शुक्रवार होने के कारण हमारे पास गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य भी है। आमतौर पर हम 6.00 बजे के बाद नहीं बैठते हैं और कल दोपहर को भोजनावकाश भी होगा। इसलिए, इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए, मेरा सभा से यह अनुरोध है कि सभा की बैठक आज देर रात तक चलनी चाहिए और यदि किसी सदस्य को रात्रि के भोजन की आवश्यकता है, तो मैं प्रबन्ध कर सकता हूं। जहां तक वक्ताओं का सम्बन्ध है हमें बहस पूरी कर लेनी चाहिए और इसे मतदान के साथ कल उत्तर देने के लिए छोड़ दिया जाए। यही सबसे सुविधाजनक रास्ता है। नहीं तो अन्ततः परिणाम यह होगा कि वित्त विधेयक की बार-बार अनदेखी होती रहेगी और मुझे पता नहीं है कि इस चर्चा का अन्त कब होगा। हम आज भी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। मेरे विचार से यह सुझाव श्री जसवन्त सिंह जी को स्वीकार्य होगा।

श्री जसवन्त सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में वित्त विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर माननीय वित्त मंत्री एकदम उत्तर नहीं दे सकते जैसा कि संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री ने कहा है। अभी भी कई सदस्यों को बोलना है। मैंने कई दलों से बातचीत की और पाया कि अभी कई ऐसे सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला है जो इस वाद-विवाद में अपना, जैसे भी हो, योनदान देना चाहते हैं। यदि हम आठ बजे तक बैठें तो भी सभी लोग वस्तुतः अपना भाषण नहीं समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद कई संशोधन भी हैं। प्रक्रिया के सम्पूर्ण पहलू हैं। वित्त मंत्री जी का उत्तर केवल किसी सामान्य वाद-विवाद का उत्तर नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध वित्त विधेयक को पारित करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अनेक संशोधन हैं और उन संशोधनों को लाने वाले सदस्य हैं, आदि।

अतः, संसदीय कार्य राज्य मंत्री की कठिनाइयों के लिए समुचित सम्मान सहित—उनका कार्य नितान्त श्रेयहीन है—मैं ऐसा महसूस करता हूं—मैं उनसे कहूंगा कि मैं नहीं समझता कि वाद-विवाद आज 8 बजे तक समाप्त हो सकेगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह नहीं हो सकती है।

श्री जसवन्त सिंह : मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से यहां कुछ लोगों से बातचीत की···(**व्यवधान**)। वास्तव में, ऐसा हो सकता है कि कल गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य निपटाने से पूर्व और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य निपटाने के बाद, कितना भी समय इसमें क्यों न लगे, हम बैठें और कल ही वित्त विधेयक को अन्तिम रूप से निपटा दें। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 6 बजे समाप्त हो जाएगा। निपटान कार्य का कुछ भाग 3.39 बजे अथवा 3.45 बजे, जो भी हो, सरकारी सदस्यों का कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व और 6 बजे इसके समाप्त होने के पश्चात् किया जा सकता है, वित्त विधेयक का निपटान इस प्रकार करना सबसे अच्छा ढंग होगा। मुझे यही कहना है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, एक दूसरी समस्या भी है। यदि कल हम केवल वित्त विधेयक का काम निपटाएंगे तो दूसरे भी सरकारी काम हैं जिन्हें भी कल ही निपटाना है। उसे ध्यान में रखते हुए, हम कार्य मंत्रणा समिति के साथ सहमत हो गए थे कि बी० सी० सी० आई० पर चर्चा हम शनिवार को सुबह करेंगे।

एक माननीय सदस्य : सुबह नहीं, 3 बजे करेंगे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : जी नहीं, चर्चा सुबह ही शुरू की जानी है तथा तीन बजे तक उसे समाप्त करना है। अब हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। आइये, बी० सी० सी० आई० पर चर्चा भी शनिवार को चार बजे के बाद करें और समाप्त करें (**व्यवधान**)। क्या मैं यह सलाह दे सकता कि हम अध्यक्ष कक्ष में बैठकर चर्चा करें क्योंकि हमारे सामने अन्य कई कठिनाइयां भी हैं। आइए इस पर आधे घण्टे की चर्चा होने दें। हम इस पर चर्चा करेंगे तथा इसका हल निकाल लेंगे।

श्री जसवन्त सिंह : नहीं, हम वहां चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरे सदन के सामूहिक हित का ख्याल रखना है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम अध्यक्ष कक्ष में कब बैठ सकते हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अभी···(**व्यवधान**)

महोदय, यदि हम सदन में समस्त कार्य प्रणाली, कि कब उत्तर दिया जाना चाहिए, आदि, पर वाद-विवाद शुरू करने जा रहे हैं तो हम सदन का समय नष्ट करने जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सी बातों को अध्यक्ष कक्ष में बैठकर निपटाया जा सकता है। आइए, इस पर आधे घण्टे की चर्चा होने दें। हमारे पास चर्चा करने का समय है और आइए हम इस पर चर्चा करें तथा आपस में ही इसका समाधान ढूंढ निकालें। इस प्रकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। इसी दौरान, आइए समय का आधे घण्टे की चर्चा के लिए प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती सुशीला गोपालन से इस आधे घण्टे की चर्चा को शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

5.59 म० प०

आधे घण्टे की चर्चा

राष्ट्रीय महिला आयोग

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरयिकील) : महोदय, मैं इस आधे घण्टे की चर्चा में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 5 अगस्त, 1991 को राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न सं० 291 पर दिए गए उत्तर से उत्पन्न प्रश्नों को पूछने के लिए खड़ी हुई हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, शुरू शुरू में मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतने व्यस्त कार्यक्रम में मुझे बोलने का समय दिया है, हालांकि इसके अतिरिक्त महिलाओं पर अत्याचार के बारे में चर्चा करने के सम्बन्ध में सहमति हुई है। 5 अगस्त को श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्बन्धित एक प्रश्न के बारे में सरकार द्वारा उत्तर दिया गया था कि अभी निर्णय नहीं लिया गया है। इस सदन ने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति के अभाव से सदन को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए और वक्ता महिलाओं को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः, उनकी बातों पर ध्यान दिया जाना है। सुशीला जी, आप जारी रखें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, इस सदन ने राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के लिए सर्व-सम्मति से विधेयक पारित कर दिया है। देश में महिला आन्दोलन की लम्बे समय से चली आ रही मांग थी कि महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय महिला आयोग गठित किया जाना चाहिए। वर्ष 1975 में—जो अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष था—संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने वालों ने यह सुझाव दिया था कि सभी सदस्य-सरकारों को अपने-अपने देश में इस प्रकार के राष्ट्रीय आयोग, समितियां और ब्यूरो गठित करने चाहिए जिससे कि विश्व में महिलाओं की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जा सके। वर्ष 1985 तक कई सदस्यों ने ऐसे आयोगों का गठन किया। हाल ही में दक्षेश देशों ने भी सदस्य देशों से आग्रह किया है कि वे इस दिशा में ऐसे आयोगों का गठन करें।

1975 में हमने महिलाओं की स्थिति से सम्बन्धित एक समिति (स्टेट्स आफ वीमेन्स कमेटी) गठित की थी। लेकिन, एक वर्ष के भीतर ही, समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी के साथ ही समिति का कार्य भी समाप्त हो गया। महिलाओं के लिए एक स्व-रोजगार समिति का भी गठन किया गया था, जिसने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह समिति भी एक वर्ष के लिए थी। किसी भी स्थाई निकाय का गठन नहीं किया गया। एक राष्ट्रीय महिला समिति थी। श्रीमती गीता मुखर्जी उस समिति के कार्यों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने में सक्षम होंगी। वास्तव में, उस समिति में बिलकुल कामकाज नहीं था। हकीकत यह है कि उस समिति द्वारा किसी भी दिशा में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया जिससे कि समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जा सके।

महोदय, हम महिला आयोग की मांग क्यों कर रहे हैं? हम सभी भारत में महिलाओं की दुःखद स्थिति से अवगत हैं। महिलाओं का 60.58 प्रतिशत निरक्षर है। 90 प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। 65% गर्भवती महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। 18 में से एक महिला की मृत्यु गर्भवती अवस्था में हो जाती है। शिशु मृत्यु-दर भी काफी अधिक अर्थात् 91% है। पुरुष-महिला अनुपात घटा-कर 1,000 : 929 हो गया है। 1981 में सरकार कह रही थी कि हमने इस अनुपात में सुधार किया

[श्रीमती सुशीला गोपालन]

है क्योंकि उस समय यह अनुपात 1,000 पुरुष के मुकाबले 933 महिला था। अगले दस वर्षों में यह घटकर 1,000 पुरुष तथा 929 महिला हो गया है। इससे क्या अर्थ निकलता है? महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। लिंग निर्धारण परीक्षण बेरोकटोक जारी हैं। नए प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों ने भी महिलाओं को संगठित क्षेत्र से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। इस प्रकार वे उठाकर असंगठित क्षेत्रों में फेंक दी जाएंगी। यह सब इस अन्धाधुन्ध यन्त्रीकरण तथा अपनाए गए दृष्टिकोण का दुष्परिणाम है। महिलाओं को उनकी नौकरी से, जो भी छोटी-मोटी उन्हें मिली है, निकालना अब एक नियमित घटना बनती जा रही है।

कई कानून पारित किए गए हैं। लेकिन उनमें से अनेक का क्रियान्वयन नहीं किया गया। कुछ उपलब्धियों को मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद और अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा सती निवारण अधिनियम, 1981 के कुछ अनुचित उपबन्धों जैसे अधोगामी कदमों द्वारा समाप्त किया जा रहा है जिसके न केवल महिलाओं तथा न्याय, समानता तथा स्वतन्त्रता पर बल्कि देश की राजनैतिक एवं सामाजिक दशा पर गम्भीर प्रभाव पड़ेंगे। इसके परिणामस्वरूप हमें रूढ़िवाद के साथ समझौता करना पड़ा है।

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट। क्या यह सदन की इच्छा है कि हम आधे घन्टे तक और बैठे रहें?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सुशीला जी, अब आप अपनी बात जारी रखें। मैं इसके लिए समय बढ़ाने के लिए केवल सदन की स्वीकृति लेना चाहता था।

श्रीमती सुशीला गोपालन : आज हम देश में इन समझौतों के परिणाम देख रहे हैं। हमने हर तरफ से रूढ़िवाद के साथ समझौता किया था। अल्प-रूढ़िवाद और बहु-रूढ़िवाद के साथ समझौता किया। आज हम सभी परिणाम देख रहे हैं। महिलाओं के मामले में स्वतन्त्रता के बाद अब तक लगभग 2500 सिफारिशें की गई थी। इला भट्ट आयोग द्वारा की गई महिलाओं के स्वयं रोजगार सम्बन्धी सिफारिश जैसी ही सभी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। विधि आयोग की अभी भी कई सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया है। महिलाओं की दशा के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट, 1975 को क्रियान्वित नहीं किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग गठित करने की मुख्य सिफारिश थी। कांग्रेस सरकार द्वारा वह भी क्रियान्वित नहीं की गई थी। यह धन और समय व्यर्थ करना था क्योंकि निर्णय स्वीकार करना और इसे क्रियान्वित करना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सरकार ही महिलाओं को दी गई संवैधानिक गारन्टियों का उल्लंघन कर रही है। दहेज प्रतिशोध अधिनियम में संशोधन करने और परिवार अदालत बनाने के लिए महिला संगठनों द्वारा अनगिनत संघर्ष किये गये थे जो काफी लम्बे समय तक चले। इस दबाव के कारण सरकार कुछ विधान पारित करने के लिए बाध्य हो गई थी। लेकिन उसके पश्चात् क्या हुआ? प्रत्येक जिले में परामर्शदायी केन्द्र सहित परिवार अदालत की स्थापना की जानी थी।

मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि कितनी अदालतें स्थापित की गई? 1984 में एक विधान पारित किया गया था, लेकिन कितनी अदालतों को स्थापित किया जा रहा है? हमने कई राज्य

सरकारों से सिफारिश की है लेकिन वे कह रहे हैं कि धन नहीं है क्योंकि उन्हें प्रत्येक जिले में अदालत स्थापित करनी है और धन नहीं है। वे इस उद्देश्य के लिए अलग से कोई धनराशि नहीं रख रहे हैं। राशि का योजना आयोग द्वारा आवंटन किया जाना चाहिए। अतः जब दबाव डाला जायेगा तब आप विधान पारित करेंगे। लेकिन बहुत कम स्थानों पर परिवार अदालतों की स्थापना की गई है। राजधानी में एक परिवार अदालत किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पायेगी और इसके लिए स्वीकृत राशि भी अपर्याप्त है। यह स्थिति है। फिर हम विधान क्यों पारित करें ?

दहेज प्रतिशोध (संशोधन) अधिनियम के बारे में बहुत से आन्दोलन हुए थे। महिला आयोग के निर्माण के लिए वास्तव में हमने दो या तीन बार संसद में धरना दिया था और बहुत से आन्दोलन हुए थे। यहां उसे अन्तिम रूप से पारित कर दिया गया था। लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिकारी कहां है ? प्रत्येक जिले में एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी होना चाहिए। लेकिन क्या आपने कोई प्रयास किया ? राज्य सरकारें यह बता रही हैं कि उनके पास धन नहीं है। इसका क्या हल है ? और आप यह शिकायत कर रहे हैं कि महिलाओं की दहेज के कारण मृत्यु होती है और उन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन पारित किए गए कानून का उद्देश्य क्या है ? कानून पास कर दिया गया था लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इस विधान को क्रियान्वित करने के लिए कोई पहल नहीं की। 1984 में मैंने संसद में यह कहा था कि इन सभी विधानों को भविष्य में रिसर्च विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अभिलेखागार में रखा जा सकता है तथा यह कहा जा सकता है कि इनमें से किसी भी विधान को लागू नहीं किया गया। बहुत से सामाजिक विधानों की यह हालत है। यह देखने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं कि इन विधानों को क्रियान्वित कर दिया गया है ? अतः महिला संगठनों ने सर्वसम्मति से सांविधिक शक्तियों युक्त एक महिला राष्ट्रीय आयोग बनाने का संकल्प पारित किया।

महिलाओं के लिए विकास योजना पर बातचीत करने के लिए सभी महिला संगठनों और समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैनों की बैठक बुलाई गई। हमने संदर्शी योजना पर बातचीत की, इस पर हमारी कुछ आपत्तियां हैं। उसके पश्चात् अगस्त, 1983 में 43 महिला संगठनों द्वारा दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया और महिला आयोग के निर्माण के लिए सरकार को अनुरोध करने का निर्णय लिया गया लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अन्त में नेशनल फ्रन्ट की सरकार एक विधेयक लाई जिसमें बहुत सी कमियां थी और महिला संगठनों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस सरकार की नीति के ठीक विपरीत नेशनल फ्रन्ट की सरकार ने महिला संगठनों के साथ इस पर पुनः बातचीत की और पर्याप्त रूप से इसमें परिवर्तन किया यद्यपि अभी भी कुछ कमियां हैं। लेकिन वह महिला संगठनों के साथ बातचीत करने को तैयार हो गई। उन्होंने न केवल ट्रेड यूनियनों, युवकों आदि के साथ बातचीत की बल्कि वह यह जानने के लिए सभी से बातचीत करने को तैयार हो कि इन विधानों के बारे में लाभ-भोगी क्या सोच रहे हैं और कैसा अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में, कांग्रेस सरकार सम्बन्धित संगठनों के साथ बातचीत करने की कभी भी इच्छुक नहीं थी।

अतः विचार-विमर्श करने के पश्चात् महिला आयोग सम्बन्धी विधेयक में पर्याप्त रूप से परिवर्तन किया गया। मैं आपको बता सकती हूं कि विश्व में अब तक पारित किये गये विधेयकों में यह सबसे उत्तम है। इसका अर्थ यह है कि तृतीय विश्व के देशों और पूंजीवादी देशों में पारित किये गये विधेयकों में यह सबसे उत्तम है। मैं समाजवादी देशों को इससे बाहर रखती हूं क्योंकि उनकी अलग प्रणाली है। यह विधेयक इस सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अब वे इसको क्रियान्वित करने में क्यों हिचकिचाते हैं ? न केवल वह, बल्कि महिला अधिकार आयुक्त नियुक्त करने का आपका सुझाव है।

[श्रीमती सुशीला गोपालन]

इतनी अधिक भाषाओं, संस्कृतियों और अन्य अनेक समस्याओं वाले देश में क्या एक आयुक्त महिलाओं की समस्याओं को समुचित ढंग से सुलझा सकेगा? जब हमने मन्त्री जी से बात की तो वह बता रहे थे कि वे दोनों महिला संगठन और महिला अधिकार आयोग को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कैसे सम्भव है? इसका अर्थ यह है कि आप महिला आयोग पर एक शक्ति सम्पन्न नौकरशाह रखना चाहते हैं। नौकरशाही में भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो महिला राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध लड़ रही है। जब इस आयोग को बनाया गया है तो इसके कार्य की निगरानी भी की जायेगी। यह निगरानी की जाएगी कि अधिनियमों को कैसे क्रियान्वित किया गया है महिलाओं की समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। वे विभागों से रिकार्ड की मांग कर सकते हैं। वे उन पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और संशोधन के लिए सरकार को अपनी राय दे सकते हैं।

अब, इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। जो भी अतिक्रमण हो रहा है, वास्तव में कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। रोज कुछ न कुछ हो रहा है। महिलाओं को बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ रहा है और जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ बहुत अधिक पक्षपात किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में जहां वे काम करती हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी की जा रही है। इन सब बातों को देखने और रोकने वाला कौन है? इसीलिए हमने यह सुझाव दिया है कि इसके लिए एक स्वायत्तशासी निकाय होना चाहिए। किन्तु कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। वे एक सरकारी निकाय चाहते है ताकि हमेशा की तरह वे इन बातों का सामना कर सकें।

किन्तु मैं आपको तीसरे विश्व के देशों और पूंजीवादी देशों के अनुभव बताता हूं जहां यथोचित शक्तियों और धन के बिना, आयोग गठित किए गए जो परिणामतः असफल हुए। बहुत ही कम देशों में उन्हें कुछ-कुछ सफलता मिली है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और स्कैंडीनेविया। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी महिलाओं के लिए आयुक्त नियुक्त किया है। किन्तु उन्होंने उसे पर्याप्त शक्तियां नहीं दी, यह एक स्वायत्तशासी निकाय नहीं था। इस कार्य के लिए कोई धन नहीं दिया गया। वास्तव में, प्रारम्भिक अवस्था में, समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे कुछ कानूनों के पास होने से थोड़ी बहुत प्रगति हुई थी। किन्तु आयोग के कार्यों ने महिलाओं के उत्साह को फिर से भंग कर दिया। वे खुश नहीं थीं।

अतः, महिलाओं से सम्बन्धित इन समस्याओं से निपटने का एकमात्र उपाय यही है कि एक स्वायत्तशासी आयोग गठित किया जाये। हम इसी की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर, मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह देश की महिला संगठनों को उस कानून के क्रियान्वयन के लिए सड़कों पर आने के लिए बाध्य न करे जिसे इस संसद ने पारित कर दिया है। यह मेरा अनुरोध है। इसे क्रियान्वित करना कोई कठिन काम नहीं है। आयोग में विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को लिया जाना चाहिए और उन्हें महिलाओं की विभिन्न समस्याओं पर गहराई से विचार करना चाहिए कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जाये और विभिन्न कल्याण सम्बन्धी कानूनों को कैसे क्रियान्वित किया जाये। यह सब किया जाना चाहिए।

मुझे खुशी है कि दूसरी ओर, सरकार में कुमारी ममता बनर्जी हैं। मंत्री के रूप में, उन्हें यहां भी लड़ना होगा। केवल बाहर ही नहीं अपितु सत्ता में भी आपको लड़ना होगा। हम महिलाओं के निमित्त बाहर से लड़ाई लड़ेंगे। वर्ना यह आयोग नहीं बन पाएगा। सरकार स्वायत्तशासी निकाय नहीं चाहती। अतः, मेरा सरकार से निवेदन है कि वह यथोचित शक्ति और पर्याप्त धन के साथ एक राष्ट्रीय महिला

आयोग तुरन्त गठित करे। ऐसा करना होगा। देश का भविष्य महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। केवल तभी देश में उन्नति होगी। आप चाहें जो मरजी विकास कार्य करें, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन किये बिना कोई उन्नति सम्भव नहीं। आप हर जगह यह देख रहे है।

इसके साथ, मेरा सरकार से निवेदन है कि वह राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के प्रश्न के सम्बन्ध में सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाये।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण की ओर ध्यान न देने पर अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए मैं श्रीमती सुशीला गोपालन और अपने देश की महिला-वर्ग के साथ हूं।

अपने देश में कई सौ सालों तक सामन्तवादी व्यवस्था रहने के कारण, महिलावर्ग को वे अवसर और लाभ नहीं दिए जा रहे हैं जिसकी वे हकदार हैं।

इस पृष्ठभूमि में, केन्द्र सरकार और इसके साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा कई कानून पास किए गए हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कई नीति सम्बन्धी उपाय अपनाए गए है। किन्तु उस कार्य-प्रणाली की देखभाल करने वाला कोई नहीं है जो सभी कानूनों और नीति सम्बन्धी संकल्पों को क्रियान्वित करेगा। अतः, यह अत्यधिक आवश्यक है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जाये न कि एक राष्ट्रीय आयुक्त की।

इस पृष्ठभूमि में, मैं बताना चाहता हूं कि वार्ताधीन प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने इस सदन में पारित राष्ट्रीय महिला आयोग सम्बन्धी विधेयक के प्रावधान को क्रियान्वित करने का निर्णय नहीं लिया है। इस पर महिला सांसदों का शिष्टमण्डल श्री अर्जुन सिंह जी से मिला और उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय महिला आयोग सम्बन्धी विधेयक को क्रियान्वित करने के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने बताया कि वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि महिला आयोग और आयुक्त कार्यालय की अवधारणा के बीच कितना तादात्म्य बिठा सकेंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग सम्बन्धी विधेयक को इस सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया। विभिन्न महिला संगठनों और महिला कल्याण सम्बन्धी विभिन्न संगठनों ने कई उपाय सुझाये थे और उन उपायों को राष्ट्रीय महिला आयोग में सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार उस समय की सरकार ने विधेयक का समर्थन किया था। अतः, मेरा विचार है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी विधेयक के प्रावधान को क्रियान्वित करने के लिए वचनबद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें यह चर्चा 6.30 म० प० पर समाप्त करनी है।

श्री सुधीर गिरि : अपने प्रश्न को प्रभावी बनाने के लिए मुझे अपनी पृष्ठभूमि को प्रभावशाली बनाना चाहिए।

सरकार ने महिला आयोग और आयुक्त के कार्यालय, दोनों को मिला दिया है। इस अवधारणा को 1988 में समाप्त कर दिया गया था जब इसे राष्ट्रीय संदर्शी योजना में प्रस्तुत किया गया। महिलाओं के स्तर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र के 25वें प्रतिवेदन में और भारत में महिलाओं के स्तर सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में सर्वसम्मति से सिफारिश की गई थी कि हमारे देश में एक स्वायत्तशासी और सांविधिक महिला आयोग गठित किया जाये। किन्तु कांग्रेस के घोषणा पत्र में, आयुक्त कार्यालय की अवधारणा को

[श्री सुधीर गिरि]

पुनर्जीवित किया गया। इसने हमारे मस्तिष्क में शंकायें उत्पन्न कर दी हैं कि इस आयोग के गठन में विलम्ब क्यों हुआ है और वे राष्ट्रीय महिला आयोग सम्बन्धी विधेयक को क्रियान्वित करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं।

अतः मेरा संक्षिप्त प्रश्न यह है कि इस पृष्ठभूमि में, जबकि हमारे समाज में महिला कल्याण की अत्यधिक आवश्यकता है, क्या संसद के दोनों महिला एवं पुरुष सदस्य मिलकर, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित करने के समर्थक हैं।

मेरा प्रश्न यह है : जिस विधेयक को संसद ने पहले ही पारित कर दिया था उसके क्रियान्वयन में टालमटोल किए जाने के क्या कारण हैं ? माननीय मंत्री से मेरा दूसरा प्रश्न है : क्या वह निश्चित आश्वासन देंगी कि थोड़े समय के अन्दर विधेयक को क्रियान्वित किया जाएगा ? यह मेरे प्रश्न हैं।

प्रो० सावित्रि लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, हम महिलाएं पुरुषों के साथ राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में सहायक और भागीदार हैं। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि ऐसा केवल कागजों और फाइलों में ही है। हम इस देश में हर दूसरे दिन मुथाम्मा, अमीना, अनीथा धवन आदि के मामले देखते हैं। इस देश में ऐसे मुख्यमंत्री भी थे जो बलात्कार को एक आम बात कहकर न्यायोचित ठहराते थे जैसे एक कप चाय पीना आम बात है। जब केरल के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री सत्ता में थे, तो किशोर अवस्था के लड़के, लड़कियों पर टिप्पणी करते हुए यह प्रश्न पूछा करते थे : क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय पीने के लिए आ रही हो ?

श्रीमती सुशीला गोपालन : मुख्यमंत्री ने स्वयं इसे सुधारा था।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : हमारे प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य में बेचारी महिलाओं की यह स्थिति है। सदन में अमीना के मामले में काफी चर्चा हुई थी। कुछ माननीय सदस्यों, जिनके बच्चे अमीना की उम्र के हैं, ने गहरा दुःख व्यक्त किया कि अमीना को किसी महिलाओं के संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा देखभाल की अनुमति नहीं दी गई। मैं भी उनकी इस भावना का सम्मान करती हूं। परन्तु यह सूचना दी गई है कि पश्चिम बंगाल के एक गांव के 60 वर्षीय खींमा नामक व्यक्ति ने, 5000 रुपये में 12 वर्षीय लड़की को खरीदा और उससे शादी की। मेरे कुछ साथी राजनैतिक हितों के लिए उस विशेष व्यक्ति के आंकड़े इकट्ठे करने में रूचि रख सकते हैं। परन्तु रे लिए यह मायने नहीं रखता कि वह व्यक्ति कौन है। चाहे आदमी किसी भी दल, जाति अथवा धर्म का हो, वह एक इन्सान है जो बालिका का अपमान कर रहा है। यह सूचना दी गई है कि यह व्यक्ति अब पुलिस की हिरासत में है। परन्तु बालिका को एक सुधार गृह में भेज दिया गया है। किस अपराध के लिए ? इस विशेष मामले में, अपराधी विदेशी नहीं है, वरन वह एक भारतीय है। पश्चिम बंगाल जैसे तथाकथित क्रांतिकारी राज्य में ऐसे अमानवीय व्यवहार की मैंने कभी भी अपेक्षा नहीं की थी। भारत की महिलाओं की दयनीय स्थिति को व्यक्त करने के लिए ही मैंने यह घटना सुनाई है।

अपनी बात पर वापस आते हुए मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास जिला स्तर पर और निम्न स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने की कोई योजना है। मैं इतना ही पूछना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिए अनुरोध करूंगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकती हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मेरा सरकार से प्रश्न है : किस आशय से आपने अपने चुनाव घोषणापत्र में महिलाओं के अधिकारों के लिए आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के बारे में कहा है ? राष्ट्रीय महिला आयोग सम्बन्धी विधेयक इस सदन में पारित होने के बावजूद, यह क्रियान्वित नहीं हुआ था ।

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ एक मिनट । मंत्री जी के उत्तर के बाद आप कोई भी प्रश्न पूछ सकती हैं। यह आप उस समय पूछ सकती हैं । यह एक नया उदाहरण होगा । इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : ठीक है ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, इस विषय में आधे घण्टे की चर्चा के बजाय आपको पूर्ण चर्चा की अनुमति देनी चाहिए थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस घण्टे के अन्त में यह सुझाव आ रहा है ।

कुमारी ममता बनर्जी : प्रत्येक सदस्य की यही मंशा है । (**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी : उपाध्यक्ष जी, मैं पहले अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहती हूं, जिन्होंने इस पर डिस्कशन हाउस में लाने का मौका दिया और यहां चर्चा करने के लिए मौका दिया । मैं बधाई देना चाहती हूं श्रीमती सुशीला गोपालन को, सुधीर गिरि जी और सावित्री लक्षमणन को कि उन्होंने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। काफी वक्त मैं भी सोचती हूं, जो आपने कहा है लिटरेसी के बारे में, इनफैंट मोरटैलिटी के बारे में, ऐट्रोसिटीज के बारे में । यह बात हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है । मैं नहीं कह सकती हूं कि आज एट्रोसिटीज हिन्दुस्तान में कम हो रही हैं और महिलाओं पर एट्रोसिटीज नहीं हो रही हैं । ऐसी बात मैं नहीं कह सकती । लेकिन यह भी कहना ठीक नहीं है कि गवर्नमेंट पापेट की माफिक खाली बैठी है, कुछ नहीं कर रही । यह बात भी ठीक नहीं है ।

नेशनल कमीशन फार वीमन के लिए अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया ? नेशनल कमीशन फार वीमेन या आफिस आफ कमीशनर फार वीमन, बात इस पर नहीं है । बात इस पर है कि हमारी सरकार को यह चीज कहनी चाहिए । तो हम सुन रहे हैं । बहुत अच्छा हो, ऐसा कोई कानून बनना चाहिए, कोई कमीशन बनना चाहिए, जिसमें महिलाओं की प्रोब्लम सोल्व होनी चाहिए । नेशनल कमीशन फार वीमन, कमीशनर फार वीमन राइट्स, यह बात नहीं है। लेकिन मैटर यह है कि हमारे पास जितने भी कानून हैं, कानून बहुत सारे हैं हमारे पास, जो कानून पार्लियामेंट ने पास किये हैं– डाउरी प्रोहीबीशन एक्ट 1961 है, इमोरल ट्रैफिक प्रीवेंशन एक्ट 19 6 है, इंडीवीजुअल रिप्रीजेंटिव आफ वीमन प्रोहीबीशन एक्ट 1986 है, कमीशन आन सती प्रीवेंशन एक्ट 1987 है, नेशनल कमीशन आफ वीमन एक्ट, जो नोटीफाई किया था, लेकिन अभी इम्पलीमेंट नहीं हुआ है, वी० पी० सिंह की गवर्नमेंट भी चली गई, एक्ट नोटीफाइड होने के बाद फोर्स में नहीं आया । यह अभी नहीं हो पाया है । इसके अलावा और भी बहुत से कानून हैं । हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 है, स्पेशल मैरीज एक्ट 1954 है, हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1956 है, हिन्दू एडोप्शन आफ मेंटीनेंस एक्ट 1956 है । बहुत सारे

[कुमारी ममता बनर्जी]

एक्ट हैं हमारे पास।···(व्यवधान)···देखिये आप मुझे बोलने दीजिए। कमी है केवल इम्प्लीमेंटेशन की। लॉ एण्ड आर्डर स्टेट सब्जैक्ट हो गया। लॉ एण्ड आर्डर स्टेट सब्जैक्ट होने के नाते जितनी भी रिसपोंसीबिलिटी है एक्ट को इम्पलीमेंट करने के लिए वे रिसपोंसीबिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टैरीटोरीज की हैं।

मैं रिक्वैस्ट करना चाहती हूं, इस हाउस में, हर सदस्य से, आप लोग स्टेट गवर्नमेंट को इनसिस्ट कीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर ज्यादा से ज्यादा एक्शन क्यों नहीं ले रही है। मैं इसके लिए कहना चाहती हूं।

यह केवल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, त्रिपुरा अथवा अन्य किसी राज्य का मामला नहीं है। यह प्रत्येक राज्य से सम्बद्ध है। सरकार को कठोर कार्यवाही करने के लिए आगे आना चाहिए। अत्याचार बढ़ रहे हैं। क्या राजनैतिक दल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? निस्सन्देह, वह भी इसके लिए उत्तर-दायी हैं।

पालिटीकल एट्रोसिटीज हो रही हैं वीमन के ऊपर। आज तीन-चार स्टेट्स में आप देखिए। डिबेट को मैं कांट्रावर्शियल नहीं करना चाहती हूं ताकि किसी को दुःख लगे। लेकिन बात सच है, हमारे स्टेट में हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन जो पार्टी है वह टारचर करेगी। त्रिपुरा में उसकी पार्टी है वह हमारी पार्टी को टारचर करेगी। दूसरी जगह पर हमारी पार्टी है, तो वह टारचर करेगी। पालिटीकल एट्रोसिटीज पहले कम होनी चाहिए। लेकिन पालिटीकल पार्टीज के लीडर हैं, वर्कर हैं, उनको सोचना है। उनको हमारे ऊपर बोलना चाहिए। पालीटीकल लीडर स्पीच देने के लिए जाता है, वर्कर स्पीच देने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे पास कम्पलसरी सब्जैक्ट होना चाहिए। मेरा पालिटीकल पार्टीज के लीडर्स को कहना है कि आप एट्रोसिटीज के खिलाफ बोलें। महिलाओं को स्पेशल प्रोटैक्शन देने के लिए महिलाओं को प्रोटैक्ट करें। यह बहुत दुःख की बात है, अभी हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं, हमारी वीमन को क्या सोचते हैं, उसको पिक्चर के माफिक सोचते हैं। उसको बहुत दुःख है, वह फिजिकली फिट नहीं है। इसके कारण उस पर एट्रोसिटीज होगी, मोलेस्टेशन होगा, रेप होगा। यह नहीं होना चाहिए। अगर हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को आगे लाना होगा।

अगर महिलाएं आगे नहीं आयेंगी तो हमारे हिन्दुस्तान की कोई तरक्की नहीं हो सकती है। स्वामी विवेकानन्द ने क्या कहा था···(व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : कमीशन के बारे में बोलिए। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : आपने बहुत पोलिटिकल स्पीच दी हैं, अब हमको बोलने दीजिए।··· (व्यवधान) स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि हिन्दुस्तान की महिलाओं की जागृति नहीं होगी तो हमारे हिन्दुस्तान की जागृति नहीं होगी। हमारे हिन्दुस्तान की जागृति होनी है तो हमारी महिलाओं को आगे ले आना है।···(व्यवधान) हमको जो बोलना है, वह हमको याद है। हमको इन्सीस्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमको जो करना है, वह जरूर करेंगे।···(व्यवधान) कभी कोई पार्टी सोचती है कि हमारी पार्टी की बात नहीं है। हमारी सरकार महिलाओं के लिए सोच रही है और ध्यान दे रही है। 1975 में इन्दिरा जी ने नेशनल कमीशन ओन वुमेन बनाया था। उसके बाद 1977 और 1989 में भी बहुत विचार हुआ था। लेकिन कमीशन का आफिस नहीं बन पाया। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन कुछ नहीं हो सका। हम जो बोलते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं। राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे

तो उन्होंने इस काम को करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बाद में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे।··· (व्यवधान) पहले मेरी बात को सुनिए। इलेक्शन की वजह से वे नहीं कर पाए। बाद में श्री वी० पी० सिंह की सरकार भी आई···(व्यवधान) शाहबानो केस में नेशनल कमीशन आफ वुमेन एक्ट नहीं है। आप जरा सोचिए।

[अनुवाद]

सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग सम्बन्धी विधेयक दिनांक 22-5-90 को लोक सभा में पुरः-स्थापित किया। 1990 के मानसून सत्र में, इस विधेयक पर लोक सभा ने चर्चा की। 8 अगस्त, 1990 को इस पर वाद-विवाद हुआ तथा 9-8-90 को लोक सभा ने इसे पारित कर दिया।

20-8-90 को इसे राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया तथा 22 और 23 अगस्त, 1990 को इस पर वाद-विवाद हुआ। राज्य सभा ने इस विधेयक को 23 अगस्त, 1990 को पारित कर दिया। यह तथ्य है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, संख्या 20 को 31-8-90 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया। हांलाकि इसको अभी तक लागू नहीं किया गया।

[हिन्दी]

तीन महीने पहले ही हमारी नयी सरकार बनी है। हमारी मेनीफेस्टो में कहा है :—

[अनुवाद]

महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने आयोग गठित किया था। हमने हमेशा यह विश्वास किया है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु एक विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। यह इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में यह कहा गया है कि पहले 365 दिनों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तथा उन पर की जा रही ज्यादतियों के लिए समय पर कार्य-वाही किए जाने हेतु महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आयुक्त के कार्यालय की स्थापना की जाएगी।

राष्ट्रपति महोदय के भाषण में भी यह कहा गया है कि सांविधिक पुस्तक में महिलाओं के लिए जो भी विधान है उनको लागू करने के लिए उपाय किए जाएंगे। पहले कदम में हम लोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु एक आयुक्त नियुक्त करेंगे ताकि महिलाओं के अधिकारों सम्बन्धी विधानों को लागू करने के लिए उचित कार्यवाही कर सकें। मैं माननीय मन्त्री जी को यह आश्वासन दिलाना चाहती हूं कि हमारी सरकार महिलाओं के मान तथा सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेगी। तथा उनकी सुरक्षा हेतु बनाये गये नियमों का सख्ती से कार्यान्वयन करेगी।

[हिन्दी]

अभी कमीशन फार वोमन राईट्स हम इस्टेबलिश करेंगे लेकिन नेशनल कमीशन फॉर वोमन के लिए भी मैं कोशिश कर रही हूं कि इसको भी किया जाये। यह महिलाओं के लिए कोई पालिटीकल इशू नहीं है।

इस मामले में कोई भी पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग भी महिलाओं के अधि-कारों की सुरक्षा के लिए इच्छुक हैं।

[हिन्दी]

अभी जो चल रहा है, डिस्कशन स्टेज है। अगर नेशनल फॉर वोमन आएगा, उसकी रेस्पांसिबलटी होगी। कमीशन फॉर वोमन राईट्स इसका क्या आर्गनाईजेशन स्ट्रक्चर होगा, इसका क्या फंक्शन होगा, अभी तक तय नहीं हुआ है। इसमें थोड़ा टाईम लगेगा। इसलिए मैं मेम्बरों से यह कहना चाहती हूं.....

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसके लिए एक्ट तो बना हुआ है।

कुमारी ममता बनर्जी : एक्ट तो बना हुआ है लेकिन उससे कोर्ट में न्याय नहीं हो पाएगा। उसको एन्फोर्स में लाना होगा।

एक माननीय सदस्य : इसका कोई तरीका है ?

कुमारी ममता बनर्जी : इसका तरीका है।

[अनुवाद]

आपने प्रश्न पूछा है, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगी।

अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग केन्द्र स्तर पर होगा जबकि महिला अधिकार आयुक्त कार्यालय की शाखाएं राज्य स्तर पर भी होंगी और जिला स्तर के अधिकारी महिलाओं के कष्ट निवारण में उन्हें मदद करेंगे। (**व्यवधान**)

श्रीमती सुशीला गोपालन : आयोग तो पहले ही बनाए जा चुके हैं। केरल में तो यह पहले से ही हैं तथा पश्चिमी बंगाल में पारित होने वाला है। यह विचाराधीन हैं। (**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया मुझे सुनिये। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अगर पॉलिकलाईज करना है तो वी०पी० सिंह गवर्नमेंट जाने के बाद भी सात महीने टाईम मिला, क्यों नहीं हुआ। इसको सात महीने में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। काफी टाईम आप लोगों के पास था। लेकिन एक्ट पास करने के बाद भी आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब हम लोग यहां पर तीन महीने से आए हैं, उसमें कितना टाईम मिला है ? पिछले दिनों 3-3 क्वश्चन्स रेज किए हैं।

[अनुवाद]

मैं सुशीला जी द्वारा परिवार-न्यायालय के बारे में पूछे गए प्रश्न के बारे में कहना चाहती हूं। परिवार-न्यायालय का विषय विधि तथा न्याय मन्त्रालय तथा राज्य सरकार के तहत हैं। जहां तक मेरी जानकारी है ···(**व्यवधान**)···आपने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में भी पूछा है।

[हिन्दी]

डावरी प्राहिबिशन एक्ट हम लोगों ने पास किया है। यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आस लोग कोशिश कीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें ज्यादा ध्यान दें। महिलाओं की जो प्राब्लम है वह है एम्प्लायमेंट की। उसको

खाना नहीं मिलता है उसका अगर स्टैंडर्ड रेज करना है तो महिलाओं को प्रायरटी देने के लिए हर आदमी को साथ सोचना चाहिए।

[अनुवाद]

हम लोग महिलाओं के स्तर को उठाने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग चाहते हैं। वरना उसके जीवन स्तर को उठाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। ···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

इस भाषण से कुछ नहीं होता है। खाली हम कमीशन भी बना दें, अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रापर्ली न हो तो क्या होगा? ऐसे बहुत से कमीशन हैं, बहुत सारे लोग हैं लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन प्रापर्ली नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। एक मिशनरी होना चाहिए जहां हम लोग कर सकते हैं, जहां काम कर सकते हैं तो मैं आनरेबल मैम्बर्स को एश्योर करना चाहती हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी यह विनती है कि मन्त्री जी क्या कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिये।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी : इसीलिए मैं यह बात कहना चाहती हूं कि हमारा डिपार्टमेंट महिलाओं को जितनी भी मदद देनी है—चाहे लीगल प्रोटेक्शन है, चाहे इम्प्लायमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स हैं, हर तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे उनकी मदद करने के लिए। हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं मगर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है चाहे कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हो। हमारा कहना यह है कि आप थोड़ा समय दीजिए। हम लोग अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हमारे साथ लॉ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चरल डिपोर्टमेंट है, वुमेन का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है।

आपस में बात करके हम लोग जरूर कुछ न कुछ करेंगे, यह आश्वासन मैं दे सकती हूं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं परिवार न्यायालयों के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। अब परिवार न्यायालय अधिनियम के तहत भाग्यवश या दुर्भाग्यवश यह उपबन्ध है कि राज्य सरकारें ही उनकी स्थापना तथा उन्हें आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय करेंगी। वे जब हमें सूचित करते हैं हम अधिसूचित करते हैं। हम राज्यों से अनुरोध करते हैं कि वे हमें सूचित करें। यह एक ऐसा मंच है जहां सभी दल तथा राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी राज्य सरकारों को प्रभावित करें कि वे लोग केन्द्र सरकार को सूचित करें ताकि अधिसूचित किया जा सके। हमें जैसे ही वे सूचित करेंगे हम अधिसूचित करने के लिए तैयार हैं। हमने इस सम्बन्ध में एक नहीं कई बार लिखा है तथा यह नियमित रूप से करते रहे इस सम्बन्ध में भी हमने राज्य सरकारों को कई बार अनुस्मारक भी भेजे हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : इस प्रश्न के बारे में हमने केरल सरकार से भी सम्पर्क किया है। वे

[श्री रंगराजन कुमारमंगलम]

लोग तीन परिवार न्यायालय स्थापित करने के लिए सहमत भी हो गए हैं परन्तु उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि पूरे 14 जिलों में परिवार न्यायालय स्थापित किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिलों में परिवार न्यायालय स्थापित करना सम्भव नहीं होगा। वास्तव में धनराशि का प्रश्न है। मैंने इसी मामले में मन्त्री महोदय से प्रश्न किया था परन्तु उन्होंने उत्तर नहीं दिया। आपको पता है कि राज्य सरकार इस पर इतना पैसा नहीं लगा सकती। अतः मेरा निवेदन है कि योजना में ही कुछ पैसा अलग से रख दिया जाये इन सामाजिक कानूनों का पारित होने के बाद कार्यान्वयन हो सके।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं सुझाव का स्वागत करता हूं। वास्तव में मैंने स्वयं योजना आयोग से इस सम्बन्ध में बात की है तथा उन्हें योजना में ही इस बाबत कुछ प्रावधान रखने के लिए कहा ताकि इसे प्रक्रियात्मक, विशेषकर जहां सामाजिक खरच हो, न्याय मिल सके। साथ ही साथ कृपया मुझे स्पष्ट करने दें कि, उसके लिये नई इमारत अथवा नई संरचना की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यमान जिला न्यायालय में ही एक परिवार न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। ऐसा अन्य राज्यों में बिना कोई अतिरिक्त खर्चा किया गया है।

मैं केरल की स्थिति जानता हूं क्योंकि उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि वे राज्य स्तर पर ही शुरू करना चाहते हैं। अन्य क्षेत्रों में जहां उच्च न्यायालय ने इसके लिये जोर नहीं दिया है कुछ स्थानों पर परिवार न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं। हम लोग केरल के उच्च न्यायालय पर अवश्य प्रभाव डालेंगे कि सरकार को एक-दो, तीन या चार जिलों में परिवार न्यायालय स्थापित करने दिया जाये ताकि यह आंदोलन चलता रहे क्योंकि यह जनता के हित में है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य, श्रीमती सरोज दुबे, तथा श्रीमती वसुन्धरा राजे को विशिष्ट मामले के रूप में अपने स्पष्टीकरण की अनुमति देता हूं परन्तु इसे पूर्वोदाहरण न समझें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : ऐसा लगता है कि मन्त्री जी ने आयुक्त के कार्यालय तथा राष्ट्रीय महिला आयोग में नाम तौर पर अन्तर किया है, जैसे कि उनमें वास्तव में कोई अन्तर है ही नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो परन्तु कार्य चलता रहना चाहिए। यदि उनके विचार इस प्रकार हैं तो मैं चाहूंगी कि वे पुनः अधिनियम पढ़ें। यदि मैं सही हूं तो बाद में उन्होंने कहा कि सबसे पहले वे आयुक्त का कार्यालय स्थापित करेंगे तथा इसके बाद आयुक्त बनायेंगे। यदि ऐसा है तो उन्होंने वास्तव में इन दोनों में अन्तर बताया है। अतः इस मामले में जब अधिनियम है तथा जब एक साधारण अधिसूचना की आवश्यकता है तो फिर क्यों अब एक आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया जाये तथा कुछ दिनों बाद एक राष्ट्रीय आयोग ?

मैं पूछना चाहूंगी कि 1988 में जो राष्ट्रीय विकास योजना प्रस्तुत की गई थी तथा इस सम्बन्ध में वाद-विवाद के दौरान सभी महिला संस्थाओं ने आयुक्त कार्यालय के विचार को नकारा था तथा उसके बदले उन्होंने एक वैधानिक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की। अतः मैं जानना चाहूंगी कि जिस विचार को त्याग दिया था उसी विचार पर सरकार क्यों जा रही है तथा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय आयोग बनाने के बजाय आयुक्त का कार्यालय क्यों स्थापित करने जा रहे हैं।

अन्त में चूंकि उन्होंने राज्य सरकारों पर अधिक जिम्मेदारी सौंप दी है, अतः मैं सुझाव देना

चाहूंगी कि महिलाओं की समस्या मात्र कानून तथा व्यवस्था की ही समस्या नहीं हैं जिसे पुलिस कार्यवाही द्वारा सुलझाया जा सके। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक मुख्य समस्या है। हालांकि हम सेम राज्य आयोग से जिला स्तरीय शाखाओं का विकेन्द्रीकरण की सिफारिश कर रहे हैं तथा राज्य स्तरीय आयोग तब ही काम कर सकता है जब उसको राष्ट्रीय स्तर की निकाय से सहायता मिलती रहे।

अतः मैं इस बारे में कुछ प्रतिक्रिया चाहती हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहूंगा कि मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग सम्बन्धी सभी प्रतिवेदन पढ़े हैं तथा महिलाओं के अधिकार के जो आयुक्त कार्यालय के लिए जो सिफारिशें की गई हैं उनको भी देखा है।

1989 में जब श्री राजीव गांधी प्रधान मन्त्री थे तब उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिये आयुक्त कार्यालय की स्थापना करने के लिए कुछ कदम उठाये थे। यदि मुझे एक घण्टे का समय दिया जाता है तो मैं सारे प्रस्तावों को पढ़ सकती हूं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : राष्ट्रीय भावी योजना पर की गई चर्चा के आधार पर जो सिफारिशें स्वीकार की गई थी उनके अनुसार एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय मन्त्री को कुछ सुझाव दे सकता हूं? यह दिन का अन्तिम चरण है अतः मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे महिला सदस्यों को बुलाकर मामले में चर्चा कर लेवें।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय मैंने पहले ही इस मामले में सदन की महिला सदस्यों जैसे श्रीमती गीता मुखर्जी, तथा अन्य से चर्चा कर ली है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक मुख्य समस्या है तथा केन्द्र सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। परन्तु कुछ नियम हैं। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है। अतः केन्द्र सरकार किसी भी राज्य सरकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। मैं श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य को याद दिलाना चाहती हूं कि जब पश्चिम बंगाल में एक महिला अनिता दीवान की जघन्य हत्या की गई थी, तब कई प्रतिष्ठित महिलाएं वहां कोई कार्यक्रम में शामिल होने गई तो उन लोगों की भी हत्या कर दी गई थी। जब हमने सी०बी०आई० से इसकी जांच करने के लिए कहा तो जांच इसलिये नहीं करवाई गई क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला राज्य सरकार का है तथा केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

मैं चिन्तित क्यों हूं? अगर त्रिपुरा में कुछ घटित हो जाता है—अगर वह राज्य कांग्रेस शासित नहीं है—तो विपक्ष के सदस्य शोर मचायेंगे। लेकिन जब यह मामला पश्चिम बंगाल का है तो वे कुछ नहीं कहेंगे। यह पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा का मामला नहीं है हमें इन मामलों को उन मामलों के रूप में नहीं लेना चाहिए जो राज्य सूची के अन्तर्गत आते हैं। जब मैं सत्ता में नहीं रहूंगी तभी मैं आलोचना करूंगी। जब वे सत्ता में नहीं रहेंगे तो वे आलोचना करेंगे। इसीलिए महिलाओं के उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम महिला आयुक्त कार्यालय स्थापित करने जा रहे हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण की चर्चा की थी कि हम इस प्रकार का आयोग स्थापित करने जा रहे हैं। (व्यवधान) अभी तक इस मामले पर निर्णय नहीं लिया गया

[कुमारी ममता बनर्जी]

है । मैं आप सब लोगों से यह नहीं कहने जा रही कि इस मामले पर चर्चा नहीं हो रही है । मामले पर चर्चा हो रही है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सरोज दुबे ।

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय बहुत देर से माननीय मन्त्री महोदय जवाब देने की कोशिश कर रहीं हैं और महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है, उसके बारे में भी बताया । हम लोग केवल एक छोटी सी बात जानना चाहती हैं कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर को ऊंचा करके उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने जो प्रांतीय महिला आयोग का गठन किया था, उसके सम्बन्ध सरकार क्यों नहीं सीधा-सीधा जवाब देती है ? हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के बारे में माननीय मन्त्री महोदया सीधा-सीधा जवाब दें कि उसको किस रूप में रखा हुआ है ? क्या महिला आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी, क्या यह महिला आयुक्त, जो सरकारी अधिकारी होगा, उसके अधिकार महिला आयोग के चेयरमैन के अधिकार के बराबर हो सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इस देश में महिलाओं के विकास के लिए तमाम अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स पहले ही नियुक्त किए गए हैं, फिर भी रोज अमीना जैसी अबोध लड़कियां बेची जा रही हैं, संगमा जैसी लड़कियां सड़कों पर निर्वस्त्र की जा रही हैं, खेतिहर मजदूर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूं कि महिलाओं की इतनी दयनीय स्थिति है और उनको हर रोज इतनी यातनायें दी जा रही हैं कि अगर मैं उनको यहां सुनाने लग जाऊं तो यह सदन आंसुओं से डूब जाएगा । इसलिए मैं उन पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जानना चाहती हूं । मन्त्री महोदया, सीधे-सीधे बात क्यों नहीं करती हैं ? क्यों वे इस महिला जागृति के कार्य को अधिकारियों के ऊपर फिर डाल देना चाहती है । क्यों नहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की घोषणा करती ?

श्री वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं ।

स्पष्टतया हम सभी इस विषय पर अत्यन्त चिन्तित हैं । इसकी चर्चा यह हमने पर पूरा सत्र ही लगा दिया है । मैं इस पर भाषण नहीं देना चाहती हूं ।

मैं इस विषय को कुछ हिस्सों में पेश करना चाहूंगी । यह महत्वपूर्ण विषय है और हम सभी इस पर चिन्तित हैं । क्या यह आवश्यक नहीं होगा कि इसका निष्कर्ष शीघ्रता से निकाला जाए । आप लोगों से मिलिए तथा उससे इस पर चर्चा कीजिए । क्या आप इसके लिए समय-सीमा निर्धारित करने के इच्छुक हैं जिसके अन्तर्गत आप उक्त प्रारूप तैयार करेंगे जिससे कि आप उस स्थिति से निपट सकें ? हम दिन प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाओं से निपटने को तैयार नहीं हैं चाहे वह सदन में हों या सदन के बाहर जिसकी सूचना हमें समाचार-पत्रों से मिलती है क्योंकि यह बहुत शर्मनाक बात है । इसलिए चाहे मेरी माननीया मित्र श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य हो या सरोजनी हो या मन्त्री महोदया या मैं स्वयं या भारतीय जनता पार्टी का कोई अन्य सदस्य हो मैं जानती हूं कि हम सभी इस पर चिन्तित हैं । मैं समझती हूं कि पुरुष सदस्य भी इसमें चिन्तित हैं क्योंकि जब हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की चर्चा कर रहे थे या ऐसी ही किसी समस्या पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने महसूस किया कि यह सदन की आम उत्सुकता है वह महिलाओं को परेशान करने की कोशिश नहीं करते भले ही वह मन्त्री हो या कोई अन्य ।

इसलिए इस पर आगे चर्चा करना बेकार है। मैं समझती हूं कि हमें मिल-बैठकर इसका समाधान ढूंढना होगा। आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यह राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय आयोग के बारे में क्यों कोई बात करें? हमें मूल मुद्दे पर बहुत जल्दी आना होगा क्या आप इसके लिए तैयार हैं और कितनी शीघ्रता से आप यह करने जा रहे हैं?

कुमारी ममता बनर्जी : मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुकी हूं कि हमारा विभाग जो करने को कहेगा हम वह करने को तैयार हैं। मैंने पहले भी कहा कि नाम में कुछ भी नहीं रखा। हमें यह देखना होगा कि हम किस प्रकार महिला वर्ग की सहायता कर सकते हैं हम उसे जल्दी से जल्दी करने को तैयार हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महिला आयोग स्थापित करने में आपको को क्या कठिनाइयां हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मेरा प्रस्ताव है कि हमें आठ बजे तक बैठना चाहिए ताकि वित्त विधेयक पर हो रही चर्चा को समाप्त किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : कई माननीय सदस्य वित्त विधेयक पर होने वाली चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अगर आप सब सहमत हैं तो हम आठ बजे तक बैठ सकते हैं और विषय के साथ न्याय कर सकते हैं। सदन में कुछ ऐसे भी माननीय सदस्य हैं जिन्हें इस सत्र में बोलने का अवसर तक नहीं मिला है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि हमें उन माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए इसलिए हम माननीय सदस्य को पांच मिनट तक ही सीमित रहना होगा ताकि बार-बार घंटी बजाने की आवश्यकता न पड़े।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : आप इसे 7.30 म०प० तक कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० जीवरत्नम।

6.59 म० प०

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक—जारी

श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनिम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तावित दूसरे वित्त विधेयक का स्वागत और समर्थन करते हुए मैं उनके विचारार्थ अपने कुछ विचार देना चाहूंगा।

उन्होंने कतिपय सामान और पदार्थों पर कुछ कर सम्बन्धी राहत की घोषणा की है। मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने ग्रामीण भूमि बंधक बैंकों, भूमि विकास बैंकों और सहकारी बैंकों में जमा-खातों पर आयकर में छूट की घोषणा की है। जिन्होंने ग्रामीण बैंकों में जमाखाते खोले हैं, उन्हें प्रदान की गई कर सम्बन्धी राहत के उपायों का विशेषकर इस कर सम्बन्धी छूट का मैं स्वागत करता हूं।

इसी तरह, मैं फलों के गूदे और फलों के रस से तैयार पेय पदार्थों पर दी गई उत्पाद शुल्क छूट

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० जीवरत्नम]

का हृदय से स्वागत करता हूं। वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की है कि श्याम-श्वेत टेलीविजन सेटों की पिक्चर ट्यूबों पर लगाये गए 300 रु० के उत्पाद शुल्क में 25 रु० की छूट दी जाएगी।

कृपया 25 रु० की छूट को 100 रु० तक कर दिया जाए ताकि उनके द्वारा पहले बनाए गए बजटीय प्रस्ताव में से इससे वास्तव में लाभान्वित हुआ जा सके।

काले धन को बाहर निकालने के उद्देश्य से वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की कि स्वेच्छा से बता दिए जाने पर अथवा ग्रामीण आवास योजनाओं में पूंजी निवेश करने पर जुर्माना नहीं किया जाएगा। मैं इस बात का स्वागत करूंगा और एक पिछला उदाहरण देना चाहूंगा। जब श्री आर० वेंकटरमन हमारे वित्त मन्त्री थे, उन्होंने 'बियरर बांडस' के प्रचालन द्वारा काले धन को बाहर निकालने के प्रयत्न किए। मेरा वर्तमान वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे उस पूर्ववर्ती योजना की व्यवहार्यता पर पुनः विचार करें।

बैंकों में जमा काले धन पर आयकर लगता है और काले धन कमाने वाले व्यक्तियों द्वारा चुकाए गए आयकर में यह शामिल होती है। काला धन कमाने वालों को धन बैंकों में जमा करने की बजाय, कराधान का यह तरीका उन्हें निराश करता है। अतः मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे बहीं लेखों से अलग से निपटा जाए और केवल उन पर लगाए गए करों की वसूली की जाए।

7.00 म० प०

करयोग्य आय की अधिकतम सीमा बाइस हजार रु० रही है। वर्तमान मूल्यों और वेतन पर यदि विचार किया जाये, तो पता चलेगा कि तहां तक कि साधारण जनता भी 1750 रु० अथवा 2000 रु० माहवार आसानी से कमा सकती है। मध्यम वर्गीय लोग ही हैं, जो अब आयकर की कम सीमा दर के शिकंजे में फंसे हुए हैं। अतः, मेरा माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि आयकर की अधिकतम सीमा को वर्तमान में बाइस हजार से बढ़ाकर तीस हजार रुपये कर दिया जाये। वित्त मन्त्री जी की इस सहृदयता से नौकरीपेशा लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

मैं वित्त मन्त्री जी से यह अनुरोध भी करूंगा कि आयकर लगाने में स्लैब रेट तकनीक पर पुनर्विचार किया जाये। उन लोगों को जिनकी आय दो से तीन लाख रु० है, अपनी आय का चालीस से साठ प्रतिशत करके रूप में देना कठिन लगता है। इस करारोपण तकनीक से काले धन को बढ़ावा मिलता है। हमारे सामर्थ्यवान वित्त मन्त्री जी को इस समस्या को सही ढंग से समझना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि कर ढांचे का समुचित पुनर्गठन अच्छे परिणाम लायेगा। वर्तमान परिस्थितियों में सम्पत्ति कर से राजस्व की ज्यादा प्राप्ति नहीं हो रही है। मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र से राजस्व बढ़ाने के लिए सम्पत्ति कर में वृद्धि की जाये।

काला धन बाहर निकालने का एक और तरीका भी है। यहां तक कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की है कि ग्रामीण आवास ऋण बैंकों में निवेश के रूप में जमाराशि को आयकर से मुक्त रखा जायेगा। वित्त मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि यह रियायत शहरी आवास के सम्बन्ध में भी दी जाये। शहरी क्षेत्रों में कई बड़े-बड़े घर और अनेक सामान्य घरों का निर्माण हो रहा है। केवल इस प्रकार के निर्माण कार्यों में वृद्धि से ही काले धन को बाहर निकाला जा सकेगा। हमारे देश में इस समय जो रहने की समस्या है इससे हमारी उस समस्या का भी हल हो जायेगा। मेरा वित्त,

मन्त्री जी से निवेदन है कि वे इस सुविधा को शहरी आवास निर्माण में भी उपलब्ध कराने पर विचार करें। इससे हमारी दो समस्याओं का एक साथ निपटान हो जाएगा। अपने बजट प्रस्तावों में वित्त मन्त्री जी ने कई योजनायें और उपायों की घोषणा की है। जिनमें से एक-पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों पर बढ़ा हुआ कर है। पेट्रोल को यहां तक कि आम जनता भी प्रयोग करती है। जिनत पास अपने तिपहिया स्कूटर और किराये की गाड़ियां हैं, वे ज्यादा समृद्ध नहीं हैं। हो सकता है जिनके पास अपनी बेंज कारें इसी तरह की बड़ी-बड़ी कारें हैं, वे समृद्ध हैं। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग और आम जनता प्रभावित होती है। अतः वित्त मन्त्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि वे इस पर ध्यान दें और पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाये कर को कम करने पर विचार करें।

जिस तरह से तमिलनाडु में, हमारे विश्व विख्यात राष्ट्रीय नेता राजीव गांधी को बड़े गिरोह से सम्बद्ध कुछ आतंकवादी संगठनों द्वारा हत्या करवाई गई, यह हमारे लिये बड़ी शर्म की बात है। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने, जिनकी बर्बरतापूर्वक हत्या की गई, इस देश के लिए और मानववाद और मानव-जाति के कल्याण के लिये, अपनी बहुमूल्य सेवायें प्रदान कीं। अतः मेरा वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस महान नेता की याद को जिंदा बनाये रखने के लिए बीस, दस और पांच रु० के सिक्के बनाकर उनपर उनका चित्र अंकित किया जाये।

मैं रुग्ण इकाइयों को पुनः चालू करने की आवश्यकता पर बल देना चाहूंगा। यह सही है कि मैंने वित्त संबंधी परामर्शदात्री समिति में भी वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया था। उन्होंने मुझे बताया है कि वर्तमान वित्तीय संकट दूर करने के लिये तुरन्त कदम उठाने के बाद ही इस सम्बन्ध में कदम उठाए जायेंगे। मैंने सदन में प्रश्न किया था और देश में रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में उद्योग मंत्री जी का उत्तर भी मुझे मिला। उन्होंने बताया कि लगभग दो सौ इकाइयों पर लाखों-करोड़ों रुपए खर्च किये गये और उन्हें रुग्ण घोषित किया गया है। मेरा वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस मसले की जितनी जल्दी हो सके, जांच की जाए। जब हमारे यहां इतने सरकारी क्षेत्र के उद्योग हैं, जिनमें करोड़ों रुपए लगाए जा चुके हैं और इसके बावजूद वे ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें विदेशी पूंजी-निवेशकों को अपने उद्योग को चलाने के लिये बुलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब श्री राजीव गांधी के मन्त्रिमण्डल में श्री एन०डी० तिवारी हमारे वित्त मन्त्री थे, उन्होंने रुग्ण इकाइयों को चालू बनाने के नए तरीके खोजने हेतु समिति बनाई। मैं वर्तमान वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उस रिपोर्ट को मंगायें और इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने की व्यवहार्यता पर पुनर्विचार करें। मेरा सरकार से जोरदार शब्दों में आग्रह है कि वह इस दुर्दशा को समाप्त करने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढें।

पूरे देश में कई राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। मैं सरकार पर जोर डालना चाहता हूं कि उनके शाखा कार्यालय प्रत्येक ब्लाक में खोले जाने चाहिएं।

सरकारी कर्मचारियों को घरों के निर्माण के लिए ऋण सुविधाएं प्राप्त हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह सुविधा जनता को भी प्रदान की जाए। उचित जमानत पर जनता को भी आवासीय ऋण प्रदान किया जा सकता है।

बैंक कर्मचारियों द्वारा जो बार-बार हड़ताल की जाती है, उस ओर भी मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। हमारे सक्षम वित्त मन्त्री और उनके मन्त्रालय के अधिकारियों को उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए और वे बैंक कर्मचारियों की शिकायतों को हमेशा के लिए दूर करें। उनकी स्थिति में इस तरह सुधार किया जाना चाहिए कि फिर से बैंक कर्मचारियों की हड़ताल न हो।

[श्री आर० जीवरत्नम]

बैंकिंग सेवा के कार्यों में काफी वृद्धि हुई है। अतः मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि लगभग सभी जिला राजधानियों में क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायें। भवन निर्माण सामग्री जैसे लोहा और सीमेंट की कीमतें पहले से अधिक हो गई हैं अन्य कई सामानों और पदार्थों की कीमतें भी बढ़ रहीं हैं। अपने चुनाव सम्बन्धी घोषणा-पत्र में हमने बताया था कि हम कीमतों में गिरावट लायेंगे। हमने कहा था कि हम कीमतों में कमी लायेंगे। यदि हम उन्हें कम नहीं कर सकते तो, हमें उन पर कम से कम निगरानी तो करनी चाहिए। हमारे सामर्थ्यवान वित्त मन्त्री और उद्योग मन्त्री को हमारे प्रधान मन्त्री जी के नेतृत्व में ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे मूल्यों में और अधिक वृद्धि पर नियन्त्रण रखा जा सके।

राष्ट्रीय मोर्चे के शासनकाल के दौरान अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुई। उस समय बोए बीज की छंटाई अभी करनी है। अतः अपने सक्रिय वित्त मन्त्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि यदि इस समय मूल्य वृद्धि में गिरावट सम्भव नहीं है, तो कम से कम मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण रखा जाये।

दक्षिण भारत के सुविख्यात श्री टी०टी० कृष्णामचारी एक समय हमारे वित्त मन्त्री थे। वित्त मन्त्री के रूप में अपनी कार्यविधि के दौरान उन्होंने विशिष्ट सेवायें प्रदान की थीं। कुशल वित्त मन्त्रियों जैसे तमिलनाडु के आर०के० शांमुगम चेतियार, केरल के श्री जान मैथ्यू ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में वित्त मंत्रियों के रूप में अपना-अपना योगदान दिया है। मैं आशा करता हूं और चाहूंगा कि वर्तमान वित्त मन्त्री इस देश के आर्थिक इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। उनके कुशल नेतृत्व में वित्तीय संतुलन, वित्तीय स्थिरता, नियमित आय वृद्धि, स्थिर राजनैतिक-आर्थिक ढांचे कोनिश्चित किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं इस सम्माननीय सदन में सरकार द्वारा प्रस्तुत दूसरे वित्त विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किए जाने के लिए सभापति महोदय को पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री का एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में बहुत सम्मान करता हूं। यद्यपि मैं उनके कुछ विचारों का समर्थन नहीं करता। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए मैं उनकी निष्ठा तथा वचनबद्धता के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं करता।

वित्त विधेयक के सम्बन्ध में मेरे पास कुछ सुझाव हैं।

महोदय, सरकार ने बहुत बड़े लोगों, जिनके पास बहुत अधिक काला धन है, को माफ करने का प्रस्ताव किया है और उनके लिए दो योजनाओं का प्रस्ताव है जिसमें उन्हें बहुत अधिक लाभ दिया जा रहा है। किन्तु मुझे आश्चर्य है कि वित्त मन्त्री वेतनभोगी वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग की ओर इतने अधिक उदार नहीं हैं।

महोदय, आप जानते हैं कि रुपए का क्रय मूल्य कम हुआ है, बहुत अधिक मुद्रास्फीति हुई है। इस समय मुद्रास्फीति दर 15.5 प्रतिशत है तथा यह भविष्यवाणी की जा रही है कि मुद्रास्फीति दर 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे मध्यम आय वर्ग के लोगों की दुर्दशा पर विचार करें, जो कि वास्तव में आयकर दे रहे हैं। वेतनभोगी

वर्ग के लोगों के लिए अपनी आय घोषित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। कृपया आयकर छूट को 22,000 रु० के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 30,000 रु० कर दें अथवा कोई भी राशि हो वह मुद्रास्फीति दर बढ़ती हुई कीमतों तथा रुपए की क्रय शक्ति का ध्यान रखकर निर्धारित की जाए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कर दरों में कमी करें क्योंकि न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में यह पाया गया है कि आय-कर दरों में कमी करने से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। कर संग्रहण से निश्चित रूप से काले धन में कमी आएगी तथा इसे अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा। अतः माननीय वित्त मन्त्री के लिए आय-कर की दरों को कम करने के लिए मेरे पास एक सुझाव है (एक) 30,000 रु० से 50,000 रु० से अधिक—यह लगभग 20 प्रतिशत हो, (दो) 50,000 से 1,0000 रु० के बीच—यह 25 प्रतिशत हो, (तीन) 1,00,000 से 2,00,000 रु० के बीच यह 30 प्रतिशत हो और (चार) 2,00,000 रु० से अधिक के लिए यह 40 प्रतिशत हो सकती है। मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सुझाव की जांच करें।

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि सभी ऋण संस्थानों, बैंकों वित्तीय संस्थानों द्वारा ब्याज की 3 प्रतिशत की दर पर ब्याज शुल्क लिया जा रहा है, इसे पुनः आरम्भ किया गया है इससे पहले इसे 1974 में प्रस्तुत किया गया था, जैसाकि वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में बताया है। इसे 1978 में वापिस ले लिया गया था तथा पुनः 1980 में आरम्भ किया गया था, 1986 में वापिस ले लिया गया था तथा अब फिर प्रस्तुत किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार ने इतनी शीघ्रता से कैसे यह निर्णय लिया है। इससे व्यापार तथा लघु उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा। निस्संदेह, मैं माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देता देता हूं। कल उन्होंने पिछले प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए थे, जहां उन्होंने सहकारी कृषि ऋण सोसाइटियों, भूमि विकास बैंकों, भूमि बन्धक बैंकों को इस प्रस्तुत संशोधन के क्षेत्र से बाहर रखा है। यह इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये बैंक, सहकारी सोसायटियों सहित वित्तीय संस्थान बैंकिंग विनियम अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। किन्तु मेरी जानकारी यह है कि बैंकिंग विनियम अधिनियम के अन्तर्गत भूमि बन्धक बैंक तथा भूमि विकास बैंक नहीं आते। तथापि मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

2500 से अधिक प्राप्त ब्याज के सम्बन्ध में स्रोत पर कर सम्बन्धी छूट प्रदान किए जाने से यह मनोवैज्ञानिक रूप से उन सब लोगों को प्रभावित करेगा जो अपनी आय बचाने हैं तथा बैंकों में जम्प कराते हैं। वे उतनी अधिक प्रसन्नता व उत्सुकता से आगे नहीं आयेंगे जैसे कि अब तक आ रहे हैं। इस प्रावधान पर भी पुनः विचार किया जाना चाहिए तथा इसे वापिस लिया जाना चाहिए।

मुझे आश्चर्य है कि करदाताओं के सम्बन्ध में इस ब्याज की वापसी के मामले से सरकार इतनी अधिक कठोर क्यों है। कुछ समय पहले सरकार को दी जाने वाली राशि तथा वापसी के रूप में कर-दाताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि दोनों के मामलों में ब्याज की दर 15 प्रतिशत थी। किन्तु बाद में इसे बढ़ाकर क्रमशः 24 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत कर दिया गया। अब यह 18 प्रतिशत है, जो कि अभी भी 6 प्रतिशत कम है। उचित क्या है, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं। जब करदाता को सरकार को कर देना है तो आप 24 प्रतिशत की दर पर लेते हैं तथा जब सरकार को करदाता को जिसने अधिक भुगतान कर दिया है, को कुछ वापिस करना होता है तो उसे केवल 18 प्रतिशत दिया जाता है। मैं निश्चित रूप से यह महसूस करता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर वित्त मन्त्री द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।

ज्ञापन में आपने कहा है कि "ऐसा इसे सरल व युक्तिसंगत बनाने के लिए किया गया है।" यह

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे]

कटौती, जिसका अर्थ है आधा प्रतिशत शब्दों का छोड़ा जाना, मुझे आश्चर्य है कि इन शब्दों को छोड़कर आप इस सरलीकरण अथवा युक्तिसंगत बनाकर इससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं।

सूखे के दौरान कारपोरेट कर पर अतिरिक्त भार लगाया गया था। सूखा तीन वर्ष में समाप्त हुआ। अच्छी वर्षा हुई और हमारी फसल भी भरपूर हुई लेकिन आपने अतिरिक्त भार को समाप्त नहीं किया। इसके पश्चात् खाड़ी संकट उत्पन्न हुआ। फिर आपने इसे बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया जो खाड़ी संकट के बाद भी लागू है इसलिए कारपोरेट कर पर अतिरिक्त भार चालू रखना तर्कसंगत नहीं लगता। मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह इस पर गौर करें और इसे हटाने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त करने की कृपा करें क्योंकि कई अन्य माननीय सदस्य भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अगर सरकार वास्तव में काले धन में कटौती लाना चाहती है—ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रतिवर्ष काले धन में लगभग चालीस हजार करोड़ रुपए की वृद्धि होती है—अगर उनके पास काला धन का परिचलन कम करने के निश्चित उपाय हैं तो उन्होंने पांच सौ रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण क्यों नहीं किया? ऐसा निर्णय उन्होंने क्यों नही लिया? कई सौ करोड़पति हैं जिनके पास सभी काला धन है विमुद्रीकरण करके वह काले धन की मात्रा में निश्चित रूप से कमी ला सकते हैं।

सम्पत्तिकर अधिनियम की अनुसूची III के नियम 12 के सम्बन्ध में केवल एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसका वह न्यायसंगत तर्क नहीं दे पाते। पहले यह 1958 में प्रस्तुत किया गया था लेकिन 1960 में इसे वापिस ले लिया गया। 1981 में इसे दुबारा लाया गया लेकिन दुर्भाग्यवश प्रारूप नियम छप नहीं सके। 1986 में फिर प्रारूप नियम छापे गए लेकिन इन प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। प्रत्यक्षकर अधिनियम (संशोधन) विधेयक 1986 के द्वारा इस नियम को इस सदन ने स्वीकृति तो दे दी लेकिन कुछ समय पश्चात् उस समय के वित्त मन्त्री श्री एस० बी० चह्वाण ने इन्हें वापिस ले लिया। मैं उनके द्वारा उस दिन काटे गए केवल दो वाक्य उद्धृत करता हूं।

सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नियमों के बारे में जैसाकि सम्पत्ति अधिनियम की अनुसूची III में बताया गया है पूंजीनिवेश कम्पनी में अशोध्य इक्विटी शेयरों से मूल्य के बारे में उन्होंने (वित्त मन्त्री ने) स्वीकार किया है।

> "इस प्रकार कर निर्धारण करने का तरीका प्रशासनिक रूप से बोझिल होना और उसके कार्यान्वयन की लागत भी काफी अधिक होगी।"

इसके अतिरिक्त, निवेश कम्पनी के शेयर धारक का कम्पनी के शेयरों को बेचने पर कोई नियंत्रण नहीं रहता और इस प्रकार निवेश कम्पनी द्वारा प्राप्त किया गया लाभ, यदि कोई है, पर शेयर धारक के लिए कोई महत्व का नहीं होता। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, मैं सम्पत्ति कर अधिनियम 1957 की सूची III के नियम 12 को संशोधित करने का प्रस्ताव रखता हूं ताकि निवेश कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन में जो तकलीफें आती हैं उनका निवारण किया जा सके। इसको 1989 में वापिस ले लिया था।

इसे चार बार वापस किया गया था। सरकार को इसे इस विधेयक में पुनः शामिल करने के लिए किसने प्रेरित किया? मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे पुनः सोचें तथा इसे वापिस ले लें।

कम-से-कम इस समय तो इसे लागू न करें तथा नए बजट से पहले कृपया आप सम्बन्धित लोगों से चर्चा करके एक नए प्रस्ताव पेश करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राव, कृपया क्षमा करें। यह समय का सही उपयोग···

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं केवल सुझाव दे रहा हूं। मैं अपनी पार्टी का पहला वक्ता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको दूसरे वक्ताओं पर भी सहानुभूति रखनी चाहिए। आप एक सीनियर आदमी हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हांलाकि मुझे कई मामलों पर बोलना है। परन्तु मैं सभी बातों पर नहीं बोलूंगा।

महोदय, वित्त मन्त्री जी ने 29 फरवरी, 1989 को अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए एक कृषि क्रेडिट सहायता कोष बनाया जाएगा। वैसे भी श्री त्रिपाठी, अपर सचिव की अध्यक्षता में समिति ने अपनी सिफारिश दे दी है परन्तु उसका कार्यान्वयन नहीं हो सका। मैं वित्त मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव के बारे में गंभीरता से सोचें तथा एन० ए०सी० आर० एफ० के साथ सामने आयें। क्योंकि इसके बिना तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के किसानों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। विशेषत: कटाई के समय समुद्री तूफान तथा ज्वार भाटे की लहरें इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं परिणाम-स्वरूप किसानों की तो इस प्रभाव से कमर ही टूट जाती है। जब तक आप लोग इस प्रकार के प्रस्ताव को नहीं लायेंगे किसानों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। जहां तक चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस देने की बात है, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में इसकी काफी सम्भावना है, परन्तु इसके लाभ को पिछली सरकार ने नहीं लिया। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अच्छी श्रेणी की खांड का शीरा निकालने सम्बन्धी नई तकनीकि खोज को ध्यान में रखते हुए सरकार इन बातों को ध्यान में रखें कि चीनी तथा कागज जैसी वस्तुओं का निर्माण करने वाले एककों को लाइसेन्स जारी किये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राव, क्या मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कहूं। बहुत हो गया है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी लोगों के लिए एक ही नियम होना चाहिए। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मेरा निवेदन है चीनी तथा अन्य एकीकृत इकाइयों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। तथा हमारे राज्य में चीनी की फैक्ट्रियों के लिए ज्यादा लाइसेंस दिए जायें।

महोदय, फार्म क्षेत्र के लिए ब्याज छूट देने के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य आंध्र प्रदेश में पहले तेलुग देशम पार्टी ने उन किसानों को, जिन्होंने ने अपनी किश्तों का सही समय पर भुगतान किया था, $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत की छूट दी थी। जिसका वास्तव में बहुत अच्छे परिणाम निकले थे। ज्यादा किसानों को लोन मिला तथा किसानों को वितरित की जाने वाली राशि में भी तिगुनी वृद्धि हुई। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार से आर्थिक अनुशासन में अवश्य सुधार होगा। मैं सरकार से निवेदन हूं कि इस मामले में आवश्यक कदम उठाये क्योंकि इससे लोन की वापसी राशि में सुधार होगा।

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे]

अन्त में, सरकार तथा वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं वह इस बात की जांच करे कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करना हमारे देश में गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं । हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी है और यह इसीलिए है क्योंकि पिछली सभी सरकारों ने कृषि क्षेत्र में यथोचित पूंजीनिवेश उन वर्षों में नहीं किया गया । मैं यह कहना चाहूंगा कि 1977-78 तथा 1978-79 में, जब जनता सरकार थी, को छोड़कर कृषि क्षेत्र में चाहे वह निजी क्षेत्र हो चाहे या सरकारी क्षेत्र हो निवेश कम होता रहा है । और इसी कारण हम कृषि क्षेत्र में पूरी क्षमता प्राप्त नहीं कर सके । यही एक हमारे देश में इन परिस्थितियों का यही मुख्य कारण है ।

मैं वित्त मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि, इससे पूर्व मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं अपनी अपील को पुनः दोहराता रहा हूं कि कृपया उर्वरकों की कीमतों पर पुनः विचार करें । इससे किसानों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है मैं सरकार से अनुरोध करता कि कृपया इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं । आप कृपया कीमतों में वृद्धि 5, 7 या ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत करें अन्यथा किसानों को बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी । तथा देश में कृषि उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा । मैं इसे देश के हित के विरुद्ध मानता हूं । मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में फिर से सोचे तथा उर्वरकों की कीमतों में किसानों के लिए कमी लायें । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन किसानों को आप धनी किसान समझते हैं वे धनी नहीं हैं वास्तव में मध्यम तथा निम्न मध्यम श्रेणी के किसान हैं ।

मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद ।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री द्वारा भारत की अर्थ-व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने का जो प्रयास किया गया है, उसकी मिश्रित प्रतिक्रिया इस राष्ट्र में हुई है और एक बहुत स्पष्ट है फाइनांस बिल और बजट से कि अब तक 40 में राष्ट्रीयकरण, राजकीय उद्योग, राजकीय व्यवसाय, राजकीय अंकुश में व्यापार, इस सबके जितने एक्सपेरीमेंटस किए गए थे, उसके कारण राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था जरजर होकर पूरी तरह समाप्त हो गई है । इसकी स्वीकृति इस बजट और फाईनैंस बिल में कर के माननीय वित्त मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि फ्री एन्टर-प्राइजिज और वाणिज्य, व्यापार, उद्योग में स्वतन्त्र निजी क्षेत्र के अन्दर, इसे स्वीकार करके इन्होंने इस बार यह प्रयास किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस दर्शन में मैं नहीं जाना चाहूंगा । यह बात स्पष्ट रूप से सत्य हो चुकी है, जो दुनियां के सारे राष्ट्र हुए, दुनिया के परिवर्तन में जिन राष्ट्रों के अन्दर साम्यवाद के सबसे चोटी के राष्ट्र थे, उन्होंने गत 50-60 वर्षों के एक्सपेरीमेंट के पश्चात् जब देखा कि आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण हो गयी है ।...

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया में किसी देश में साम्यवाद हुआ है या दावा दुनिया के एक भी कम्युनिस्ट ने आज तक नहीं किया । साम्यवार भविष्य का लक्ष्य कभी नहीं हुआ कम्युनिस्ट शासन कहिए, समाजवादी व्यवस्था कहिए, साम्यवाद का किसी ने दावा नहीं किया ।

श्री गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, अब स्थिति आ गयी है । साम्यवाद और समाजवाद के दर्शन के बीच चर्चा यदि करने लगें तो उसके लिए घण्टों की आवश्यकता है । लेकिन एक बात स्पष्ट

कि समाजवाद के रूप में कहिए, लेनिन, मार्क्स या स्टैलिन के दर्शन के रूप में कहिए, किसी भी रूप में कहिए, जो राष्ट्रीयकरण का, राजकीयकरण का एक्सपैरीमेंट था, अच्छा या बुरा, मैं नहीं कहता, उस दर्शन में मैं नहीं जाता, लेकिन उसकी असफलता को स्वीकार कर के वित्त मंत्री जी ने इस बार यह प्रयास किया। उस असफलता के कारण उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक ओर असफलता को स्वीकार करके इन्होंने कई ऐसे बजट में और नेशनल पॉसिली और फायनैंस बिल में प्रावधान किए परन्तु एक बात जो सब व्यक्तियों ने कही है, मैं उस बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहां का वेतन भोगी है, यहां का क्लर्क, साधारण चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी आज के युग के अन्दर बल्कि मैंने श्रीमन्, आंकड़े लिए, जो मिनिमम वेजिज हैं, मिनिममवेजिज पाने वाला पंजाब का अनस्किल्ड श्रमिक है, जो सड़क पर मिट्टी ढोता है, गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में नंगे बदन द्वारा, 22 हजार की लिमिट के कारण उसकी मिनिमम वेजिज पर भी इनकम टैक्स आ जाता है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा यह बहुत मौलिक, फण्डामेंटल और बेसिक बात है। इस पर वे ध्यान दें और 22 हजार की जो लिमिट है, जैसे 48 हजार का सारे व्यक्तियों ने दलगत भावना से ऊपर उठ कर कहा लगभग सभी व्यक्तियों ने इस बात पर जोर दिया है। हमारे वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में यह कहा कि इससे अधिक नहीं होगा, इसके लिए बहुत अहसानमन्द होना चाहिए। माननीय वित्त मन्त्री जी, अहसानमन्द होने या नहीं होने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आने वाले समय में, आने वाले उप-चुनाव में, 18 या उप चुनाव होने वाले हैं, सारे भारत के वेतनभोगी, चाहे वह श्रमिक हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे कोई भी हो, इस बात के कारण उत्पीड़ित रहेगा कि आपने एक तरफ अवमूल्यन कर दिया, एक तरफ महंगायी बढ़ गयी, इनफ्लेशन बढ़ गया 15 परसेंट तो अभी बढ़ गया, 1984-85 के आंकड़ों से करीब 80 परसेंट बढ़ गया है, इसके कारण 48 हजार अपने आप हो गया। इसलिए इस हार्ड रियलिटी को स्वीकार कर के 48 हजार तक लिमिट बढ़ाने के बारे में यदि आप प्रयास करेंगे तो यह बहुत ही जन-हितकारी और जन-कल्याणकारी कार्य होगा। यदि आप इस जिद पर अड़े रहेंगे कि मैंने 22 हजार ही कहा है, उसका नतीजा यह होगा कि आने वाले समय में जनता बैलेट के द्वारा जवाब देगी और आपको बताएगी कि यह बहुत बड़ी एतिहासिक भूल थी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि फाईनेन्स बिल के अन्दर जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन पर इन्हें पुनः विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी को मैडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5000 रुपये आपने एलाउ किए, 5000 उसके परिवार के व्यक्ति के लिए अलाउ किए, उपाध्यक्ष महोदय, यदि उसे कैंसर की बीमारी हो जाए तपेदिक की बीमारी हो जाए या और कोई बीमारी हो जाए, दुर्भाग्य से, या किसी प्रकार का सीरियस आपरेशन हो तो आज के युग में 5000 रुपया कोई मायने नहीं रखता है।

इसलिए यदि वह प्राईवेट जाकर के टाटा इन्स्टीच्युट बम्बई के अन्दर इलाज कराए अपना जीवन बचाने के लिए तो आपने इसमें यह प्रावधान रखा कि वह गयर्नमेंट अस्पताल में जो ट्रीटमेंट करायेगा, उसके लिए उसको एडवांस नहीं बल्कि जितना खर्चा होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। प्राईवेट इन्स्टीच्युट में इलाज करायेगा तो उसका खर्चा देना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें और इसका सुधार करें। इसके साथ बैंक डिपाजिट पर इंटरेस्ट के बारे में कहा गया है। सारे वेतनभोगी, साधारण व्यक्ति या साधारण कर्मचारी भी उसमें आते हैं तो 2500 से ऊपर जो टैक्स करवाया है तो इसके पहले ही आपको बैंकों के सारे अधिकारियों ने बताया होगा कि इससे बैंकों के कार्य

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे]

अन्त में, सरकार तथा वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं वह इस बात की जांच करे कि क्या केन्द सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करना हमारे देश में गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं । हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी है और यह इसीलिए है क्योंकि पिछली सभी सरकारों ने कृषि क्षेत्र में यथोचित पूंजीनिवेश उन वर्षों में नहीं किया गया । मैं यह कहना चाहूंगा कि 1977-78 तथा 1978-79 में, जब जनता सरकार थी, को छोड़कर कृषि क्षेत्र में चाहे वह निजी क्षेत्र हो चाहे या सरकारी क्षेत्र हो निवेश कम होता रहा है । और इसी कारण हम कृषि क्षेत्र में पूरी क्षमता प्राप्त नहीं कर सके । यही एक हमारे देश में इन परिस्थितियों का यही मुख्य कारण है ।

मैं वित्त मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि, इससे पूर्व मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं अपनी अपील को पुनः दोहराता रहा हूं कि कृपया उर्वरकों की कीमतों पर पुनः विचार करें । इससे किसानों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है मैं सरकार से अनुरोध करता कि कृपया इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं । आप कृपया कीमतों में वृद्धि 5, 7 या ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत करें अन्यथा किसानों को बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी । तथा देश में कृषि उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा । मैं इसे देश के हित के विरुद्ध मानता हूं । मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में फिर से सोचे तथा उर्वरकों की कीमतों में किसानों के लिए कमी लायें । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन किसानों को आप धनी किसान समझते हैं वे धनी नहीं हैं वास्तव में मध्यम तथा निम्न मध्यम श्रेणी के किसान हैं ।

मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद ।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री द्वारा भारत की अर्थ-व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने का जो प्रयास किया गया है, उसकी मिश्रित प्रतिक्रिया इस राष्ट्र में हुई है और एक बहुत स्पष्ट है फाइनांस बिल और बजट से कि अब तक 40 में राष्ट्रीयकरण, राजकीय उद्योग, राजकीय व्यवसाय, राजकीय अंकुश में व्यापार, इस सबके जितने एक्सपेरीमेंटस किए गए थे, उसके कारण राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था जरजर होकर पूरी तरह समाप्त हो गई है । इसकी स्वीकृति इस बजट और फाईनैंस बिल में कर के माननीय वित्त मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि फ्री एन्टर-प्राइजिज और वाणिज्य, व्यापार, उद्योग में स्वतन्त्र निजी क्षेत्र के अन्दर, इसे स्वीकार करके इन्होंने इस बार यह प्रयास किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस दर्शन में मैं नहीं जाना चाहूंगा । यह बात स्पष्ट रूप से सत्य हो चुकी है, जो दुनियां के सारे राष्ट्र हुए, दुनिया के परिवर्तन में जिन राष्ट्रों के अन्दर साम्यवाद के सबसे चोटी के राष्ट्र थे, उन्होंने गत 50-60 वर्षों के एक्सपेरीमेंट के पश्चात् जब देखा कि आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण हो गयी है ।...

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया में किसी देश में साम्यवाद हुआ है या दावा दुनिया के एक भी कम्युनिस्ट ने आज तक नहीं किया । साम्यवार भविष्य का लक्ष्य कभी नहीं हुआ कम्युनिस्ट शासन कहिए, समाजवादी व्यवस्था कहिए, साम्यवाद का किसी ने दावा नहीं किया ।

श्री गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, अब स्थिति आ गयी है । साम्यवाद और समाजवाद के दर्शन के बीच चर्चा यदि करने लगें तो उसके लिए घण्टों की आवश्यकता है । लेकिन एक बात स्पष्ट

है कि समाजवाद के रूप में कहिए, लेनिन, मार्क्स या स्टैलिन के दर्शन के रूप में कहिए, किसी भी रूप में कहिए, जो राष्ट्रीयकरण का, राजकीयकरण का एक्सपैरीमेंट था, अच्छा या बुरा, मैं नहीं कहता, उस दर्शन में मैं नहीं जाता, लेकिन उसकी असफलता को स्वीकार कर के वित्त मंत्री जी ने इस बार यह प्रयास किया। उस असफलता के कारण उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक ओर असफलता को स्वीकार करके इन्होंने कई ऐसे बजट में और नेशनल पॉसिली और फायनैंस बिल में प्रावधान किए परन्तु एक बात जो सब व्यक्तियों ने कही है, मैं उस बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहां का वेतन भोगी है, यहां का क्लर्क, साधारण चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी आज के युग के अन्दर बल्कि मैंने श्रीमन्, आंकड़े लिए, जो मिनिमम वेजिज हैं, मिनिममवेजिज पाने वाला पंजाब का अनस्किल्ड श्रमिक है, जो सड़क पर मिट्टी ढोता है, गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में नंगे बदन द्वारा, 22 हजार की लिमिट के कारण उसकी मिनिमम वेजिज पर भी इनकम टैक्स आ जाता है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा यह बहुत मौलिक, फण्डामेंटल और बेसिक बात है। इस पर वे ध्यान दें और 22 हजार की जो लिमिट है, जैसे 48 हजार का सारे व्यक्तियों ने दलगत भावना से ऊपर उठ कर कहा लगभग सभी व्यक्तियों ने इस बात गर जोर दिया है। हमारे वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में यह कहा कि इससे अधिक नहीं होगा, इसके लिए बहुत अहसानमन्द होना चाहिए। माननीय वित्त मन्त्री जी, अहसानमन्द होने या नहीं होने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आने वाले समय में, आने वाले उप-चुनाव में, 18 या उप चुनाव होने वाले हैं, सारे भारत के वेतनभोगी, चाहे वह श्रमिक हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे कोई भी हो, इस बात के कारण उत्पीड़ित रहेगा कि आपने एक तरफ अवमूल्यन कर दिया, एक तरफ महंगायी बढ़ गयी, इनफ्लेशन बढ़ गया 15 परसेंट तो अभी बढ़ गया, 1984-85 के आंकड़ों से करीब 80 परसेंट बढ़ गया है, इसके कारण 48 हजार अपने आप हो गया। इसलिए इस हार्ड रियलिटी को स्वीकार कर के 48 हजार तक लिमिट बढ़ाने के बारे में यदि आप प्रयास करेंगे तो यह बहुत ही जन-हितकारी और जन-कल्याणकारी कार्य होगा। यदि आप इस जिद पर अड़े रहेंगे कि मैंने 22 हजार ही कहा है, उसका नतीजा यह होगा कि आने वाले समय में जनता बैलेट के द्वारा जवाब देगी और आपको बताएगी कि यह बहुत बड़ी एतिहासिक भूल थी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि फाईनेन्स बिल के अन्दर जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन पर इन्हें पुनः विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी को मैडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5000 रुपये आपने एलाउ किए, 5000 उसके परिवार के व्यक्ति के लिए अलाउ किए, उपाध्यक्ष महोदय, यदि उसे कैंसर की बीमारी हो जाए तपेदिक की बीमारी हो जाए या और कोई बीमारी हो जाए, दुर्भाग्य से, या किसी प्रकार का सीरियस आपरेशन हो तो आज के युग में 5000 रुपया कोई मायने नहीं रखता है।

इसलिए यदि वह प्राईवेट जाकर के टाटा इन्स्टीच्युट बम्बई के अन्दर इलाज कराए अपना जीवन बचाने के लिए तो आपने इसमें यह प्रावधान रखा कि वह गयर्नमेंट अस्पताल में जो ट्रीटमेंट करायेगा, उसके लिए उसको एडवांस नहीं बल्कि जितना खर्चा होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। प्राईवेट इन्स्टीच्युट में इलाज करायेगा तो उसका खर्चा देना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें और इसका सुधार करें। इसके साथ बैंक डिपाजिट पर इंटरेस्ट के बारे में कहा गया है। सारे वेतनभोगी, साधारण व्यक्ति या साधारण कर्मचारी भी उसमें आते हैं तो 2500 से ऊपर जो टैक्स करवाया है तो इसके पहले ही आपको बैंकों के सारे अधिकारियों ने बताया होगा कि इससे बैंकों के कार्य

[श्री गुमान मल लोढा]

में शिथिलता आयेगी और डिपाजिट बंद हो जायेगी और जितना फायदा करना चाहते हो तो बहुत नुकसान हो जायेगा। इस पर आप विचार कर लें। 2500 के स्थान पर दस हजार कर दें।

रेस्टोरेंट के बारे में आपने कहा कि जहां पर दो टायलेट हैं वहां पर पन्द्रह परसेंट टैक्स लगेगा। क्या दो टायलेट की सुविधा करना पाप हो गया। पन्द्रह परसेंट का टैक्स लगा देंगे मैं नहीं समझता कि टायलेट का उससे क्या सम्बन्ध है। अपने उत्तर में समझाने का प्रयास करें। कारपोरेट सैक्टर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं यह निवेदन चाहूंगा कि जब आपने एक कारपोरेट आटोनोमी की बात की है तो इस बात बार इण्डस्ट्रीयल पालिसी में की है और फाइनेंशियल बिल में भी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस देश की कारपोरेट आटोनोमी नाम के ऊपर आप किसी भी प्रकार का इण्टरफिरेन्स, किसी भी कारपोरेट सैक्टर में नहीं करे। कारपोरेट सैक्टर में फाइनेंशियल इन्स्टीच्युशन्स हैं। उन फाइनेंशियल इंस्टीच्युशन्स में इस बात की आजादी होनी चाहिए और जिस प्रकार से जहां जैसी स्थिति होगी तो आब्जेक्टवली, इण्डीपेंडेंस के द्वारा कारपोरेट सैक्टर की आटोनोमी रखते हुए वह करें।

यह फाइनेंशियल बिल जो लाया गया है जिसके पहले बजट लाया गया और यहां पर हमारे मित्रों ने कहा कि कलकत्ता में जाकर देखिए और दूसरे प्रदेशों की बात देखिए। लैंड रिफार्म की बात की गई है। फाइनेंशियल बिल का लैंड रिफार्म से सम्बन्ध नहीं है। लेकिन लैंड रिफार्म निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में रखा हुआ है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कलकत्ता में जाकर देखा। सबसे दुखद यह है कि एक आदमी बैल की तरह जुता हुआ है और अपने आदमी को लेकर चलता है। जिस आदमी के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, पसीना चू रहा है, पैरों में कोई जूती नहीं है और बदन में किसी प्रकार का कपड़ा नहीं है तो ऐसे गरीब आदमी वहां पर आज भी हैं।

यह स्थिति आज देश में सब जगह है। मिनिमम वेज में जो प्राइस इन्डैक्स जिस प्रकार से बना है तो उस प्राइस इन्डैक्स के बारे में एक सदस्य ने सुझाव दिया है कि आप 22 हजार की जगह 27 हजार कर दीजिए। इस प्रकार से कंज्युमर प्राइस इंडैक्स से इसका लिंक कर दिया है जिस प्रकार से वर्कमैन के लिए मिनिमम वेज का लिंक हो जाता है। उसके बाद में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले बजट के समय आपको उसके लिए किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। वह रकम अपने आप बच जायेगी। इस सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। फाइनेंशियल इन्स्टीच्युशन्स और बैंकों के बारे में बहुत बात की गई है। यह बात सही है कि बैंकिंग इन्स्टीच्युशन्स के अन्दर बहुत बड़े घोटाले हैं। बड़े-बड़े स्कैंडल्स हैं। एक बैंक में नहीं लगभग 70-80 परसेंट बैंकों में है। जहां पर बिग बिजनैस इण्डस्ट्रीयल हाऊसेज उसका मिसयूज करके स्कैंडल्स और राकेट्स बना देते हैं और गरीब जनता का पैसा ले लेते हैं। उसके बाद अपना पैसा लॉकर या एफ० डी० में जमा कराते हैं। उनका री-पेमेंट नहीं होता है। हमारे वित्त मन्त्री जी स्वयं रिजर्व बैंक के सबसे ऊंचे स्थान पर अधिकारी रह चुके हैं तो इन स्कैंडल्स को रोकने के लिए एक योजना बनाएं ताकि इस प्रकार के स्कैंडल्स से जनता का एक्सप्लायटेशन न हो और साधारण व्यक्ति को इसका लाभ मिले। आप बार-बार घण्टी बजा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बोलना है। मैंने दो-चार सुझाव दिए हैं लेकिन एक और सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

वह सुझाव है कि जो हमारे यहां पर साधारण लोग व्यापार करते हैं, ज्यूलरी का, ज्यूलरी बेचने

वालों के ऊपर इन्ट्रेस्ट नहीं फैंकते हैं। सन् 1986 से आपने यह प्रावधान बना दिया है कि किसी को आपने यदि माल बेचा है और वह माल बेचने वाला, उसने पासपोर्ट में एण्ट्री करायी है लेकिन यदि वह फारेन एक्सचेंज की डेफिनिशन में आयेगा तो 1961 से 1986 कोई ऐसा प्रावधान किया है जिसके कारण बहुत अधिक असुविधा होगी और लाभ कुछ नहीं होगा। इसलिए सिम्प्लीफिकेशन यदि लॉ का करना है तो इसको राशनलाईज कीजिए ताकि जनता को लाभ हो सके।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मूल्यवान समय दिया। माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट इस देश के सामने पेश किया, उसकी कलई तो खुल गयी। अभी तो रिजर्व बैंक चिल्लाने लगा कि जो चार फीसदी जी० एन० पी० में वृद्धि की संभावना थी, वह नहीं होने वाली है, 3 फीसदी ही रहेगी। मुद्रास्फीति 15 प्रतिशत बढ़ गयी कहना यह है कि 20 फीसदी हो जायेगी इस साल के अन्दर कहना यह यह है कि जितना प्राईस इंडैक्स है, सबसे ज्यादा इसी वर्ष और इसी महीने में बढ़ा है। 1981-82 के मूल्यों को आधार मानकर देखा जाये तो यह 207.7 पर पहुंचा है। करीब करीब 5.9 फीसदी बजट पेश करने के बाद कोई दो महीनों में महंगाई इस देश में बढ़ी है जबकि गत वर्ष इसी महीने में जब कहा जाता था कि राजनैतिक अस्थिरता है, मजबूत सरकार नहीं है, तब महंगाई में वृद्धि इसकी थी। इसलिए कहना चाहता हूं कि इसके कारण कई हैं।

पहला कारण तो यह है कि उत्पादन में वृद्धि नहीं होने वाली है। दूसरा, अनुत्पादक खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, उसी के साथ-साथ मुद्रा की कीमत घटती जा रही है। उद्योग और कृषि में तरक्की नहीं होने वाली है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसी हालत में आप मुद्रास्फीति के ऊपर काबू कैसे पायेंगे? इसके बारे में कोई स्पष्ट झलक भारत सरकार के इसी वित्त विधेयक में और इनके बजट में कहीं झलकती नहीं है। इसके लिए मैं इसकी निन्दा करते हुए माननीय वित्त मन्त्री जी से बहुत संक्षेप में कुछ सुझाव के तौर पर आग्रह करना चाहता हूं।

रिजर्व बैंक का यह कहना है कि यदि कृषि की तरक्की 4 फीसदी है तो एक फीसदी किसी का योगदान नहीं होने वाला है और कृषि की तरक्की में मूल रूप से एक तो मौसम का ठीक होना, उसी के साथ-साथ जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कृषि का है, वह फर्टीलाईजर है। उसको आपने कुछ अखबार नवीसों के धरातल की जो वास्तविकता है, उसका संज्ञान लिए बिना वाहवाही लूटी कि कुलक लॉबी को प्रोत्साहन मिलेगा। कितना मिलेगा, उनकी संख्या क्या है? उसी के साथ-साथ जो आपने प्रक्योरमेंट प्राईस, जिसे समर्थन मूल्य कहते हैं, उसमें वृद्धि नहीं होने वाली है, यह जान लेने के बाद कि कृषि में वृद्धि नहीं होने वाली है, खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होने वाला है, फूड स्टफ्स के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो प्राईस इण्डैक्स को ऊपर जाना ही जाना है। आपके सरप्लस में खाद्यान्न में सबसे ज्यादा योगदान मार्जिनल और स्माल फारमर्स का है और उनके ऊपर आपने हमला इस रूप में किया कि खाद के दामों में वृद्धि कर दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खाद की दोहरी नीति अव्यवहारिक है, वह चलने वाली नहीं है। इसमें एक रूपता कायम करनी चाहिये। आदर्श नीति तो यह होगी कि खाद के बढ़े हुए दामों को वापिस लें और यदि पूरा नहीं करते हैं तो एकरूपता कायम करनी चाहिये। आपके छूट से आपके खजाने को जितना नुकसान होने वाला था, उतना आप खाद के दाम में कमी करके पूरे देश के किसानों को लाभान्वित कर इस देश में कृषि की तरक्की में अपना मूल्यवान योगदान कर सकते हैं।

[श्री मोहन सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत में खर्चे का कोई रोक का सिलसिला नहीं है। इस देश के अन्दर एक बार बहस होनी चाहिए कि भारत जैसे लोकतन्त्र में वी० आई० पी० के मायने क्या हैं? उनके सुरक्षा के नाम पर कितना खर्चा होगा? कल आपने विधेयक पेश किया जिसका अपने मामूली सा खर्च बताया था कि एक आदमी की सुरक्षा पर 4.70 करोड़ रुपये खर्च होगा।

हम उसी के विरोध में थे, आपने उसमें तीन और जोड़ दिया। लगातार खर्चा बढ़ाया इस गरीब देश में। आखिर पाल्मे जैसे प्रधान मंत्री भी थे, छोटा सा देश हो सकता है, लेकिन वे रात में सिनेमा देखकर बिना सुरक्षा के आ रहे थे कि रास्ते में उनको लोगों ने मार दिया। भारत जैसे गरीब देश में कुछ लगातार सुरक्षा की बात, उनकी सुरक्षा की इतनी चिन्ता आपको है तो तिहाड़ जैसा एक केन्द्रीय कारागार बना दीजिए जिसका नाम दे दीजिए "वी० आई० पी० काम्प्लेक्स" और सारे वी० आई० पीज को उसी कैदखाने में रखवा दीजिए। सुरक्षा का भार जो है, जो हिन्दुस्तान के गरीब खजाने पर लगातार बढ़ता चला जा रहा हैं, सबको उस जेलखाने में बन्द करके काम लेते रहिए, सुरक्षा खर्च में काफी कटौती हो जाएगी। यह एक रास्ता हो सकता है। (व्यवधान) सांसद को सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है जो देश सेवक हैं। जो देश सेवक के नाम पर कुछ और हैं उनको सुरक्षा देने पर भी भगवान भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता, सरकारी सुरक्षा से तो किस की सुरक्षा होने वाली है श्रीमन, आप जानते हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह पेट्रोल हमारे देश पर सबसे बड़ा बोझा है और पेट्रोल का सबसे बड़ा कंज्यूमर सरकार है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सरकार का खर्चा अनउत्पादक अपने आप बढ़ जाता है। इसके ऊपर आप एक कमेटी बनाइए कि किस स्तर के व्यक्तियों को सरकार के खजाने से इस्तेमाल करने के लिए सरकारी कार मिलेगी, सरकारी गाड़ी मिलेगी। मैं कहता हूं कि यदि उसकी ठीक से छानबीन हो तो 70 फीसदी अधिकारियों और बड़े अफसरों की गाड़ियां छीनी जा सकती हैं और छीनी जानी चाहिए आपने जो लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ाया और मिट्टी के तेल का दाम घटाया, मैं यह मांग नहीं कर सकता कि मिट्टी के तेल का दाम बढ़ाया जाए, लेकिन इसकी दुश्वारी सुदूर देहातों गांवों में आ गई। जितना दाम मिट्टी के तेल का है, उसका ढाई गुना दाम डीजल का है और डीजल से ढाई गुना दाम पेट्रोल का है। इतनी तेजी से मिलावट हो रही है कि गांवों के सारे पंपिंग सेट बरबाद हो रहे हैं, सारे जो गांव के उपयोग में आने वाले ट्रैक्टर हैं, वह बरबाद हो रहे हैं इसके चलने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पेट्रोल के दाम में कमी करनी चाहिए जिससे इस तरह की मिलावट को ग्रामीण स्तर पर जो हो रही है, उसको आप रोक सकें।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि इनके पास साधन नहीं हैं। आज इस देश में अरबों-खरबों रुपए की ज्वेलरी पुरानी रियासतों के पास है श्रीमन्, और रोजाना अखबारों में छप रहा है—"इंडियन एक्सप्रैस" ने तो बहुत बड़ा लेख लिखा और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि जो निजाम के परिवार की खानदानी ज्वेलरी है, उसका आकलन नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, साढ़े चार करोड़ रुपया आज से दल साल पहले उसकी कीमत निर्धारित की गई। लोगों का कहना है कि एक हजार करोड़ से ऊपर ज्वेलरी निजाम के ही खानदान की उनकी ओर से एक ट्रस्ट बनाकर उसके मातहत है। जिनती पुरानी रियासतें थी, सबकी ज्वेलरीज को आप तत्काल राष्ट्रीयकृत करिए और राष्ट्रीयकृत करने के बाद जिन ज्वेलरीज का ऐतिहासिक महत्व है उनको नेशनल आकाईव्ज में डिस्प्ले

किया जाए और बाकी को बाजार में आक्शन करके अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा आप तत्काल उससे अर्जित कर सकते हैं। इस काम को आपको तत्काल करना चाहिए। श्रीमन, उसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण बात जो आ गई है देश में राज्य और केन्द्र के वित्तीय अधिकारों के सवाल को लेकर, बहुत सारे राज्यों के मुख्य मंत्रियों की ओर से स्वायत्तता के नाम पर धमकियां आ रही हैं विद्रोह की। इसके बारे में गम्भीरतापूर्वक वित्त मन्त्री को सोचना चाहिए। ओवरड्राफ्ट के ऊपर आप पाबन्दी लगाने की सोच रहे हैं। लगानी चाहिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि न लगाएं, लेकिन राज्यों को अपना काम करने के लिए, उनकी आमदनी का स्रोत बढ़ाने के बारे में केन्द्र सरकार को गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिए। बिक्रीकर का जो ढांचा है, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग किस्स का है। उसके चलते एक राज्य से दूसरे राज्य में उस सामान की तस्करी हो रही है। इस पर आप राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन करिए और केन्द्र की ओर से सुझाव जाए कि एक तरह ढांचा बिक्री कर के निर्धारण के बारे में, सभी राज्यों में उसकी जो दरें हैं, एक रूप से हों। राज्य सरकारें भी बहुत राज्यों में जो स्थानीय निकायें हैं, वे चुंगी लगाया करती हैं चुंगी बहुत सारे राज्यों में तो खत्म हो गई हैं और कुछ राज्यों में चल रही हैं।

इसके बारे में आपको सम्मेलन करके एकरूपता के बारे में विचार करना चाहिए और तीसरी सबसे बड़ी बात खनिज पदार्थ जिन राज्यों में बहुत निकलता है, केन्द्रीय सरकार उसके ऊपर जो रायल्टी है, केवल कोयले के ऊपर जब यहां बहुत हल्ला हुआ तो थोड़ा बहुत आंख के लिए अपने उसमें वृद्धि कर दी। बाकी खनिज पदार्थों के बारे में, केन्द्र सरकार क्या कर रही है। बाजार में किसी खनिज का जो भी दाम, रेट हो, उसी अनुपात में राज्यों की रायल्टी बढ़ायी जानी चाहिए।

इस बारे में किसी तरह का संशय केन्द्र सरकार को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इससे राज्यों में असंतोष बढ़ रहा है तथा अपने वित्तीय संसाधनों के मामले में केन्द्र और राज्यों के बीच टकराहट हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं और उसको बचा पाना बड़ा मुश्किल काम होगा।

इसके साथ-साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी तक आपकी पंच वर्षीय योजना का कुछ अता-पता नहीं है कि किस राह पर हम देश को ले जाना चाहते हैं। सारी आपकी उदारवादी योजनाएं, सारी आपकी पूंजीवाद अभिमुख योजनाएं और दूसरी योजनाएं क्या है, हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि जैसा सुबह श्री मुरली देवरा कह रहे थे कि हमारी उदार नीतियों से प्रभावित होकर अब दुनिया के उद्योगपति भारत की ओर आकर्षित होने लगेंगे लेकिन मुझे आशंका है, श्रीमन, कि कुछ दिनों बाद इस देश में देशी उद्योगपति नहीं, बल्कि केवल विदेशी उद्योगपति ही रह जायेंगे, यदि इनकी नीतियां परिचालित की जाती रहीं, चलाई जाती रहीं। इसके बारे में आपको गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

चूंकि समय कम है, इसलिए एक सुझाव और देना चाहूंगा। वह यह है कि आपने अपनी तरफ से कई कन्सेशन्स देने की घोषणा की है लेकिन अभी इसी महीने हमारे उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी, कुछ ऐसा हो गया कि जो लड़की के पैनल्स और डोर्स हैं, जिसे गांव का एक गरीब आदमी बनाता है, उस पर भी उत्पाद शुल्क लगा दिया गया है। इसकी वजह से गांव के तमाम छोटे लोगों के सामने परेशानी उत्पन्न हो गयी है। जितने छोटे काम करने वाले गांवों के अन्दर करीगर हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, उनके समक्ष समस्या की स्थिति खड़ी हो गयी है। उनके यहां आपके विभाग के अधिकारी और इन्सपैक्टर जाते हैं और कहते हैं कि इस पर नया उत्पाद शुल्क लग गया है और तुमको यह देना होगा।

[श्री मोहन सिंह]

वे लोग डर के मारे, अपना काम धन्धा बन्द करके भाग रहे हैं। इसके ऊपर भी आपको विचार करना होगा कि राज्यों में यह शुल्क कैसे लग गया, गरीब आदमी के ऊपर, जो एकदम वीकर सैक्शन इस देश का है उस पर किसी तरह का उत्पाद शुल्क लगाने का आखिर क्या औचित्य है।

चौथी बात, बहुत संक्षेप में, यह है कि इस देश के जितने बन्धी हुई आमदनी वाले लोग हैं, मुद्रास्फीति बढ़ने से, जरूरी चीजों के दाम बढ़ने से, प्राइस इंडैक्स बढ़ जाने से, उनकी आमदनी कम हो गयी है। इसलिये ऐसी बंधी हुई आमदनी वाले जितने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं, उनकी इन्कम टैक्स की लिमिट को बढ़ाने के बारे में, केन्द्रीय सरकार और माननीय वित्त मन्त्री जी को उदारतापूर्वक अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये।

अन्त में, एक और सवाल केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो छूट गया था। आपने बैंकों का नेशलाईजेशन किया और उन्हें सरकारी वित्तीय संस्थान के रूप में परिवर्तित किया। उनमें क्रैडिट डिपोजिट रेश्यो आपकी ओर से निर्धारित की जाती है परन्तु देश के जो पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था वाले राज्य हैं, उनमें इसकी लगातार कमी हो रही है।

7.48 म० प०

[श्री राम नाईक पीठासीन हुए]

आपके जितने वित्तीय संस्थान हैं, औद्योगिक दृष्टि से जो राज्य आगे हैं, जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक है, उन राज्यों में वित्तीय संस्थानों की क्रैडिट डिपोजिट रेश्यो अधिक है जबकि पिछड़े हुए राज्यों में क्रैडिट डिपोजिट रेश्यो बहुत ही कम है। मेरा निवेदन है कि आपकी ओर से एक दस्तावेज इस सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिये कि जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्य हैं, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, हमारा उत्तर प्रदेश है, उन राज्यों में स्माल सेविंग्स के जरिये, छोटे लोगों ने वहां के बैंकों में जितनी राशि जमा की है, उसके मुकाबले, उन राज्यों की जनता को, अपने आधार पर, उद्योग स्थापित करने के लिए, या कारोबार करने के लिए, इतने फीसदी ऋण की शक्ल में, बैंक सहायता उपलब्ध करायें। मेरा कहना है कि देश के सभी पिछड़े हुए राज्यों में क्रैडिट रेश्यो को बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इन्हीं चन्द सुझावों के साथ, सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री ऑस्कर फर्नान्डीज।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, अब कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्य का नम्बर है।

एक माननीय सदस्य : वे क्या बोलेंगे, हम ही बोल लेते हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़) : सभापति महोदय, बजट में दिए गए कराधान सम्बन्धी प्रस्तावों को लागू करने वाले वित्त विधेयक का मैं समर्थन करता हूं।

अत्याधिक कठिन भुगतान संतुलन स्थिति और बढ़ते हुए वित्तीय एवं राजस्व घाटे के कारण कठोर निर्णय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। कुछ के तो परिणाम निकलने शुरू हो गए हैं। निरंतर

दो महीने से व्यापार में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने कुछ मुख्य नीति सम्बन्धी पहल द्वारा अर्थव्यवस्था को बहुत निपुणता से निर्भीक और निश्चित दिशा देने का प्रबन्ध किया है जिसकी शुरूआत व्यापार सुधार इसके बाद नई औद्योगिक नीति और अंत में बजट प्रस्तावों से हुई है, इससे वास्तव में अच्छे परिणाम की आशा है।

कराधान सम्बन्धी प्रस्तावों की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। काले धन पर नियंत्रण पाने के लिए क्षमादान योजना और व्यय कर जैसे गम्भीर प्रयास किए गए हैं। प्रत्यक्ष कर लगाने पर अधिक बल दिया जाता रहा है और अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र पर अनुचित कर नहीं लगाया गया है। सीमा शुल्क को युक्तियुक्त बनाया गया और इसे समान रूप से 150 प्रतिशत तक कम किया है। हमने इसे 30 प्रतिशत कम करने की मांग भी नहीं की है। व्यक्तिगत कर-दाताओं के करों में भी वृद्धि नहीं हुई है। सम्पति कर के उद्देश्य से शेयरों के मूल्यांकन के लिए नई विशेषता अथवा नया तरीका भी स्वागत योग्य है। बजट में बढ़ रहे वित्तीय घाटे में भी कमी आई है। और आशा है कि सकल घरेलू उत्पाद के वितीय घाटे को हम 6.5 प्रतिशत पर स्थायी रख सकेंगे।

इन सभी प्रस्तावों के साथ यह सावधानी भी बरती गई है कि मुद्रास्फीति को उचित सीमा के अन्दर स्थायी रखा जाए। इन प्रस्तावों का चालू आर्थिक संकट को नियंत्रित करने के अत्याधिक व्यवहारिक कदम के रूप में व्यापक रूप से स्वागत किया गया है और यह हार्दिक समर्थन योग्य है।

अब मैं निगमित क्षेत्र के प्रावधानों पर आता हूं। तीन मुख्य उपायों की घोषणा की गई है। पहला, कराधान दर में 6 प्रतिशत वृद्धि। यद्यपि इससे निगमित क्षेत्र खुश नहीं है तथापि सभी को बलिदान करना होगा। और मुझे किश्वास है कि नई औद्योगिक नीति से निगमित क्षेत्र को कुछ राहत मिलेगी।

दूसरा तथ्य है, ऋण लागत में वृद्धि और खराब अर्थव्यवस्था। और तीसरा, मूल्यह्रास भत्ते में 33 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की कमी। यह एक ऐसा प्रस्ताव है कि मुझे डर है कि यह उद्यमों के विकास, आधुनिकीकरण तथा विस्तार को रोकेगी। मैं वित्त मन्त्री से इस प्रस्ताव पर पुनः विचार के लिए अनुरोध करता हूं क्योंकि कई अर्थशास्त्रियों ने स्थिरता और मुद्रास्फीति की घोषणा की है। इसका रोजगार संबंधी स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

दुर्भाग्य से यहां औद्योगिक विकास के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। यहां कुछ सुखद प्रस्ताव हैं और मैं पहाड़ी क्षेत्रों में होटलों से प्राप्त होने वाले लाभ में 50 प्रतिशत की कटौती का स्वागत करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे ही प्रोत्साहन सभी उद्योगों को दिए जाने चाहिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित हो रहे हैं। विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों के बावजूद पहाड़ी क्षेत्रों का उद्योगीकरण नहीं हो पाया है और इस प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग महानगरों में आ रहे हैं, खासकर मेरे क्षेत्र से। हमें पहाड़ी क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए और प्रोत्साहन देना होगा। मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि होटल उद्योगों को जो लाभ दिए जाते हैं वही अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी उद्योग को दिया जाना चाहिए।

मुझे बहुत खुशी है कि पुस्तक प्रकाशन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। इसे निगमित निकायों को भी देना चाहिए जो तकनीकी विषयों पर पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करते हैं।

यह ब्याज कर कभी लगा दिया जाता है कभी इसे वापस ले लिया जाता है जिसे तीसरी बार पुनः प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि, वित्त मंत्री ने इसे प्रत्यक्ष कर के वर्ग में रखा है परन्तु वास्तव में एक अप्रत्यक्ष कर है। यह बैंक और संस्थान सम्बन्धी लागत को बढ़ाएगा जो वास्तव में एक निवेश लागत है

और इससे मुद्रस्फीति बढ़ेगी। विगत में इससे कागजी कार्यवाही में अत्याधिक वृद्धि हुई। इससे बैंकों में समयोपरि परम्परा चल पड़ी जिससे बैंकों में अकुशलता बढ़ी। मुझे आशा है कि इस बार बैंकों में कम्प्यूटरीकरण में वृद्धि से हमें पुराने अनुभव से नहीं गुजरना पड़ेगा।

कुछ समय पहले प्रस्तुत ब्याज कर के साथ लचीले ब्याज दरों की व्यवस्था से ऋण लागत में काफी हद तक वृद्धि हुई है। इससे, विशेषरूप से लघु क्षेत्र के उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। लघु उद्योगों का चालू रहना मुश्किल है, अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अत्याधिक रोजगार देने वाले लघु उद्योगों को लचीले ब्याज दरों से अलग रखें और उनके लिए कम ब्याज की कम दर ही रहने दें कृपया इस प्राथमिक क्षेत्र के लिए ब्याज की कम दरें ही रहने दें।

आय पर करके सम्बन्ध में स्रोत पर कर कटौती की 2,500 रुपए की सीमा बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगी। इससे बैंकिंग पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा और कागजी कार्यवाही में अत्याधिक वृद्धि होगी। जिससे भारी समयोपरि भुगतान की आवश्यकता होगी। छोटे और मध्यम जमाकर्त्ता अपनी रकम को वापस लेकर उसे छोटी राशियों में विभाजित करेंगे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कई जमाकर्त्ता पेंशन पाने वाले, स्त्रियां, विधवाएं कम पढ़े लिखे लोग, ग्रामीण और शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनका स्थानांतरण हो सकने वाली नौकरियां हैं। मेरे क्षेत्र का हमाल, जो बम्बई में काम करता है 25,000 रुपये कमाने में सक्षम है और इस कर के कारण वह भी बहुत असुविधा में पड़ जाएगा। अतः मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि यदि इसको 10,000 रुपये तक नहीं बढ़ायी जा सकता तो कम से कम इसकी सीमा 5000 रु० तक बढ़ायी जानी चाहिए। इससे एक तरह से गुप्त ढंग से कृषि संबंधी आय पर लग रहा है। मेरे क्षेत्र में तथा अन्य स्थानों पर भी काफी छोटे कृषक हैं जो धनी नहीं हैं। धनी कृषक बढ़िया कोई बात नहीं है। यद्यपि कुछ धनी कृषक है यह वास्तव में विवादास्पद हैं, परन्तु वह खेती से धनी नहीं हुए है वरन् उनके पास कृषि पर आधारित उद्योग की कुछ पृष्ठभूमि है। खासकर मेरे क्षेत्र में उनके पास निगमित चीनी उद्योग हैं और आप उसे चीनी उद्यमियों का समूह कह सकते हैं। वास्तव में यह अकेले खेती बड़ी से प्राप्त हुआ लाभ नहीं है बल्कि यह उद्योगों से प्राप्त हुआ लाभ भी है। धनी किसान वे लोग हैं जो भूमि सुधारों की खुले रूप से उपेक्षा कर रहे हैं और जिनके पास काफी बेनामी जमीन हैं। अतः कृपया यह न सोचें कि वहां धनी किसान हैं। मैं आपसे 2500 रु० की सीमा को 5000 रु० तक बढ़ाने पर पुनः विचार करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : वित्त मन्त्री ने व्यय कर को किसी तरीके से सरल किया है। व्यय कर जिसे 1987 में लाया गया था, बहुत अधिक सफल उपाय था क्योंकि यह कुछ बड़े होटलों पर ही लागू था। इससे पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता था—अधिकांश काला धन और इसका मुद्रास्फीति से भी कोई सम्बन्ध नहीं था। वसूली करना बहुत आसान था वसूली करने में किसी भी अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं थी; लेकिन इस बार आपने व्यय कर का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। इस कर की व्यवस्था के लिये आपको बहुत से निरीक्षकों और क्लर्कों की आवश्यकता होगी। निःसन्देह यह कर एक स्वागत योग्य उपाय है परन्तु इसे और अधिक सरल करना पड़ेगा।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : मेरा एक और अनुरोध है। इस कर को तत्काल लागू न करके

अगले वर्ष के पहले अप्रैल से लागू किया जा सकता है क्योंकि आपको इस कर की वसूली के लिये नया आधारभूत ढांचा बनाना पड़ेगा। मेरा अन्तिम प्रश्न क्षमादान के बारे में है। समानान्तर अर्थव्यवस्था में संसाधनों को उपयोग में लाने की सरकार की उत्सुकता को हर कोई समझ सकता है। लेकिन घोषित की गई अनेक योजनाओं की सफलता सन्देहास्पद है। विशेषकर, अनिवासी भारतीयों की उपहार योजना हवाला लेनदेन शुरू होगा। इस योजना के कारण 40% अन्तर के कारण राष्ट्रीय आवासीय बैंक में बहुत कम धन आयेगा। इसके स्थान पर अनिवासी भारतीयों से सोने का आयात करने सम्बन्धी कुछ योजनाओं पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। विगत 25 वर्षों में काले धन को निकालने के लिए लगभग 21 योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है और प्रत्येक नई योजना कर बचाने वालों के लिए एक नयी प्रेरणा थी।

महोदय, अन्त में बहुत से मित्रों ने निजी कराधान के लिये छूट की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। मुझे पता है कि निश्चित आय और वेतन पाने वाले व्यक्ति मुद्रास्फीति के भार के नीचे कुचले जा रहे हैं। वास्तव में वित्त मन्त्री ने अधिकतम सीमांत कर की दर में वृद्धि नहीं की है और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि उन्होंने अगले कुछ वर्षों में इसे 45% तक कम करने का प्रस्ताव किया है बशर्ते वे और उनकी सरकार सत्ता में रहे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डम्मा यादव (मछलीपटनम) : अन्य सदस्यों को भी बोलने के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये। केवल तभी माननीय वित मन्त्री चर्चा का उतर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे पास एक प्रस्ताव है। जाते समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने एक सूची तैयार की है। उन्होंने दो नामों को सूची में अंकित किया है जो सदन की सहमति पर ही वे बोल सकते हैं और तत्पश्चात हम समाप्त करें।

श्री राम कापसे : नहीं, नहीं। हम कल बोलेंगे।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब प्रो० राम गणेश कापसे बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं केवल उस सूची की बात कर रहा हूं जिसे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा तैयार किया गया है।

श्री के० पी० रेड्डम्मा यादव : मेरा सुझाव यह है। जब मेरा नाम पुकारा गया था तो मैं यहां उपस्थित नहीं था।

सभापति महोदय : यही कारण है कि आपने अपना अवसर खो दिया है। लेकिन हम आपको कल निश्चित रूप से अवसर दे देंगे। यदि कोई सदस्य अपने नाम पुकारे जाने पर उपस्थित नहीं होता है, तब···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूं कि प्रो० कापसे को बोलने दें और यदि सदन सहमत हो जाता तो एक और वक्ता बोल सकते हैं। श्री रेड्डय्या आपकी बारी कल आयेगी। यदि सदन सहमत नहीं होता है तो मैं कोई सहायता नहीं कर सकता।

8.00 म०प०

श्री एस कापसे : सभापति महोदय, माननीय वित मन्त्री द्वारा बजट के बाद प्रैस को जानकारी देते हुए उन्होंने बजट प्रस्तुत करने के उद्देश्यों को बताया है। पहला उद्देश्य था मानवीय आधार पर, दूसरा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना और तीसरा यह था कि बजट ऐसा हो जिससे मुद्रास्फीति न बढ़े।

सभापति महोदय : प्रो० कापसे, चूंकि अब आठ बजे गए हैं, अतः कल आप अपने भाषण को जारी रख सकते हैं।

अब सभा कल 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

8.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 13 सितम्बर, 1991/22 भाद्र, 1913 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6

पी.एल.एस. 48/5/44/91 (एन)
225

© 1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रि